नवम माला, खंड 5, अंक 39

शुक्रवार, 11 मई, 1990
21 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

62
12|12|90

(खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 11 मई, 1990/21 वैशाख, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
19	नीचे से 15	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
32	3	"बासु" के स्थान पर "कासु" पढ़िये।
69	6	"श्रीमती चेन्नुपति विद्या" के स्थान पर "श्रीमती विद्या चेन्नुपति" पढ़िये।
94	14	"औद्योकि" के स्थान पर "औद्योगिक" पढ़िये।
110	नीचे से 8	"नायक" के स्थान पर "नाईक" पढ़िये।
113	नीचे से 3	"प्रो0वी0थामस" के स्थान पर "प्रो0के0वी0थामस" पढ़िये।
125	नीचे से 6	"अी" के स्थान पर "श्री" पढ़िये।
135	नीचे से 3	"जानर्दन" के स्थान पर "जनार्दन" पढ़िये।
145	7	"(क) से (ख)" के स्थान पर "(क) से (घ)" पढ़िये।
147	नीचे से 1	"श्री एम0डेनिस" के स्थान पर "श्री एन0डेनिस" पढ़िये।
181	11	"श्री वी0निवास प्रसाद" के स्थान पर "श्री वी0 श्रीनिवास प्रसाद" पढ़िये।
185	नीचे से 7	"प्रतावराव वी0" के स्थान पर "प्रतापराव बाबूराव भोसले" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
189	नीचे से 12	"4817" के स्थान पर "8417" पढ़िये ।
195	नीचे से 5	"8224" के स्थान पर "8424" पढ़िये ।
197	9	"दित्त" के स्थान पर "वित्त" पढ़िये ।
222	9	"पल्लापल्ली" के स्थान पर "मुल्लापल्ली" पढ़िये ।
277	नीचे से छः	"उपाध्यत्र" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये ।
	14	"2·40 म0प0" के स्थान पर "3·40म0प0" पढ़िये ।
330	नीचे से 2	"वैशाल" के स्थान पर "वैशाख" पढ़िये ।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 5 दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 39 शुक्रवार, 11 मई, 1990/ 21 वैशाख, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	...	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर।		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 780, 781, 783 और 786, से 789	...	2-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	21-224
*तारांकित प्रश्न संख्या : 779, 782, 784, 785 और 790 से 799	...	21-32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8217 से 8247, 8249 से 8287, 8289 से 8451,	...	32-224
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	233-235
राज्य सभा से सन्देश	...	235
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापरित	...	235
सभा का कार्य	...	235-236
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	...	236-249
रुई बाजार में रुई की भरमार होने और उसके फलस्वरूप रुई उत्पादकों को हुई बहुत अधिक हानि		
श्री कादम्बुर एम. आर. जनार्दनन	...	236-237 और 238-241
श्री शरद यादव	...	237-238 और 246-249

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

श्री बनवारी लाल पुरोहित ... 241-243

श्री उत्तम राठौड़ ... 243-244

श्री हरीश रावत ... 245-246

कार्य-मन्त्रणा समिति ... 250

दसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक ... 250

पुरःस्थापित

नियम 377 के अधीन मामले ... 251-254

(एक) जम्मू जिले की रणबीर सिंह पुरा तहसील में अरनिया गांव के निकट "नाइक नाला" पर एक पुल बनाये जाने की मांग

श्री जनक राज गुप्त ... 251

(दो) जगदलपुर-गोपालपटनम राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने की मांग

श्री मानकू राम सोढ़ी 251-252

(तीन) तिरुचिरापल्ली और नागौर के बीच मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की मांग

श्री एस. सिंगरावडीवेल ... 252

(चार) इन्दिरा गांधी नहर के पक्के खालों के निर्माण की जांच करने वाले राम सिंह आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की मांग

श्री बेगा राम ... 252-253

(पांच) उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले पेट्रोल और डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट रोकने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री कपिल देव शास्त्री ... 253

(छः) डाक और तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की सेवाएं नियमित किए जाने की मांग

प्रो. प्रेम कुमार धूमल ... 253-254

(सात) सहार और सांताक्रुज हवाई अड्डों का नाम बदलकर क्रमश: "छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा" और "बाबा साहेब अम्बेडकर अन्तर्देशीय हवाई अड्डा" रखे जाने की मांग

श्री राम नाईक ... 254

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91 ... 254-274

जल संसाधन मन्त्रालय

और

कृषि मन्त्रालय

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण ... 255-256

श्री हरि शंकर महाले ... 256-258

डा. विश्वनाथम ... 258-262

श्री राज मंगल मिश्र ... 262-264

श्री के. डी. सुल्तानपुरी ... 264-268

श्री सूर्य नारायण यादव ... 265 और 269-271

श्री दिलीप सिंह भूरिया ... 271-274

मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य ... 268 और

... 274-275

(एक) आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में समुद्री तूफान से मरने वालों के परिवारों को वित्तीय सहायता दिया जाना

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा ... 268

(दो) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के साता धर्मपुर गांव में हुई घटना

श्री राम विलास पासवान ... 274-275

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौथा प्रतिवेदन—स्वीकृत ... 276

विधेयक पुर:स्थापित

(एक) नियोजन विधेयक

श्री अनादि चरण दास ... 276

(दो) भवन-निर्माण तथा सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन की शर्तें) विधेयक

श्री सत्यगोपाल मिश्र ... 277

(तीन) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन)

श्री उत्तमराव पाटिल ... 277

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 155 में संशोधन)

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट ... 278

(पांच) मातृ-वंशावली विधेयक

कुमारी उमा भारती 278

(छः) पदों और सेवाओं में रिक्त स्थानों का (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए) आरक्षण विधेयक

श्री छवि राम अर्गल ... 279

(सात) सीमान्त किसान और कृषि कर्मकार परिवार सुरक्षा विधेयक

कुमारी उमा भारती ... 279

(आठ) कामगार महिला कल्याण विधेयक

कुमारी उमा भारती ... 280

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 263 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट ... 280

(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक
(नए भाग 16 क का अंतःस्थापन)

श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा ... 281

(ग्यारह) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
(धारा 34 में संशोधन)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ... 281

(बारह) रोजगार का उपबन्ध विधेयक

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट ... 282

(तेरह) नागरिक (अनिवार्य आवासन की व्यवस्था) विधेयक

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट ... 282

जुआ विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री राधा मोहन सिंह ... 283-285

श्री सन्तोष मोहन देव ... 285-288

श्री नकुल नायक ... 288-290

श्री रासा सिंह रावत ... 290-292

श्री राम कृष्ण यादव ... 292-293

श्री वसन्त साठे ... 293-296

श्री बृज भूषण तिवारी ... 297-299

प्रो. प्रेम कुमार धूमाल ... 299-300

श्री चित्त बसु ... 300-302

श्री पी. आर. कुमार मंगलम ... 302-303

श्री बालगोपाल मिश्र ... 304-305

श्री ए. विजयराघवन ... 305-308

डा. विश्वनाथम ... 308-309

श्री भवानी शंकर होटा ... 309-310

श्री पी. सी. थामस ... 310-313

श्री तेज नारायण सिंह ... 313-314

आधे घण्टे की चर्चा 314-330

कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत पठन-पाठन की परियोजना

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ... 314-317

श्री पी. आर. कुमारमंगलम	...	317-319
श्री दाऊ दयाल जोशी	...	319-321
श्री हरीश रावत	...	322-323
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	...	323-324
प्रो. एम. जी. के. मेनन	...	324-330

लोक सभा

शुक्रवार, 11 मई 1990/21 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा 11.03 म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण हमारे दो भूतपूर्व साथियों, श्री धर्मवीर वशिष्ठ और स्वामी रामेश्वरानन्द के दु:खद निधन की सूचना मुझे सभा को देनी है।

श्री धर्मवीर वशिष्ठ 1977-79 के दौरान हरियाणा में फरीदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से छठी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले 1952-57 में वह पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे।

वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी श्री वशिष्ठ ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। पेशे से किसान श्री वशिष्ठ ने ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए अनथक कार्य किया। वह विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध थे। श्री वशिष्ठ जनरल लेबर कोन्सिल, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस फरीदाबाद के चेयरमैन और 1969-75 के दौरान हरियाणा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रहे।

श्री वशिष्ठ का निधन 74 वर्ष की आयु में 28 अप्रैल 1990 को हरियाणा में पलवल में हुआ।

स्वामी रामेश्वरानन्द 1962-67 के दौरान तत्कालीन पंजाब राज्य के करनाल निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी लोक सभा के सदस्य थे।

स्वामी रामेश्वरानन्द एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी और समाज सुधारक थे तथा वह अनेक धार्मिक और शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध थे।

स्वामी रामेश्वरानन्द का निधन 8 मई, 1990 को शतायु पार करने के उपरान्त हरियाणा में घरौंज में हुआ।

हमें अपने इन मित्रों के गुजर जाने का भारी शोक है—और मुझे विश्वास है कि यह सभा मेरे साथ श्री वशिष्ठ के शोक संतप्त परिवार को और स्वामी रामेश्वरानन्द के गुरुकुल के साथियों तथा उनके अन्य घनिष्ट सहयोगियों के प्रति सम्वेदना व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करने हेतु थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बालाघाट में फैरो-सिलिकान/फैरो मैंगनीज उद्योग

[हिन्दी]

+

*780. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री प्रहलाद सिंह पटेल :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेरो-सिलिकान/फिरो मैंगनीज के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्तम किस्म का मैंगनीज मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाया जाता है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस जिले में फेरो-सिलिकान/फिरो-मैंगनीज उद्योग स्थापित करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो उक्त उद्योग कब और कहां तथा किस नाम से स्थापित करने का विचार है ?

[अनुवाद]

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां। फैरो-मैंगनीज के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उच्च क्वालिटी के मैंगनीज अयस्क के भण्डार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि मध्यप्रदेश में काफी उच्च क्वालिटी का मैंगनीज अयस्क प्राप्त होता है और उससे वहां पर कारखाना लगाने की सम्भावना भी है, तो क्या मध्यप्रदेश सरकार ने इस तरह के कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं कि वहां पर मैंगनीज अयस्क के ऊपर आधारित कारखाने लगाए जाएं ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, यह सत्य है कि मध्य प्रदेश में मैंगनीज अयस्यक अच्छी मात्रा

में उपलब्ध है और आंकड़ों से मालूम होता है कि 0.4 मिलियन टन अयस्क उपलब्ध हैं और शायद हमारे पास 18.1 मिलियन टन अयस्क के सुरक्षित भण्डार हैं। अब हम विविधता लाने के लिये बड़े और छोटे दोनों प्रकार के गैर सरकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। यदि माननीय सदस्य महोदय मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा हमें एक प्रस्ताव भिजवा सकते हैं तो हम उस पर सक्रिय रूप से विचार करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर पाण्डे अभी तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भेजा ही नहीं है।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो उद्योग की सम्भावनाएं मध्यप्रदेश में व्यक्त की हैं और जिस प्रकार से उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात कही है, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यदि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार के भेजे गए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, तो मैं उनको पुनः भिजवाने का प्रयास करूंगा, किन्तु इस समय मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में मैंगनीज अयस्क की अपार उत्पादन क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए और उच्च क्वालिटी के मैंगनीज की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए वे क्या निकट-भविष्य में इसके ऊपर आधारित कारखाना स्थापित करने का विचार कर रहे हैं क्या ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, जैसा कि मैंने कहा, हम इस सम्बन्ध में गैर सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं बड़े और छोटे पैमाने पर गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देना चाहूंगा क्योंकि इन उद्योगों में अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है और वर्तमान समय में जब सरकार के पास संसाधनों की कमी है हम चाहेंगे कि गैर सरकारी क्षेत्रों को आगे आना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को यह भी बता सकता हूं कि जहां तक फैरो-मैंगनीज का सम्बन्ध है, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हमने अब औद्योगिक फैरो-सिलिकन पर से प्रतिबन्ध उठा लिया है। हमने अपनी नीति को उदार बना लिया है ताकि अगर कोई व्यक्ति इसका कोई अन्य मिश्रित उत्पाद बनाना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। वास्तव में फैरो-सिलिकन के लिए अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं और मुझे खुशी है कि सबसे अधिक आवेदन मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं और मध्य प्रदेश में अनेक उद्योगों के स्थापित किये जाने की सम्भावना है। लेकिन जहां तक फैरो-मैंगनीज का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य महोदय से कहूंगा कि वे अपनी सरकार पर दबाव डालें और गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को फैरो-मैंगनीज उद्योग स्थापित करने हेतु तैयार करें। हम निश्चित रूप से इस पर सक्रिय ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

डा. खुशाल परशराम बोपचे : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से बालाघाट जिले में फैरो-मैंगनीज निकलता है, उसी प्रकार से बालाघाट जिले से बिलकुल लगा हुआ महाराष्ट्र का भण्डारा जिला है, वहां पर मैंगनीज का अच्छा उत्पादन होता है। इसलिए मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उसके आधार पर कोई कारखाना शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के सामने है ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, जैसा कि मैंने कहा इस क्षेत्र में हम किसी राज्य उपक्रम को लाना नहीं चाहते हैं और इसलिए हम गैर सरकारी क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे और फेरो सिलिकण के लिए अनेक आवेदन आये हैं और मेरी जानकारी के अनुसार कुछ आवेदन तो महाराष्ट्र से भी आये हैं। हम उन पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है और गैर सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने की बात है तो यह हम हमेशा करेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्य महोदय को यह आश्वासन नहीं दे सकता हूं कि हम इस मामले में राज्य उपक्रम को लायेंगे।

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए फेरो-मैंगनीज का वर्तमान उत्पादन पर्याप्त है ?

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, एक समय इसकी क्षमता मांग से अधिक थी और इसी कारण मैं इस सभा को विश्वास में ले सकता हूं कि 1982 में मैंगनीज ओर इण्डिया लि. बालाघाट में एक फेरो-मैंगनीज संयत्र स्थापित करने पर विचार कर रही थी जिसे यह विचार त्यागना पड़ा था। लेकिन परिस्थितियां बदल गयीं और 8वीं योजना के लिए गठित की गयी फेरो-मिश्र धातु के उप-समूहों के अनुसार 3.34 लाख टन की उपलब्धी के विरुद्ध वर्ष 1990-91 के लिए मांग के 4.42 लाख टन होने की संभावना है। इसका अर्थ है कि 1.08 लाख टन का अन्तर होने की संभावना है। इस अन्तर के 1991-92 में 1.43 लाख टन होने की सभावना है, 1992-93 में यह 1.71 लाख टन हो जायेंगे, 1993-94 में यह 1.96 लाख टन हो जायेंगे। अत: 8वीं योजनावधि में उपसमूह परियोजना के अनुसार मांग और उपलब्धि में अन्तर हो जायेगा। अब मैं यह भी बताना चाहूंगा कि फेरो-सिलिकन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों में से छ: ईकाईयों ने महाराष्ट्र से आवेदन भेजा है।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में अच्छी किस्म की धातु के ओरस प्राप्त होते हैं। इन ओरों से अच्छे किस्म की धातु का निर्माण किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जितनी धातु की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या हमारे पास जो सोर्सेस हैं उसको पूरा दोहन करके आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में प्रयास करने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं ? ऐसी जानकारी है कि जितने धातु के ओरस हैं वे विदेशों में जाकर परिष्कृत होकर देश में आते हैं। मध्यप्रदेश में अच्छी किस्म के आयस-ओरस हैं, इसी प्रकार कापर, मैंगनीज, ऐलुमिनियम के ओरस हैं। उनको अपने देश में अपने उपयोग के लिए, कनजम्पशन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : माननीय सदस्य महोदय ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। वर्तमान में हम बहुत अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं। हम करीब 30 मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं और निर्यात से इस समय 890 करोड़ रुपये की आय है। अब हम 30 मिलियन लौह अयस्क के निर्यात द्वारा 890 करोड़ रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं। लेकिन यदि इसे हम तैयार इस्पात में बदल दें तो हम सिर्फ 1.1 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करके जिसके लिये 1.62 मिलियन टन लौह अयस्क की आवश्यकता होगी, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य द्वारा इस

धनराशि का उपार्जन कर सकते हैं और यह बचत काफी अधिक है। लेकिन हमें दो बातों पर विचार करना है एक तो संसाधन की कमी है और दूसरा विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। अब हम निर्यात में कमी ला कर आय कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीति के अनुसार हमने यह निश्चित किया है कि देश में उपयोगी उत्पादों के लिए अयस्क का उपयोग किये जाने पर हम जोर देगें। वास्तव में कुछ मुख्य अयस्कों के संबंध में हमने उच्च किस्म के अयस्क के आयात में कमी लाने का निर्णय किया है और इनमें एक लोह अयस्क है जहां कि हम उच्च किस्म के अयस्क के निर्यात पर एक सीमा लगाने और कमी लाने का इरादा रखते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा हुआ कि इतने जनार्दन नामों से यहां नाम हैं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि बिहार में फेरो-मैंगनीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अतः क्या सरकार बिहार में इस खनिज पर आधारित कोई नया उद्योग लगाना चाहती है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मैं मध्य प्रदेश से बिहार में आया हूं। लेकिन मेरा उत्तर वही है कि हम इस मामले में राज्य उपक्रमों को लाने का ईरादा नहीं रखते हैं। यदि मेरे माननीय मित्र बिहार में अपनी सरकार पर दबाव डाल सकते हैं और गैर सरकारी उद्योगकर्मियों को भी बिहार में उद्योग स्थापित करने पर सहमत कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, बालाघाट में उद्योग पति तो उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं, अतः सरकार उन्हें कौन सी सुविधायें मुहैय्या करायेगी ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी ने मिश्रित धातु के बारे में जो कुछ कहा है उसके बारे में मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि वहां मैंगनीज के अलावा तांबा भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतः वहां कोई मिश्रित धातु का कोई उद्योग लगाने का सरकार विचार है ?

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : जहां तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है मेरा उत्तर वही है। स्पष्ट रूप से हमने उदार नीति अपनाई है, ताकि एक उद्योगपति अपने मिश्रित उत्पाद में परिवर्तन कर सकें। स्पष्ट है कि जो भी सहायता हम कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन यह हमारे पास आने वाले आवेदन पर निर्भर करता है। हम सभी आवेदनों पर उनके पक्ष में विचार करेंगे।

जहां तक अन्य प्रश्न का सम्बन्ध है, अब मैं जवाब दे सकने की स्थिति में नहीं हूं। वे इसके लिए अलग से नोटिस दे सकते हैं।

सीधे विदेशी पूंजी निवेश सम्बन्धी नीति की समीक्षा

+

*781. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत में सीधे विदेशी पूंजी निवेश सम्बन्धी नीति की समीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने की हमारी नीति और उनके उत्पादों की हमारे देश में भारी खपत की सम्भावना के बावजूद विदेशी निवेशकों द्वारा कम रुचि दिखाये जाने के क्या कारण हैं और

(घ) भारत में कम विदेशी पूंजी निवेश के क्या विशेष कारण हैं और स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सरकार की मान्यता है कि विदेशी निवेश हमारे उद्योग को आधुनिक बनाने, अन्तर्राष्ट्रीय रूप से इसे अधिक प्रतिस्पर्धी और अत्यन्त प्रतिस्पर्धी विश्व मण्डियों में बाजार सम्पर्क बनाने के हमारे प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। हमारे हित के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों मे विदेशी निवेश का स्वागत है।

सरकार का विदेशी निवेश पर सभी प्रतिबन्ध हटाने की खुली नीति अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां यह स्वीकार्य है।

नीति को अधिक स्पष्ट बनाने और शीघ्र निर्णय सुनिश्चित करने के लिए सरकार सतत् प्रयास करती रही है।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्टा : अध्यक्ष महोदय, आज तक कितने देशों ने कितनी धनराशि हमारे देश में लगाई और उसमें से विभिन्न प्रोडेक्ट्स पर वह कितनी लगाई है ?

श्री अनिल शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो धनराशि लगी है वह 316 करोड़ रुपये तक की लगी है।

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : अध्यक्ष महोदय, जो बड़े देश हैं—जैसे यू. एस. ए., यू. के. और फ्रांस ने यहां धनराशि क्यों नहीं लगाई है ? उसका क्या कारण है ?

श्री अनिल शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सब मिला कर विदेशी धनराशि 316 करोड़ रुपये की लगी है। जिन देशों ने इसमें सबसे ज्यादा पैसा लगाया है उसमें सबसे ऊपर नम्बर अमरीका है। उसमें 6215 लाख रुपए की धनराशि लगाई है, इंग्लैंड ने 3346 लाख रुपए की, जापान ने 877 और आस्ट्रेलिया ने 300 लाख रुपए की धनराशि

लगाई है। इसके अलावा एन. आई. आर. का पैसा भी इसमें लगा है और वह 2117 लाख रुपए लगा है। लम्बी लिस्ट सभी देशों की हमारे पास है।

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू : महोदय, क्या मंत्री महोदय हमें आश्वासन देंगे कि केवल उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी न कि उपभोक्ता वस्तुओं में?

श्री अनिल शास्त्री : इस सम्बन्ध में सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि विदेशी प्रौद्योगिकी की अनुमति केवल उन्हीं क्षेत्रों में दी जाएगी जहां आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। उपभोक्ता वस्तुओं और उपभोक्ता उत्पादों के मामले में विदेशी प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाया जाएगा।

श्री संतोषमोहन देव : महोदय, अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार इस संबंध में निर्बाध व्यापार नीति का अनुसरण नहीं करेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी यहां काफी गुंजाईश है। क्या मंत्री महोदय उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रौद्योगिकी की गुन्जाईश है?

श्री अनिल शास्त्री : वास्तव में मैंने यह कहा था कि विदेशी निवेश की अनुमति उन क्षेत्रों में दी जाएगी जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र में हैं और जहां विदेशी निवेश को निस्तार प्रौद्योगिकी अन्तरण के एक माध्यम के रूप में माना जाता है। लेकिन हमने इस्पात उद्योग अर्थ मूविंग इन्डस्ट्री और अन्य भारी इन्जीनियरी वस्तुओं की तरह कुछ क्षेत्रों को चुना है जहां इस प्रौद्योगिकी को अनुमति दी जाएगी।

श्री बालगोपाल मिश्र : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि उपभोक्ता क्षेत्र और उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र में कितनी विदेशी पूंजी का निवेश किया गया है।

श्री अनिल शास्त्री : महोदय, मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है। मैं बाद में यह जानकारी माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय जहां तक विदेशी निवेश की बात है इस संबंध में एक व्यावहारिक दृटिकोण की जरूरत है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास धन का अभाव है। इसलिए, राज्य सरकारों की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, केरल सरकार ने एक योजना बनाई है जोकि बहुत अच्छी योजना है। उस योजना में उन्होंने एक धन राशि का प्रावधान रखा है जिसमें 40 प्रतिशत शेयर अप्रवासी भारतियों के लिए होंगे और परियोजनायें पूरी करने के लिए राज्य सरकार की प्रत्याभूति भी दी जाएगी। कर्नाटक सरकार ने कृष्णा और कावेरी परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जहां तक इन परियोजनाओं का सम्बन्ध है क्या भारत सरकार इनमें अप्रवासी भारतियों द्वारा निवेश की इजाजत देगी।

श्री अनिल शास्त्री : महोदय, हमने हमेशा भारत में अप्रवासी भारतियों द्वारा निवेश को बढ़ावा दिया है और माननीय सदस्य द्वारा कही गई यह बात अगर हमारी सरकारी नीति के अन्तर्गत है तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, हमारे देश में विदेशी निवेश की बात एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और हमने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि पहली प्राथमिकता हमारे राष्ट्रीयहितों और आत्म-निर्भरता के सिद्धांत की रक्षा है। सारा विश्व एक दूसरे पर निर्भर होता जा रहा है और अधिकांश देश विदेशों निवेश के सम्बन्ध में व्यावहारिक रवैया अपना रहे हैं। यहां तक कि चीन भी जोकि रूढ़िवादी साम्यवाद का आखिरी गढ़ है अपने गृह उद्योग में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दे रहा है। कल, सरकार के लंदन स्थित उच्चायोग ने हमारे देश में विदेशी निवेश के संबंध में आने वाली अफसरशाही प्रक्रियाओं की पेचीदगियों तथा अड़चनों के बारे में जानकारी दी।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि हमारे देश में निवेश के प्राथमिक क्षेत्रों में सरकार द्वारा और छूट देने के साथ-साथ विदेशी निवेश के लिए प्रक्रियाओं को अधिक सरल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्वयं सरकार की देख रेख में विदेशी निवेश कर्ताओं के लिए एकल खिड़की सेवा, की भांति एक स्थान सेवा स्थापित करने पर विचार करेगी, जोकि हमारे देश में निवेश कर्ताओं के लिए चल रही है ताकि वे हमारे देश की पेचीदा प्रक्रियाओं तथा सरकारी विभागों के बावजूद भी अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकें। इस सेवा के लिए वे मांग कर रहे हैं।

श्री अनिल शास्त्री : मैं समझता हूं कि भारत को किसी अन्य देश से तुलना करना गलत है, आमतौर पर हम थाईलैंड या इन्डोनेशिया से तुलना करते हैं। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि थाईलैंड, इन्डोनेशिया और ऐसे ही अन्य देशों के मामले में विदेशी निवेश आधार भूत रूप से निर्यात के लिए होते हैं जबकि विदेशी कम्पनियां निवेश के लिए भारत आती है तो उनका मुख्य रूप से जोर घरेलू बिक्री पर रहता है तथा निर्यात के लिए उतना नहीं रहता। हमारी नीति पड़ोसी देशों से भिन्न है। यह कहना ठीक नहीं है कि विदेशी निवेश घट रहा है। मेरे पास आंकड़े है निःसंदेह पिछले तीन वर्षों की अवधि में विदेशी सहयोगों की कुल संख्या में कमी आई है। लेकिन कुल निवेश बढ़ा है। 1987 में यह 107 करोड़ रुपए था। 1988 में 239 करोड़ रुपए था। 1989 में यह 316 करोड़ रुपए था। अतः यह 1987 में किए गए निवेश से तीन गुना है।

जहां तक पहले से तीन दिए गए उपायों की बात है जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इसमें आमतौर पर दो तरह के आवेदन पत्र लिए जाते हैं। एक आवेदन पत्र संयुक्त आवेदन पत्र होता है जहां पार्टी द्वारा विदेशी सहयोग पूंजीगत सामान औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र पेश किए जाते हैं तथा जिसके लिए उद्योग मंत्रालय में एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड होता है। यह एक स्थान मंजूरी है।

फिर ऐसा विदेशी सहयोग भी है जिसे वित्त मंत्रालय भेजा जाता है और विदेशी निवेश बोर्ड द्वारा मंजूर किया जाता है। कुछ अन्य अड़चने जिन्हें सरकार ने दूर करने की कोशिश की है उनकी लम्बी सूची है। विदेश मंत्रालय ने विदेशी तकनीशियनों, प्रबन्धकों आदि को थोड़ी अवधि के लिए वीसा पाने की सुविधा देने हेतु निर्देश जारी किए हैं जबकि दीर्घकालिक वीसा देने के लिए उनका आवेदन पत्र विचाराधीन है। विदेशी तकनीशियनों को अनुमति देने के लिए एक निर्णय लिया गया…

प्री. एन. जी. रंगा। आप पढ़ कर इतना लम्बा उत्तर दे रहे हैं आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। माननीय मंत्री पढ़ते ही जा रहे हैं तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें कह रहा हूं कि नहीं पढ़ें......

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह कहते हैं कि उत्तर काफी लम्बा है तो वे इसे सभा पटल पर क्यों नहीं रखते हैं ? आप विनिर्णय भी दे सकते हैं कि यदि प्रश्न लम्बा है तो उसे भी सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखें।

श्री अनिल शास्त्री : मैं समझता हूँ कि वह लम्बे उत्तर देने को बुरा नहीं समझते।

विदेशी कम्पनियां अब औद्योगिक लाइसेंस/विदेशी सहयोग के लिए स्वयं अपने नाम पर सीधे आवेदन कर सकती हैं। वे आवेदन कर सकती है और फिर मंजूरी मिलने के बाद संयुक्त उद्यम लगा सकते हैं। विदेशी सहयोग अनुमोदनों के लिए वैध अवधि को दो वर्ष बढ़ा दिया है। लाभांशों और रायल्टी भुगतान को अन्तिम आयकर स्वीकृति मिलने से पहले अदायगी करने की इजाजत है। यह फैसला किया गया है विदेशी कम्पनियों को आर्डर बुक करने हेतु सम्पर्क कार्यालय खोलने की इजाजत दी जाये......(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : वह वरिष्ठ मंत्रियों से ज्यादा अच्छी तरह से उत्तर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल चटर्जी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : बाहर से ऋण लेने या विदेशी निवेश प्राप्त करने का आधारभूत कारण यह है कि हमारी बचत दर कम है। हम अर्थव्यवस्था में उच्च निवेश दर चाहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विदेशी धन प्राप्त करने की कोशिश में ऐसा क्यों है कि हम विदेशी ऋण के बजाय विदेशी निवेश पसंद करते हैं ?

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए क्या आप विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को किसी तरह उदार बनाने जा रहे हैं ?

(ख) विदेशी निवेश की वजह से हमारे देश से कितना पैसा बाहर गया और कितना देश में आया तथा इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

श्री अनिल शास्त्री : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को इस वक्त संशोधित करने का कोई विचार नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं। हम 40% इक्विटी की इजाजत दे रहे हैं और जहां विदेशी निवेशकों द्वारा निर्यात की गारंटी दी जायेगी वहां ऊपरि सीमा का कोई बंधन नहीं है और यह 100 तक की जा सकती है। सरकार की नीति विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की रहेगी। इसमें फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री कुपाल सिंह : मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जो लोग हिन्दुस्तानी

हिन्दुस्तान से बाहर विदेश में रहते हैं और वे यहां पर इन्डस्ट्री में पैसा लगाना चाहें तो क्या उनको एन्करेज किया जाएगा ? खास तौर से पंजाबी जिन्हें कि पिछली सरकार ने पंजाब में आने के लिए वीजा तक देना बन्द कर दिया था, पंजाब में इन्डस्ट्री लगाना चाहते हैं । इनके बारे में सरकार की क्या पालिसी है ?

श्री अनिल शास्त्री : हमारी सरकार की जो नीति है उसके तहत कोई भी विदेश से आकर के इन्डस्ट्री लगाना चाहे तो उसको इजाजत दी जाएगी ।

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू : माननीय मन्त्री के यह बात कहने पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारी विदेशी निवेश पर कोई निर्बाध व्यापार नीति नहीं है । लेकिन एक समस्या है । पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारी उदार आयात नीति का फायदा लेने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में वृद्धि हुई है और हमने इस उदारवादी नीति को औचित्य पूर्ण बताया है क्योंकि हम अपने देश में उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकी चाहते हैं । सरकार का जोर तो रोजगार परक कार्य पर है अर्थात ज्यादा रोजगार पैदा करना है । यह उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकी पर आमतौर से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का एकाधिकार होता है जो स्वचलन पर विश्वास करते हैं । अतः माननीय मंत्री इस स्थिति की समीक्षा करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की वृद्धि न हो और साथ ही हमारे देश में विदेशी निदेश नीति के जरिये रोजगार-उन्मुख प्रौद्योगिकी लायी जायें ।

श्री अनिल शास्त्री : यह अच्छा सुझाव है तथा मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम इस पर विचार करेंगे ।

[हिन्दी]

डा. शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने अभी जो आंकड़े दिये हैं विभिन्न देशों के तो उनसे स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा पूंजी निवेश अमेरिका का हुआ है, क्या इसको सरकार संतोषजनक मानती हैं ? क्या वह अमेरिकी पूंजी निवेश को बढ़ाना चाहती है या वह अमेरिकी पूंजी निवेश को घटाना चाहती है ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या मंशा है ?

श्री अनिल शास्त्री : फॉरन इन्वेस्टमेंट से किसी देश का कोई सम्बन्ध नहीं है । जिस देश का भी यहां पैसा लगा है वह हमारी सरकार की नीति के तहत लगा है । इसलिए इसका हमारी नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

बोलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

[अनुवाद]]

*783. **श्री बालगोपाल मिश्र :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या बोलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक के कर्मचारी 22 मार्च, 1990 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं,

(ख) उनकी मुख्य मांगें क्या हैं,

(ग) क्या उनकी मांगों में कर्मचारियों के वे लाभ शामिल है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण

विकास बैंक/केन्द्रीय सरकार/राज्य स्तर के फोरम द्वारा मंजूर किये गये हैं और ये लाभ उड़ीसा और अन्य राज्यों के दूसरे ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं, और

(घ) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि बोलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलांगीर (उड़ीसा) के कर्मचारियों का एक वर्ग कतिपय मांगों को मनवाने के वास्ते 22.3.1990 से हड़ताल पर रहा गया था । हड़ताल 14.4.1990 से समाप्त की जा चुकी है ।

2. अधिकारियों की एसोसिएशन और कर्मचारी संघो द्वारा की गई मुख्य मांगें, बैंक के मुख्यालय मे संघों के पदाधिकारियों की पदस्थापना, द्विपक्षीय समझौते की व्यवस्था, संदेशवाहकों की सेवा शर्तों से सम्बद्ध मामले, स्थानान्तरण नीति तैयार करना और उसका क्रियान्वयन, पदोन्नति नीति का क्रियान्वयन, निलम्बित कर्मचारियों की बहाली, भवन निर्माण ऋण, दूरस्थ क्षेत्र भत्ता, स्थापनापन्न भत्ता और समूह बीमा लाभ जैसे अनुमोदित लाभों का क्रियान्वयन, कथित उत्पीड़न संबंधी मामले वापिस लेना, बैंक निधियों और कार्मिक का उचित व वैज्ञानिक प्रबन्धन आदि से सम्बद्ध हैं ।

3. सरकार और नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पदोन्नतियां से सम्बद्ध मामलो और प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा सेवा विनियमनों के तैयार करने के बारे मे समय समय पर विस्तृत अनुदेश जारी किये हैं । बताया गया है कि उड़ीसा सरकार के नियमों के अनुसार खराब जलवायु भत्ते, अपने कर्मचारियो के वास्ते उड़ीसा सरकार द्वारा अनुमत संशोधित वेतनमान और मकान किराया भत्ते की संशोधित दरें, स्थायी संदेशवाहकों के लिये वर्दियां, आवास ऋण, मान्यता प्राप्त संघो के लिये द्विपक्षीय फोरमों हेतु व्यवस्था, राज्य सरकार नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता जारी करने से सम्बद्ध मांगें आदि पूरी की जा चुकी हैं । ग्रामीण बैंक के प्रबन्धन ने 8.10.84 से पूर्व लगे वर्तमान सफाई कर्मचारियों और जल भरने वाले कर्मचारियो के पदों को नियमित करना, स्वयं अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार के निर्णय के अनुरूप संशोधित वेतनमान, कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित द्विपक्षीय बैठक, प्रत्येक कर्मचारी के गुण-दोषों के आधार पर निलम्बन और स्थानान्तरण संबंधी मामलों की पुनरीक्षा इत्यादि करना भी मान लिया है ।

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यरत संदेशवाहकों को सेवा नियमित करने के लिए मानदण्ड भी निर्धारित कर दिए गए हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा निधियों के उचित प्रबन्ध किए जाने के संबंध में नाबार्ड द्वारा अनुदेश भी जारी कर दिए गए हैं । नाबार्ड द्वारा प्रत्येक तिमाही में घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति को

निगरानी की जाती है और उन्हें तथा उनके प्रायोजक बैंकों को उपचारात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया जाता है।

श्री बाल गोपाल मिश्र : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या बोलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक के कर्मचारियों ने घाटे के बारे संबंधित अधिकारियों को पूर्व सूचना दी थी और बैंक को हड़ताल के कारण कितना घाटा हुआ। क्या विगत वित्तीय वर्ष में बैंक को 3.75 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

श्री अनिल शास्त्री : महोदय, मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य ने पहले की तरह ही इस बैंक के कर्मचारियों का मुद्दा उठाया है। मैं उनके इस सम्बन्ध में प्रयास की सराहना करता हूं। यह सूचना देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यह मामला सुलझा लिया गया है। यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि यह मामला किसी न्यायाधिकरण द्वारा निपटाया जाना चाहिये। न्यायाधिकरण ने 30 अप्रैल, 1990 को यह निर्णय दिया कि कर्मचारियों को राज्य स्तर के कर्मचारियों के वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा अर्थात् राज्य के कर्मचारी 31 अगस्त, 1987 में राज्य के कानून के अनुसार जो वेतन ले रहे थे, वही वेतन दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें अब व्यावसायिक बैंकों के समान वेतनमान प्राप्त हो रहा है।

श्री बाल गोपाल मिश्र : महोदय, मुझे बैंक के घाटे संबंधी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैंने अपने पहले प्रश्न में पूछा था कि क्या बैंक को एक वर्ष में 3.75 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या सरकार प्रतिनियुक्ति पर मुख्य बैंक से दूसरे बैंकों में भेजने की प्रथा समाप्त करने जा रही है चूंकि प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये लोग एककों की आर्थिक स्थिति की परवाह तनिक भी नहीं करते बल्कि वे अपनी आर्थिक स्थिति और लाभों से मतलब रखते हैं। क्या सरकार इस बारे में विचार करने को तैयार है? माननीय मंत्री महोदय ने अन्त में अपने जवाब में कहा है कि देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटे में चल रहे हैं। वे अपना स्थायी आधार खोते जा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से इस बारे में पूरा ब्यौरा प्राप्त करना चाहूंगा चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में कुछ बाधाएं हैं। व्यावसायिक बैंकों की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे और सीमांत किसानों को धन उपलब्ध कराने तक ही सीमित हैं। तो क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नीतियों में परिवर्तन लाया जाएगा। क्या उन्हें भी व्यावसायिक बैंकों की भांति कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

श्री अनिल शास्त्री : नीति में परिवर्तन लाने की कोई योजना नहीं है। वास्तव में, वित्त मंत्री ने 6 अप्रैल को इस सदन में यह घोषणा की थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं व्यवसायिक बैंकों का विलय नहीं होगा।

श्री बालगोपाल मिश्र : एक वर्ष में 3.75 करोड़ रुपये के घाटे के बारे में क्या हुआ।

श्री अनिल शास्त्री : इस बारे में सही जानकारी सदस्य को बाद में दे दी जाएगी।

श्री गंगाराम मलिक : मैं पुरी ग्रामीण बैंक में प्रबन्ध के पद पर कार्यरत था। उस बैंक में केवल एक लिपिक था जिससे मुझे सुबह दस बजे से रात तक कार्य करना पड़ता था। मैं मन्त्री

महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या व्यावसायिक बैंकों की तुलना में ग्रामीण बैंकों के वेतनमान में अंतर है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के अधिकारी अपने कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं। इस कारण भी बैंक को हानि हो रही है। मैं समझता हूं कि न्यायाधिकरण ने यह निर्णय दिया है कि उनका वेतनमान भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान होना चाहिए। सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों के वेतन अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के बराबर करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री अनिल शास्त्री : यह एक अच्छी सलाह है। हम इस पर ध्यान देंगे।

श्री डी. अमात : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या बैंक के कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है।

श्री अनिल शास्त्री : मैं किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से अवगत नहीं हूं और यदि ऐसी कोई बात माननीय सदस्य की जानकारी में आई है तो इस पर अलग से विचार किया जाएगा। हम इस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

डा विश्वनाथम : क्या ग्रामीण बैंकों का राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ विलय करने का कोई विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बोलांगीर बैंक से सम्बन्धित है। क्या मंत्री जवाब देना चाहते हैं ?

श्री अनिल शास्त्री : ऐसा कोई विचार नहीं है। वस्तुतः, वित्त मंत्री ने 6 अप्रैल को लोकसभा में राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ विलय के विचार को नामंजूर करते हुए एक वक्तव्य दिया था।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न प्र. सं. 784 श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल—अनुपस्थित। प्र. सं. 785 श्री आर. एन. राकेश—अनुपस्थित, श्री माणिकराव होडल्या गावीत—अनुपस्थित, प्र. सं.—786।

श्रीमती सुभाषिनी अली : महोदय, नियम 48 की उपधारा (3) के तहत मैं यह प्रश्न रखना चाहती हूं जबकि दोनों सदस्य जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं, अनुपस्थित है।

अध्यक्ष महोदय : अन्त में।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अन्त में। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, अंत में।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : यह एक गलत परम्परा होगी।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन नियम हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है। अब श्री जाटव।

(व्यवधान)

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : एकाधिकार कानून के तहत मंत्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। महोदय, एकाधिकार कानून मंत्री पर भी लागू होना चाहिए। वह पूरे प्रश्न काल पर एकाधिकार स्थापित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो नये मन्त्री का सौभाग्य है।

(व्यवधान)

सीमा शुल्क प्रशिक्षण निदेशालय में दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को नियमित करना

[हिन्दी]

*786. **श्री खान सिंह जाटव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क प्रशिक्षण निदेशालय में अनुसूचित जातियों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बड़ी संख्या में दैनिक वेतन पर गत दस वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें अब तक नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी सेवाएं कब तक नियमित कर दी जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

श्री खान सिंह जाटव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रशिक्षण निदेशालय में अनुसूचित जाति के कुल कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं और दूसरी जातियों के कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, इनका प्रतिशत कितना है।

श्री अनिल शास्त्री इसमें 37 कैजुअल लेबर हैं, जिनमें 14 शेड्यूल कास्ट और . शेड्यूल ट्राइब का है।

श्री खान सिंह जाटव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अनुसूचित जाति, जन-जाति लेबरर की जो संख्या बताई है, उसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि ये लोग वहां पर कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं और क्या उनकी सेवाएं बढ़ाई जाती रही हैं, उनको अभी तक नियमित क्यों नहीं किया गया है।

श्री अनिल शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो डिपार्टमेंट आफ परसनल की पालिसी है, इसके अनुसार जो लेबरर दो साल तक, जहां 5 दिन का सप्ताह है वहां 240 दिन और जहां 6 दिन का सप्ताह है वहां 206 दिन तक लगातार काम करने के बाद अगर वहां पर वेकेंसी होती है तो कैजुअल लेबरर को रेगुलर एंप्लायमेंट देने के लिए कंसीडर किया जाता है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन 14 कैजुअल लेबरर की संख्या माननीय मंत्री जी ने गिनवाई है, उनमें से कितने लेबरर 2 साल

का समय पार कर चुके हैं और आपके नियमों के तहत आते हैं और उनको नियमित करने के लिए विभाग ने अभी तक कार्यवाही नहीं की है, इसके क्या कारण हैं और कब तक उनको स्थायी कर दिया जाएगा, यह स्पष्ट करें।

श्री अनिल शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, शेड्यूल कास्ट लेबरर एक साल से कम काम करने वालों में एक है, एक और दो साल के बीच काम करने वाले 7 हैं, दो और तीन साल के बीच काम करने वाला एक है, तीन और चार साल के बीच की सर्विस वाला भी एक है, 5 और 10 साल के बीच काम करने वाले 2 हैं, इस तरह से 14 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लेबरर वहां पर हैं।

जैसा मैंने कहा कि सरकार की नीति है कि जब जरूरत महसूस होती है कि लेबरर को रेगुलर एंप्लायमेंट देने की आवश्यकता है, उसके बाद ही विभाग मैटर टेकअप करता है और पोस्ट क्रिएट की जाती हैं। इस समय इस तरह की जरूरत महसूस नहीं की जा रही हैं।

[अनुवाद]

प्रो. एन. जी. रंगा : क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि सरकार इन शर्तों पर पुनर्विचार करे और इन शर्तों में छूट ताकि अधिक निस्सहाय अनुसूचित जातियों के लोगों को स्थाई तौर पर नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिले ?

श्री अनिल शास्त्री : मैं प्रो. रंगा के परामर्श का स्वागत करता हूं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि केवल मैं ही नहीं, बल्कि पूरी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और वे पार्टियां जो सरकार को समर्थन दे रही हैं, ये सभी भारत की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पूर्ण-रूप से वचनबद्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसे इन्होंने बताया कि सरकार की नीति यह है कि 206 दिन या 240 दिन जो लगातार काम करते हैं उनको रेगूलर कर दिया जाएगा। परन्तु अभी जो इन्होंने बताया उसमें 10 साल तक के लोग भी बताए। मेरा कहना यह है कि नीति यह कहती है कि 240 दिन पूरे हो जाएं तो रेगूलेराइज हो जाना चाहिए। क्या कारण है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, जो 10 साल से काम कर रहे हैं, रेगूलेराइज नहीं किया जाता ? यह आवश्यकता कब पैदा होगी ? डिपार्टमेंट ने उन्हें रेगूलेराइज क्यों नहीं किया ?

श्री अनिल शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा कि जब डिपार्टमेंट महसूस करता है कि वहां पर जगह की जरूरत है तो वहां पोस्ट क्रिएट करनी होती है। ये लोग कुछ सालों से काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उन्होंने 206 या 240 दिन लगातार काम किया हो। ये रुक-रुक के काम करते हैं जब जरुरत होती है तो इनको रख लिया जाता है। यह पालिसी शेड-यूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए नहीं है यह जनरल पालिसी है।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, उन कर्मचारियों को बीच-बीच में ब्रेक दे देते हैं यह उनके अधिकार को डिनाई करना है। उनकी जरुरत क्यों पदा नहीं हुई। वे लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह इस वर्ग के साथ अन्याय है, उनके अधिकार का हनन है, यह षड़यन्त्र है जो बीच-बीच में तोड़-फोड़ कर उनको काम देते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप कुछ जवाब देना चाहते हैं।

श्री अनिल शास्त्री : जी नहीं।

श्री छबिराम अर्गल : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी की जानकारी में है कि कैजुअल लेबर को 90 दिन रखने के बाद कुछ समय का गैप देकर फिर 90 दिन के लिए रखते हैं और उनका 206 या 240 दिन का समय पूरा नहीं होने देते हैं। उनको काम करते-करते काफी लम्बा अर्सा हो जाता है। क्या मंत्री जी जानकारी में ऐसी कैजुअल लेबर हैं जो दिल्ली के हाई-कोर्ट में भी गए और उनके पक्ष में फैसला हुआ है ? अम्बेडकर जन्म शताब्दी के अवसर पर सरकार ने कहा कि हम ऐसे कर्मचारियों के कल्याण के लिए, इस वर्ग के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय मोर्चे सरकार और मंत्री जी पर इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को, जो आपके विभागों में है, स्थाई करेंगे ?…(व्यवधान)…

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, बस हो गया, आप बैठ जाएं। आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका मालूम होना चाहिए।

श्री अनिल शास्त्री : अध्यक्ष जी, सरकार की नीति के तहत जहां कहीं जरूरत समझी जायेगी कैजुअल लेबर को रैगूलर सर्विस में लाया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह मेरी सरकार की तरफ से घोषणा है।

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जो जगह शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राईब्स के लिए आरक्षित हैं उसमें दो बातों की समस्या है। एक तो यह है कि जो लोग वहां पर काम करते हैं उनको ब्रेक देते हैं और उनका समय पूरा नहीं होने देते। दूसरा, उन्हीं जगहों के अगेंस्ट अधिकारी ऐडहाक एपाइंटमेंट करते हैं और बेईमानी से पोस्टें भर देते हैं। जब सरकार की तरफ से कोई सर्कुलर जाता है कि आप बैकलाग को पूरा करो तो वे जिनकी नियुक्ति कर चुके हैं, ऐडहाक बेसिस पर, उनको कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, तुम हाई-कोर्ट में जाओ और स्टे ले लो। ताकि तुम को हटाया न जा सके। इस संदर्भ में मेरा यह सवाल है कि एस. सी. और एस. टी. के लिए जितना बैक लाग है आप उसके लिए जगह और रिक्त स्थान ढूंढने में अपनी कोशिश छोडकर क्या ऐसा आदेश देने वाले हैं कि बिना किसी विलम्ब के इस पूरे बैकलाग को पूरा कर देंगे इस साल के अन्दर या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री अनिल शास्त्री : मुझे अपने विभाग में ऐसी किसी भी घटना की जानकारी नहीं है। फिर भी यदि श्रीमती सुभाषिनी अली ऐसा कोई उदाहरण हमारे सामने लाएंगी तो मैं उसे गंभीरता पूर्वक लूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि उसमें न्याय किया जाये। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्रीमती सुभाषिनी अली : पूरे हिन्दुस्तान में जितना बैकलाग है उसका सवाल है। यह बैकलाग सिर्फ कागज पर है। इन जगहों पर एडहाक नियुक्तियां हिन्दुस्तान के हर विभाग में हो चुकी हैं। मेरा यह सवाल है कि सारे रिक्त स्थानों को ढूंढना बन्द करें और बैकलाग भरे जायेंगे इसका आदेश सरकार दे रही है या नहीं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कह रही हैं सब में होता है। आपका मंत्रालय अछूता नहीं है।

श्री अनिल शास्त्री : हमारा मंत्रालय भी अछूता नहीं है।

[अनुवाद]

इसमें कोई समस्या नहीं है। वस्तुतः, माननीय सदस्य को यह जानकारी होगी कि बैंकों में सम्पर्क अधिकारी होते हैं। सभी बैंकों में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकोष्ठ हैं जहां नियुक्ति, प्रोन्नति और शिकायतों के बारे में सुनवाई की जाती है। (व्यवधान)

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

[हिन्दी]

*787. श्री हरि शंकर महाले : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से हशीश, मांग, वस्त्रों और चीन में बनी पिस्तोलों की भारत में तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कुल कितने मामले पकड़े गए; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाए गए हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) नेपाल से भारत में हशीश तथा कपड़ों की तस्करी किए जाने संबंधी मामलों का पता लगाया गया है। तथापि, मांग और चीनी पिस्तोलों की तस्करी किए जाने सम्बन्धी ऐसा कोई भी मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान, हशीश और वस्त्रों की तस्करी-सम्बन्धी जितने मामलों का पता लगाया गया, उनकी संख्या नीचे सारणी में दी गयी है :—

	मामलों की संख्या	
वर्ष	संश्लिष्ट वस्त्र	हशीश
1987	169	112
1988	740	53
1989	546	116

(ग) संश्लिष्ट वस्त्रों तथा हशीश की तस्करी करने में ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों को निवारक नजरबन्दी कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है और

उनको नजरबन्द किया जा सकता है। इसके अलावा, संश्लिष्ट वस्त्रों की तस्करी में लिप्त व्यक्तियों पर विभागीय न्याय निर्णयनों में अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है।

भारत-नेपाल सीमा सहित, भू-सीमाओं के आर-पार से होने वाली तस्करी पर नियंत्रण रखने के लिए तस्करी-रोधी एजेंसियां सतर्क रहती हैं। तस्करी के निवारण में लगी हुई सभी सम्बन्धित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ ताल-मेल बनाए रखा जा रहा है। राज्य प्रशासनों की सहायता भी ली जा रही है।

[हिन्दी]

श्री हरि शंकर महाले : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हशीश और संश्लिष्ट वस्त्र ये दोनों को मिलाकर कुल कितनी धनराशि का माल पकड़ा गया है और हशीश का कितना है, संश्लिष्ट का कितना है ?

श्री अनिल शास्त्री : मैं पिछले तीन साल के आंकड़े बता देता हूं। 1987 में सिंथेटिक वस्त्र 52.65 लाख रुपये के और हशीश 690.90 लाख रुपये की पकड़ी गई, 1989 में सिंथेटिक वस्त्र 138.17 लाख रुपये के और हशीश 50 लाख रुपये की पकड़ी गई और 1989 में 32 लाख रुपये के सिंथेटिक कपड़े और हशीश 891 लाख रुपये की पकड़ी गई।

श्री हरि शंकर महाले : मान्यवर, कितने गुनाहगार गिरफ्तार हैं और नजरबंद हैं उनमें कितनों पर केस लगाये हैं और कितना अर्थदण्ड वसूल किया है ?

श्री अनिल शास्त्री : कितने लोग गिरफ्तार किये हैं और कितने पर केस चलाये हैं तथा कितना दण्ड वसूल किया है इसकी जानकारी मैं माननीय सदस्य को अलग से दे दूंगा।

प्रो. राम गणेश कापसे : बरसों से जो बात चलती आई है उसमें आज की नेपाल की परिस्थिति के कारण बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दृष्टि से आगे चल कर यह बात न हो इसलिए क्या कोशिश की जा रही है और इसका फायदा कितना मिल रहा है ?

[अनुवाद]

श्री अनिल शास्त्री : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को पता ही है कि भारत-नेपाल संधि 23 मार्च, 1989 को समाप्त हो गई है। इस संबंध में चर्चा हो रही है। वास्तव में पिछले दिनों काठमांडू में हुई बातचीत के दौरान नेपाल की सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वे अनाधिकृत व्यापार को रोकने में सहायता प्रदान करेंगे। मुझे विश्वास है कि अगली बैठक में यह विश्वास है कि अगली बैठक में यह मुद्दा और भी स्पष्ट हो जायेगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भांग, हशीश, चरस, गांजा आदि चीजें पकड़ी जाती हैं, सरकार इनका क्या करती है ? क्या इसके बारे में यह बात ध्यान में आयी है कि जब ये चीजें पकड़ी जाती हैं तो बाजार में पहुंच जाती हैं लेकिन इनकी जगह दूसरी चीजें रख दी जाती हैं। क्या सरकार इस प्रकार की चीजों को पकड़ने के बाद इनको डेस्ट्राय करने का कोई तरीका करेगी या इसको क्या किया जाये, इसके बारे में विचार करेगी क्योंकि यह एक सीरियस मामला है ?

श्री अनिल शास्त्री : भांग, हशीश वगैर : नारकोटिक्स के अन्दर नहीं आती हैं। माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इनके बारे में कोई सुझाव दें तो कोई रास्ता निकाला जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस : महोदय, आमतौर पर तस्करी इसलिए होती है कि हमारे देश में अपना उत्पादन काफी नहीं है। जहां तक इन वस्तुओं का संबंध है, हम इनका उत्पादन करने वाले नहीं है। परन्तु कुछ घने वन क्षेत्रों में जैसे कि केरल इत्यादि में गांजे की खेती कई हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। यह सभी जानते हैं। परन्तु ऐसे लोग कभी भी पकड़े नहीं जाते। परन्तु जो लोग एक या दो पौधे उगाते हैं, उन्हें पकड़ लिया जाता है। इसलिए क्या मंत्री जी ऐसे लोगों को पकड़वाने की चेष्टा करेंगे जो कि बड़े पैमाने पर घने वनों में यह खेती करते हैं।

श्री अनिल शास्त्री : हमारा प्रयास सभी स्तर के अपराधियों को पकडने का रहता है। परन्तु मैं माननीय सदस्य के सुझाव की भावना को समझ रहा हूं। बड़े अपराधियों को पकड़ने पर अधिक बल दिया जायेगा।

अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

*788. श्री जनार्दन पुजारी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए फरवरी, 1990 में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल द्वारा संयुक्त उपक्रमों के लिए किस ग्रुप का चयन किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

ओहियो राज्य के गवर्नर मि. रिचर्ड एफ सिलेस्टे ने 15 से 23 फरवरी, 1990 तक भारत का दौरा किया। गवर्नर के दौरे के साथ ही एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भी भारत का दौरा किया। हालांकि गवर्नर महोदय शिष्टाचारवश वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा औद्योगिक विकास विभाग में गए परन्तु प्रतिनिधिमंडल का प्रमुख अन्योन्य कार्यकलाप भारतीय व्यापारियों के साथ रहा। ग्रुप द्वारा संयुक्त उद्यमों के लिए अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों के बारे में वाणिज्य मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी : संयुक्त उद्यमों के क्षेत्र में हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। हमें ऐसे संयुक्त उद्यम स्थापित नहीं करने चाहिए जो कि निर्यात अथवा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाले हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी नीति निर्धारित करते समय किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस विषय में व्यावहारिकता ही मूलतंत्र है। जहां तक इस पहलू के संबन्ध में वर्तमान सरकार की क्या नीति है ?

श्री अरंगिल श्रीधरन : हमारी हमेशा यही नीति रही है कि व्यापार एवं वाणिज्य के मामले

में विचारधारा को कोई महत्व नहीं दिया जाए ताकि वाणिज्य एवं व्यापार के विकास पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है कि हमें प्रौद्योगिकी का आयात उन क्षेत्रों में करना चाहिए या नहीं जहां पर कि हम स्वयं आत्म-निर्भर हो सकते हैं तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम आत्म-निर्भरता के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और इसकी आज्ञा हम नहीं देंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : विदेशी निवेश के रास्ते में आने वाली अड़चनों को समाप्त करने के लिए तथा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : वास्तव में यह प्रश्न एक अमरीकी प्रतिनिधि-मण्डल के संबंध में है। उत्तर में हमने कहा है कि ओहिओ के राज्यपाल यहां आए थे। उसके बाद एक व्यापार-मन्डल आया था : उन्होंने कुछ व्यापारिक संगठनों से यहां पर बातचीत की है। उन्होंने लगभग 70 बैठकें की। हमने आपसी लाभ के मुद्दों पर बातचीत की कि व्यापार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमरीका व्यापार में हमारा एक प्रमुख साझीदार है।

जहां तक प्रक्रिया को आसान बनाने का सम्बन्ध है। हमने नई आयात-निर्यात नीति बनाई है। हमने प्रक्रिया को उचित कर दिया है। हमने निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया है। विदेशी निवेश भी हो रहा है। हम प्रक्रिया को आसान बना रहे हैं। मेरे विचार में वित्त मंत्री ने इस विषय में काफी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। हमने उन को बताया कि भारत में अपनी एक प्रणाली विद्यमान है।

हमारी अपनी एक प्रक्रिया है और हम यह चाहते हैं कि वे हमारी स्थिति को अच्छी तरह समझें जैसे कि हमने उनकी स्थिति को समझा है।

कश्मीर के प्रवासियों द्वारा अपने बैंक खातों से धनराशि निकालना

+

*789. **श्री शंकर सिंह वघेला** :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक जम्मू में तथा जम्मू और कश्मीर राज्य से बाहर शिविरों में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों को कश्मीर घाटी को छोड़कर आए अपने बैंक खातों से धनराशि निकालने की अनुमति दे रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन प्रवासियों को यह अनुमति देने का है कि वे जम्मू तथा दिल्ली में संबधित बैंकों की निर्धारित शाखाओं के जरिए अपने खाते में लेन-देन कर सकें ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) (ख) और (ग) चूंकि बैंक के

खातों में लेन-देन केवल बैंक की संबंधित शाखा में ही किया जाता है, अतः यदि ग्राहक चाहते हैं तो कश्मीर घाटी के बैंकों की शाखाओं के खातों/निधियों को कश्मीर घाटी के बाहर उनकी किसी अन्य शाखा में स्थानांतरित करने के तत्काल प्रबंध करने एवं इस तरह के अनुरोधों पर अत्यधिक शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए बैंकों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नार्वे को निर्यात

*779. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नार्वे को निर्यात किए गए सामान का ब्योरा क्या है; और

(ख) उक्त निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) नार्वे को निर्यात की गई प्रमुख मदें हैं : सिले सिलाए परिधान, वस्त्र आदि चमड़ा तथा चमड़े का सामान, यात्रा संबंधी सामान तथा सहायक उपकरण, काफी, चाय और मसाले।

(ख) वर्ष 1985-86 तथा उसके बाद नार्वे को किए गए निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है :—

	(करोड़ रु.)
1985-86	16.35
1986-87	17.51
1987-88	22.50
1988-89	22.05
1989-90 (अप्रैल 89—जनवरी 90)	43.61

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस : कलकत्ता)

पूर्ति विभाग का विकेन्द्रीकरण

*782. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्ति विभाग के कृत्यों को विकेन्द्रीकृत करने और इस विभाग का समापन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप व्यय में कितनी किफायत होने का अनुमान है;

(घ) क्या इस विभाग के विभिन्न अनुभागों का विकेन्द्रीकरण करने और विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विलयन के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की गई है;

(च) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) पूर्ति विभाग/पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का समापन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा मांग किए जाने वाले सामान और उपस्करों की केन्द्रीयकृत खरीद के संबंध में नीति और प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है।

(ख) इसके फलस्वरूप व्यय में होने वाली किफायत का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है, नीति की समीक्षा की जा रही है। यदि इस समीक्षा के फलस्वरूप कुछ कार्य केन्द्रीयकृत क्रय एजेन्सी (पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय) से अन्य मंत्रालयों को सौंपा जाता है, तो अन्य विभागों/मंत्रालयों को कार्य सौंपे जाने पर उनसे संबंधित कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण उन विभागों/मंत्रालयों को किए जाने का प्रस्ताव है ताकि नौकरी में उनकी पदोन्नति के अवसरों में कोई कमी न आए।

(ङ.) सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने के बाद ही इस संबंध में कारंवाई की जाएगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों की साज-सज्जा पर किया गया व्यय

[हिन्दी]

*784. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों की साज-सज्जा और उसके लिए नया फर्नीचर खरीदने पर 1 जनवरी, 1990 से 31 मार्च, 1990 तक कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विज्ञापनों से आय

[अनुवाद]

*785. श्री आर. एन. राकेश :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान दूरदर्शन के विज्ञापनों से अनुमानतः कितनी धनराशि अर्जित की है;

(ख) क्या सरकार का टेलीविजन पर केवल कुछ चुनी हुई मदों के विज्ञापन दिखाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन ने वर्ष 1989-90 में वाणिज्यिक विज्ञापनों और कार्यक्रमों के प्रायोजन से 210-13 करोड़ रुपये का सकल राजस्व अर्जित किया ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

जर्मन निर्मित कारें मद्रास में बरामद किया जाना

*790. श्री एम. डेनिस : : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व गुप्तचर निदेशालय ने हाल के वर्षों में जर्मन निर्मित अनेक कारें मद्रास से बरामद की थीं ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उन व्यक्तियों का ब्योरा क्या है जिनके पास ये कारें पाई गईं; और

(घ) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) जी, हां । 6 जनवरी, 1990 को श्री बालचन्दानी के स्वामित्व वाली दो फर्मों के परिसरों से जर्मन-निर्मित 8-8 लाख रुपये मूल्य की दो कारें जब्त की गई हैं तथा 16 जनवरी, 1990 को अन्नासलाई, मद्रास स्थित एक सर्विस स्टेशन से 8 लाख रुपए मूल्य की एक ऐसी ही कार भी जब्त की गयी है जो माइलापोर, मद्रास निवासी श्री ए. रतनम् की थी ।

इस संबंध में अभी जांच-पड़ताल चल रही है ।

राजस्थान में पर्यटन क्षमता

[हिन्दी]

*791. श्रीमति वसुंधरा राजे : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में अत्यधिक पर्यटन क्षमता की जानकारी है;

(ख) क्या इस राज्य में पर्यटकों के लिए आवास और अन्य मूल सुविधाओं की जरूरत बढ़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस राज्य में पर्यटकों के लिए अतिरिक्त मूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और इस संबंध में किन विशेष योजनाओं को स्वीकृति दी गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ग) सरकार को राजस्थान की पर्यटन संबंधी संभावना और इस राज्य की यात्रा

पर आने वाले पर्यटकों के लिए आवास तथा अन्य आधार-संरचनात्मक सुविधाएं मुहैया करने की बढ़ती हुई जरूरत की जानकारी है। तथापि, आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकार की है और केन्द्र सरकार राज्य से मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के लिए स्वीकृत स्कीमें/परियोजनाएं इस प्रकार हैं :—

क्रम सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	पुष्कर में इंदिरा घाट और कर्णीघाट का सुधार एवं संशोधन	12.19
2.	मेवाड़ उत्सव	9.00
3.	रणथम्भौर, भरतपुर और अलवर वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए मिनी बसों और जीपों की खरीद	4.77
4.	फतेहपुर झील, उदयपुर के लिए नौकाएं	3.94
5.	तालवृक्ष का विकास	5.93
6.	मण्डावा में कियोस्क	0.64
7.	देवगढ़ में मिडवे सुविधाएं	1.59
8.	पुष्कर में पर्यटक परिसर	13.84
9.	बेहरोर में पर्यटक परिसर	17.60
10.	चित्तौड़गढ़ में पन्ना पर्यटक बंगले के पास 13 कमरों वाले विंग का निर्माण	13.50
11.	महेनसर में अल्पाहार-गृह का निर्माण	2.16
12.	जिला सीकर, फतेहपुर में पर्यटक बंगला	16.09
13.	जिला अलवर, सिलिसेरह झील के लिए नौकाएं	3.15
14.	शेखावटी उत्सव, राजस्थान	1.25
15.	चित्तौड़गढ़ किले पर प्रकाशपुंज व्यवस्था	15.06
16.	गोगुण्डा में अल्पाहार-गृह	3.12
17.	ओसियान में अल्पाहार-गृह	2.15
18.	झालावाड़ में पर्यटक बंगला	10.85

1	2	3
	19. भीलवाड़ा जिला, मेनाल में अल्पाहार-गृह	3 72
	20. राजस्थान में कैमल सफारी	5.55
		146.10

लौह अयस्क का उत्पादन और निर्यात

[अनुवाद]

*792. श्री सी.पी. मुदाला गिरियप्पा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड" द्वारा जनवरी, 1990 के दौरान कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान लौह अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ग) किन-किन देशों को निर्यात किया गया; और

(घ) किन-किन देशों को निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जनवरी 1990 में कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. (के. आई. ओ. सी. एल.) ने 5.47 लाख टन लौह अयस्क सान्द्रण तथा 2.05 लाख टन लौह अयस्क के पैलेटों का उत्पादन किया।

(ख) वर्ष 1989-90 के पिछले तीन माह के दौरान कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी द्वारा निम्नलिखित लौह अयस्क का निर्यात किया गया :—

निर्यात की गई मात्रा (लाख टन)

महीना	लौह अयस्क सांद्रण	लौह अयस्क पैलेट
जनवरी, 1990	3.70	1.59
फरवरी, 1990	2.59	1.69
मार्च, 1990	3.44	1.96

(ग) वर्ष 1989-90 में कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. ने जापान चेकोस्लोवाकिया, आस्ट्रेलिया, बहरीन, चीन, ईरान हंगरी, टर्की, फ्रांस, कतार, ईराक, इंडोनेशिया, अमरीका, पं. जर्मनी तथा तैवान को लौह अयस्क सान्द्रण तथा पैलेटों का निर्यात किया। पैलेटों की थोड़ी मात्रा परीक्षण के लिए मेक्सिको को भी भेजी गई थी।

(घ) वर्ष 1990-91 में कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. द्वारा जापान, ईरान, बहरीन, चेकोस्लोवाकिया, चीन, हंगरी, आस्ट्रेलिया, इन्डोनेशिया तथा टर्की को लौह अयस्क सान्द्रण तथा पैलेटों के निर्यात करने की संभावना हैं।

वर्ष 1990-91 के दौरान पर्यटन के विकास की योजनाएं

*793. प्रो. पी. जे. कुरियान : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत अधिक पर्यटन क्षमता का उपयोग किया जाना अभी शेष हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए विदेशी पर्यटकों के आगमन और विदेशी मुद्रा अर्जन संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान नए होटलों के निर्माण और नये स्थलों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मंजूर की गई योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) यह सच है कि देश में पर्यटन की ऐसी बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं, जिनको बढ़ावा नहीं दिया गया है।

(ख) वर्ष 1990-91 के लक्ष्य हैं—15 लाख विदेशी पर्यटकों का आगमन, जिसमें पाकिस्तान तथा बंगलादेश के राष्ट्रिक शामिल नहीं है और लगभग 2800 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) पर्यटन का विकास करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय स्टार श्रेणी के होटलों के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान मंत्रालय को ऐसे दो प्रस्ताव मिले हैं जिसमें से एक आन्ध्र प्रदेश से तथा दूसरा महाराष्ट्र से है। दोनों प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

अफ्रीकी देशों को इंजीनियरी सामान का निर्यात

*794. श्री एन. जे. राथवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी देशों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य का इंजीनियरी सामान निर्यात किया गया;

(ख) अफ्रीकी देशों को इंजीनियरी सामान के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) इंजीनियरी सामान अन्य किस-किस देश को निर्यात किया जा रहा है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) वर्ष 1986-87 से 1988-89 के दौरान अफ्रीकी देशों को इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात मूल्य नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	(मूल्य करोड़ रुपये में)
1986-87	130·00
1987-78	144·00
1988-89	200·00

(ख) सरकार ने अफ्रीकी देशों को इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं विभिन्न अफ्रीकी देशों के साथ संयुक्त समिति बैठकों/द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के जरिए इन देशों को इंजीनियरी माल का निर्यात बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इनमें अनेक देशों की विदेशी मुद्रा की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए प्रति व्यापार आधार पर तथा ऋण उपलब्ध कराकर निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। विशेष निर्यात अभियान के लिए अफ्रीका के प्रस्ट बाजारों और प्रस्ट उत्पादों का पता लगाया गया है। निर्यात बढ़ाने के लिए अफ्रीका को और अफ्रीका से अनेक प्रतिनिधि मण्डल प्रायोजित किए गए हैं। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद नेरोबी और अबिदजन स्थित अपने कार्यालयों के जरिए निर्यात की संभावनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करती है और निर्यातकों को सप्लाई करती है। इंजीनियरी माल का निर्यात बढ़ाने के लिए भारत की 1990-91 में अफ्रीका में कुछ महत्वपूर्ण मेलों में भाग लेने की योजना है।

(ग) अफ्रीका के अलावा अन्य देश जो प्रमुख बाजार है वे हैं : सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, बंगलादेश, श्रीलंका, संघीय जर्मन गणराज्य, सिंगापुर, साऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।

जम्बो रोल्स का आयात

***795. श्री ई. एस. एम. पाकीर मोहम्मद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्बो रोल्स की किन-किन श्रेणियों के प्रकाश-सुग्रहय (फोटो सेन्सिटाइज्ड) सामान पर विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचनाओं के अन्तर्गत रियायती दर पर आयात शुल्क लगता है तथा कब से लगता है;

(ख) जम्बों रोल्स पर आयात शुल्क में रियायत देने के लिए क्या मानदण्ड हैं और इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या शुल्क में रियायत देते समय सम्बद्ध मन्त्रालय/विभाग की सिफारिशों पर भी विचार किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विभिन्न औद्योगिक एककों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शुल्क में रियायत देने के लिए क्या शर्तें हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. इस समय, प्रकाश-सग्रह्य (फोटो सेन्सिटाइज्ड) माल की छ: किस्मों के जम्बो रोलों पर नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचनाओं के तहत रियायती दरों पर आयात शुल्क लगाए जाते हैं—

क्रम सं.	वर्णन	अधिसूचना संख्या जिसके तहत रियायती दरें उपलब्ध हैं।
1.	रोल फिल्मों के जम्बो रोल	176/1983-सी. शु. तारीख 14·6·83
2.	मेडिकल एक्स-रे फिल्मों के जम्बोरोल	
3.	औद्योगिक एक्स-रे फिल्मों के जम्बो रोल रंगीन	
4.	रंगीन सिनेमा-फिल्मों में प्रोसेसिंग करने के लिए रंगीन जम्बो फिल्में	266/1986-सी. शु. तारीख 28·4·86
5.	ग्राफिक आर्ट फिल्मों के जम्बो रोल	216/988-सी. शु. तारीख 7·7·88
6.	फोटोग्राफिक रंगीन पेपर के जम्बो रोल	

2. प्रकाश-सुग्रह्य (फोटो सेन्सिटाइज्ड) माल के जम्बो रोलों के सम्बन्ध में मुख्यतया आयात शुल्क में रियायतें विदेशी मुद्रा संरक्षण के एक उपाय के रूप में दी गयी हैं चूंकि जम्बो रोलों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, आयातित तैयार उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से कम हैं तथा देश में ही मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया की अनुमति देकर देश में रोजगार अवसरों को पैदा करने के लिए भी ये रियायतें दी गई हैं। छूट दिए जाने सम्बन्धी मुद्दे पर विचार करते समय, सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के विचारों पर भी गौर किया गया था।

3. इन शुल्क रियायतों का लाभ उठाये जाने के लिए निजी औद्योगिक एककों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आयातों में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तथापि, किसी संभाव्य दुरुपयोग को रोकने के लिए, किसी आयातक को रियायतें तभी उपलब्ध की जाती हैं जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है—

(i) आयातक को जम्बो रोलों को तैयार-उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए वचन देना होता है; और

(ii) आयातक के पास जम्बो रोलों से प्रकाश सुग्रह्य (फोटो सेन्सिटाइज्ड) सामग्रियों के चीरने और मिश्रण के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन एक औद्योगिक लाइसेंस होना आवश्यक है।

प्रोजेक्टस एण्ड इक्विपमेंटस कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

*796. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रोजेक्टस एण्ड इक्विपमेंटस कारपोरेशन में प्रबन्धक तथा ऊपर के ऐसे कितने पद सामान्य श्रेणी उम्मीदवारों से भरे गए हैं, जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे;

(ख) वरिष्ट प्रबन्धकीय संवर्ग के कितने आरक्षित पदों का दर्जा कम किया गया और उसके क्या कारण हैं!

(ग) इन पदों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनतियों के उम्मीदवारों से कब भरा जाएगा;

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कोटे में से कितनी पदोन्नतियां सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में से की गई और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रोजेक्ट्स में आरक्षित पदों की पिछली बकाया रिक्तियों की क्या स्थिति है और उन्हें भरने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं।

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) आरक्षित दृष्टि से रिक्त ग्रुप महाप्रबन्धक (वित्त) का एकमात्र संवर्ग-पद वर्ष 1987 में सामान्य अभ्यर्थी द्वारा भर दिया गया है, क्योंकि विज्ञापन के आधार पर जिस अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, वह उपयुक्त नहीं पाया गया।

(ख) ठोस प्रयासों के बावजूद, उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण ग्रुप महा प्रबन्धक (विपणन) (अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित) का एक पद भरा नहीं जा सका। अतः पी ई सी ने यह निर्णय दिया कि ग्रुप महा प्रबन्धक (विपणन) का पद महाप्रबन्धक के स्तर से कम पर संचालित किया जाए, जिससे अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना था।

(ग) इस समय महा प्रबन्धक (विपणन) संवर्ग के सभी नियमित पद जिसमें पदावनत किया गया एक पद भी शामिल है, नियमित आधार पर भर दिए गए हैं। जैसे ही और जब भी महा-प्रबन्धक संवर्ग में स्पष्ट रिक्त स्थान उपलब्ध हो जाएगा, पदावनत किया गया ग्रुप महा प्रबन्धक के पद को पदोन्नत कर दिया जाएगा।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किसी भी पद पर सामान्य अभ्यर्थी को पदोन्नति नहीं दी गई है।

(क) पी ई सी द्वारा रखे गए आरक्षण रोस्टर के अनुसार पिछले बचे पदों का वर्गवार ब्योरा नीचे दिया गया है—

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
क	9	3
ख	2	1
ग	3	6
घ	—	—
	14	10

पिछले बचे पदों पर नियुक्ति के लिए पी ई सी ने वर्ष 1989 में एक विशेष भरती अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप पी ई सी आरक्षित श्रेणी में केवल दो पद भर पाया है।

अफ्रीकी देशों में इलेक्ट्रानिक एकक

*797. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाईजीरिया, कीनिया और घाना जैसे कुछ अफ्रीकी देशों ने इलेक्ट्रानिक एकक स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है, जो भारत से आयात किए गए किट पर आधारित होंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या "इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल" के शिष्ट मण्डल ने इन देशों का दौरा किया था और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें इन देशों में कम्प्यूटर साफटवेयर की मांग काफी संभावना का पता लगा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किन्हीं ठोस प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (घ) इलैक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद ने भारत से इलैक्ट्रानिक मदों के निर्यात के लिए विपणन संभावना का पता लगाने के उद्देश्य से मार्च, 1990 में नाइजीरिया, केन्या और घाना के लिए उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर और इलैक्ट्रानिक्स संघटक क्षेत्र के उद्योग प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए 5 सदस्यों एक प्रतिनिधि मंडल प्रायोजित किया।

प्रतिनिधि मंडल ने बताया है कि सामान्यतः इन देशों में, विशेषकर घाना और केन्या में, भारत में विनिर्मित उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक मदों की मांग है। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि समन्वित विनिर्माण के लिए अपेक्षित अवस्थापना और संघटक आधार के अभाव में इन देशों की इच्छा है कि भारत में बने कम्प्यूटर हार्डवेयर, पेरीफेरल्स, पावर सप्लाई और साफ्टवेयर के किट आयात पर आधारित संयोजन एकक स्थापित किए जाएं।

अलग-अलग फर्मों द्वारा विपणन अवसरों का लाभ उठाया जा रहा है और यह बताया गया है कि जनता को सम्बोधित करने के उपस्कर और उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक मदों के लिए 50 लाख रु. मूल्य के आर्डर बुक किए गए हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में गांवों का अपनाया जाना

[हिन्दी]

798. श्री राजबीर सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास हेतु ऋण देने के संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में जिला-वार अब तक कितने गांवों को अपनाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) ग्रामीण विकास के लिए किसी उद्यमी द्वारा शुरू की गई किसी भी अर्थक्षम योजना को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए जाते हैं। कृषि ऋण के मामले में मार्जिन राशि, प्रतिभूति मानदण्डों और ब्याज दरों का उदार बनाया गया है। इसमें निम्नलिखित का प्रावधान है—

(एक) 10,000 रुपये तक के कृषि ऋणों और 25,000 रुपये तक के लघु उद्योग क्षेत्र के ऋणों पर कोई मार्जिन राशि न मांगी जाए,

(दो) 10,000 रुपए तक के कृषि ऋणों और 25,000 रुपए तक के लघु उद्योग क्षेत्र के ऋणों के संबंध में किसी प्रतिभूति या गारंटी पर और नहीं दिया जाना है;

(तीन) 25,000 रुपए तक के किसानों के अल्पावधिक कृषि ऋणों के लिए रियायती ब्याज दरें लागू हैं।

(चार) 25,000 रुपए तक की ऋण सीमा वाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के सभी ऋण आवेदनों को दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर और 25,000 रुपए से अधिक के ऋण आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर-अन्दर निपटा दिया जाना चाहिए;

(पांच) कृषि ऋणों के लिए आवेदन फार्मों को क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराया जाना है ताकि आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किया जा सके।

(ख) उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत बैंकों को 6348 शाखाओं को आवंटित किया गया है।

राज्य व्यापार निगम और खनिज धातु व्यापार निगम की धारक कम्पनी

[अनुवाद]

*799. श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी वासु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम के लिए प्रस्तावित धारक कम्पनी का ब्यौरा क्या है और इससे विशेष रूप से संचालय लागत में कितनी कमी आएगी और निर्यात में कितनी वृद्धि होगी;

(ख) क्या सरकार ने इन दोनों निगमों के पिछले कार्य निष्पादन की कोई पुनरीक्षा की है, जिसके परिणामस्वरूप धारक कम्पनी की स्थापना की आवश्यकता प्रतीत हुई हो; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) एस टी सी तथा एम एम टी सी उन उदिदष्ट उत्पादों के लिए दो प्रमुख शरणीयन अभिकरण हैं जिनका उपयोग देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक अन्तनिर्ष्टियों के रूप में होता है। उदार आर्थिक नीतियों से भुगतान संतुलन की स्थिति को बढ़ावा मिलता है, इसलिए निर्यात को बढ़ाने की प्रबल आवश्यकता है। किन्तु वास्तविक प्रचालन कार्य में एस टी सी तथा एम एम टी सी के बीच एक निश्चित राशि का परस्पर व्यापन हुआ है क्योंकि दोनों ही निगम अग्रणी व्यापारिक सदन है और सभी मदों में प्रति-व्यापार निर्यात को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल के क्रेता के रूप में अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। समन्वय, निर्देशन की कमी और प्रचालन कार्य के सीमित आकार की वजह से ये व्यापारिक संगठन सामान का आयात करते समय बेहतर सफलता प्राप्त करने मे समर्थ नहीं रहे हैं। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की समीक्षा करने के लिए डा. पी. सी. अलक्जेन्डर की अध्यक्षता में वर्ष 68-69 में गठित समिति ने इंजीनियरी उपभोक्ता तथा सामान्य उत्पादों कृषि उत्पादों, रसायनों और उर्वरकों की सहायक कम्पनियों, एम एम टी सी तथा एच एच ई सी के साथ एक धारक कम्पनी की स्थापना की सिफारिश की थी। अर्जुन सेन गुप्ता रिपोर्ट, (19;5) जिसमें सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित नीति की समीक्षा की गई थी, ने धारक कंपनी ढांचे की सिफारिश की थी। अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट के संबंध में एस समनान्यम समिति का दृष्टिकोण भी धारक कम्पनी ढांचे के समर्थन में है। बाद में, वर्ष 1987 में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया (ए एस सी आई), हैदराबाद द्वारा एक स्वतन्त्र अध्ययन भी किया गया। अपनी रिपोर्ट में ए एस सी आई ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच विशेष कर असरणीकृत निर्यात उत्पादों में परस्पर व्यापन और विरोधों को दूर करने का व्यापक विचार विमर्श करके एक धारक कम्पनी की आवश्यकता का समर्थन किया, अतिरिक्त निर्यातों के लिए रणनीति के रूप में प्रति-व्यापार के महत्व, आदि पर भी बल दिया।

बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा एम एम टी सी और एस टी सी की सम्मिलित शक्ति का उपयोग करने, प्रति स्पर्धा परस्पर व्यापन अथवा अन्डर-कटिंग से बचकर निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक धारक कम्पनी की स्थापना की है। वे दोनों निगम उसके अनुषंगी होंगे।

त्रिपुरा में अवैध घुसपैठ

8217. श्री मानिक सान्याल : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत दो वर्षों के दौरान बंगला देश के हजारों लोग अवैध रूप से त्रिपुरा में घुस आए हैं और उनमें से अनेक लोगों ने राज्य विधान सभा के गत चुनावों के दौरान अपने नाम मतदाता सूचियों में सम्मिलित करा लिए थे;

(ख) यदि हां, तो बंगला देश के कितने लोगों के नाम राज्य की मतदाता सूचियों से निकाले गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्तमान मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (घ) निर्वाचन आयोग को, 1989 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, त्रिपुरा की निर्वाचक नामावलियों में बंगला देश के राष्ट्रिकों के नाम सम्मिलित किए जाने का अभिकथन किया गया था। श्री नृपेन चक्रवती की शिकायत को छोड़कर, सभी शिकायतें साधारण प्रकृति की थीं और जांच किए जाने के पश्चात साबित हुआ कि उनमें किए गए अभिकथन सही नहीं थे। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के एक दल ने निर्वाचक नागावलियों की तैयारी में हुई अनियमितताओं और उसमें बंगलादेश के राष्ट्रिकों के नाम सम्मिलित किए जाने के अभिकथन की जांच करने के लिए राज्य का दौरा किया। तथापि अधिकांश मामलों में आपत्तिकर्ता, दल के सामने अभिकथन को साबित करने के लिए नहीं आए।

तथापि, श्री चक्रवर्ती के पत्र में 83 विदेशियों के नाम सम्मिलित किए जाने की बावत विनिर्दिष्ट अभिकथन सही पाया गया। चूंकि जाँच पूरी होते ही लोक सभा का साधारण निर्वाचन प्रारम्भ हुआ था, अतः उक्त नाम, विधि के अनुसार निकाले नहीं जा सके। नागावलियों को अब ठीक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नामावली में एक विदेशी के नाम के सम्मिलित किए जाने के मामले का पता लगा था। यह नाम नामावली से निकाल दिया गया है।

राजसहायता पर व्यय

8218. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने, अपने द्वारा किये गये अध्ययन को देखते हुए सरकार को यह चेतावनी दी है कि राजसहायता पर खर्च की जा रही धनराशि में वृद्धि से केन्द्र की वित्तीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली राजसहायता, जिसका कोई औचित्य नहीं रह गया हो, की प्रक्रिया को समाप्त करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रयास किये जाने होंगे;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लोगों के 10,000 रुपये तक के सभी ऋण माफ किये जाने के निर्णय से असंतुष्ट है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार मौद्रिक और राजकोष संबंधी नीतियों के मुद्दों पर परस्पर परामर्श करके निर्णय लेते हैं। ऐसे मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी प्रकार की चेतावनी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

अखबारी कागज का आयात

8229. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :**

श्री यशवन्तराव पाटिल :

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान अखबारी कागज का कितना आयात किया गया, इसके आयात पर कितनी लागत आयी और किन-किन देशों से आयात किया गया;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान अखबारी कागज की कुल कितनी आवश्यकता थी, और यह देश में कितना उपलब्ध था और इसका कितनी मात्रा में आयात किया और इसकी कितनी आवश्यकता अभी पूरी नहीं हो पायी है; और

(ग) वर्ष 1990 की प्रथम तिमाही के तुलनात्मक आंकड़े क्या है और चालू वर्ष के शेष महीनों के दौरान विभिन्न देशों से इसका कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए 5.60 लाख मीट्रिक टन अखबारी कागज की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। इसमें से 2.75 लाख मीट्रिक टन देशी उत्पादन का अनुमान था। शेष 2.85 लाख मीट्रिक टन की पूर्ति आयात द्वारा की जानी थी। अखबारी कागज आबंटन नीति में समाचारपत्रों की वार्षिक आवश्यकताओं को सम्पूर्ण रूप से पूरा करने की व्यवस्था की गयी है।

(ग) अनुमान है कि अप्रैल-जून 1990 की पहली तिमाही में 55 हजार मीट्रिक टन के लगभग आयातित अखबारी कागज पहुंच जायेगा जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में आयातित अखबारी कागज की आमद 35,660 मीट्रिक टन थी। आयातित अखबारी कागज को निर्धारित शेष आवश्यकता वर्ष के शेष भाग में विभिन्न देशों से आयात द्वारा पूरी करने का प्रस्ताव है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया अखबारी कागज का आयात ।

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (रुपये करोड़ में)	देश जिनसे आयात किया गया
1988-89	2,24,233	233-45	सोवियत संघ, रुमानियां, जर्मन जनवादी गणराज्य, बांग्लादेश कनाडा, फिनलैण्ड इटली, न्यूजीलैन्ड, स्वीडन और यूगोस्लाविया ।
1889-90	2,22,716	247.46 (अनन्तिम)	जर्मन जनवादी गणराज्य, रूमानियां, पोलैण्ड, चैकोस्लोवाकिया, सोवियत संघ, फिनलैण्ड, स्वीडन, बांगलादेश, यूगोस्लाविया, उत्तरी कोरिया, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, न्यूजीलैण्ड

अग्नि शमन उपकरणों का आयात

8220. श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्नि शमन द्वारों और ऐसे अन्य उपकरणों के आयात संबंधी नियमों में ढील दी गई है;

(ख) क्या इनका आयात इंडियन शिप्यार्ड द्वारा भी किया जा रहा है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके आयात में भारी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) अग्नि सुरक्षा दरवाजों और अन्य संबंधित उपस्करों के आयात के संबंध में आयात नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दूरदर्शन से मराठी कार्यक्रमों का प्रसारण

8221. श्री बी. एन. गाडगिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और बड़ोदा के मराठी भाषी लोगों ने अहमदाबाद से मराठी कार्यक्रमों के प्रसारण की मांग की है; और

(ख) क्या सरकार का अहमदाबाद से बम्बई दूरदर्शन के मराठी कार्यक्रमों का प्रसारण करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) स्वयं माननीय सदस्य से इस आशय का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ख) जी, नहीं । प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक दूरदर्शन सेवा का उद्देश्य संबंधित राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में, राज्य में स्थित दूरदर्शन केन्द्र से सेवा आरंभ करना है ।

गया, बिहार में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

8222. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गया, बिहार में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि अगली योजना बनाते समय गया में आकाशवाणी केन्द्र और दूरदर्शन केन्द्र को स्थापना को प्राथमिकता दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) आकाशवाणी की अनुमोदित सातवीं योजना में गया (बिहार) में रेडियो केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव शामिल नहीं है ।

जहां तक दूरदर्शन सेवा का सम्बन्ध है, गया में पहले से एक अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है ।

इस समय, गया में कार्यक्रम निर्माण सुविधा स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के अन्तर्गत गया (बिहार) में रेडियो दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने के लिए कुछ उपायों का प्रस्ताव है लेकिन इनको कार्यरूप देना योजना आयोग द्वारा इन दो माध्यमों के लिए योजना आबंटन के समग्र आकार पर निर्भर करता है ।

चितूर दूरदर्शन रिले केन्द्र में कर्मचारियों की संख्या

[अनुवाद]

8223. श्री एम. जी. रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितूर दूरदर्शन रिले केन्द्र में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस रिले केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का स्तर गिर गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस रिले केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) इस समय चित्तूर दूरदर्शन रिले केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 6 है।

(ख) से (घ) टी. वी. आर. ओ. प्रणाली की सब-एसेम्बली में खराबी के कारण फरवरी मार्च, 1990 के दौरान इस रिले केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के स्तर में गिरावट आई थी। खराबी को अब ठीक कर दिया गया है तथा अप्रैल, 1990 से सेवा संतोषजनक है।

दिल्ली से विभिन्न भारतीय भाषाओं में समाचार बुलेटिनों का प्रसारण

8224. श्री कल्पनाथ राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से विभिन्न भारतीय भाषाओं में समाचार बुलेटिनों का तरंग दैर्ध्य कितना है तथा ये किन-किन मीटर बैन्डों पर किस-किस समय प्रसारित किए जाते हैं; और

(ख) दिल्ली से विभिन्न भाषाओं में विदेश सेवा प्रसारण का जो दक्षिण-पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के लिए निर्दिष्ट होता है, तरंग दैर्ध्य कितना है तथा उसे किन-किन मीटर बैंडों पर सुना जा सकता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) दिल्ली से मूल रूप से प्रसारित समाचार बुलेटिनों का समय, उनकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) सूचना विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-I

आकाशवाणी की आंतरिक समाचार सेवा में दिल्ली से प्रसारित समाचार बुलेटिनों की वर्तमान आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और समय

समाचार सेवा	प्रसारण का समय (भा. मा. स.)	आवृत्ति (किलोहर्ट्ज)			तरंगदैर्ध्य (मीटर्ज)		
1	2	3			4		
हिन्दी	0700-0705	4860	6045	15120	61.73	49.63	19.84
			9610	9630		31.22	31.15
		11830	11870	15185	25.36	25.27	19.76
हिन्दी	0800-0810	594		4860	505.0		61.73
		9550	7260	3905	31.41	41.32	76.82
		9535		9610	31.46		31.22
		11830	11870	15185	25.17	25.27	19.76
		17875	7210	15120	16.78	49.63	19.84
अंग्रेजी	0810-0820	594	15120	4860	505.0	19.84	61.73
		9540	9610		31.15	31.41	
		11830	11870	17875	25.17	25.27	16.78
		3905	7210	15185	76.82	49.63	19.76

हिन्दी/अंग्रेजी							
हिन्दी (राज्य से	0900-0910	3905	4860		76.83		61.73
प्राप्त समाचार)				9610			31.22
	0910-0915	9550		11830	31.41		25.17
		15120			19.84		
		15185		7210	19.76		49.63
हिन्दी*	0925-0930	17875		11870	16.78		25.27
	(रविवार)						
अंग्रेजी/हिन्दी	1300-1310		15250	9565		19.67	31.36
		17850	11850	15125	16.81	25.32	19.83
		15105	17795	17705	19.86	19.86	16.94
अंग्रेजी	1400-1410	17705			16.94		
हिन्दी	1410-1420		7110		25.32	42.19	19.67
		11850	15105	15250	25.56	19.86	
		11735					
		17795	9565	17850	16.86	31.36	16.81
अंग्रेजी (धीमी गति)	1420-1440						
हिन्दी (धीमी गति)	1440-1500						
अंग्रेजी/हिन्दी	1500-1510						

*लोक रुचि समाचार

1	2	3			4		
हिन्दी/अंग्रेजी	1700-1710	1134	6050	7110	264.5	49.59	42.19
		15420	9675	11620	19.45	31.01	25.82
		17705	15250	11970	16.94	19.67	25.06
अंग्रेजी	1800-1805	3925	6045		76.43	49.63	16.81
		11620	15250	17850	25.82	19.67	19.44
			9625	15420	16.84	31.26	
हिन्दी	1805-1810	17815	15275	9660		19.64	31.06
हिन्दी	1900-1905	3295	3295	9660	91.04	76.43	31.06
		10330	9950	4860	29.04	30.15	61.73
		7160	6045	6170	41.90	89.63	48.62
हिन्दी (खेल)	1905-1910	3295	3925	4860	91-04	76.43	61.73
अंग्रेजी	2000-2005	3295	3925	4860	91.04	76.43	61.73
		6045	9950	7160	49.63	41.90	29.04
		10330	9770		30.71	30.71	
अंग्रेजी (खेल)	2005-2010	9770	6045	3925	30.71	49.63	76.43
		10330	3295		29.04	91.04	

हिन्दी	2045-2100	1134	3295	3925	264.5	91.04	76 43
		4860	6045	6115	61.73	49.63	49.06
		7160	7412	9950	41.90	40.47	30.15
		10330	6140	6140	29.04	48.86	42.02
		9770			30.71		
अंग्रेजी	2100-2115	1134	3295	3925	264.5	91.04	76.43
		4860	6045	7160	61.73	49.63	41.90
		7412	9950	10330	40.47	30.15	29.04
		6140	7140	9770	48.86	42.02	30.71
अंग्रेजी/हिन्दी	3300-2310	3929	10330	4860	76.43	29.04	61.73
		7412	9950	6045	40.47	30.15	49.63
		6140	3295	8770	48.86	91.04	30.71
		7140			42.02		
हिन्दी/अंग्रेजी	0600-0610	3925	4860	9610	76.10	61.73	31.22
		15120	9630	7210	19.76	31.15	49.63
		7265	—		41.29		

1	2	3			4		
असमी	0705-0715	9630	11870	15185	31.15	25.27	19.79
	1340-1350	11850	17850	15105	25.23	16.84	19.86
		11735			25.56	31.22	
	1905-1915	6045	10330	9660	49.63	29.04	31.06
उड़िया	0715-0725	9630	11870	15185	31.16	25.27	19.76
	1350-1400	17850	15105	11735	16.81	19.86	25.56
		11850			25.33		
	1915-1925	6045	9660	9575	49.63	31.06	31.33
बंगला	0725-0735	9630	11870	15185	31.15	25.27	19.76
	2330-1340	11850	17850	15105	25.32	16.81	19.86
		11735			25.56		
	1935-1945	6045	9660	9575	49.63	30.06	31.30
नेपाली	1925-2935	9575	6045	9660	31.33	49.63	31.06

तेलुगु	0705-0745	15120	11890	9646	19.67	35.36	49.68
		9610			31.20		
	1230-1240	17705	15125	11850	16.94	19.83	25.32
		15250			19.67		
	1905-1915	7160	9950	6170	41.90	30.15	48.62
तमिल	0715-0725	15120	9610	11830	19.84	31.22	25.36
	1240-1250	17705	15250	11850	16.94	19.67	25.56
		15125			19.83		
	1915-1925	7160	9950	10330	48.62	30.15	29.04
मलयाली	0725-0735	15120	9610	11830	19.84	31.22	25.36
	1250-1300	17705	11850	15250	16.94	25.56	19.83
		15125			19.8		
	1925-1935	7160	9950	10330	41.90	30.15	29.04
कन्नड़	0735-0745	15120	9610	11830	19.84	31.22	25.36
	1310-1320	15125	17705	11850	19.83	16.94	25.56
		9565	15250		31.34		
	1935-1945	7160	9950	10330	29.04	30.15	41.90

1	2	3			4		
मराठी	0830-0840	9610	11870	11830	31.22	29.27	25.36
		15120			19.84	42.19	
	1330-1340	9565	17705	15125	31.36	16.94	19.67
		11850	7110		19.83	42.19	
	2005-2015	7160	4860	9950	41.90	61.73	30.15
गुजराती	0745-0755	11830	15120	9610	25.36	19.84	31.01
	1320-1330	11850	9565	17705	25.56	16.94	31.36
		15250			19.67		
	1950-2000	3295	3925		91.04	76.43	
		7160	9950		99.50	30.15	
सिंधी	0840-0850	7210	4860	11870	49.63	61.73	25.27
		9610	15120	11830	31.22	19.84	25.27
		3905			76.82		
	1815-1825	3925	6045	9660	76.43	46.63	31.06

उर्दू	0850-0900	15185	17875	11870	19.76	16.78	25.76
		9550	9610	11830	31.15	31.22	25.17
		15120	7210	4860	19.84	49.63	61.73
		3505			76.82		
	1350-1400	15250	7110	9565	19.67	42.19	31.36
		17705	15125	17795	16.84	19.83	16.86
		9675			31.01		
	2116-2130	3925	7412	6045	76.43	40.47	30.72
		9950	7140	6140	30.15	48.46	
कश्मीरी	0745-0755	4860	7110		61.73	42.19	
	1825-1840	3925	6045	9660	76.43	49.63	31-06
डोगरी	0830-0840	4860	7210	3905	61.73	49.63	76.82
	1915-1930	3295	3925	4860	91.05	76.43	61.73
		6170			48.62		
पंजाबी	1340-1350	7110			42.19		—
	1930-1940	3365			89.15		

1	2			3		4	
संस्कृत	1810-1815	3935	6045	9660	76.43	49.63	31.60
		15275	17850	11620	19.64	16.80	25.82
		15250	15420	9615	19.67	19.45	31.20
	0655-0700	7210	9610	4860	49.63	31.22	61.73
		9630	15120		31.15	19.84	
अरुणाचली	1645-1655	11620	11970	15420	19.45	25.27	25.82

(इसके अतिरिक्त 4.55 म. प. से 5.00 बजे म. प. तक मिनट की कमेंट्री सहित)

विवरण

दिल्ली में भारतीय भाषाओं में प्रसारित तथा दक्षिण पूर्वी और अफ्रीका की ओर निर्दिष्टित विदेश सेवा के तरंगदैर्घ्य और मीटर बैण्ड

दक्षिण पूर्वी एशिया

भारतीय भाषाएं	तरंगदैर्घ्य और मीटर
1. हिन्दी सेवा—4030-0530	264.5 (1134 किलोहर्ट्ज), 25·25 (11880) 41.29 (7265), 30.94) 9705 19.78 (15165) किलोहर्ट्ज)
2. तमिल सेवा—0530-0615	264.5 (1134), 25.25 (11880) 30.94 (9705), 19.78 (15165), 60.12 (4990 किलोहर्ट्ज), 41.29 (7265)
3. तेलुगु सेवा—0415-0445	31·46 (9535), 25.55 (11745), 19.85 (15110)

अफ्रीका

4. हिन्दी सेवा—

1. 0845-0945 पूर्वी अफ्रीका	19.78 (15165), 16.85 (17805)
2. 2145-2230 पूर्वी तथा पूर्वोत्तर अफ्रीका	25.36 (11830), 18.63 (15280)

5. गुजराती सेवा—1. 0945-1000 पूर्वी अफ्रीका 19.78 (15165), 16.85 (17805)
2. 2230-2315 पूर्वी अफ्रीका 25.36 (11830), 19.63 (15280)

इन सेवाओं के अलावा, अंग्रेजी में सामान्य समुद्रपारीय सेवा भी है जो (1) दक्षिण-पूर्वी एशिया और (2) पूर्वी पश्चिमी और उत्तर पश्चिम अफ्रीका के लिए प्रसारित की जाती है। अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

6. अंग्रेजी सेवा—

1. 0455-0645 दक्षिणी पूर्वी	31.46 (9535), 25.55 (11745) 19.85 (15110)
2. 1900-2030 दक्षिणी पूर्वी एशिया	31.04 (9565), 25.51 (11760)

3. 2330-0130 पूर्वी अफ्रीका 25.14 (11935), 1953 (11360)

4. 0015-0115 पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका 30.15 (9950), 25.30 (11860)

आवृत्तियां नियत नहीं है और अनुसूची में है, वर्ष में 4 बार, परिवर्तन किया जा सकता है। नीचे दी गई आवृत्तियां 6 मई, 1990 से प्रभावी होंगी।

माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया का भारतीय खनिज एवं व्यापार निगम में विलय करना

8225. **श्री यशवंतराव पाटिल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया का भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम में विलय करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस विलय से खर्च में कमी आएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरु) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अभ्रक व्यापार निगम (मिटको) को खनिज व धातु व्यापार निगम (एम. एम. टी. सी.) के साथ मिलाने का फैसला प्रबन्धन, विपणन और वित्तीय सहायता देने तथा परिचालन एवं प्रशासन को कुशल बनाने के लिए गया।

दूरदर्शन द्वारा फिल्मों के प्रसारण हेतु मानदण्ड

8226. **श्री ए. विजयराघवन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा फिल्मों के प्रसारण हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ख) क्या सरकार राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्मों के प्रसारण के अतिरिक्त विशेष पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्मों के प्रसारण करने के लिए भी निर्णय लेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन पर फीचर फिल्मों के प्रसारण के लिए चयन हेतु मुख्य मानदण्ड निम्नलिखित हैं :—

1. राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त

2. विषय वस्तु महत्व

3. सिने महत्व

4. मनोरंजन

5. परिवार के साथ देखने के लिए उपयुक्तता

6. निर्माण वर्ष

रविवार को राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण के लिए उन्हीं प्रादेशिक भाषाओं की केवल उन फीचर फिल्मों पर विचार किया जाता है जिन्होंने निम्नलिखित में से कोई राष्ट्रीय पुरस्कार जीता हो या पैनोरमा स्तर प्राप्त किया हो।

1. वर्ष की सर्वश्रेष्ठ या दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (सभी भाषाओं में)

2. किसी क्षेत्रीय भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का "रजत कमल)" पुरस्कार

3. राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार

4. निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म के लिए इन्दिरा गांधी पुरस्कार, और

5 किसी भारतीय अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव में भारतीय पैनोरमा और मुख्य धारा खण्ड में प्रविष्टि।

(ख) और (ग) सभी पुरस्कृत और गैर-पुरस्कृत फीचर फिल्मों पर विचार किया जाता है और उपयुक्त पाये जाने पर उन्हें रविवार को राष्ट्रीय नेटवर्क पर (प्रादेशिक फिल्म चक्र को छोड़कर) प्रसारित किया जाता है जिनके लिए विशिष्ट पात्रता मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। इन मापदंडों का उल्लेख उपर्युक्त (क) में दिया गया है।

पुर्तगाल के साथ आर्थिक सहयोग में वृद्धि

8227. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पुर्तगाल के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से पुर्तगाल में कौन-कौन से संयुक्त उद्यम/परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्संबंधी अन्य ब्योरा क्या है?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरु) : (क) से (ग) सरकार, पुर्तगाल के साथ अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करके आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने की इच्छुक है। किन्तु पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी संयुक्त उद्यम को अनुमोदित नहीं किया गया है।

केरल को मुआवजा अनुदान

8228. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से मुआवजा अनुदान देने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ताकि पेट्रोलियम उत्पादों में मूल्य वृद्धि के बावजूद परिवहन किराया वर्तमान दर पर ही रखे जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) केरल राज्य सरकार ने हमें सूचित किया है इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया है किन्तु हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित परिवहन मंत्रियों के सम्मेलन में केरल के परिवहन मंत्री ने उल्लेख किया था कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को उस भार को वहन करने के लिए मुआवजा देने पर विचार करना होगा जो ईंधन के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण उन्हें वहन करना पड़ेगा।

(ख) चूंकि राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को वाणिज्यिक व्यवसाय के रूप में कार्य करना होता है और वे अपनी प्रचालन लागत को पूरा करने के पश्चात् मुनाफा कमाते हैं। अतः उन्हें किसी प्रकार के मुआवजा अनुदान किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों में ऊर्जा की खपत

8229. श्री ए. के. राय : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एक टन इस्पात के उत्पादन हेतु कितनी ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता है इसका संयंत्र-वार ब्योरा क्या है;

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, जापान और फ्रांस जैसे देशों की तुलना में हमारे देश में ऊर्जा की कितनी खपत होती है और इन देशों में ऊर्जा की खपत का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है; और

(ग) इन देशों के अनुरूप ऊर्जा की खपत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) सेल के एकीकृत इस्पात कारखानों में एक टन अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन के लिए संयंत्र-वार ऊर्जा खपत निम्नानुसार है :

इकाई जी, कैलारी/टन अपरिष्कृत इस्पात

वर्ष	भिलाई इस्पात कारखाना	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	राउरकेला इस्पात कारखाना	बोकारो इस्पात कारखाना	इस्को	सेल
1987-98	10.15	11.55	10.99	9.93	16.13	10.82
1988-89	9.27	11.40	10.63	9.40	16.74	10.15
1989-90	8·85	11·66	10.23	9.25	16.42	9.77

(ख) प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत देशों में 5-6 जी. कैलोरी/टन अपरिष्कृत इस्पात के ऊर्जा खपत स्तर की तुलना में "सेल" के एकीकृत इस्पात कारखानों में इस्को को छोड़कर अपरिष्कृत इस्पात की विशिष्ट ऊर्जा की खपत लगभग 9-12 जी. कैलोरी प्रति टन है। इस्को एक पुराना संयंत्र है, इसलिए उसमें विशिष्ट ऊर्जा की खपत काफी अधिक है।

विभिन्न देशों में अपरिष्कृत इस्पात की प्रति टन ऊर्जा खपत निम्न प्रकार है :

देश	विशिष्ट ऊर्जा खपत (जी. कैलोरी) प्रतिटन अपरिष्कृत इस्पात
संयुक्त राज्य अमरीका	5.1
इंग्लैंड	4.7
जापान	4.2
जर्मनी	4.7
फ्रांस	4.9
सोवियत संघ	उपलब्ध नहीं

तथापि, कच्चे माल आदानों, अपनाई गई प्रौद्योगिकियों तथा प्रोडक्ट मिक्स में भिन्नता होने के कारण विभिन्न इस्पात संयंत्रों में ऊर्जा खपत के मूल्य तुलनीय नहीं हैं।

(ग) सेल के इस्पात संयंत्रों में बेहतर आंतरिक व्यवस्था, श्रेष्ठ परिचालन कार्य, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण द्वारा ऊर्जा खपत को कम करके लगभग 8 जी. कैलोरी/टन अपरिष्कृत इस्पात तक करने की योजना बनाई गई है।

मध्य प्रदेश में इस्पात उत्पादन केन्द्रों की स्थापना

8230. श्री दिलीप सिंह जू देव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में इस्पात उत्पादन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) कुछ पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों को छोड़कर इस समय देश में इस्पात उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई हेतु मसाला बोर्ड द्वारा इलायची इस्टेटों को राज सहायता

8231. श्री पलाई के. एम. मैथ्यू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची इस्टेटों को बांध निर्माण और छिड़काव यंत्रों के लिए मसाला बोर्ड के माध्यम से दी जाने वाली राज सहायता बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वर्तमान सूखा को देखते हुए यह राज सहायता इस वर्ष भी देने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) मसाला बोर्ड के पास छोटे बांधों तथा फौहारों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता की निम्नलिखित योजनाएं हैं ।—

(1) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम उडुम्बनचोला, केरल ।

(2) यह कार्यक्रम 1985-86 में शुरू हुआ तथा 1989-90 तक चालू रहा तथापि ऐसे आवेदक जो 1989-90 के दौरान निर्माण पूरा नहीं कर पाये थे उन्हें 1990-91 में भुगतान किया जाएगा ।

(2) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, र्नाटक

यह कार्यक्रम चालू वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगा ।

(3) जल-स्रोतों के विकास तथा इलायची बागानों की सिंचाई की योजना (सूखे की योजना)

इस योजना को 1989-90 में भी वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था । मसाला बोर्ड से इस योजना को 1990-91 के दौरान जारी रखने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) इस समय इलायची बागानों में सूखे का कोई खतरा नहीं है ।

न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि

8232. श्री नरसिंहराव दीक्षित : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, 1990 के "टाईम्स आफ इण्डिया" में "जस्टिस अन्डर पब्लिक प्रेशर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) विधि आयोग ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की थी कि प्रति दस लाख पर 10.2 न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या को बढ़ाकर प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या पर पचास न्यायधीश कर दी जाए। यह रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दी गई है। जहां तक उच्च न्यायालय से संबंधित सिफारिश का प्रश्न है यह विनिश्चय किया गया है कि केवल जनसंख्या के आधार पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए।

चाय बागान वित्तीय योजना के अन्तर्गत चाय बोर्ड द्वारा सहायता

8233. श्री कैलाश मेघवाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बागान वित्तीय योजना के अन्तर्गत चाय बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान फेरा कम्पनियों, इण्डियन प्रोपराइटरी इस्टेट तथा लघु उत्पादकों को पुनः चाय बागान लगाने तथा चाय क्षेत्रों के विस्तार के लिए वर्ष-वार कितना धन ऋण और राज सहायता के रूप में पृथक-पृथक दिया गया;

(ख) इस धनराशि के उचित उपयोग पर निगरानी रखने और जांच करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) चाय बोर्ड की चाय बागान वित्तीय योजना के अन्तर्गत 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान एफ॰ ई॰ आर॰ ए॰ (फेरा) कम्पनियों, गैर-एफ ई आर ए (नान-फेरा) कम्पनियों और छोटे चाय उपजकर्ताओं को वितरित की गई धनराशि नीचे दी गई है जिसमें केवल ऋण घटक शामिल हैं :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	फैरा कम्पनियां	नान फेरा सरकारी/ गैर सरकारी कम्पनियां/ भागीदारी स्वामित्व वाली फर्में	छोटे चाय उपजकर्ता 10.12 हैक्टेयर तक
1986-87	शून्य	64.35	शून्य
1987-88	शून्य	66.80	शून्य
1988-89	शून्य	63.78	शून्य

(ख) और (ग) जी हां। किए गए विकास कार्य का वास्तविक सत्यापना चाय उपजाने वाले क्षेत्रों में स्थित चाय बोर्ड के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा और मुख्यालय द्वारा स्थानों के वास्तविक निरीक्षण के जरिए किया जाता है। योजना के तहत ऋण की दूसरी किश्त

तभी वितरित की जाती है जब स्वीकृत क्षेत्र में रोपण कार्य पूरा हो जाता है और जब पिछली किस्तों के इस्तेमाल करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बोर्ड के अधिकारियों तथा उद्योग के मान्यता प्राप्त निरीक्षण अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन कर दिया जाता है।

कॉफी-बीज तथा कॉफी पाउडर की बिक्री

8234. श्रीमती के. जमुना : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी बाजार में कॉफी-बीज तथा कॉफी पाउडर की बिक्री में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत गिरावट आई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कॉफी के निर्यात में भी गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है;

(ङ) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस गिरावट की प्रवृत्ति के क्या कारण हैं; और

(च) स्वदेशी बाजार में कॉफी-बीज तथा कॉफी पाउडर की बिक्री बढ़ाने तथा कॉफी निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) वर्ष 1988-89 की तुलना में कॉफी बोर्ड के संवर्धनात्मक एककों से वर्ष, 1989-90 के दौरान कॉफी पाउडर और कच्ची कॉफी की बिक्री में 16.83% की गिरावट आयी है। बिक्री में उस गिरावट का मुख्य कारण संवर्धनात्मक एककों का बढता हुआ खर्चा है जो कीमतों को अनाकर्षक बना देता है। कर्मचारियों, अनुरक्षण और आकस्मिकताओं पर व्यर्थ के खर्च में कटौती करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि उपभोक्ताओं के लिए कॉफी की कीमतें आकर्षक बनायी जा सके। फिर भी, घरेलू बाजार मे काफी की समग्र खपत जो वर्ष 1988-89 में 57,516 मि. टन थी वर्ष 1989-90 में बढ़कर 61,132 मि. टन हो गयी।

(घ) और (ङ) जहां तक भारत से कॉफी के निर्यात का सम्बन्ध है निर्यात में कोई गिरावट नहीं आयी है।

(च) कॉफी की घरेलू खपत में वृद्धि करने के लिए आठवीं योजना की रूपरेखा में एक स्कीम शामिल की गयी है। इसके अतिरिक्त कॉफी बोर्ड कॉफी संवर्धन उपाय के रूप में विभिन्न कॉफीघर चैन्स पहले ही चला रहा है।

कुछ महत्वपूर्ण निर्यात संवर्धन उपायों में शामिल हैं :—

(1) कॉफी को निर्यात शुल्क सीमा से छूट दी गयी है।

(2) 100 ग्राम टिन में इन्सटेंन्ट कॉफी के निर्यात पर 20% की तथा भारी मात्रा में किए जाने वाले इसके निर्यातों पर 18% की नकद मुआवजा सहायता दी जाती है।

(3) नयी आयात निर्यात नीति में आर. ई. पी. लाइसेंस की दर 4% से बढ़ाकर 10% कर दी गयी है।

केरल में बेकाल किले का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

8235. श्री एच. रमन्ना राय :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में कासरगोड जिले में बेकाल किले को पर्यटन केन्द्र घोषित करने और उसका विकास करने के बारे में केरल सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के वितरण सम्बन्धी मार्गनिदेश

8236. डा. असीम बाला : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ताओं को लोहे और इस्पात की छड़ों का वितरण करने के सम्बन्ध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के आन्तरिक मार्गनिदेश क्या हैं;

(ख) क्या ये मार्गनिदेश उपभोक्ताओं को जारी किए गए हैं;

(ग) क्या आन्तरिक मार्गनिदेशों और संयुक्त संयंत्र समिति के मार्गनिदेशों में परस्पर विरोध है;

(घ) क्या उक्त आन्तरिक मार्गनिदेशों को सरकार की स्वीकृति प्राप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन्हें संयुक्त संयंत्र समिति के मार्गनिदेशों के अनुसार बनाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) 'सेल' द्वारा बनाये गए आन्तरिक वितरण मार्गदर्शी सिद्धान्त और प्रक्रिया संयुक्त संयन्त्र समिति (जे. पी. सी.) के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए हैं। विद्यमान जे. पी. सी. मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार बिक्री के लिए उपलब्ध मिलें/री-रोलेबल्स पात्र इकाइयों को उनकी पात्रता के आधार पर सप्लाई किए जाने होते हैं। 'सेल' के विद्यमान आन्तरिक मार्गदर्शी सिद्धान्त उसी नियम के अनुसार हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों द्वारा "बिलेटस" और "सेमिस" की बिक्री

8237. प्रो. मालिनी भट्टाचार्य :

श्री माणिक सान्याल :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 से दिसम्बर, 1989 की अवधि के दौरान स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टॉकयार्डों द्वारा संयंत्र-वार, फ्री ट्रेड/कम्परेसन डीलस' के लिए बोली, टेन्डर और पैकेज डील के माध्यम से "स्क्रेप, निलेट्स और सेमिस" की कितनी मात्रा में बिक्री की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान, स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संयंत्र-वार, स्क्रैप, सभी प्रकार की कटिंग, अस्वीकृत इनगॉटस, बट्स आदि के रूप में कितनी मात्रा में एकत्र की गई;

(ग) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संयंत्र-वार, उपरोक्त अवधि के दौरान "स्टील री-रोलर मिलों" को राज्य-वार कितनी मात्रा में उपरोक्त सामग्री दी गई, और

(घ) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा, संयंत्र-वार, अपने सौदों में संयुक्त संयंत्र समिति के दिशा-निदेशों को श्रेणीवार कितने मामलों में उल्घंन किया गया ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (घ) अपेक्षित यथार्थ जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के विस्तृत आंकड़ों का संकलन करने में पर्याप्त श्रम और समय लगते हैं तथा उससे अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त नहीं हो सकता है।

अन्य देशों के साथ व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मामलों पर बातचीत

8238. श्री पी. एम. सईद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों के दौरान किन-किन देशों के साथ व्यापार तथा आर्थिक मामलों पर बातचीत की गई;

(ख) विशेषत: संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हुई बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या कुछ देशों के साथ यह बातचीत विफल रही; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उन देशों के नाम जिनके साथ व्यापार और अर्थ संबंधी वार्ताएं हुई हैं।	वार्ताओं का परिणाम
1	2
ट्यूनीसिया यमन जनवादी गणराज्य	व्यापार वार्ताओं के समाप्त होने पर सम्मत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गए।
भूटान	भारत और भूटान के बीच व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित करार की समीक्षा की गई और दस्तावेजों के मूल पाठ पर हस्ताक्षर किए गए।
नेपाल	भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों, जिनमें द्विपक्षीय व्यापार और पारगमन सुविधायें भी शामिल हैं, की समीक्षा की गई।
संयुक्त राज्य अमरीका	भारत-अमरीका आर्थिक एवं वाणिज्य उप आयोग के तत्वावधान में अमरीकी और भारतीय सरकार के अधिकारियों की वाशिंटन में 2-3 अप्रैल, 1990 को एक बैठक हुई है। बैठक के दौरान इन विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, प्रति संतुलपकारी तथा प्रतिपाटन शुल्क, बीमा, वस्त्र, बौद्धिक सम्पदा, यू. एस. एफ. डी. ए. के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी नियम, चलचित्र, निर्यात इमदाद और बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं से सम्बन्धित पर उरुगुवे दौरे के क्षेत्र। बैठक में एक दूसरे की स्थिति को बेहतर तरीके से समझा गया।
फिलीपीन्स	दिनांक 9-10 अप्रैल, 1990 के दौरान भारत-फिलीपीन की संयुक्त कार्यकारी समूह जे. टी. सी. की दूसरी बैठक, नई दिल्ली में हुई। दोनों पक्षों ने संयुक्त उद्यम की स्थापना और प्रोद्योगिकी के अंतरण के जरिए व्यापार को बढ़ाने, विविधीकृत और संतुलित करने और द्विपक्षीय आर्थिक, सहायता बढ़ाने के लिए बातचीत की। दोनों पक्षों के निर्यात के क्षेत्रों का पता लगाया गया और जिन क्षेत्रों में

1	2
	संयुक्त उद्यम लगाए जा सकते हैं और प्रौद्योगिकी अन्तरित की जा सकती है, उन क्षेत्रों को दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित सम्मत कार्यवृत्त में रखा गया।
वियतनाम	भारत और वियतनाम के बीच व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमति हो गई है।
थाइलैंड	भारत-थाइलैंड, जे. टी. सी. की चौथी बैठक 22-23 फरवरी, 1990 के दौरान बैंकाक में हुई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार संवर्धन हेतु विविधीकृत द्विपक्षीय व्यापार और उपायों पर बातचीत की तथा दोनों पक्षों के लिए निर्यात के क्षेत्रों का पता लगाया।
सोवियत संघ पोलैंड चैकोस्लोवाकिया जी. डी. आर. रूमानिया	वर्ष 1990 के लिए व्यापार योजनाएं पूरी की गईं।
बेल्जियम लक्समबर्ग	भारत गणराज्य की सरकार और बेल्गो-लक्समबर्ग आर्थिक संघ के बीच आर्थिक, औद्योगि, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग से सम्बन्धित करार पर हस्ताक्षर किए गए।
फिनलैंड	आर्थिक स्थिति, द्विपक्षीय व्यापार का विकास, आर्थिक औद्योगिक तथा तकनीकी सहयोग आदि की समीक्षा की गई। सम्मत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गए।
आस्ट्रिया	भारतीय और आस्ट्रिया की आर्थिक स्थिति, द्विपक्षीय व्यापार, औद्योगिक तथा आर्थिक सहयोग आदि की समीक्षा की गई। सम्मत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गए।
सेनेगल	आर्थिक स्थिति, द्विपक्षीय व्यापार के विकास तथा भारत से सेनेगल को निर्यात बढ़ाने के लिए प्रति व्यापार की सम्भावनाओं की समीक्षा की गई।

1	2
क्यूबा	भारत-क्यूबा आयोग की बैठकें अप्रैल, 1990 में नई दिल्ली में हुई। विचार-विमर्श में आर्थिक स्थिति, द्विपक्षीय व्यापार में और विकास तथा औद्योगिक एवं तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों की समीक्षा की गई। सम्मत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए गए।

पुनालूर दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता में वृद्धि

8239. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनालूर दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसको क्षमता में कब तक वृद्धि की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) और (ख) वस्तुतः केरल के पुनालूर शहर में कोई दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत नहीं है। यह स्थान त्रिवेन्द्रम में कार्यरत उच्च शक्ति (10 कि. वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में आता है। तथापि, मध्यवर्ती भूभागीय स्थिति के कारण बताया गया है कि इस स्थान को संतोषजनक सेवा प्राप्त नहीं हो रही है। यद्यपि, इस समय त्रिवेन्द्रम ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाने को कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है, तथापि, इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सरकार का शीघ्रातिशीघ्र क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा में और सुधार करने का प्रयास है।

अफ्रीकी देशों के साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का व्यापार

8240. **श्री ए. आर. अन्तुले** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी देशों के साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या अफ्रीकी देशों के साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का कुछ अफ्रीकी देशों में प्रदर्शनी आयोजित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) एन एस आई सी का व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार ने इसको निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया है : अफ्रीकी देशों में प्रौद्योगिकियों की प्रदर्शनी आयोजित करना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, संयुक्त

समितियों/संयुक्त आयोगों की बैठक में स्वयं को सहभागी बनाना, अपने प्रतिपक्षियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना और अफ्रीकी देशों से उच्चाधिकारियों को आमन्त्रित करना, ताकि उन्हें अपनी औद्योगिक तकनीकी क्षमताओं की जानकारी दी जा सके।

(ख) और (ग) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण महत्वपूर्ण अफ्रीकी देशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारतीय भागीदारी आयोजित करता है और पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनियां लगाता है। वर्ष 1990 के दौरान टी एफ ए आई केनिया और सेनेगल के अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भारतीय भागीदारी आयोजित करने का कार्यक्रम है और वह मारीशस में एक पूर्णतया भारतीय प्रदर्शनी भी लगाएगा।

दिल्ली में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच

8241. श्री रामदास सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1985 से पूर्व, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियो ने दिल्ली तथा इसके आसपास के कतिपय टी. वी. कम्पनियों और इनके विक्रेताओं द्वारा कर योग्य मूल्य में बिक्री बाद सेवा प्रभार को शामिल न करके उत्पाद-शुल्क की चोरी किए जाने सम्बन्धी मामलों की जांच की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा राजस्व-प्राप्ति के रूप में प्रत्येक मामले में जांच के क्या लाभ हुए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	मामलों की संख्या	ग्रस्त शुल्क की राशि (रुपये)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मै. वेलेटेक इलेक्ट्रानिक्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली।	3	1.23 करोड़	न्याय निर्णयन पूरा हो जाने पर इन मामलों को समाप्त कर दिया गया है।
2.	मै. वेलटेक इलेक्ट्रानिक्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली।	1	11.83 लाख	न्याय निर्णयन पूरा हो जाने पर इस मामले को समाप्त कर दिया गया है।

1	2	3	4	5
3.	मै. मोनिका इलेक्ट्रानिक्स (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली।	1	3.77 लाख	मामले में अभी न्याय निर्णयन किया जाना है।
4.	मै. वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली।	1	2.25 करोड़	न्याय निर्णयन पूरा हो जाने पर इस मामले को समाप्त कर दिया गया है।
5.	मै. वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली।	4	38.77 लाख	अभी न्याय निर्णयन पूरा हो जाना है।
6.	मै. टेलिविस्टा इलेक्ट्रानिक्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली।	3	1.07 करोड़	न्याय निर्णयन पूरा हो जाने पर मामलों को समाप्त कर दिया गया।
7.	मै. टेलिविस्टा इलेक्ट्रानिक्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली।	2	37.68 लाख	अभी न्याय निर्णयन किया जाना है।
8.	मै. डिस्को इलेक्ट्रानिक्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली।	3	4.94 लाख	न्याय निर्णयन पूरा हो जाने पर मामलों को समाप्त कर दिया गया है।
9.	मै. एस्के इलेक्ट्रानिक्स (इंडिया) (प्रा.) लि., नई दिल्ली।	2	9.3 लाख	मामले को समाप्त कर दिया गया है।
10.	मै. इलेक्ट्रानिक्स कनसोरटियम, नई दिल्ली।	1	51.28 लाख	51.28 लाख रुपये की मांग की 10.4.90 को पुष्टि की गई थी। राशि वसूल नहीं की गई है क्योंकि अपील की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई।

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में पर्यटन

8242. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान उक्त क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने दार्जिलिंग में एक यात्री निवास के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद योजना के तहत पर्यटन के विकास की परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 5.35 करोड़ रुपए की एक विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान, दार्जिलिंग में एक भोजन कला संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

बैंक कर्मचारियों की मांगें

8243. श्री सुरेवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारियों ने हाल ही में एक दिन की हड़ताल की थी जिससे देश में बैंकों का कामकाज ठप्प हो गया था;

(ख) यदि हां, तो बैंक कर्मचारियों की मांगें क्या-क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : बताया गया है कि बैंक कर्मचारियों के एक वर्ग ने, जो उद्योग में अल्पसंख्यक यूनियन से संबद्ध थे, अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक 25.4.1990 को काम करना बंद कर दिया था। उनकी मांगों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : हाल में ही निर्णीत पांचवें द्विपक्षीय समझौते की समीक्षा, पेंशन को लागू करना, आवास ऋण की मात्रा में वृद्धि, कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी नीति को अन्तिम रूप देने के लिए त्रिपक्षीय समिति का गठन। यूनियन की मांगों पर कोई कारंवाई आवश्यक नहीं है क्योंकि बैंक प्रबंधकों ने अभी हाल ही में अर्थात् दिनांक 10 अप्रैल, 1990 को अधिकांश कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में टी. वी. रिले केन्द्र/टावर्स

8244. श्री सी. एम. नेगी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में स्थापित टी. वी. रिले केन्द्रों/टावर्स की संख्या तथा स्थानों के नामों का जिलेवार ब्योरा क्या है; और

(ख) उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल के खिरसू खण्ड के खेड़ाखाल में टी. वी. टावर की स्थापना सहित गढ़वाल जिले में दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) अवधि-वार

प्रदेश के गढ़वाल मण्डल में पिछले तीन वर्षों में पांच अति अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर/ट्रांसपोजर लगाये गये हैं तथापि, एक और ट्रांसपोजर सातवीं योजना से आगे लायी गयी स्कीम के रूप में गढ़वाल मण्डल के देहरादून जिले के मसूरी में कार्यान्वयनाधीन है। इसके अलावा दूरदर्शन की 1990-91 की वार्षिक योजना में कई अतिरिक्त दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की स्कीम शामिल है, जिनके स्थान का निर्धारण देश के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा के विस्तार की परस्पर प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(ख) यद्यपि इस समय पौढ़ी गढ़वाल जिले के खेरारवाल में दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है तथापि सरकार का शीघ्रातिशीघ्र देश के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करने का प्रयास है जो इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

गुजरात में पर्यटन का विकास

8245. श्री बलवन्त मणवर :

श्री शंकर सिंह वघेला :

श्री एम. जे. रायवा :

श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :

श्री हरिन पाठक :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान होटलों, मनोरंजन पार्कों, रास्ते के किनारों की सुविधाओं और यात्री निवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी थी;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने पुरातत्व स्मारकों, हस्तकलाओं, कलाओं और उत्कृष्ट वन्य-जीव पार्कों इत्यादि के आकर्षण से गुजरात आने वाले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या को देखते हुए राज्य की पर्यटन क्षमता का उपयोग करने हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई अन्य योजना भी भेजी थी;

(ग) यदि हां, तो राज्य में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गुजरात सरकार की उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1990-91 के दौरान पर्यटन का विकास करने तथा इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) से (ग) जी, हां। गुजरात सरकार ने यात्री निवासों, पर्यटक परिसरों, मोटलों,

पिकनिक स्थलों आदि के निर्माण हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे।

(घ) और (ङ) राज्यों में पर्यटन का विकास और संवर्धन करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग पर्यटन-आधारित संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे प्रस्तावों पर विचार उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किया जाता है।

दिल्ली के न्यायालयों में निर्णयाधीन मामले

8246. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की निचली अदालतों, सत्र और जिला न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन मामलों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1989 तक, प्रत्येक न्यायालय में निर्णयाधीन सिविल और आपराधिक मामलों का पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का न्यायालय में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) तारीख 31-12-1989 को, दिल्ली उच्च न्यायालय में 104205 सिविल और 5290 दांडिक मामले लम्बित थे। दिल्ली निम्न, सेशन और जिला न्यायालयों की बाबत इसी प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) जी हां। न्यायालयों में लम्बित मामलों की समस्या का गहराई से जांच करने और उपचारात्मक उपाय का सुझाव देने के लिए जनवरी, 1989 में सरकार ने उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक समिति गठित की थी।

दिल्ली में पर्यटक

8247. श्री मदन लाल खुराना : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बारह महीनों के दौरान कितने विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों ने दिल्ली का भ्रमण किया ;

(ख) दिल्ली के ऐसे स्वदेशी पर्यटकों की संख्या क्या है, जिन्होंने गत बारह महीनों के दौरान देश के अन्य भागों में पर्यटक स्थलों का भ्रमण किया ;

(ग) दिल्ली पर्यटन विकास निगम द्वारा विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को उनका भ्रमण आरामदायक, तथा स्मरणीय बनाने के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) दिल्ली के स्वदेशी पर्यटकों को राज्यों/जिला अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्रों के भ्रमण के समय उपलब्ध कराई गई सुविधायें क्या हैं; और

(ङ) विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को दिल्ली के तथा देश के अन्य पर्यटक स्थलों की ओर आकर्षित करने के लिये अन्य और क्या उपाय किये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) दिल्ली प्रशासन से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 1989 के दौरान इस नगर की यात्रा करने आए विदेशी यथा स्वदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमश: 7,48,101 तथा 10,35,653 थी।

(ख) बाहर जाने वाले पर्यटकों के आंकड़े संकलित नहीं किए जाते।

(ग) और (घ) उतरने के प्रमुख स्थानों पर दिल्ली पर्यटन विकास निगम के 10 सूचना काउन्टर हैं। ये काउन्टर होटल आरक्षण सुविधाओं, कारों तथा कोचों को किराए पर देने, पर्यटक साहित्य का वितरण करने आदि जैसी सहायता प्रदान करते हैं।

(ङ) विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकों की जानकारी बढ़ाने के लिए मार्केटिंग और प्रचार के संयुक्त प्रयास किए जाते है।

दिल्ली छावनी में नये मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के लिए प्रयुक्त फार्मों को जलाने और जाली मतदाताओं के नाम हटाये जाने की घटनाएं

8249. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी स्थित निर्वाचन कार्यालय में नये मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने तथा मतदाता सूचियों से जाली मतदाताओं के नाम हटाने के लिए हजारों फार्मों को जलाये जाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) मुख्य निर्वाचन आफिसर, दिल्ली को जनवरी, 1990 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्रारूप नामावली के संबंध में फाइल किए गए दावों और आक्षेपों, के प्ररूप किसी ऐसे अधिकारी ने, जिसे तत्संबंधी कागजात प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया था, अन्य व्यक्तियों की मौनानुकूलता से, जला दिए थे। जांच करने के पश्चात् यह पता चला कि प्राप्त किए गए सभी प्ररूप नियुक्त उक्त अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में थे और केवल कुछ रिक्त और प्राप्त नहीं किए गए प्ररूप कुछ शरारती व्यक्तियों ने, अधिकारी को बदनाम करने की नियत से, जला दिए थे। सम्यकतः प्राप्त ऐसे सभी

कागज बाद में संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरन आफिसर को, आगे कार्रवाई की जाने के लिए, सौंप दिए गए थे।

भारतीय रिजर्व बैंक के जाली परिपत्र

8250. श्री के. एस. राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मार्च, 1990 के "इकॉनोमिक टाइम्स" में "बोगस आर. बी. आई. सर्कुलर टैक्स एक्सपोर्ट्स फार ए राइड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रिक्शा चालकों की आर्थिक समस्याएं

[हिन्दी]

8251. श्री युवराज : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिक्शा चालकों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी न्यायालय ने रिक्शे पर रिक्शा चालक के स्वामित्वाधिकार के सम्बन्ध में निर्णय दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(च) सरकार का रिक्शा चालकों के लिये और कौन से कल्याण कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) (ख) और (च) सरकार को रिक्शा चालकों, जो समाज के विशेष रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले वर्गों में से हैं, सहित गरीब वर्गों के लोगों की समस्याओं की जानकारी है। अतः सरकार ने शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम नाम की एक नई योजना आर्थिक सहायता (सब्सिडी) खण्ड सहित बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिए सितम्बर 1986 में आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत ऋणकर्ता 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपए तक ऋण ले सकता है। केन्द्र सरकार परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत की दर से आर्थिक सहायता (सब्सिडी) उपलब्ध कराती है।

(ग) से (ङ) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायायालय ने सितम्बर 1986 में एक आदेश पारित किया था कि बैंक रिक्शा चालकों को अधिकतम 2000 रुपए तक की कीमत के साइकिल रिक्शा खरीदने के लिए बिना जमानत के ऋण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि रिक्शा चालकों को साइकिल रिक्शा ऋण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम और शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार दिए जाते हैं। बैंक ऋण से खरीदे गए रिक्शा को बैंक के पास दृष्टिबंधक रखना आवश्यक होता है और कोई संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा गारंटी नहीं मांगी जाती है।

जयपुर स्टाक एक्सचेंज में सदस्यों की नियुक्ति

8252. **श्री गोपाल पचेरवाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर स्टॉक एक्सचेंज में वर्ष 1989 में की गई सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार को किसी अनियमितता की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या इस एक्सचेंज के अनेक सदस्यों ने अब तक कोई कारोबार नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) स्टाक एक्सचेंजों के अधिकांश सदस्य स्टाक एक्सचेंज में पहले से ही कार्यकर रहे हैं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-योजना व्यय

8253. **श्री काशीराम राणा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना व्यय की तुलना में गैर-योजना व्यय में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 1986-87 से 1989-90 तक का दोनों प्रकार के व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-योजना व्यय को योजना व्यय से कम रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के आयोजना-भिन्न व्यय और आयोजना व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रुपए)

	86-87 (वास्तविक)	87-88 (वास्तविक)	88-89 अनन्तिम (वास्तविक)	89-90 संशोधित
आयोजना-भिन्न व्यय	36747	40955	48754	59220
आयोजना व्यय	22941	24209	26152	28476

आयोजना-भिन्न व्यय में आयोजना व्यय का वित्तपोषण करने के सम्बन्ध में लिए गए ऋणों पर देय ब्याज; रक्षा व्यय, खाद्य, उर्वरक, निर्यात आदि पर आर्थिक सहायता, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को अनुदान और पूर्ववर्ती योजना अवधि में पूरी की गई स्कीमों के अनुरक्षण पर वचनबद्ध व्यय भी शामिल है। इन सभी का बजट से केवल वित्तपोषण किया जाएगा जबकि आयोजना व्यय के अधिकांश भाग का सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों द्वारा वित्तपोषित किए जाने की संभावना है। 1989-90 के संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय आयोजना के कुल परिव्यय का 48.9 प्रतिशत बाद के स्रोत से पूरा किया जाना था;

इन परिस्थितियों में बजट में आयोजना-भिन्न व्यय बजट के आयोजना व्यय से हमेशा अधिक होगा। हालांकि सरकार का हमेशा यह प्रयास रहता है कि आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम हो, ताकि विकासात्मक स्कीमों और आयोजना परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाया जा सके।

पश्चिम बंगाल में भाड़ा समानीकरण योजना

[अनुवाद]

8254. श्री सुधीर गिरि : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने विद्यमान भाड़ा समानीकरण योजना को पूर्ण रूप से समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इसके क्या कारण बताए गए हैं; और

(ग) उक्त योजना को अब तक समाप्त न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने लोहे और इस्पात के लिए विद्यमान भाड़ा समीकरण योजना को इस आधार पर समाप्त करने का अनुरोध किया है क्योंकि यह नीति उनको कच्चे माल के स्रोतों की निकटता के लाभ से वंचित करती है। उनके द्वारा बताया गया अन्य कारण यह है कि अन्य वस्तुओं को इस नीति के तहत नहीं लाया गया है।

(ग) सरकार ने प्रारम्भ में चरणबद्ध तरीके से भाड़ा समीकरण योजना को समाप्त करने का फैसला किया है। तथापि जब इस निर्णय के बारे में संसद में बताया गया तब कई राज्य सरकारों ने इस योजना को समाप्त करने हेतु अभ्यावेदन किया। अतः सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद को भेजने का निर्णय लिया।

आन्ध्र प्रदेश में बाक्साइट प्रयस्क/एल्यूमिनियम संयंत्र

8255. श्रीमती चेन्नुपति विद्या :

श्री एम. एम. पल्लम राजू :

श्री राम कृष्ण कोंताला :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सभी क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहां प्रचुर मात्रा में बाक्साइट भंडारों का पता लगाया गया है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में प्रस्तावित बाक्साइट प्रयस्क/एल्यूमिनियम काम्प्लेक्स की वर्तमान स्थिति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी तथा विशाखापत्तनम जिलों में; बिहार के रांची, संथाल परगना, गुमला तथा लोहारडागा जिलों में, गुजरात के जामनगर जूनागढ़ और कछ जिलों में, जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में; कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ तथा दक्षिण कन्नड़ जिलों में; केरल के कन्नान्नूर जिले में; मध्य प्रदेश के बालाघाट बिलासपुर, मान्डला, रीवा तथा सरगुन्जा जिले में; महाराष्ट्र के कोलाबा, कोल्हापुर, रत्नागिरि और सतारा जिलों में; उड़ीसा के बोढ-खोंडमाल, बोलंगीर, सम्बलपुर, कालाहाण्डी, क्योंझर तथा कोरापुट जिलों में; तमिलनाडु के नीलगिरि तथा सलेम जिलों में; उत्तर प्रदेश के बांदा और ललितपुर जिलों में, तथा गोवा राज्य में भी बाक्साइट के संपंन भंडारों का पता लगा है।

(ख) सोवियत संघ को बाक्साइट निर्यात के लिए, आंध्र प्रदेश में 2.3 मिलियन टन वार्षिक बाक्साइट खनन कम्पलेक्स की स्थापना हेतु, भारतीय तथा सोवियत विशेषज्ञों द्वारा मिलकर तैयार साध्यता रिपोर्ट पर दिसम्बर, 1987 में विचार हुआ था तथा इसे आर्थिक रूप से उपादेय नहीं पाया गया। अप्रैल, 1989 में इस प्रस्ताव पर सोवियत तथा भारतीय विशेषज्ञों की संयुक्त बैठक में पुनः विचार किया गया, जिसके अनुसरण में, सोवियत पक्ष ने अब स्पष्ट किया है कि 2.3 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का बाक्साइट खनन कम्पलेक्स उपादेय नहीं होगा।

बिहार में खनिजों पर रायल्टी

[हिन्दी]

8256. श्री राम शरण यादव : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बिहार को खनिजों पर 1.25 प्रतिशत रायल्टी देती है जबकि असम को पेट्रोलियम उत्पादों पर 35 प्रतिशत रायल्टी देती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार, बिहार सरकार को खनिजों पर प्रमस के बराबर रायल्टी देने का है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गस्वामी) । (क) किसी राज्य में उत्पादित प्रमुख खनिजों पर रायल्टी केन्द्र सरकार द्वारा समान दरों पर निर्धारित की जाती है। खनिज-वार देय दरें खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के खण्ड 9 के नीचे द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाती है ।

इसी प्रकार, पेट्रोलियम के प्रसंग में, रायल्टी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर देय होती है, पेट्रोलियम उत्पादों पर नहीं; तथा वह तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1984 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। वर्तमान दर कच्चे तेल पर 192/-रु. प्रति मी. टन और कुंआ-मुहाना पर प्राप्त प्राकृतिक गैस के मूल्य का 10% है। यही दर पूरे देश में समान रूप से लागू है ।

दोनों प्रकार के मामलों में, रायल्टी का भुगतान पट्टा धारकों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को किया जाता है; और केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी मामले में किसी राज्य सरकार को रायल्टी नहीं दी जाती है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में (ख) व (ग) का प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजनाएं

[अनुवाद]

8257. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) विभिन्न राज्यों में इस समय कार्यान्वित की जा रही उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में वित्तपोषण किया जा रहा है;

(ख) क्या कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उड़ीसा में ऐसी किसी योजना का वित्त-पोषण किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा इस समय उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है :—

1. छोटे सिंचाई कार्य

2. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और राज्य बिजली बोर्ड

3. भूमि विकास

4. फार्म यंत्रीकरण

5. शुष्क भूमि कृषि

6. वृक्षारोपण और बागवानी

7. डेरी विकास और पशुपालन

8. मत्स्यपालन (अन्तरदेशीय एवं समुद्र में)

9. भण्डारण गोदाम/मार्केट यार्ड

10. वन विकास और बंजर भूमि विकास

11. बायो-गैर/गोबर गैस

12. समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना

13. गैर कृषि क्षेत्र के कार्य कलाप

14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्य योजना।

भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों के सम्वर्ग की पुनरीक्षा

8258. श्री के. चोक्का राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आर्थिक सेवा के सेवा संबंधी नियमों में यह व्यवस्था है कि संवर्ग ढांचे की आवधिक पुनरीक्षा की जाये;

(ख) संवर्ग के गठन के बाद अब तक उसकी कितनी बार पुनरीक्षा की गई और अन्तिमबार किस वर्ष पुनरीक्षा की गई थी;

(ग) क्या संवर्ग की पुनरीक्षा किये जाने तक सरकार से समयबद्ध वेतनमान देने का अनुरोध किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के क्या विचार हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय आर्थिक सेवा नियमावली, 1961 में संवर्ग ढांचे की आवधिक पुनरीक्षा करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय आर्थिक सेवा संघ ने सेवा में अधिकारियों को समयबद्ध पदोन्नति प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है। तथापि इस संबंध में अभी तक कोई अन्तिम विचार नहीं किया गया है।

गोआ से पुर्तगाल ले गये सोने को वापस लौटाने के लिए भारत-पुर्तगाल समझौता

8259. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

श्री शंकर सिंह वघेला :

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल और भारत के प्राधिकारियों के बीच गोआ से पुर्तगाल ले गये सोने को, जिसे गोआ की स्वतंत्रा के बाद पुर्तगाल के प्राधिकारी गोआ से लिस्बन ले गये थे, वापस लौटाने के सम्बन्ध में 1990 के समझौते के प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) इस समय उस सोने का मूल्य कितना है और उसके मालिकों/उत्तराधिकारियों को उसे लौटाने की प्रक्रिया और निर्धारित तिथि क्या है,

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि वर्ष 1990 का प्रारूप अन्तिम रूप से स्वीकार किया जायेगा और इसे कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) इसके लाभार्थियों की अनुमानित संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) गोवा से लिस्बन ले जाए गए स्वर्णाभूषणों को वापस करने के लिए पुर्तगाल की सरकारी ने सहमति व्यक्त की है। इस विषय पर समझौता करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक अधिकारीयों का एक दल लिस्बन जाएगा।

भूतपूर्व बाल्को नेशनल अल्ट्रामेरिनो जब गोवा में कार्यरत था तो उसके पास बन्धक रखे गए स्वर्णाभूषणों का अन्तिम मूल्य, 6531 ऋण खातों में पुर्तगाल स्थानान्तरित करते समय 16.33 लाख रुपए थे। अनुमोदित मूल्यांकन के बिना उनकी वर्तमान वास्तविक मूल्य को बताना सम्भव नहीं है।

विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पैनल में शामिल करना

8260. प्रो० अलेक्जेण्डर श्रीवास्तव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-मार्च, 1990 के दौरान जिन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में शामिल करने के लिए अनुरोध किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय को उन्हें पैनल में शामिल करने में औसतन कितना समय लगता है;

(ग) कितने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के मामले निपटाये गये हैं; और

(घ) जिन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से सम्बन्धित अनुरोध पत्र लम्बित पड़े हैं, उन्हें पैनल में शामिल न किए जाने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) विज्ञापन प्र दृश्य प्रचार निदेशालय में जनवरी-मार्च, 1990 के दौरान पैनल में शामिल करने के लिए 233 प्रा दन प्राप्त हुए थे।

(ख) लगभग 4 से 6 सप्ताह।

(ग) 88 मामलों पहले ही निपटाये जा चुके हैं।

(घ) 103 मामलों के सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचना मांगी गई है। शेष 42 मामलों पर जि के आवेदन हर प्रकार से पूरे पाये गये, थे कारंवाई कम्प्यूटर के पास पहले से ही अधिक व्यय होने कारण रूकी हुई है। इस कम्प्यूटर का उपयोग वर्ष 1990-91 के लिए 3000 प्रकाशनों का कांट्रेक्ट का नवीकरण करने के लिए किया जा रहा है।

आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए राज्य स्तरीय न्यायालयों की स्थापना

8261. **श्री बी. एन. रेड्डी :**

श्री शिवशरण वर्मा :

श्री तेज नारायण सिंह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का तंत्र आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या-क्या त्रुटियां हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आर्थिक अपराधों के मामलों पर न्याय-निर्णय के लिए रा स्तरीय न्यायालयों की स्थापना करने का है;

(घ) क्या इस मामले पर राज्य सरकारों से भी विचार-विमर्श किया गया है;

(ङ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है, और उन राज्यों का ब्योरा क्य जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(च) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का राज्य-वार ब्योरा क्या है

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) यह नहीं कहा सकता कि केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध मशीनरी आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए पय नहीं है।

(ग) से (च) सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को आर्थिक अपराधों पर मुकदमा चलाने लिए विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए कहा था। इन राज्य सरकारों की अभी तक की प्र क्रिया सामान्य रूप से सकारात्मक रही है। कुछ राज्यों में इस प्रकार की विशेष अदालतें पहले से काम कर रही हैं। सरकार और विशेष अदालतें स्थापित करने के प्रश्न को राज्य सरकारों के उठा रही है।

नागालैंड में लघु समाचारपत्रों और साप्ताहिक पत्रिकाओं को प्रोत्साहन

8262. श्री शिकिहो सेमा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा लघु समाचार पत्रों/साप्ताहिक पत्रिकाओं को दिये गये प्रोत्साहनों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या नागालैंड में स्थानीय साप्ताहिक पत्रिकाओं को भी यही लाभ/प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक समाचार पत्र/पत्रिकाओं को दिये गये लाभों/प्रोत्साहनों का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी उपेन्द्र) : (क) रियायतों/सुविधाओं का ब्योरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ख) और (ग) लाभों का प्रवाह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि क्या समाचारपत्र ने अखबारी कागज के लिए आवेदन किया है और अथवा विज्ञापनों आदि के लिए इसको सूची में शामिल किया गया है। ऐसा लगता है कि नागालैंड के किसी समाचार पत्र/साप्ताहिक ने अखबारी कागज के लिए आवेदन नहीं किया है। नागालैंड के तीन अंग्रेजी साप्ताहिकों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में शामिल किया है और वे भी छोटे समाचार पत्रों को दिए जा रहे प्रोत्साहन/शर्ता द्वारा कवर होते हैं।

विवरण

छोटे और मझौले समाचार पत्रों को उपलब्ध छूट/सुविधाएं।

(क) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :

1. छोटे मझौले और बड़े समाचार पत्रों के वर्गीकरण मानदण्डों में 1 अप्रैल, 1989 से संशोधन कर दिया गया है। प्रति प्रकाशन दिवस 25,000 प्रतियों तक के प्रसार वाले समाचार पत्र/पत्रिका को छोटे समाचार पत्र/पत्रिका के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब तक यह सीमा 15,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस थी। 25,000 से 75,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस वाले प्रकाशनों को अब मझौले पत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहले यह सीमा 15,000 से अधिक तथा 50,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस तक थी। इसी प्रकार, बड़े समाचार पत्रों के लिए मानदन्ड अब 75,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस की प्रसार सीमा से अधिक है जबकि पहले यह 50,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस से अधिक थी।

2. आमतौर पर किसी समाचार पत्र को अखबारी कागज आबंटित करने से पूर्व उसे भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत होना चाहिये। वर्ष 1989-90 से ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि समाचार पत्रों को अखबारी कागज उनके पंजीकरण से पूर्व जारी किया जा सकता है बशर्ते कि वे प्राधिकरण जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक से साथ अपने को पंजीकृत करा लें।

3. 200 मीट्रिक टन अखबारी कागज की वार्षिक पात्रता वाले नियमित अखबारों को शत प्रतिशत आयातित अखबारी कागज लेने का विकल्प दिया जाता है।

4. छोटे अखबारों को आयातित मानक अखबारी कागज पर सीमा शुल्क की पूर्ण छूट है, जो 450 रुपए प्रति मी. टन की दर से लगाया जाता है।

5. मझोले श्रेणी के अखबारों से आयातित मानक अखबारी कागज पर 450 प्रति मी. टन की देय दर की तुलना में 275 रुपए की दर से सीमा शुल्क लिया जाता है।

6. उन समाचार पत्रों को, जिनकी वार्षिक हकदारी 50 मीट्रिक टन या कम है, आमतौर से जारी किए गए अपने वार्षिक प्राधिकार के प्रति पूरी मात्रा एक या दो किस्तों में लेने का विकल्प दिया जाता है। 50 मीट्रिक टन से अधिक तथा 200 मीट्रिक टन तक की वार्षिक पात्रता वाले समाचार पत्रों को अखबारी कागज छमाही आधार पर जारी किया जाता है।

7. नये आवेदकों को प्रथम छः माह के लिए देशी मिलों से आरंभिक कोटा दिया जाता है। तथापि, 5 मीट्रिक टन तक की मात्रा आयातित अखबारी कागज के रूप मे दी जाती है।

8. सामान्यतया, 25 प्रतिशत आयातित अखबारी कागज, राज्य व्यापार निगम के बफर स्टाक से दिया जाता है। 50 मीट्रिक टन या कम की वार्षिक पात्रता वाले अखबारों को बफर स्टाक से पूरी अथवा आंशिक मात्रा लेने का विकल्प दिया जाता है।

9. सामान्यतया, किसी अखबार के कार्य निष्पादन प्रमाण-पत्र पर चार्टर्ड लेखाकार के हस्ताक्षर होने चाहिए। तथापि, 2000 प्रतियां या कम के प्रसार वाले समाचार पत्रों को इस अपेक्षा से छूट है।

10. छोटे और मझोले अखबार 1989-90 की अपनी पात्रता के प्रति देशी मिलों से जून, 1989 के बाद उनके द्वारा उठाए गए अखबारी कागज के लिए क्रमशः 700/-रुपए और 350 रुपए की दर से मूल्य पर छूट पाने के पात्र हैं।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :

भारत सरकार की मौजूदा विज्ञापन नीति के अन्तर्गत भाषायी समाचार पत्रों को सामान्य रूप से तथा "लघु" तथा मझोले समाचार पत्रों को विशेष रूप से निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं :—

1. बिक्रीत प्रसार संख्या की सामान्य पात्रता प्रति अंक 1000 प्रतियां हैं। तथापि, निम्नलिखित के मामले में छूट अनुज्ञेय है :—

(क) विशिष्ट/वैज्ञानिक/तकनीकी पत्रिकाएं, जिनकी बिक्रीत प्रसार संख्या कम से कम 500 प्रतियां प्रति अंक हो;

(ख) संस्कृत के समाचार पत्र/पत्रिकाएं और पिछड़े, सीमावर्ती या दूरवर्ती क्षेत्रों में अथवा

आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले या मुख्य रूप से आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत पत्रिकाएं, जिनकी न्यूनतम बिक्रीत प्रसार संख्या 500 प्रतियां प्रति अंक हो।

2. मुद्रण स्थान के मामले में भी आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले मुख्यतया आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को छूट अनुज्ञेय है।

3. 2,000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को सनदी लेखाकार, आदि से प्रसार संख्या का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट है।

4. विज्ञापन दरों को नियत करने के मामले में दरों की समानता है अर्थात अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा भाषायी समाचारपत्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। तथापि, 10,000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले भाषायी पत्र/पत्रिकाओं को अंग्रेजी की इसी प्रकार के पत्र/पत्रिकाओं से उच्च बुनियादी दर मिलती है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में शामिल बड़ी संख्या में लघु पत्र/पत्रिकाएं इस श्रेणी में आती हैं।

पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :

समाचार पत्र

लघु और मंझोले समाचारपत्रों को अधिक से अधिक सेवा प्रदान करने की अपनी नीति के नुसरण में, पत्र सूचना कार्यालय उन्हें अनेक विशेष सुविधाएं प्रदान करता है समाचार रिलीजों र लेखों जैसी अपनी सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, यह अन्य प्रकार की समाचार वाएं यथा साइंस डाइजेस्ट, कृषि न्यूज लेटर (कृषि पत्रिका), इबोनाइड ब्लाक, चर्बा (केवल उर्दू त्रों के लिए) और फोटो सप्लाई करता रहा है।

समाचार सेवाएं

अपेक्षाकृत लघु समाचारपत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक सेवाएं चालू की गई हैं ज्ञान आर्थिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास को वर करते हुए सरल और कैप्सूल रूप में लिखी गई गहन कहानियां तैयार करके उन्हें, देश की भी मुख्य भाषाओं में सप्लाई किया जाता है मुख्यतः लघु समाचारपत्रों के लिए अभिप्रेत एक साप्ताहिक समाचार डाइजेस्ट ग्रामी पत्र सेवा 1977 में हिन्दी में आरम्भ की गई थी।

फोटो सेवाएं

पत्र सूचना कार्यालय लघु समाचारपत्रों को सचित्र फोटो लेख और इबोनाइड ब्लाक भी सप्लाई करता है। चर्बा सेवाएं, जिसमें उर्दू लिथो प्रिंट में उपयोग के लिए जिंक ब्लाक होते हैं, बहुत लोकप्रिय हो गई हैं।

विशिष्ट सेवाएं सैल

पत्र सूचना कार्यालय ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में प्रतिनिधित्व के साथ मुख्यालय में

एक विशिष्ट सेवा सैल स्थापित किया है। इस सैल को क्षेत्र आधारित विकास कहानियां तैयार करने तथा उन्हें भाषायी समाचारपत्रों को उपलब्ध करने का काम सौंपा गया है। स्थानीय संगत फोटो, मानचित्र और इबोनाइड ब्लाक उपलब्ध करने पर अधिक जोर दिया जाता है।

प्रेस दल

प्रेस के प्रतिनिधियों को देश के विभिन्न भागों में चल रही विकासीय गतिविधियों की प्रारम्भिक जानकारी कराने के विचार से, प्रेस दलों को केन्द्रीय सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में ले जाना पत्र सूचना कार्यालय का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। विभिन्न समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को इस प्रकार विशिष्ट अध्ययन के लिए जल्दी-जल्दी चुनींदा परियोजनाओं पर ले जाया जाता है मझोले और लघु समाचार पत्रों को इन प्रायोजित दौरों मे प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

प्रत्यायन

लघु और मझोले समाचारपत्रों को अधिक सुविधाएं देने के लिए प्रत्यायन नियमों में ढील दी गई है। नियमों के अनुसार केवल 5000 से अधिक प्रतियों की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्र प्रत्यायन के लिए पात्र हैं। तथापि, लघु समाचारपत्रों की सहायता करने के लिए इस शर्त में ढील दी गई है और अब दो या अधिक लघु समाचारपत्र मिलकर साझे संवाददाता के प्रत्यायन की मांग कर सकते हैं। नियमों में यह भी व्यवस्था है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समाचारपत्रों तथा पहाड़ी या पिछड़े क्षेत्रों या सूचना और संचार की दृष्टि से कम विकसित क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए। पत्र सूचना कार्यालय की वितरण सूची में अब बड़ी संख्या में लघु और मझोले समाचारपत्रों के नाम तथा उनकी ओर से प्रत्यायित संवाददाताओं के नाम शामिल हैं।

औषधों के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता

8263. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय ने औषधों के निर्यात पर वर्ष-वार कितनी नकद प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की है;

(ख) ऐसे प्रमुख औषधों के नाम क्या-क्या हैं और प्रत्येक औषध के मामले में नकद प्रतिपूर्ति सहायता किस आधार पर दी गई;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने उन मामलों में भी नकद प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की है जिनमें विदेशी मुद्रा की विशेष आय नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) ड्रग्स के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता (सी. सी. एस.) के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। फिर भी, रसायन और सम्बद्ध उत्पादों (ड्रग्स सहित) के निर्यात पर पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गयी नकद मुआवजा सहायता के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	(करोड़ रु. में)
1986-87	55.07
1987-88	74..5
1988-89	121.72

(ख) से (घ) नकद मुआवजा सहायता निर्यातकों को निर्यात उत्पादन के लिए निवेशों पर प्रदत्त न लौटाए जाने वाले और छूट रहित अप्रत्यक्ष करों के लिए, उनका क्षतिपूर्ति करने हेतु दी जाती है ताकि भारतीय सामान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी हो सके। ड्रग्स के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता एफ. ओ. बी. मूल्य के .5% की दर से स्वीकार्य है; ड्रग्स की नकारात्मक सूची में शामिल 27 मदें इसका अपवाद हैं। नकद मुआवजा सहायता का वास्तविक भुगतान मूल्य-वर्धन के 25% के विच्छेद फार्मूले पर आधारित है।

समान कार्य के लिए समान वेतन

8264. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र स्वायत्त-शासी निकायों के सभी कर्मचारियों की भलाई के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत वास्तव में कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत कार्यान्वित न किए जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) न्यूनतम स्तर पर जहां सरकारी उपक्रमों में कार्य का स्वरूप, कार्यभार तथा जिम्मेदारी को एक समान माना गया है, समानता के प्रश्न पर, चौथे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा विचार किया गया है। आयोग ने यह देखा है कि ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार के एक चपरासी संदेशवाहक के कार्य का स्वरूप भी कुछ विभिन्न कारणों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुकाबले एक समान नहीं पाया जाए। कार्यों में समन्वय के कारण भी अन्तर है। आयोग ने आगे यह देखा कि केन्द्र सरकार के प्रशासन ने एक अपने ही तरह की विशिष्टता का रूप ले लिया है। कुछ अपने ही तरह की सेवाएं और संवर्ग संगठित रूप में हैं जोकि विनिर्दिष्ट की गई जिम्मेदारियों के अनुसार अपना कार्य करते हैं। विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के कार्यों और पद से संबंधित जिम्मेदारी एक विशिष्ट रूप में होती है और उनकी तुलना बाह्य रोजगारों में कार्यरत कर्मचारियों से नहीं की जा सकती। सरकार में रोजगार का एक अपने ही तरह के स्तर और सुरक्षा से सबन्ध है। केन्द्र सरकार के इतने बड़े स्वरूप के लिए वेतन ढांचे को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के न्यूनतम स्तर के पदों के पदों के वेतनमानों के ढांचे के साथ एक साधारण से तुलनात्मक दृष्टिकोण से नहीं आंका जा सकता सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निर्माण कुछ विशिष्ट उद्देश्यों से किया गया है और

इसलिए उन्होंने अपना-अपना वेतन ढांचा अपना लिया है। उनमें कार्य की प्रकृति और सेवा की शर्तें भिन्न हैं। आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों का निर्धारण गुणवत्ता के आधार पर करना पड़ेगा। इस प्रकार केंद्र सरकार में वेतन का ढांचा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वेतन ढांचे से भिन्न है।

(ग) और (घ) सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से विभिन्न सरकारी विभागों के उन कर्मचारियों के बीच समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर वेतनमानों में संशोधन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त करती रही है जिनके कार्यभार और जिम्मेदारी को एक जैसा माना गया है। इस अभ्यावेदनों की जांच की जाती है और जहां सरकार सही समझती है वहां वेतनमानों में उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं।

राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए योजना

8265. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राजस्थान में पर्यटन संवर्धन के लिए कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में पर्यटन संवर्धन के लिए मंजूर की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई और प्रत्येक योजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार राज्य में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों, भवनों और स्थानों के संरक्षण के लिए कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) सरकार राजस्थान राज्य में जो कि स्वदेशी और विदेशी दोनों बाजारों के लिए लोकप्रिय गन्तव्य है; आकर्षक फोल्डरों, पोस्टरों और ब्रोशरों को मुद्रित करा कर और विशिष्ट फिल्मों का निर्माण करके सक्रिय रूप से पर्यटन का संवर्धन करती है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में मंजूर की गई परियोजनाओं स्कीमों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) भारत सरकार (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की, राज्य में पर्यटक महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों, भवनों और स्थलों की सुरक्षा के लिए, केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा एवं परिरक्षण के लिए मांगी गई तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

विवरण

राजस्थान राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई परियोजनाएं/स्कीमें

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	परियोजना/स्कीम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1.	देवगढ़ में मिडवे सुविधाएं	1.59	1.50
2.	मांडवा में किओस्क	0.64	0.30
3.	पुष्कर में पर्यटक परिसर	13.84	8.00
4.	बेहरोर में पर्यटक परिसर	17.60	14.75
5.	चित्तौडगढ़ के पन्ना पर्यटक में अतिरिक्त आवास	13.50	11.73
6.	महनसर में कैफेटेरिया	2.16	1.00
7.	फतेहपुर, जिला सीकर में पर्यटक बंगला	16.09	5.00
8.	सिलिसेरह झील, अलवर के जिले हेतु नौकाएं	3.15	2.00
9.	शेखावटी उत्सव	1.25	1.12
10.	चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रकाशपुंज व्यवस्था	15.06	7.49
11.	ओसियन में कैफेटेरिया	2.15	1.00
12.	झालावाड़ में पर्यटक बंगला	10.85	5.00
13.	गोगुंदा में कैफेटेरिया	3.12	2.00
14.	मिनाल, भीलवाड़ा जिले में कैफेटेरिया	3.72	2.00
15.	राजस्थान में कैमेल सफारी	5.55	5.00

"वाल्मिकी" पर बनी फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए अभ्यावेदन

[हिन्दी]

8266. श्री शिव शरण वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाल्मिकी पर बनी फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा—6 के तहत सरकार ने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को यह निर्देश जारी किया है कि फिल्म का रिकार्ड, यदि कोई हो, सरकार के पास भेजा जाये।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना स्थापित करना

[अनुवाद]

8267. श्री एच. सी श्रीकान्तय्या : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत मंगलौर में कोई परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना के अन्तर्गत अनुमानतः कितना हाट ब्रिकेट आयरन का उत्पादन किया जाएगा; और

(ग) संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत उपर्युक्त परियोजना को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवर्ष 7.5 लाख टन।

(ग) इस समय प्रस्ताव केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का ही है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने तथा निवेश संबंधी निर्णय यदि लिया जाता है तो उसके बाद ही कार्यान्वयन कार्यक्रम की स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड में मजूरी सम्बंधी समझौता

[हिन्दी]

8268. प्रो. महादेव शिवंकर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड द्वारा किए गए मजूरी सम्बंधी समझौते के बारे में सरकार को 27 दिसम्बर, 1989 को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) जी हां अभ्यावेदन में उठाये गये मुख्य मुद्दे निम्नानुसार हैं :—

(i) वेतन समझौता दिनांक 1.1.1989 के स्थान पर 1.4.1987 से प्रभावी होना चाहिए।

(ii) वेतन समझौता अन्य खनन कम्पनियों नामत: कोल, सेल आदि के समरूप होना चाहिए।

(iii) वेतन समझौते में छुट्टी, एल. टी. सी. संबंधी लाभ आदि शामिल होने चाहिए।

(iv) वेतन समझौता मान्यता प्राप्त संघ, स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन नागपुर, के साथ तय किया जाना चाहिए।

(ग) कम्पनी के खान कार्यस्थल और मुख्यालय में कुल गैर-कार्यपालक कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 9049 और 205 है। सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, मैंगनीज और (इंडिया) लि. के प्रबन्धन ने दिनांक 14.2 90 को राष्ट्रीय मैंगनीज मजदूर संघ जो खानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की बहुमत प्राप्त युनियन है, के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन कार्य स्थलों पर कार्य करने वाले 99% से भी अधिक कर्मचारियों ने इस वेतन समझौते की शर्तों के अनुसार उनके बकाया का भुगतान ले लिये हैं। शेष कर्मचारियों के संबंध में समझौते का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का देखा जाना

[अनुवाद]

8269. **श्री पी पेंचालैया :**

श्री बी. एन. रेड्डी :

डा. विश्वनाथम :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम देखे जाते है?

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन जिलों में नहीं देखे जाते हैं;

(ग) विशेष रूप से श्री काकुलम जिले के उत्तरी भाग सहित शेष जिलों तक दूरदर्शन कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(घ) इन जिलों को कब तक प्रसारण-क्षेत्र के भीतर लाये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश के सभी 23 जिले पूर्णत: या आंशिक रूप से दूरदर्शन सेवा से कवर होते हैं।

(ग) और (घ) अनन्तपुर और तिरुपति में लगाये जा रहे उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटरों

जिन्हें क्रमश: 1990 और 1991 के दौरान सेवा के लिए चालू करने का कार्यक्रम है, के चालू हो जाने पर अनन्तपुर, कुरनूल, कुडप्पा, चित्तूर और नेल्लौर जिलों में दूरदर्शन सेवा में सुधार होने की उम्मीद है। सरकार का राज्य में दूरदर्शन सेवा में शीघ्रातिशीघ्र और सुधार लाने का प्रयास है, जो इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

नशीली औषधियों और तम्बाकू के सेवन से होने वाली हानियों की जानकारी देने संबंधी नया धारावाहिक

8270. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नशीली औषधियों और तम्बाकू के सेवन से होने वाली हानियों की जानकारी (डेट) देने वाला एक नया धारावाहिक शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस धारावाहिक की अवधि कितनी होगी और इसका प्रसारण कब शुरू किया जायेगा; और

(ग) धारावाहिक की संक्षेप में प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) इस समय दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण के लिए ऐसे किसी धारावाहिक का समय नियतन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

हिसार में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

8271. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिसार में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) और (ख) हाल ही में हिसार (हरियाणा) में एक दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र और एक 10 कि. वा. ट्रांसमीटर लगाने का सिद्धान्तत: निर्णय लिया गया है जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। स्थल पर सिविल निर्माण कार्य आरंभ होने के बाद इस तरह की परियोजनाओं के पूरा होने में लगने वाला समय करीब चार वर्ष होता है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के ऋणों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज

8272. **श्री डी. एम. पुट्टे गौड़ा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "डिपोजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया" का गठन मुख्यत: इस लिए किया गया था कि वह सरकार की अनेक लोकप्रिय योजनाओं के अन्तर्गत निर्धन लोगों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए बैंकों को जमानत दे;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राष्ट्रीकृत बैंकों को यह अनुदेश जारी किया है कि वे राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के सभी ऋणों पर 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल करें, जिसे "डिपोजिट इन्श्योरेंश कारपोरेशन आफ इंडिया" के लिए शुल्क के रूप में उल्लिखित किया जाए;

(ग) क्या वसूल न हो सकने वाले ऋणों के मामले में 'डिपाजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन आफ इन्डिया" द्वारा अधिकतम 25000/- रुपये की धनराशि तक के बैंक ऋण की ही भरपाई की जाती है;

(घ) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के सभी ऋणों पर चाहे वह ऋण कितनी ही धनराशि का हो, 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है कि 25000/- रुपए से अधिक राशि के ऋणों पर 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज न लिया जाए ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम की स्थापना दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई थी। ये हैं :—बैंकों में छोटे जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना और लघु उधारकर्ताओं की कतिपय श्रेणियों को, विशेषरूप से उन्हें, जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित है, पात्र ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों के मामले में गारंटी समर्थन प्रदान करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 1989 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निम्नलिखित परामर्श दिए थे :—

(एक) बैंक, अब तक की तरह, कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों, शुद्ध उपभोक्ता ऋणों आदि के संबंध मे गारंटी शुल्क वहन करते रहेंगे।

(दो) उन अग्रिमों के मामले में, जिनमें बैंक 16 प्रतिशत अथवा अधिक ब्याज वसूल करते हैं, बैंकों को गारंटी शुल्क वहन करना होगा।

(तीन) अन्य सभी मामलों में, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधार की दर, जैसाकि गारंटी शुल्क के साथ निर्धारित किया गया गया है, चाहे उसे अलग से वसूल किया जाए अथवा न किया जाए, 16 प्रतिशत से अधिक न हो।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त अनुदेश समस्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों पर लागू होते हैं और इन्हें पहली अप्रैल, 1989 से लागू किया गया था।

2. निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम ने पहली अप्रैल, 1989 से 1.5 प्रतिशत वार्षिक की एक समान बढ़ी हुई गारंटी शुल्क दर लागू करने का निर्णय लिया है। अलबत्ता, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तब तक 0.75 प्रतिशत वार्षिक की दर पर गारंटी शुल्क अदा करते रहेंगे जब तक वे लघु ऋण गारंटी योजना में अपने शामिल होने के 5 वर्ष पूरे

नहीं कर लेते और इसके बाद वे 1.5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर गारंटी शुल्क अदा करेंगे जैसाकि वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है।

3. योजना के अंतर्गत निर्धारित ऋण के आकार अथवा मुद्रागत अधिकतम सीमा के अनुसार, इस समय निगम के पास दावे की देनदारी गैर-उद्योग क्षेत्र की योजनाओं के लिए चूक की रकमों का 60 प्रतिशत और लघु उद्योग के लिए चूक की रकमों के 60 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक है। पहली अप्रैल, 1989 से प्रभावी किसानों एवं खेतिहरों, खुदरा व्यापारियों और परिवहन परिचालकों आदि जैसे उधारकर्ताओं की श्रेणियों के लिए, छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित योजना के लिए निगम के दावे की देनदारी की प्रयोजन-वार मुद्रागत अधिकतम सीमा 10,000/- रुपये से 1,50,000/- रुपये तक अलग-अलग है। पहली अप्रैल, 1989 से प्रभावी, लघु ऋण गारंटी योजना 1981 के अंतर्गत, लघु उद्योग के लिए निगम के दावे की देनदारी की मुद्रागत अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है।

पूर्ति विभाग का विकेन्द्रीकरण

8273. **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्ति विभाग को बन्द करने का है;

(ख) क्या बड़े पैमाने पर खरीदारी करने वाले इस संगठन को बन्द करने का निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न मंत्रालयों के विचार मांगे गये थे;

(ग) यदि हां, तो मंत्रालयों विशेषकर रेलवे, रक्षा आदि प्रमुख क्रेता मंत्रालयों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस समय विदेशों में 'सप्लाई मिशन' कहां-कहां है और इनके भावी ढांचे के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्ररंगिल श्रीधरन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

(घ) भारतीय पूर्ति स्कंध (आई. एस. डब्लू), भारतीय उच्चायोग, लन्दन में और भारतीय दूतावास, वाशिंगटन में स्थित हैं। कई वर्षों से इन दोनों स्कंधों द्वारा किए जाने वाले कार्य में उत्तरोत्तर कमी आई है। इनको बनाए रखने की आवश्यकता के संबंध में सरकार द्वारा सक्रिय रूप से समीक्षा की जा रही है।

उड़ीसा में पर्यटन की क्षमता

8274. **श्री प्रभाथि चरण दास** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा का पर्यटन उड़ीसा के तटवर्ती जिलों पर निर्भर करता है जहां पर्यटन की काफी क्षमता विद्यमान है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को यह जानकारी भी है कि उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर के भीतर विकास-संबंधी कार्यकलापों पर रोक लगा दी गई है तथा उड़ीसा सरकार को उड़ीसा के सम्पूर्ण तटवर्ती क्षेत्र के लिए, जिसके कारण इस राज्य में पर्यटन को धक्का लगा है, पर्यावरण प्रबंध योजना तैयार करने का अनुदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा समुद्र-तट पर विकास-संबंधी कार्यकलापों की अनुमति देने के लिए परियोजनाओं को मंजूरी देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के समुद्रतटों पर पर्यटन की अत्यधिक सम्भावनाएं हैं।

(ख) और (ग) पुरी कोणार्क समुद्रतट पर विकास संबंधी कार्यकलापों को शुरू करने के लिए उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर के भीतर निर्माण करने सम्बन्धी रोक में ढील देकर 200 मीटर कर दिया गया है। तथापि, प्रत्येक समुद्रतट विहार-स्थल परियोजना के मामले में पर्यावरण की दृष्टि से इस प्रयोजनार्थ गठित अन्तर-मंत्रालय समिति की मार्फत अलग-अलग मामलों में अनुमोदन प्राप्त करना होता है। सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि परियोजनाओं का यथाशीघ्र अनुमोदन प्रदान कर दिया जाए। राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि समुद्रतटों को प्रदूषण से रक्षा करने के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, तटवर्ती प्रबंध योजना तैयार की जाए। इससे राज्य में पर्यटन को धक्का नहीं लगेगा। समुद्रतट विहार स्थलों के योजनाबद्ध विकास से इस क्षेत्र की सुन्दरता बढ़ेगी और इससे पर्यावरण का परिरक्षण तथा संवृद्धि होगी जो पर्यटन विकास में सहायक है।

बैंकिंग कार्य में सांसदों का योगदान

8275. **श्री आर. जीवरत्नम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी शाखाओं को इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि वे बैंकों में सभी समारोहों जैसे नई शाखाएं खोलने, नए बैंक भवन में स्थानांतरित होने, विभिन्न कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित करने और अन्य राष्ट्रीय तथा खेल समारोहों के अवसर पर स्थानीय सांसद को आमंत्रित करें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे नई शाखाओं, नए परिसरों आदि के उद्घाटन के समय आयोजित सरकारी समारोहों में स्थानीय संसद सदस्यों को शामिल करें।

कानूनी सहायता और लोक अदालत अधिनियम

8276. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले से ही पारित कानूनी सहायता और लोक अदालत अधिनियम लागू किए जाने की सम्भावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान लोक अदालतों के माध्यम से राज्यवार अपराध, सिविल, श्रम औद्योगिक, दुर्घटना के दावों से संबंधित अलग-अलग कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) क्या सरकार का राजस्व और प्रशासनिक विवादों के मामलों को लोक अदालतों के अन्तर्गत शामिल करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) सरकार विधिवत सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में संशोधन करने के लिए इसी सत्र में एक विधेयक पुर: स्थापित करने पर विचार कर रही है और अधिनियम को तभी प्रवृत्त किया जाएगा जब संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है ।

(ख) देश में लोक अदालत आंदोलन मोटे तौर पर सन् 1985 के अंत में प्रारंभ किया गया था । विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश के विभिन्न भागों में 20.51 लाख मामलों से भी अधिक मामले 3468 लोक अदालतों में निपटाए गए है जिनमें से 64,505 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों से पता चलता है ।

(ग) लोक अदालत. परस्पर सहमति और समन्वय के तरीके से विवादों को तय करने के लिए स्वैच्छिक प्रयास के परिणाम हैं । लोक अदालतें जिस प्रकार के मामलों के संबंध में कार्यवाई कर रही हैं उनके अंतर्गत, सिविल, दांडिक और राजस्व, मोटर दुर्घटना दावों के मामले, बंधुआ मजदूरों के मामले, कुटुम्ब विवाद, श्रमिक विवाद, न्यूनतम मजदूरी से संबंधित मामले और कर्मकार प्रतिकर से संबंधित मामले हैं । लोक अदादलतों के कार्यक्षेत्र का विस्तार चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है ।

विवरण

लोक अदालतों द्वारा तय किए गए मामलों, जिनके अन्तर्गत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संबंधी मामले भी है, की राज्यवार संख्या को दर्शित करने वाला विवरण (यह विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है)

क्रम सं.	राज्य का नाम	तय किए गए मामलों की कुल संख्या	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संबंधी तय किए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,2[illegible],713	8,284
2.	असम	2,335	554
3.	बिहार	27,773	172
4.	गोवा	513	384

1	2	3
5. गुजरात	56,040	11,721
6. हरियाणा	69,192	2,742
7. कर्नाटक	21,341	13,753
8. मध्य प्रदेश	3,94,476	2,895
9. महाराष्ट्र	21,051	4,844
10. मणिपुर	475	65
11. उड़ीसा	1,55,655	3,417
12. राजस्थान	3,45,154	3,975
13. सिक्किम	10	—
14. तमिलनाडु	1,927	1,927
15. त्रिपुरा	156	68
16. उत्तर प्रदेश	8,25,814	5,748
17. पश्चिमी बंगाल	668	668
18. चण्डीगढ़	98	74
19. दिल्ली	4,561	2,994
20. पांडिचेरी	326	320
	20,51,278	64,505

पर्यटक आवासों/होटलों का निर्माण

8277. **श्री प्रतापराव बी. भोसले :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्यवर्गीय लोगों के लिए देश में कुछ पर्यटन आवासों और होटलों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 30 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक आवास होटल में ये प्रभार स्पष्टरूप से दर्शाए जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पर्यटक गृहों, पर्यटक परिसरों, यात्री निवासों, और समुद्रतट-कुटीरों, आदि का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत ऐसी स्कीमों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सहायता से निर्मित पर्यटक गृहों और अन्य सुविधाओं की प्रबन्ध-व्यवस्था राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों द्वारा की जाती है। यात्री निवासों की स्कीम में ठहरने तथा वहां उपलब्ध अन्य सुविधाओं के प्रभारों को प्रदर्शित करना शामिल है।

विवरण

(लाख रुपयों में

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1.	नागार्जुनसागर में आवास सहित अल्पाहार-गृह का निर्माण	23.70
1.	रामप्पा में अतिरिक्त आवास का निर्माण	20.81
2.	पाखल में अतिरिक्त आवास का निर्माण	2.33
4.	ऋषिकोण्डा में छः सिंगल बैड रूम और छः डबल बैड रूम वाली कुटीरों का निर्माण	20.80
5.	हैदराबाद में यात्री निवास	25.29
6.	पुलिकट झील में कुटीर परिसर का विकास	13.48
7.	ऋषिकोण्डा में कुटीरें	पहले से चली आ रही परियोजना
8.	तायवांग में 20 बैड पर्यटक गृह और सांस्कृतिक परिसर का निर्माण	21.09
9.	परशुराम कुण्ड में पर्यटक परिसर का निर्माण	13.80
10.	मानस में वनगृह	26.55
11.	भारत में वनगृह	पहले से चली आ रही

1	2	3
12.	समागुरी झील में पर्यटक परिसर के निर्माण की व्यवस्था	14.90
13.	नालन्दा में पर्यटक बंगला	25.00
14.	गोपालगंज में पर्यटक बंगला	25.00
15.	बेतला में वन गृह	पहले से चली आ रही
16.	मिरामर समुद्रतट पर यात्री निवास का निर्माण	28.70
17.	अहमदपुर माण्डवी समुद्रतट पर हवेली कुटीर	21.02
18.	बुलसर जिला, नारगोले में 25 समुद्रतट कुटीरों का निर्माण	20.17
19.	डाकोर में यात्री निवास का निर्माण	41.20
20.	तिथल में कुटीरों का निर्माण	12.62
21.	पावागढ़ में शयनागर आवास का निर्माण	14.76
22.	सपुतारा पर्वतीय विहार-स्थल पर 5 "ए" टाइप और 5 "बी" टाइप कुटीरों का निर्माण	15.96
23.	कुरुक्षेत्र में यात्री निवास का निर्माण	49.69
24.	दमदमा में पर्यटक परिसर	45.00
25.	उचना झील में फेमिली हाट्स का निर्माण	5.54
26.	बहादुरगढ़ में पर्यटक परिसर	19.07
27.	सूरजकुण्ड में बहुउद्देश्य पर्यटक परिसर	40.20
28.	दमदमा में पर्यटक परिसर	पहले से चली आ रही
29.	गुहाना में पर्यटक परिसर	14.12
30.	सरहन में ट्रेकर्स हट्स का निर्माण	18.00
31.	चामुण्डा देवी में सराय का निर्माण	6.28
32.	हटकोटी और चिन्तपूर्णी में पर्यटक गृह निर्माण	20.00
33.	सुकेती में आवास	9.71
34.	मनाली में पर्यटक होस्टल	38.00
35.	हिमाचल प्रदेश में ट्रैकर्स हट्स	15.00

1	2	3
36.	किलांग लेह मार्ग पर हट्स का निर्माण	1.88
37.	पैदल-भ्रमण के लिए टैंट	4.80
38.	जम्मू में यात्री निवास	46.14
39.	गुलमर्ग में यात्री निवास	46.00
40.	पहलगाम में यात्री निवास	31.18
41.	कालीगुन्द में आवास	21.14
42.	पर्यटक विश्राम गृह का निर्माण	32.46
43.	मैसूर में यात्री निवास	36.02
44.	बदामी में टूरिस्ट होम	20.48
45.	मेला कमानाहाली में पर्यटक परिसर	10 24
46.	परम्बिकुलम में वन गृह	12.41
47.	विवलान में यात्री निवास	35.35
48.	त्रिवेन्द्रम में यात्रीं निवास	26.43
49.	कोचीन में यात्री निवास	35.00
50.	त्रिचूर	29.95
51.	नेय्यार बांध पर वन गृह का निर्माण	13.54
52.	कन्नानोर में यात्री निवास का निर्माण	पहले से चली आ रही
53.	एथिरापल्ली में पर्यटक विहार-स्थल	11.89
54.	देओरि गांव में आवास सहित मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण	13.71
55.	जगदलपुर में पर्यटक परिसर का निर्माण	31.86
56.	ओरछा के पास फिशिंग हट्स	6.44
57.	गणपतिफुले में कटीरें	8.77
58.	शेगांव में यात्री निवास	25.98
59.	मोएरंग में पर्यटक विश्राम गृह आई एन ए स्मारक परिसर	14.98
60.	मोएरंग में पर्यटक विश्राम गृह आई एन ए स्मारक परिसर	पहले से चली आ रही परियोजना

1	2	3
61.	मोरेह, तमेंगलांग और नुंगबा में टूरिस्ट होम्स का निर्माण	25.02
62.	जिरिबम में टूरिस्ट होम का निर्माण	15.92
63.	तुरा में यात्री निवास	39.87
64.	एजवाल में यात्री निवास	30.13
65.	चम्फाई में पर्यटक गृह	18.30
66.	कोहिमा में यात्री निवास	37.73
67.	दोघा में पर्यटक गृह	40.17
68.	दार्जिलिंग में यात्री निवास	47.39
69.	गदियारा में कुटीर ब्लाक	23.10
70.	शान्तिनिकेतन में पर्यटक आवास	38.75
71.	कन्याकुमारी में 8 समुद्रतट कुटीरों का निर्माण	13.36
72.	रामेश्वरम में आवास सहित पर्यटक स्वागत केन्द्र	18.45
73.	कांचीपुरम में पल्लवपुरा पयटक परिसर	20.00
74.	कांचीपुरम में यात्री निवास	34.00
75.	नागापट्टीनम् में यात्री निवास	37.27
76.	मदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण में वन गृह	21.32
77.	कूड्डालोर में पर्यटक परिसर और नौकायन सुविधाएं	25.21
78.	येराकुद में नौकायन सुविधाओं सहित पर्यटक परिसर	26.76
79.	अगरतला में यात्री निवास	41.52
80.	बन्धुन में पर्यटक गृह	4.91
81.	श्रावस्ती में पर्यटक बंगला	63.00
82.	मथुरा में पर्यटक बंगला	63.00
83.	गढ़वाल क्षेत्र के लिए फाइबर ग्लास हट्स	33.75
84.	इलाहाबाद में यात्री निवास	29.24
85.	धनगढ़ी में वन गृह	33.27

1	2	3
86.	कोसी में पर्यटक परिसर	39.13
87.	पांडिचेरी में यात्री निवास	28.92
88.	सतपदा में यात्री निवास	26.50
89.	कोणार्क में यात्री निवास	29.25
90.	रोपड़ में आवास का निर्माण	16.34
91.	सिरहिन्द में आवास का निर्माण	4.60
92.	करतारपुर में आवास का निर्माण	2·85
93.	हरी-के-पाटन में लाग हट्स	3.70
94.	माधोपुर हैड वर्क्स यू एस डी एल गुरदासपुर में 4 लॉग हट्स	2.75
95.	फगवाड़ा में आवास	3.70
96.	जालन्धर में यात्री निवास	23.97
97.	दसुआ में पर्यटक परिसर	8.45
98.	भटिंडा में पर्यटक परिसर	8,45
99.	होशियारपुर में पर्यटक परिसर	18.83
100.	मोंगा में पर्यटक परिसर	10.00
101.	गुरदासपुर में पर्यटक परिसर	10.50
102.	पटियाला में टूरिस्ट मोटल	49.85
103.	पुष्कर में पर्यटक परिसर	13.84
10.4	बेहरोर में पर्यटक परिसर	17.60
105.	चित्तौड़गढ़ में पन्ना पर्यटक बंगले के पास 13 कमरों वाले विंग का निर्माण	13.50
106.	जिला सीकर, फतेहपुर में पर्यटक बंगले का निर्माण	16.90
107.	झालवाड़ में पर्यटक बंगला	10.85
108.	ट्रैकर्स हट्स का निर्माण	15.86
109.	रंगपो में पर्यटक परिसर	38.96
110.	गंगतोक में यात्री निवास	36.52

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विदेशी मुद्रा पकड़ा जाना

8278. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल में 6.3 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा बरामद की है, है, जिसके सम्बन्ध में कुछ वर्ष पूर्व स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर में विनियोजन किए जाने का आरोप था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का आगे और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) जी, हां, केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने सूचित किया है कि दिनांक 27.4.9 क मामला संख्या 6 (क)/90-के. ई. आर. को दर्ज करने के पश्चात् स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर क काड़क्कावूट शाखा उसके भूतपूर्व प्रबन्धक के घर दिनांक 9.3.90 को तलाशी ली गई और इसके परिणामस्वरूप 128 आपत्तिजनक दस्तावेजों के अतिरिक्त 6.3 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। बैंक ने प्रबन्धक को निलम्बित कर दिया है।

औद्योकि देशों को निर्यात में कमी

8279. श्री महादीपक सिंह शाक्य :
श्री शंकर सिंह बघेला :
श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक देशों को भारतीय निर्यात में वर्ष 1985-88 के दौरान वर्ष 1982-85 की तुलना में गिरावट आई है जैसा कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग व्यापार मण्डल के अध्ययन से पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इन देशों के लिए निर्यात पर अधिक जोर देने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्धनों को कानूनी सहायता

8280. डा. वेंकटेश काबडे : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "निर्धनों के लिए कानूनी सहायता" योजना की पुनरीक्षा करने के लिए कोई दल बनाया गया है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रम के मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले हैं, और

(घ) सरकार ने निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) "निर्धनों के लिए विधिक सहायता" सम्बन्धी स्कीम के कार्यकरण की अखिल भारतीय स्तर पर अभी तक कोई औपचारिक समीक्षा नहीं की गई है। विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति का गठन सितम्बर, 1980 में किया गया था किन्तु इसे कार्य आरम्भ करने में कुछ समय लगा। आरम्भिक वर्षों में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बोर्डों के गठन तथा सम्बन्धित समस्याओं के निपटारे के लिए किसी सामान्य दृष्टिकोण के उपबन्धित किए जाने पर अधिक बल दिया गया था : वर्ष 1985 से क्रियाकलाप में तेजी आई और मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत पद्धति को स्वीकार कर लिया गया विधिक सहायता कार्यक्रम में, जिसके अन्तर्गत लोक अदालतें भी हैं, प्रायः विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के कार्यपालक अध्यक्ष और अन्य अधिकारी उपस्थित होते हैं। अतः विधिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन और देश के विभिन्न भागों में आयोजित लोक आदलतों के कार्यकरण तथा उपलब्धियों के बारे में निरन्तर जानकारी प्राप्त होती रहती है। सरकार, कालान्तर में इसकी समीक्षा करेगी।

(ग) विधिक सहायता स्कीम के कार्यान्वयन की समिति द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम दो प्रकार के हैं :—

(क) न्यायालयोन्मुख मुकदमेबाजी, और

(ख) निरोधक या पद्धतिआत्मक विधिक सहायता कार्यक्रम।

न्यायालयोन्मुख मुकदमेबाजी के अधीन समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को, जिनकी सभी स्रोतों से आय, मुंसिफ और उच्च न्यायालयों के मामलों में, कुल मिलाकर 6000 रुपए प्रतिवर्ष से और उच्चतम न्यायालय के मामले में 9000 रुपए प्रतिवर्ष अधिक नहीं है, निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जाती है। आय की यह अधिकतम सीमा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रवृत्त होने पर उच्च न्यायालयों के मामलों में 9000 रुपए और उच्चतम न्यायालय के मामलों की दशा में 12000 रुपए तक बढ जाएगी। आय संबंधी उक्त सीमा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, खानाबदोश जनजातियों और विमुक्त जातियों के व्यक्तियों, महिलाओं और बालकों के मामले में लागू नहीं होती है।

मसाला उत्पादकों को प्रोत्साहन

8281. **श्री बाई. एस. महाजन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान मसालों का कितनी मात्रा में आयात किया गया और इसका कुल मूल्य कितना है;

(ख) मसालों के देश में उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या मसालों के उत्पादन हेतु उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई प्रोत्साहन योजनायें हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

नैनीताल बैंक लिमिटेड में धोखाधड़ी

[हिन्दी]

8282. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन नैनीताल बैंक लिमिटेड के कुछ अधिकारियों को गबन के आरोप में नौकरी से बरखास्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उन्होंने कितनी धनराशि का गबन किया;

(ग) बैंक ऑफ बड़ौदा ने नैनीताल बैंक लिमिटेड का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में किस तारीख से लिया था; और

(घ) बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रशासनिक नियंत्रण में आने के बाद नैनीताल बैंक लिमिटेड में कितनी रकम का गबन किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) नैनीताल बैंक लि. एक स्वतंत्र बैंकिंग कम्पनी है और बैंक आफ बड़ौदा ने उसे अपने अधिकार में नहीं लिया है। अलबत्ता, बैंक आफ बड़ौदा के नैनीताल बैंक लिमिटेड में कुछ शेयर हैं।

नैनीताल बैंक लि. ने सूचित किया है कि उसने किसी अधिकारी को गबन के मामले में बरखास्त नहीं किया है। तथापि बैंक ने पिछले ग्यारह वर्षों में तीन अधिकारियों की सेवाएं विभिन्न कारणों से समाप्त की थीं।

अखबारी कागज के मूल्यों की समीक्षा

[अनुवाद]

8283. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्य को कम करने के लिए इसके मूल्यों की समीक्षा करने एवं इसकी गुणवत्ता में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा;

(ग) क्या सरकार का अखबारी कागज के आयात को खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखने तथा इसे समाचार पत्रों के प्रकाशकों को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वितरित करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) और (ख)

स्वदेशी अखबारी कागज की कीमतों पर सरकार का कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। जहां कहीं सम्भव होता है इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है।

(ग) खुले सामान्य लाईसेंस के अन्तर्गत अखबारी कागज को रखने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान में राज्य व्यापार निगम कैनेलाईजिंग ऐजेंसी है जो अखबारी कागज का आयात वितरण करती है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारतीय उद्योग को एशियाई विकास बैंक से सहायता

8284. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने भारतीय उद्योगपतियों के लिए पांच ऐसे नए क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें एशियाई विकास बैंक की वित्तपोषित परियोजनाओं में भाग ले सकते हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे भारतीय उद्योग में उत्पादन वृद्धि में कहां तक सहायता मिलेगी; और

(घ) इन्हे कुल कितनी धनराशि का वित्तपोषण किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा नहीं होते।

रबड़ का मूल्य

8285. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**
श्री जी. एस. बासवराज :
क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी भारत रबड़ सामान निर्माता संघ ने रबड़ के ऊंचे मूल्यों पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ ने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) सरकार का नार्दर्न इण्डिया रबड़ गुड्स मेन्युफेक्चरेर्स एसोसिएशन से कोई अभिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि सरकार रबड़ के उपभोक्ता उद्योगों को यथोचित मूल्य पर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा साथ ही साथ रबड़ के उत्पादकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठा रही है।

चाय का आयात

8286. **श्री एस. कृष्ण कुमार :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू मांग पूरी करने के लिए चाय का आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणाचलम): (क) घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चाय के आयात का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिक्यूरिटीज एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया

8287. श्री पी. नरसा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिक्यूरिटीज एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया को सक्षम बनाने और वित्तीय संस्थाओं के संचालन के लिए मानदण्ड घोषित करने हेतु कोई विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कानून को कब से लागू किया जाएगा; और

(ग) इसकी मुख्य बातें क्या-क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विधान तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और इसके पारित हो जाने पर इसे क्रियान्वित करने का विचार है।

निर्यात संवर्धन बोर्ड द्वारा निर्यात के लिए प्रोत्साहन

8289. श्री बसंत साठे :

श्री एम. एम. पल्लम राजू :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1990 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स में "ई. पी. बोर्ड्स मस्ट प्रोवाइड बेटर इन्सेंटिव्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मुख्य टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) छः निर्यात-संवर्धन बोर्ड (ई. पी. बोर्ड) में एकमुश्त आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात संवर्धन बोर्डों के कार्य की समीक्षा की गई है।

लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय

[हिन्दी]

8290. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास बैंक के मुख्यालय को लखनऊ में खोलने का आदेश जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या उक्त मुख्यालय को खोलने के लिए पहले कोई तारीख निश्चित की गई थी और यदि हां, तो इस मुख्यालय को वहां न खोलने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस कार्यालय को अब लखनऊ से अन्यत्र ले जाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पूरे देश में स्थित अपने विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से दिनांक 2 अप्रैल, 1990 से अपना परिचालन शुरू कर दिया है। जहां तक नये बैंक के प्रधान कार्यालय का संबंध है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान विद्यमान है :

"लघु उद्योग विकास बैंक का प्रधान कार्यालय लखनऊ अथवा किसी ऐसे स्थान पर होगा जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"

(घ) और (ङ) सरकार का भारतीय लघु विकास बैंक के प्रधान कार्यालय का स्थान लखनऊ से बदलने का प्रस्ताव नहीं है।

आंतरिक ऋण जाल

8291. श्री चित्त बसु : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य आंतरिक ऋण जाल में फंस गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) राज्य सरकारें मुख्य रूप से नये उधारों में से अपने ऋण वापसी दायित्व को पूरा करती रही हैं। नौवें वित्त आयोग ने 31.3.1989 की स्थिति के अनुसार राज्यों की ऋण स्थिति की समीक्षा की है और कई ऋण राहत उपायों की सिफारिश की है जिसमें राज्य सरकारों पर बकाया कुछ ऋणों की वापसी के लिए संशोधित कार्यक्रम बनाना/बट्टे-खाते डाले जाने, राज्य योजना के लिए भावी केन्द्रीय ऋणों की परिपक्वता अवधि को दीर्घरूपता दिया जाना आदि सम्मिलित हैं। आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख उस व्याख्यात्मक ज्ञापन में किया गया है जो पहले ही आयोग की रिपोर्ट के साथ सभा-पटल पर रखा जा चुका है।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में टी. वी. टावर

8292. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में टी. वी. दर्शक केवल राष्ट्रीय कार्यक्रमों को ही देख पाते हैं तथा कलकत्ता से प्रसारित होने वाले स्थानीय बंगाली कार्यक्रमों को नहीं देख पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री संसदीय कार्य तथा मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ग) प्रादेशिक सेवा रिले करने के लिए माईक्रोवेव सर्किटों के माध्यम से संबंधित राज्य के राजधानी स्थित केन्द्रों से अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को जोड़ना लागत की दृष्टि से कारगर नहीं समझा गया है। अतः खड़गपुर और मिदनापुर स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, राज्य के अन्य अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की तरह उपग्रह के जरिए दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रम रिले करते हैं।

आवास ऋण वित्तीय संस्थाओं द्वारा जनता से प्राप्त जमा धनराशि की अधिकतम सीमा

[हिन्दी]

8293. **श्रीमती कृष्णा शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग निर्देशों के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1989 से पहली बार आवास ऋण वित्तीय संस्थाओं द्वारा जनता से प्राप्त जमा धनराशि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत आवास ऋण वित्तीय सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अधिक सीमा को हटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आवास वित्त कम्पनियों द्वारा जनता से ली जाने वाली जमाराशियों की मात्रा पर अधिकतम सीमा 1 अप्रैल, 1989 से निर्धारित की गई है। अधिकतम सीमा का निर्धारण इस लिए आवश्यक समझा गया क्योंकि जनता की जमाराशियां गैर-जमानती होती हैं और अतः अप्रतिबन्धित सीमा का व्यवहार्य नहीं पाया गया। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिनांक 26 जून, 1989 को जारी अनुदेश वसे ही थे जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किये थे जिसमें जमाराशियों की मात्रा पर अधिकतम सीमा को नियंत्रित करने वाले प्रावधान, अवधि, अधिकतम ब्याज दर, देय दलाली, नकद परिसम्पत्तियों का रखना, विज्ञापन नियमों का अनुपालन, विवरणियों तथा तुलन पत्रों को प्रस्तुत करना शामिल हैं। नियंत्रण संबंधी इन उपायों का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। जनता की जमाराशियों पर लगी अधिकतम सीमा को हटाना बुद्धिमानी नहीं होगी क्योंकि बेहिसाब, अनारक्षित जनता की जमाराशियां इन कम्पनियों को वित्तीय बन्धन में डाल सकती है।

बघेलखंड के तत्कालिक बैंक के कर्मचारियों को पेंशन

[अनुवाद]

8294 श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ बघेलखंड जो तात्कालिक रीवा रियासत की सरकार (अब मध्य प्रदेश में) का एक उपक्रम था, रियासत की समाप्ति के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी तरह अधीगृहीत कर लिया गया था और इस प्रकार उसकी परिसम्पत्ति, देनदारियां और उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार के अधीन हो गई;

(ख) क्या बैंक आफ बघेलखंड के पेंशन-भोगियों को सेवा निवृत्ति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार सिविल पेंशन नियम का लाभ मिलता था;

(ग) क्या बैंक आफ बघेलखंड के पेंशन भोगियों को दिसम्बर, 1988 तक केन्द्रीय सरकार के पेंशन-भोगियों को देय न्यूनतम पेंशन अदा की गई थी और उसके बाद उसे घटाकर मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को देय न्यूनतम धनराशि के बराबर कर दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिणी भाग में पर्यटकों का आना

8295. श्री वामनराव महाडीक : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगातार गड़बड़ी रहने के कारण स्वदेशी और पर्यटक दक्षिण तथा देश के अन्य भागों की तरफ आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण भारत में पर्यटकों के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किये गये हैं और मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए क्या विशेष प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) क्या इन बदली हुई परिस्थितियों में विदेशी मुद्रा अर्जन पर कोई प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो कितना ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) दक्षिणी राज्यों की यात्रा करने वाले स्वदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है ऐसा देश के दक्षिणी भागों के लिए किये गये संवर्धनात्मक प्रयासों सहित अनेक कारणों के मिले-जुले प्रभाव से हुआ है।

(ख) पर्यटन आधार-संरचना में सुधार करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है, केन्द्र सरकार, राज्यों से मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) जी, नहीं।

पैट्रोल की खपत में किफायत के लिए स्टाफ कारों का उपयोग

8296. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों की स्टाफ कारों की पेट्रोल संबंधी मासिक खपत के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान हुई पेट्रोल की खपत का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार किफायत के उपायों के रूप में इन कारों का उपयोग केवल उन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के वास्ते करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, जिनके लिए इन कारों को रखा गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकारी विभागों में स्टाफ कारों का प्रयोग स्टाफ कार नियमों द्वारा शासित होता है। इसके अलावा जब भी आवश्यकता होती है बेहद किफायत बरतने और स्टाफ कारों के प्रयोग पर फिजूल खर्ची को रोकने के लिए और हिदायतें जारी की जाती हैं।

मोदी रबड़ लिमिटेड का प्रबंधन

8297. श्री बंसी लाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों जैसे विभिन्न सरकारी वित्तीय संस्थानों के मोदी रबड़ लिमिटेड मोदीपुरम में पचास प्रतिशत से अधिक शेयर हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राइवेट प्रबंधन को इस कम्पनी के प्रशासन को चलाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने कम्पनी के प्रबंधन द्वारा इस धनराशि के किसी भी प्रकार से दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं या करने का विचार है ताकि वित्तीय संस्थानों को घाटा न हो ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सूचित किया गया है कि वित्तीय संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास सम्मिलित रूप से मोदी रबड़ लिमिटेड की कुल शेयर पूंजी के लगभग 51 प्रतिशत शेयर हैं। प्रथा और रिवाज के अनुसार ऐसी औद्योगिक कम्पनियों का प्रबन्धन सामान्यतः इनके मूल प्रवर्तकों के पास होता है जिनकी इन कम्पनियों की शेयर पूंजी में पर्याप्त धनराशि लगी होती है।

(ग) उपर्युक्त वित्तीय और अन्य नियमित अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के बोर्ड का गठन इस प्रकार किया गया है कि इस बोर्ड का अध्यक्ष एक स्वतन्त्र व्यक्ति है और उसमें पर्याप्त संस्थागत प्रतिनिधित्व भी है। इसके अतिरिक्त एक प्रबन्ध समिति का गठन किया है जिसमें एक स्वतन्त्र अध्यक्ष और संस्थागत नामिती हैं। बोर्ड की एक लेखा परीक्षा उप समिति भी है जिसमें स्वतन्त्र निदेशक और संस्थागत नामिती है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने आगे सूचित किया है कि मोदी रबड़ लिमिटेड द्वारा एक स्वतन्त्र व्यावसायिक पूर्णकालिक वित्तीय निदेशक की नियुक्ति की गई है।

ऋणों पर ब्याज

8298. श्री एम. बागा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण देने तथा इसकी अदायगी करने के सम्बन्ध में कोई ऐसा सामान्य सिद्धान्त है कि किसी भी स्थिति में ब्याज की राशि मूलधन की राशि से अधिक न हो; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस नियम का पालन करने के लिए सभी राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश जारी हैं किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि कृषि अग्रिमों की वर्तमान देय रकमों के ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए। जब कृषि प्रयोजनों के लिए मन्जूर किए गए फसल ऋण अथवा सावधि ऋणों के अन्तर्गत किस्तें अतिदेय हो जाती हैं, तब बैंक बकाया ब्याज मूलधन में जोड़ सकते हैं और ब्याज पर ब्याज लगा सकते हैं। तथापि, लघु एवं सीमांतिक किसानों को मन्जूर किए अल्पावधिक ऋणों के सम्बन्ध में किसी खाते में नाम डाला गया कुल ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात का निर्यात

8299. श्री गंगा चरण लोधी :
श्री वाई. एस. राज शेखर रेड्डी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने वर्ष 1989-90 के दौरान इस्पात का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने वर्ष 1990-91 के दौरान इस्पात का उत्पादन लक्ष्य कितना रखा है,

(ग) क्या सरकार लौह-अयस्क की बजाय इस्पात का निर्यात करने हेतु एक नई नीति तैयार करने पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि. द्वारा निर्यात की गई इस्पात की कुल मात्रा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :—

वर्ष	मात्रा (हजार टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1989-90	166.6	115.15

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए सेल द्वारा निर्धारित विक्रय इस्पात का उत्पादन लक्ष्य 7776,000 टन है।

(ग) और (घ) यद्यपि सरकार का विचार है कि मात्र लोह अयस्क के निर्यात करने के बजाए भविष्य में मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

पंजाब को लघु अवधि के ऋण

8300. श्री कमल चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान पंजाब को कितनी धनराशि का वार्षिक अनुदान और कितनी राशि का लघु अवधि का ऋण स्वीकृत किया गया;

(ख) क्या पंजाब को स्वीकृत लघु अवधि के ऋण और वार्षिक अनुदान की धनराशि गत कुछ वर्षों से घटती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय आवंटन में कमी के क्या कारण है;

(घ) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पंजाब की वित्तीय आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) वाणिज्यिक बैंक राज्य सरकारों को अनुदान अथवा ऋण नहीं देते हैं। पंजाब की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य में उधारकर्ताओं को बैंक ऋण की स्वीकृति के मामले में, कुछ विशेष रियायतें देने का निर्णय लिया गया है। इन रियायतों में, ऋण में 15 प्रतिशत तक की तदर्थ बढोतरी, मार्जिन राशि में कमी ताकि वह 15 प्रतिशत से अधिक न हो, बिल जारी करने की अवधि में बढोतरी, सावधि ऋणों की किस्तों की वापसी अदायगी को, पात्र मामलों में, एक वर्ष तक बढाना तथा मांग-ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, बैंकर चेक और अन्य प्रेषणों के सेवा प्रभार में 50 प्रतिशत की कमी शामिल हैं। अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1 जून, 1986 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान पंजाब में एककों द्वारा ली गई ऋण सीमा की कुल रकम में 190.60 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। यह 1.6.1985 से 31 मई, 1986 के दौरान हुई। 15.43 करोड़ रुपये की मन्जूर की गई सीमा के अति-

रिक्त है। पंजाब में उधारकर्ताओं को मन्जूर रियायत की अवधि को 31 मार्च, 1991 तक बढा दिया गया है।

उड़ीसा में नौरंगपुर और मलकानगिरि में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना

8301. **श्री के प्रधानी : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने एक नौरंगपुर में और दूसरा मलकानगिरि में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कबतक कार्यान्वित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि उड़ीसा के कोरापुट जिले में तीन अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर अर्थात कोरापुट, जेपोर और रायागढ में एक-एक ट्रांसमीटर और सुनाबेड़ा में एक दूरदर्शन ट्रांसपोजर पहले से ही कार्यरत है। तथापि, भवानीपटना के कार्यान्वियनाधीन उच्च शक्ति (10 कि. वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के सेवा के लिए चालू हो जाने से जिले में दूरदर्शन सेवा सुदृढ हो जाने की उम्मीद है। कोरापुट जिले के कवर न हुए बाकी भागों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार, आठवीं योजना के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

स्वदेशी ऋण

8302. **श्री इरा अन्बारासु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने देश के लोगों से कुल कितनी धनराशि का ऋण लिया था; और

(ख) ऋण की राशि कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) केन्द्रीय सरकार का 31 मार्च, 1990 के अन्त तक कुल बकाया आन्तरिक ऋण व अन्य आंतरिक देयताएं 538096 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ख) सरकार का हमेशा यह प्रयास रहता है कि ऋण देयताएं उचित सीमाओं और उनकी ऋण परिशोधन क्षमता के भीतर ही रहें। सरकार राजस्व प्राप्तियों को बढाने और आयोजना-भिन्न व आयोजना दोनों ही लेखों के अन्तर्गत अपने व्यय को कम करने के लिए भी कदम उठा रही है, ताकि ऋणों की आवश्यकता को कम किया जा सके।

सहरसा जिले, बिहार में दूरदर्शन प्रसारण क्षमता बढ़ाना

[हिन्दी]

8303. **श्री सूर्यनारायण यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सहरसा जिले में दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रम पूरे जिले के दर्शकों के लिए प्रसारित नहीं किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस केन्द्र की प्रसारण क्षमता बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बढ़ायी गई क्षमता से पूरे जिले में प्रसारण सम्भव हो सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) जी, हां। सहरसा का दूरदर्शन ट्रांसमीटर, लगभग 15 कि. मी. की सामान्य सेवा रेंज सहित यू.एच.एफ बैण्ड में प्रचालित 100 वाट के विकीरण शक्ति वाला ट्रांसमीटर होने के कारण यह सम्पूर्ण जिले, जो तुलनात्मक एक बड़ा क्षेत्र है, को सेवा उपलब्ध नहीं कर सकता है।

(ख) से (घ) इस समय सहरसा के ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने की कोई स्कीम नहीं है। जबकि दूरदर्शन का देश में दूरदर्शन कवरेज अधिकतम बढ़ाने का सतत प्रयास है, सहरसा जिले के कवर न हुए भागों तथा देश के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करना दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं में साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त अधिनियम

[अनुवाद]

8304. **श्री एम. सेल्वारासु** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य ने प्रतिवर्ष अब तक कितने ऐसे विधेयक पारित किए जो राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर अधिनियम बने ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : एक विवरण संलग्न है, जिसमें अभी तक अधिनियमित राष्ट्रपति-अधिनियमों में राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे दिए गए हैं।

विवरण

क. सं.	राज्य का नाम	अधिनियम वर्ष	राष्ट्रपति अधिनियम का संख्यांक
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1954	9
		1955	4
		1973	6

1	2	3	4
2.	असम	1980	6
		1981	2
		1982	1
		1983	1
3.	बिहार	1968	1
		1969	7
		1970	13
4.	गुजरात	1971	5
		1974	12
		1975	1
		1976	15
5.	हरियाणा	1967	9
		1968	1
6.	कर्नाटक	1971	5
		1972	1
7.	केरल	1957	9
		1960	2
		1964	2
		1965	7
		1966	11
		1967	5
8.	मणिपुर	1973	1
		1974	1
9.	नागालैण्ड	1976	1
10.	उड़ीसा	1961	5
		1973	6
		1974	3

1	2	3	4
11.	पेप्सू	1953	8
		1954	6
12.	पंजाब	1951	9
		1952	6
		1966	2
		1968	1
		1971	4
		1984	3
		1985	4
		1987	4
		1988	5
		1989	5
		1990	3
13.	तमिलनाडु	1976	30
		1977	9
		1988	8
14.	ट्रावनकोर-कोचीन	1956	11
15.	उत्तर प्रदेश	1968	16
		1969	2
		1973	9
16.	पश्चिमी बंगाल	1968	19
		1969	1
		1970	7
		1971	12
		1972	2

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की धनराशि का निवेश

8305. श्री माधव राव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मई 1990 के इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय यूनिट ट्रस्ट को गतवर्ष (1989-90) के दौरान अपनाए गए पूंजी निवेश अवसरों के परिणामस्वरूप नकदी आधिक्य की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो समस्या का संक्षिप्त में ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की धनराशि के निवेश के लिए क्या नीति अपनाने का विचार है और राष्ट्रीयहित में आधिक्य वापसी प्राप्त करने की दृष्टि से यदि इसमें कोई परिवर्तन विचाराधीन है; तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निवेश सम्बन्धी वर्तमान कार्यनीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपनी निधियां लगाने और निवेशकों को स्थिर रूप से लाभ देने में सक्षम है।

बोकारो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

8306. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की योजना स्थगित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भिलाई इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यक्रम के लिए निवेश सम्बन्धी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और पूर्ण रूप से मूल्यांकन के पश्चात इसको कार्यान्वित किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों को ऋण राहत

[अनुवाद]

8307. **श्री पी. सी. थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के

अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले अनुसूचित ज ... के अनेक लोग भारी कर्ज में और बकाया राशि के भुगतान में फंसे हुए हैं और कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सहायता करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) प्रश्न में पूछे गए ढंग से वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से सूचना ... नहीं होती है। फिर भी, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनुसूति जातियों के ऋणकर्ताओं ने नीचे दिए गए अनुसार ऋण सहायता प्राप्त की :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	दिया गया कुल ऋण	अनुसूचित जातियों के ऋणकर्ताओं को ऋण का प्रवाह
1985-86	730..	210.01
1986-87	1014.88	295.56
1987-88	1175.35	340.81
1988-89	1231.12	362.22
1989-90	722.23×	224.14×

* दिसम्बर 1989 तक के आंकड़े

उन किसानो, कारीगरों और बुनकरों के लिए, जिन्होंने 10,000 रुपए तक के ऋण लिए हैं, सरकार द्वारा हाल ही में घोषित ऋण राहत योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के पात्र ऋण-कर्ता भी आ जाएंगे और सावधि ऋणों के साथ-साथ अल्पावधि ऋणों सहित दिनांक 2 अक्तूबर, 1989 की स्थिति के अनुसार सभी अतिदेय राशियां भी इस योजना के अन्तर्गत आयेंगी।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में कर्मचारियों की मृत्यु दर

8308. **श्री राम नायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों की मृत्यु दर भारतीय रिजर्व बैंक, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कर्मचारियों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रत्येक संस्थान में मृत्यु दर क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक संस्थान के कर्मचारियों के सामूहिक बीमे की प्रीमियम दर क्या है;

(घ) क्या उन्हें उपर्युक्त दरों में विसंगति के बारे में सेन्ट्रल बैंक एम्प्लाइज यूनियन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) क्या सरकार का मृत्यु दर के अनुपात में दरों में संशोधन करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) यह कहना कठिन है कि किसी एक संस्थान के कर्मचारियों की मृत्यु दर किसी अन्य संस्थान के कर्मचारियों से कम या ज्यादा है क्योंकि यह किसी एक तथ्य पर आधारित नहीं होती है । सामूहिक अवधि बीमा दरें निश्चित करते समय भारतीय जीवन बीमा निगम को अपरिपक्व मृत्यु-संख्या दर की प्रवृत्ति, एक निश्चित समय में कर्मचारियों के आयु वर्ग या विभाजन और विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों की संख्या पर भी विचार करना होता है । इनके अलावा सामूहिक बीमा योजना सेवा में निहित व्यय तथ्य को भी ध्यान में रखना होता है क्योंकि यह एक संस्थान से दूसरे संस्थान में अलग-अलग हो सकता है । भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, के कर्मचारियों और अपने ही कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा लिये जाने वाले सामूहिक बीमा के प्रीमियम की दर 10,000 रुपए की बीमाकृत राशि पर 2.50 रुपए प्रतिमाह है जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के मामले में 10,000/-रुपए की राशि के बीमे पर यह 3.5 रुपए प्रतिमाह है ।

(घ) और (ङ) जीवन बीमा निगम को अखिल भारतीय सेंट्रल बैंक कर्मचारी कांग्रेस से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें वही दर लेने का आग्रह किया गया था जो भारतीय रिजर्व बैंक आदि के कर्मचारियों पर लागू हैं । उपर्युक्त के अनुसार, सामूहिक बीमा की प्रीमियम दरें साधारण मृत्यु-दर के अलावा अन्य तथ्यों पर भी निर्भर करती है । इसलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारियों की मृत्यु-दर के आधार पर ही निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता । किसी भी संस्थान की सामूहिक बीमा की दर आगामी सारे समय के लिए अन्तिम नहीं समझी जाती है । वास्तविक अनुभव और देखी गई प्रवृत्तियों के आधार पर, जीवन बीमा निगम समय-समय पर नवीकरण की तारीखों पर प्रीमियम दरों का पुनरीक्षण करता है ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों से आयकर की वसूली

8309. **श्री राम सजीवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुफ्त रिहायशी आवास, ड्राइवर सहित कार, मनोरंजन भत्ता जैसे सभी अनुलाभों पर आयकर लगता है;

(ख) क्या सरकार को भारतीय पर्यटन विकास निगम के कुछ अधिकारियों को प्राप्त होने वाले असामान्य अनुलाभों के मूल्यांकन और उन पर कर लगाए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी हां । इस सम्बन्ध में छानबीन करने के लिए उक्त अभ्यावेदन पर विचार-विमर्श किया गया है ।

नई वाणिज्य नीति

[हिन्दी]

8310. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई वाणिज्य नीति का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यह नीति कब तक बन जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के जिलों को दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाना

8311. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दूरदर्शन प्रसारण सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो कौन-कौन से जिलों मे यह सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है; और

(ग) इन जिलों में उपरोक्त सुविधा कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ग) इस समय, उत्तर प्रदेश के सभी जिले 1981 की जनगणना के अनुसार दूरदर्शन सेवा से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से कवर होते हैं चालू वित्तीय वर्ष (1990-91) के दौरान नियत बरेली के उच्च शक्ति (10 कि. वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर, हरिद्वार के अल्प शक्ति (100 कि. वा.) ट्रांसमीटर, मुनस्यारी के अति अल्प शक्ति (10 वाट) ट्रांसमीटर तथा मसूरी और चुर्क के ट्रांसपोजरों के चालू हो जाने से उत्तर प्रदेश के जिलों में दूरदर्शन सेवा में और सुधार हो जाने की उम्मीद है।

हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र

[अनुवाद]

8312. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्रों तथा दूरदर्शन रिले केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस राज्य के लिए कोई और दूरदर्शन केन्द्र तथा रिले केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का शिमला जिले में खारा पत्थर में एक टी. वी. टावर स्थापित करने का प्रस्ताव; और

(ङ) इन्हें कब तक स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) हिमाचल प्रदेश में इस समय एक उच्च शक्ति (10 कि. वा.), 6 अल्प शक्ति (100 वाट), 5 अति शक्ति (2×10 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर और एक ट्रांसपोजर कार्यरत हैं।

(ख) से (ङ) सातवीं योजना की आगे लायी गयी स्कीम के रूप में हिमाचल प्रदेश में शिमला में उच्च शक्ति (1 कि. वा.) ट्रांसमीटर सहित एक दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र और राजगढ़ में एक दूरदर्शन ट्रांसपोजर कार्यान्वियनाधीन है। यद्यपि उक्त उत्तरवर्ती परियोजना को चालू वित्तीय वर्ष में ही सेवा के लिए चालू करने का कार्यक्रम है। तथापि, शिमला में उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर सहित स्टूडियो केन्द्र की स्थापना 1992-93 के दौरान पूरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा दूरदर्शन की 1990-91 की वार्षिक योजना में, कई अतिरिक्त दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की व्यवस्था है जिनका स्थान निर्धारण देश के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा के विस्तार हेतु परस्पर प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

गुजरात की भड़ौच और केवाडिस कालोनियों में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

8313. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की भड़ौच और केवाडिस कालोनियों में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या इस केन्द्र की की प्रसारण क्षमता कम होने के कारण पूरे भड़ौच जिले को इसका लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस केन्द्र की प्रसारण क्षमता बढाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ग) यद्यपि इस समय भड़ौच जिले में भड़ौच केवाडिया कालोनी और हैडियापाडा में एक-एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत हैं। इस जिले के कुछ भागों में अहमदाबाद के उच्च शक्ति (10 कि. वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर से भी सेवा प्राप्त होती है। जिले के कवर न हुए शेष भागों में दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करने का सरकार का प्रयास है, जो इस प्रयोजन के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

दूरदर्शन धारावाहिक "सोर्ड आफ टीपू सुल्तान"

[अनुवाद]

8314. **प्रो. पी. थामस** :

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन धारावाहिक 'स्वार्ड आफ टीपू सुल्तान' के संबंध में के. आर. मलकानी ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दूरदर्शन द्वारा इस धारावाहिक का प्रसारण कब से आरंभ किया जाएगा।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

श्री के. आर. मलकानी का यह मत है कि न तो ऐतिहासिक उपन्यास "दि सोर्ड आफ टीपू सुल्तान" में जिस पर धारावाहिक आधारित है और न ही पूर्व दर्शन के लिए उन्हें उपलब्ध कराई गयी धारावाहिक की आठ कड़ियों में कोई बात आपत्तिजनक है। वास्तव में उन्होंने, यह महसूस किया है कि टीपू सुल्तान के जीवन का चित्रण किया गया है उदाहरणस्वरूप, युवा टीपू सुल्तान ने निशानेबाजी में योगाभ्यास को अपनाया इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा ही मिलता है। तथापि, उन्होंने निम्नलिखित संशोधन करने का सुझाव दिया है।

—धारावाहिक की प्रत्येक कड़ी के प्रारम्भ में उपयुक्त तौर पर यह बतलाया जाए कि धारावाहिक "दि सोर्ड आफ टीपू सुल्तान" नामक उपन्यास पर आधारित है न कि इतिहास पर और इसमें अंग्रेजों के खिलाफ टीपू की ऐतिहासिक लड़ाई को उजागर किया गया है और इसमें कुर्ग और केरल में उनकी विवादास्पद भूमिका नहीं दी गयी है।

—कालीकट के तत्कालीन शासक समुंदिरी (जामूरिन) के प्रति अपमानजनक प्रसंग जो पुस्तक में है, को धारावाहिक से अलग किए जाने चाहिए, और

—प्रत्येक कड़ी में प्रस्तावना के रूप में भारत का विकृत मानचित्र या तो सही किया जाए या इसे हटा दिया जाए।

इन सभी संशोधनों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। आवश्यक पूर्व-दर्शन के उपरान्त धारावाहिक को शीघ्र ही प्रसारित किये जाने की संभावना है।

केरल में नये दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना

8315. श्री रमेश चेन्नीथाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में केरल में नये दूरदर्शन रिले केन्द्र आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र कहां-कहां पर आरम्भ किये जायेंगे; और

(ग) क्या केरल के कोट्टायम जिले में भी एक रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ख) सातवीं योजना की आगे लायी गयी स्कीम के रूप में केरल कालीकट में कार्यरत अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर से बदलने का कार्य चल रहा है। तथापि, यह परियोजना 1992-93 के दौरान पूरी हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, दूरदर्शन की 1990-91 की वार्षिक योजना में कई अन्य दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाना भी शामिल है जिनके स्थान का निर्धारण, देश के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा के विस्तार की परस्पर प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(ग) केरल के कोट्टायम जिले के भागों को चंगनाचेरी में कार्यरत अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर के अलावा कोचीन के उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर से दूरदर्शन सेवा प्राप्त होती है। सरकार का जिले में दूरदर्शन सेवा में और सुधार लाने का प्रयास है जो इस प्रयोजन के लिए भविष्य में साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

आंध्र प्रदेश में हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रम

8316. श्री बासवपुन्नय्या सिंगम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों के कार्यक्रमों के प्रसारण के बार-बार गड़बड़ी पैदा होने और उनके घटिया स्तर के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ग) दूरदर्शन का हमेशा से यह प्रयास रहता है कि हैदराबाद सहित दूरदर्शन के सभी केन्द्रों द्वारा अच्छे कार्यक्रम तैयार किए जाएं और प्रसारित किए जाएं। दर्शक अनुसंधान के अनुसार 60 प्रतिशत दर्शकों ने केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की सराहना की है। तथापि, कार्यक्रमों में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र ने हाल ही में कुछ नये कार्यक्रम आरम्भ किए हैं और उन्हें नया रूप भी दिया है। केन्द्र से संबद्ध कार्यक्रम सलाहकार समिति और दर्शकों के पत्र कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए केन्द्र को मार्गदर्शन प्रदान करने का काम करते हैं।

एसेम कोटेड स्टील लिमिटेड

8317. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान एसेम कोटेड स्टील लिमिटेड में प्रेसिडेंट तथा वाइस-प्रेसिडेंट के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति सन् 1987 से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे :—

1.	श्री शरत कुमार	अध्यक्ष	10.2.88 से 5.8.88 तक (बाद में यह पद भरा नहीं गया)
2.	श्री पी. के. सिक्का	कार्यकारी उपाध्यक्ष	1.5.88 से आज की तारीख तक
3.	श्री ए. के. जायसवाल	उपाध्यक्ष (प्रचालन)	1.5.88 से 15.10.89 (बाद में यह पद भरा नहीं गया)
4.	श्री पी. के, अहलूवालिया	उपाध्यक्ष	1.5.88 से 17.9.88 (बाद में यह पद भरा नहीं गया)

केरल को विश्व बैंक की सहायता

8318. **श्री टी. बशीर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितनी परियोजनायें विश्व बैंक समूह की सहायता से निर्माणधीन है;

(ख) केरल में ऐसी कौन-कौन सीं परियोजनाएं हैं जिनके लिए विश्व बैंक समूह की सहायता का अनुरोध किया गया है तथा उन्होंने इसका वचन दे दिया है; और

(ग) इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ग) केबल से विश्व बैंक की सहायता से केरल में चल रही परियोजनाओं का विस्तृत ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

8 राज्यों को शामिल करते हुए एक बहु-राज्यीय तकनीशियन शिक्षा परियोजना के लिए 26 करोड़ डालर की विश्व बैंक सहायता के सम्बन्ध में 6 से 12 मार्च, 1990 तक की अवधि में बैंक के साथ बातचीत की गई थी। इस परियोजना में भाग लेने वाले राज्यों में केरल भी एक राज्य है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	करार की तारीख	सहायता की राशि (लाख डालर)	टिप्पणी
1.	केरल सामाजिक वानिकी परियोजना	6.3.1985	318.0	एक बहु-राज्यीय परियोजना जिसमें केरल और कर्नाटक राज्य शामिल हैं।
2.	केरल विद्युत परियोजना	12.5.1985	1760.0	
3.	तृतीय जनसंख्या परियोजना	8.2.1984	700.9	
4.	केरल जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	24.9.1985	410.0	एक बहु-राज्यीय परियोजना जिसमें 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।
5.	व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना	16.6.1989	2800.0	

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा उधार में दिया गया माल

8319. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने ग्राहकों को (विदेशी खरीददारों को छोड़कर) कुल कितने मूल्य का माल उधार दिया है; और

(ख) इस अवधि के दौरान स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने (विदेशी खरीददारों को छोड़कर) कुल मात्रा में लोहा और इस्पात बेचा ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि. (इस्को को छोड़कर) के केन्द्रीय विपणन संगठन द्वारा अपने देशी उपभोक्ताओं को दिए गए ऋण की कुल राशि लगभग 1256 करोड़ रुपये है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 'सेल" (इस्को को छोड़कर) द्वारा देशी उपभोक्ताओं को बेचे गए लोहे और मृदु इस्पात की कुल मात्रा निम्नानुसार है :

सामग्री	(मात्रा लाख टनों में)
(क) कच्चा लोहा	25.85 (लगभग)
(ख) बिक्रेय इस्पात	174.54 (लगभग)

क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास में निदेशक की नियुक्ति

8320. श्री वी. राजरवि वर्मा : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि मद्रास स्थित भारत सरकार के पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में पिछले पांच महीनों से कोई क्षेत्रीय निदेशक/सहायक निदेशक नियुक्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) और (ख) क्षेत्रीय निदेशक, मद्रास की तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं और उसके जल्दी ही भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, मद्रास में कार्यभार ग्रहण करने की सम्भावना है। वहां एक सहायक निदेशक हमेशा तैनात रहा है।

मलाजखण्ड तांबा परियोजना

[हिन्दी]

8321. श्री मोहन लाल झिकराम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मलाजखण्ड तांबा परियोजना" तथा इसके संगठनात्मक ढांचे का नियंत्रण किस प्राधिकरण के अंतर्गत है;

(ख) इस परियोजना में, श्रेणीवार, कुशल और अकुशल कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या निर्धारित रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा भी भरा गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) मलंजखण्ड कापर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में खान विभाग के अंतर्गत सरकारी कम्पनी मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लि. का एक चालू यूनिट है। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में है, तथा इसका कार्य अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक देखते हैं जिनकी सहायता के लिए तीन अन्य पूर्ण-कालिक निदेशक हैं। मलंजखण्ड प्रोजेक्ट का प्रमुख एक कार्यकारी निदेशक है, जो कि अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को सीधे रिपोर्ट करते हैं।

(ख) मलंजखंड प्रोजेक्ट में कामगारों की श्रेणी-वार संख्या इस प्रकार है :—

1. प्रबंधकीय व पर्यवेक्षकी	—	224
2. लिपिक वर्गीय	—	117
3. कुशल कार्मिक	—	817
4. अकुशल कार्मिक	—	742
कुल		1900

(ग) मलंजखंड प्रोजेक्ट में समूह "ख", "ग" व "घ" के पदों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों का कोटा निर्धारित रोस्टर के अनुसार भर लिया गया है। इन समूहों में कोई पूर्व बकाया रिक्त नहीं है जहां तक समूह "क" पदों का संबंध है, इन पदों को समूची कंपनी के लिये मुख्यालय द्वारा भरा जाता है तथा इसमें भी इन श्रेणियों के कर्मचारियों की कोई बकाया रिक्ति नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई पत्तन से मछलियों का निर्यात

[अनुवाद]

8322. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पत्तन से पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न किस्मों की कुल कितनी शुष्क मछली का निर्यात किया गया;

(ख) क्या वर्ष 1976, 1977 और 1978 के निर्यात की तुलना में इन निर्यातों में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का उन पत्तनों पर "ड्राइंग याडं" बनाने का विचार है जहां बड़े पैमाने पर शुष्क मछली उपलब्ध है और निर्यात की जा सकती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बम्बई बन्दरगाह से निर्यात की गई सूखी मछलियों की कुल मात्रा निम्नानुसार थीं :—

अवधि	मात्रा टनों में
1987	622
1988	566
1989	52

(स्रोत: एम्पीडा कोचीन)

(ख) और (ग) 1976-77 तथा 1978 में बम्बई बन्दरगाह से निर्यात की गई सूखी मछलियों की मात्रा निम्नानुसार थीं :—

अवधि	मात्रा टनों में
1966	52
19?7	320
1978	2086

(स्रोत: एम्पीडा, कोचीन)

1989 में सूखी मछलियों के नियति में भारी गिरावट आई, इसका मुख्य कारण था वाणिज्यिक किस्म की मछलियों की कम पकड़ तथा श्रीलंका, जोकि इस मद का एकमात्र सबसे बड़ा बाजार है, की अस्थिर बाजार स्थिति ।

(घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडा) का शोधक अहाते स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । तूतीकोरन में इसने एक सूखी मछली भण्डार किया है ।

मध्य प्रदेश में पर्यटन केंद्रों का विकास

[हिन्दी]

8323. **श्री छविराम अर्गल** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों के विकास संबंधी कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन पर्यटन केन्द्रों का विकास कार्य कब तक शुरु किये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी नहीं है । तथापि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटन आधारिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों, उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

पालघाट, त्रिचूर, मालाप्पुरम, कालिकट और कासरगोड में दूरदर्शन कार्यक्रम

[अनुवाद]

8324. **श्री के. मुरलीधरन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिवेंद्रम दूरदर्शन द्वारा एर्नाकुलम से त्रिवेंद्रम के कार्यक्रम की तुलना में पालघाट, त्रिचूर, मालाप्पुरम, कालिकट, कनान्नोर और कासरगोड जिलों के कार्यक्रमों को कोई महत्व नहीं दिया जाता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा दूरदर्शन में केरल के दक्षिणी भागों के कार्यक्रमों को समान महत्व दिये जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी उपेन्द्र) : (क) से (ग) दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेंद्रम का हमेशा यह प्रयास रहा है कि वह उपलब्ध उपकरणों और जन-शक्ति के अनुरूप, बिना किसी भेदभाव के केरल राज्य के सभी जिलों को कवर करे। उदाहरण के लिये पहली और पन्द्रह अप्रैल 1990 के दौरान, पालघाट, त्रिचूर, कालिकट, वाइनेड आदि जिलों की घटनाओं को कवर किया गया ।

बिहार में पर्यटक स्थलों पर व्यय की गई धनराशि

[हिन्दी]

8325. श्री रामेश्वर प्रसाद :

श्री तेजनारायण सिंह :

श्री जोरावर राम :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1990-91 के दौरान पर्यटक स्थलों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत विकसित किये जाने वाले पर्यटक स्थलों के नाम क्या है; और

(ग) बक्सर और पलामू जिले में पर्यटक स्थलों, उनके विकास सम्बन्धी योजना और विकास के पूरा होने के समय संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) और (ख) पर्यटन का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग विशिष्ट स्कीमों को उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकार ने वर्ष 1990-91 के लिए विस्तृत स्कीमें अभी तैयार करके प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) बक्सर तथा पलामू में पर्यटक स्थलों के विकास का कोई प्रस्ताव इस समय केन्द्रीय पर्यटन विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।

पंजाब में बड़े उद्योगों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता

[अनुवाद]

8326. श्री बाबा सुच्चा सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पंजाब में बड़े उद्योगों को कितनी धनराशि का अग्रिम ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) अखिल भारतीय स्तर पर कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या उपर्युक्त (क) में प्रदत्त ऋण राशि अन्य राज्यों को दी गई ऋण राशि के समान है; और

(घ) यदि नहीं, तो स्थिति के सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा पंजाब में बड़े

उद्योगों को तथा पूरे देश में कुल संवितरित की गयी प्रत्यक्ष वित्त की रकम क्रमशः 314.50 करोड़ रुपए एवं 9963.20 करोड़ रुपये थी।

देश की तथा पंजाब की जनसंख्या को देखते हुए, पंजाब में बड़े उद्योगों को दी गई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता अखिल भारतीय आधार पर की गई सहायता की तुलना में ठीक है।

"मिटको" द्वारा अभ्रक का खरीद मूल्य और निर्यात मूल्य

8327. श्री रौत लाल प्रसाद वर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "मिटको" द्वारा अभ्रक के खरीद मूल्य और निर्यात मूल्य में कितना अन्तर है;

(ख) "मिटको" में कितने श्रमिकों को रोजगार प्राप्त है; और

(ग) गैर-सरकारी निर्यातकों को प्राप्त क्रयादेश का कितने प्रतिशत भाग "मिटको" द्वारा पूरा किया गया ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) मिटको द्वारा अभ्रक की खरीद और निर्यात कीमत में अन्तर औसतन 30 और 32% के बीच है।

(ख) मिटको द्वारा कुल 916 श्रमिकों को रोजगार में लगाया गया है।

(ग) संसाधित अभ्रक के निर्यात के लिए सरणीयन नीति के अनुसार निर्यात आदेश मिटको और गैर-सरकारी निर्यातकों के बीच 50:50 के आधार पर बांटे जाते हैं। फिर भी, सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को निर्यात के संदर्भ में, गैर-सरकारी निर्यातकों को बिना मिटको की भागीदारी के अभ्रक-छीलन को छोड़कर प्रति वर्ष प्रति विदेशी क्रेता 10 लाख रुपए तक संसाधित अभ्रक के लिए निर्यात आदेशों का क्रियान्वयन करने की अनुमति प्राप्त है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग को सहायता

8328. श्री डी. अमात : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड (एस सी आई सी आई) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग को वित्तीय सहायता देती है;

(ख) क्या छोटे उद्यमियों को एस सी आई सी आई के अधिकारियों से मिलने के लिए बार-बार बम्बई आना पड़ता है जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग में समन्वय लाने तथा विकास सम्बन्धी प्रयासों के बेहतर निगरानी रखने के लिए एस सी आई सी आई तथा केन्द्र सरकार के अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों के बीच पारस्परिक-सम्पर्क के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में उद्यमियों के साथ कारबार करने के साथ-साथ खर्च और समय के सन्दर्भ में छोटे उद्यमियों को असुविधा से बचाने के उद्देश्य से भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी लिमिटेड ने कुछ मत्स्ययन कम्पनियों के साथ बातचीत हेतु पंजीकृत कार्यालय/प्रशासनिक कार्यायय में दौरा करने और यदि कोई समस्या हो तो उसे सुलझाने के लिए अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है।

(ग) भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि जालपोतों के अधिग्रहण और संबंधित मामलों के लिए सहायता के सम्बन्ध में वह गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के साथ सीधे ही पारस्परिक कारंवाई करता रहा है। भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी लिमिटेड खाद्य ससाधन उद्योग मंत्रालय की विभिन्न समितियों का सदस्य भी है जो भारतीय नौवहन ऋण और किवेश कम्पनी लि. तथा भारत सरकार के अन्य सम्बद्ध विभागों के बीच पारस्परिक बात-चीत के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी लिमिटेड ने एक परामर्शदात्री समिति का गठन भी किया है जिसमें अन्यों के साथ-साथ उद्योग के प्रतिनिधि होते हैं।

स्विटजरलैंड से सहायता

8329. डा. दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विटजरलैंड द्वारा दिए गए ऋण का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका पूर्णतः उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) "स्विस मिश्रित ऋण, 1983" नामक वर्तमान स्विस ऋण करार 10 करोड़ फ्रैंक के लिए था। मार्च, 1990 के अन्त तक इसमें से 3.96 करोड़ स्विस फ्रैंक का उपयोग हुआ था। सम्पूर्ण राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पूरी राशि की पहले ही वचनबद्धता की जा चुकी है।

धार्मिक स्थानों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने की कसौटी

8330. श्री एम. एम. पल्लम राजू : क्या पर्यटन मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने हेतु चुनने की कसौटी क्या है;

(ख) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित वीरलेश्वरम ऐतिहासिक मन्दिर को विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों का विकास करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। ऐसे स्थानों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में अभिनिर्धारण करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग के पास कोई मानदण्ड नहीं हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

राज्य व्यापार निगम में रख रखाव के दौरान चीनी का नुकसान

8331. डा. किरोड़ी लाल मीणा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 से 1987 के दौरान पोर्ट टाउन और राज्य व्यापार निगम में 18 करोड़ रुपए की आयातित चीनी का रख रखाव के दौरान नुकसान हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस नुकसान के लिए उत्तरदायी एजेंसियों से विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) आडिट किए गए खातों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक के दौरान राज्य व्यापार निगम (एस. टी. सी.) को पत्तन-शहरों तथा राज्य व्यापार निगम के गोदामों में चीनी के आयात पर 1.47 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा हुआ। यह चीनी जैसे माल के लिए सामान्य व्यापारिक तथा रख रखाव सम्बन्धी घाटा है। यह हानि व्यापार को गई/रखी गई चीनी का 0.08% है।

कोटा में इस्पात यार्ड

[हिन्दी]

8332. डा. बंगाली सिंह : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा (राजस्थान) में इस्पात यार्ड को बन्द कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या कोटा में इस यार्ड को पुनः खोलने/एक इस्पात यार्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कानपुर से निर्यात

8333. श्री केशरी लाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर से किन-किन मुख्य-उत्पादों का निर्यात किया जाता है;

(ख) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में से चमड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कानपुर के देहातों में निर्यातोन्मुखी उद्योग स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) कानपुर से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पाद परिष्कृत चमड़े तथा चमड़े के सामान हैं। कानपुर से जिन अन्य उत्पादों का निर्यात किया जाता है उनमें बेंत तथा मूंज से बनी वस्तुएं, रसायन, परिधान, इलैक्ट्रानिक मदें तथा वस्त्र, डीजल इन्जिन, पम्प फास्टनर, कृषि उपकरण जैसे हल्के इंजीनियरी उत्पाद आदि शामिल हैं।

(ख) कानपुर से होने वाले निर्यात में चमड़े तथा चमड़े के सामान का भाग लगभग 70 प्रतिशत आंका गया है। प्रमुख निर्यातों में घोड़े के साज-सामान की मदें शामिल हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बाकी निजी उद्यमियों के साथ मिलकर औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए पहल की जा रही है।

जिनेवा में व्यापार-वार्ता

[अनुवाद]

8334. **यादवेन्द्र दत्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार के तत्वाधान में जिनेवा में बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे चक्र में देश के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ख) सरकार का विचार, "ट्रेड-रिलेटिड इंटिलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स" और ट्रेड रिलेटिड इंवेस्टमेंट मैजर्स एण्ड सर्विसिज" के क्षेत्रों के सम्बन्ध में औद्योगिक देशों दबाव को किस प्रकार निष्प्रभावी करने का है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरु) : (क) और (ख) बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे दौर के सन्दर्भ में भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए एक बहुउद्देश्यीय नीति अपनाई है। भारत इन वार्ताओं में सक्रिय भाग ले रहा है ताकि अपने निर्यातों के लिए विकसित बाजार प्राप्त कर सकें और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को शासित करने के लिए सुदृढ़ बहु-पक्षीय नियमों और नियमावलियों के जरिए किसी एक पक्षीय और स्वैच्छिक कार्रवाई को रोका जा सके। हमने

विकासशील देश के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वार्ताकारी समूहों में अपने विचारों को स्पष्ट और अकाट्य ढंग से लिखित और मौखिक तौर पर अनेक बार जाहिर किया है जो ठोस तार्किक दलीलों और औचित्य पर आधारित थे। हमने अनेकों विशिष्ट प्रस्ताव भी किए हैं जिनसे हमारे हित और हमारी चिन्ताएं जाहिर होती हैं। इसके अतिरिक्त भारत अपने जैसे ही विकासशील देशों के साथ सक्रिय रूप से अपनी स्थिति का समन्वय कर रहा है ताकि इन वार्ताओं में समर्थन में वृद्धि की जा सके और हमने अनेकों मामलों पर संयुक्त वक्तव्य जारी किए हैं। इस सम्बन्ध में, भारत ने उरुग्वे दौर में भाग लेने वाले 18 विकासशील देशों की हाल ही में नई दिल्ली में 19 से 20 मार्च, 1990 तक एक बैठक की मेजबानी की। भारत ने व्यापार से सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, व्यापार से संबंधित निवेश उपायों और सेवाओं के क्षेत्र में भारत ने विस्तृत वक्तव्य दिए हैं। इनको अन्य विकासशील देशों से व्यापक समर्थन मिला है और कुछ संयुक्त वक्तव्य भी जारी किए गए हैं। हमें आशा है कि इन वार्ताओं के सन्तुलित परिणाम होंगे जिसमें भारत जैसे विकासशील देशों सहित सभी भागीदारों के हितों का ध्यान रखा जायेगा। इस वार्ता प्रक्रिया में सरकार का सक्रिय भाग लेते रहने का इरादा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे हित पूर्णतः सुरक्षित हैं।

सीमा शुल्क का अपवंचन

[हिन्दी]

8335. **श्री रैशम लाल जांगड़े** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पाद और आयकर विभागों द्वारा 1989 के दौरान और मार्च, 1990 तक विभिन्न समुद्री पत्तनों, उनके आसपास और अन्य स्थानों पर तस्करी और सीमा शुल्क अपवंचन के कितने मामले पकड़े गए और उनमें से प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि शामिल थी ; और

(ख) भारत-पाक सीमा पर ऐसे कितने मामले पकड़े गए और उनमें कितनी धनराशि सम्मिलित थी और जब्त किए गए समान का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

मुद्रा स्फीति की दर

8336. **श्री जनार्दन तिवारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 और 1990 के प्रथम तिमाही में मुद्रास्फीति की दर का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान थोक और खुदरा मूल्य सूचकांकों में हुई वृद्धि का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए कोई लक्ष्य अथवा सीमा निश्चित की है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) पिछले वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में इस वर्ष की पहली तिमाही के सम्बन्ध में औसत थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की दर 1990. में 8.2 प्रतिशत बैठती है जबकि इसके मुकाबले 1989 में यह 5.5 प्रतिशत थी।

(ख) खुदरा कीमतों के सम्बन्ध में कोई सूचकांक उपलब्ध नहीं है। लेकिन, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं (और सेवाओं) के लिए अदा की गई खुदरा कीमतों पर आधारित होता है, यही सबसे नजदीकी अनुमान होता है। पहली तिमाही के सम्बन्ध में थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में तुलनात्मक मूल्य वृद्धि नीचे दी गई है :—

वर्ष की पहली तिमाही (दिसम्बर की तुलना में मार्च में)	निम्नलिखित में मूल्य वृद्धि (बिंदु प्रति बिंदु आधार पर	
	(1981-82=100)	(1982 – 100)
	थोक मूल्य सूचकांक	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
1989	1.7	कोई परिवर्तन नहीं
1990	2.8	1.1

(ग) मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कोई लक्ष्य या सीमा निर्धारित करना व्यावहार्य नहीं है। तथापि, सरकार के पास उपलब्ध साधनों का उपयोग करके, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिनमें यदि आवश्यक हो, तो आयात करके आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को को बनाए रखना, बजटीय घाटे को बारीकी से मॉनीटर करने सहित, सख्त राजकोषीय तथा मौद्रिक अनुशासन बनाए रखना और जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल हैं।

एल्यूमीनियम पन्नी का उत्पादन

[अनुवाद]

8337. श्री बाबू भाई मेघजी शाह : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एल्यूमिनियम पन्नी की कमी है;

(ख) कितने संयंत्र एल्यूमिनियम पन्नी का उत्पादन कर रहे हैं; और

(ग) एल्यूमिनियम पन्नी के उत्पादन की संस्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) एल्यूमिनियम पन्नियों (फोइल्स) के देशी उत्पादन से कुल मिलाकर देश की मांग पूरी हो रही है।

(ख) और (ग) एल्यूमिनियम पन्नियों को स्थापित उत्पादन क्षमता और वर्ष 1989-90 में वास्तविक उत्पादन का संयंत्र-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

यूनिट	स्थापित क्षमता	1989-90 में उत्पादन टन में
1. इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि.	4000	4899
2. इण्डिया फोइल्स	4690	5495
3. पी.जी. फोइल्स लि.	3000	1151
4. भारत एल्यूमिनियम कं. लि.	500	187
5. अन्नपूर्णा फोइल्स लि.	3000	उपलब्ध नहीं
6. सिन्धिको फोइल्स लि.	720	उपलब्ध नहीं

जम्बो रोल्स का आयात

8338. **श्री पी. जी. नारायणन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्बो रोल्स को काटने और उन्हें तैयार करने वाले एककों तथा निर्यात गृहों, जिनके पास आयातित जम्बो रोल्स से प्रकाश-सुग्राही (फोटोसेन्सिटिव) चीजों के उत्पादन के लिए लाइसेंस नहीं है, को भी विभिन्न श्रेणियों के जम्बो रोल का आयात करने की अनुमति दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मानदंड और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा एकक जिसे एक विशेष किस्म का रंगीन पेपर का उत्पादन करने का लाइसेंस मिला हुआ है, वह जम्बो रोल्स का आयात करने का भी पात्र है जिसके लिए उसके पास लाइसेंस नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन एककों के पास आई. डी. एण्ड आर अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स नहीं मिला हुआ है वे किसी अन्य स्रोत से अनधिकृत उत्पादन कर सकें ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) :(क) से (घ) प्रकाश-सुग्राही (फोटोसेन्सिटिव) सामग्री के विभिन्न प्रकार के जुम्बो रोलस के आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा ओपन जनरल लाइसेन्स के अन्तर्गत और अतिरिक्त लाइसेन्सों पर दी गई है। अतिरिक्त लाइसेन्सों पर वास्तविक प्रयोक्ता वाली शर्त लागू नहीं होती है और ये मुक्तरूप से परिवर्तनीय होते हैं। तदनुसार, अतिरिक्त लाइसेन्सों पर आयातित उक्त माल के क्लीयरेन्स की अनुमति प्रदान करते समय फोटोसेन्सिटाइज्ड सामग्री के जुम्बो रोलस सम्बन्धी स्लाइटिंग/कनफैक्शनिंग क्रियाकलाप करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेन्स की शर्त पूर्वापेक्षित नहीं होती है। किन्तु, इन लाइसेन्सों पर जो

आयात किया जाता है वह ऐसे सभी अन्य संगत कानूनों की शर्तों के अध्यधीन भी होता है जो कि जब कभी आयातित माल का प्रयोग हो तब लागू होंगे।

(ङ) आई.डी.आर. अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान निहित हैं कि जुम्बो रोल्स का गैर-कानूनी उत्पादन अथवा स्लाइटिंग/कनफैक्शनिंग न होने पाए और जिन एककों के पास आई.डी.आर. अधिनियम के अन्तर्गत कोई लाइसेन्स न हो तो वे अनधिकृत उत्पादन न करें। इस अधिनियम की धारा 24 में धारा 10(1), धारा 10(4), धारा 11(1), धारा 11(क), धारा 13(1), धारा 29(ख)(2), धारा 29(ख)2(क), धारा 29(ख)(2ग), धारा 29(ख)(2घ), धारा 29ख(2ङ), धारा 16, धारा 18 ख(3), धारा 18 ज अथवा इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी भी उल्लंघन नियम के उल्लंघन अथवा उल्लंघन का प्रयास करने अथवा उल्लंघन हेतु उकसाने के लिए विभिन्न अर्थदण्डों का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 24 क में गलत ब्यान देने पर भी अर्थदण्डों का प्रावधान है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

8339. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा करने में देरी हुई है; और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उपकरणों का आयात मूल्य ठेके में उल्लिखित मूल्य से अधिक हो गया है;

(ग) क्या उक्त कार्य में विलम्ब के फलस्वरूप ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा है; और

(घ) 30, अप्रैल, 1990 तक, प्रत्येक समझौते के लिए बिरला टेक्निकल सर्विसेज और मै. मन्नेसमन्न डिमेग आफ वेस्ट जर्मनी को किए गए भुगतान और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उक्त कार्य में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) 30.4.90 तक मैसर्स बिरला टेक्नीकल सर्विसेज (बी.टी.एस.) तथा पश्चिम जर्मनी की मैसर्स मेन्नसमन देमाग हट्टाटकनीक (एम.डी.एच.) को किए गए पैकेज-वार भुगतान का ब्योरा। नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	पैकेज का नाम	बी टी एस को किया गया भुगतान (करोड़ रुपये)	एम. डी. एच. को किया गया भुगतान (करोड़ डी एम)
1	2	3	4
1.	कच्ची सामग्री की संभाल	45.87	डी एम 1.25

1	2	3	4
2.	सिन्टर संयंत्र	7.15	—
3.	धमन भट्टी	18.29	डी एम 1.19
4.	बेसिक आक्सीजन फरनेस	27.95	डी एम 11.84
	कुल :	99.26 करोड़	डी एम 14.28 करोड़

दोनों पार्टियों द्वारा उपर्युक्त सभी पकैजों के सम्बन्ध में अब तक की गई प्रगति स्वीकृत समय-सारणी के अनुसार है।

सरकारी व्यय

8340. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखना सुनिश्चित करने के लिए इस सम्बन्ध में मासिक जांच प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह जांच पूरे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नियमित रूप से और व्यवस्थित ढंग से की जाएगी;

(ग) क्या मन्त्रालय वार स्थापना व्यय और दिन-प्रतिदिन के प्रशासन आदि में कटौती की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न मन्त्रालयों को क्या मार्गनिर्देश भेजे गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वित्त मंत्री ने सभी मन्त्रालयों को लिख कर यह सुझाव दिया है कि वे स्थापना-व्यय में बचत करने के बारे में पता लगाए ताकि नए महंगाई भत्ते की किस्तों से संबंधित देयता को उसमें से ही पूरा किया जा सके। उनसे व्यय और प्राप्तियों के तिमाही/मासिक बजट तैयार करने का भी अनुरोध किया गया है ताकि समग्र बजट घाटे को मानीटर किया जा सके।

निर्यातकों द्वारा विदेशों में विनिर्माण एककों की स्थापना

8341. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के निर्यातकों को विदेशों में निर्माण एकक स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव की औचित्यता क्या है;

(ग) क्या सरकार का अन्य देशों में निर्माण एककों की स्थापना किए जाने में भारत के निर्यातकों को सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार विदेशों में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों की स्थापना को शासित करने वाले वतमान दिशा निर्देशों के तहत विदेशों में विनिर्माण एकक स्थापित करने के प्रस्तावों का अनुमोदन करती है। विदेशों में संयुक्त उद्यम पर वाणिज्य मन्त्रालय में एक अन्त: मंत्रालयी समिति द्वारा दिशा निर्देशों क दायरे में ऐसे प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाता है।

भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की लाभप्रदता

8342. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखायें अपना कारोबार बनाए रखने और लाभ अर्जित करने में समर्थ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी देश-वार, ब्योरा क्या है;

(ग) विदेशों में स्थित किन-किन भारतीय बैंकों को निरन्तर घाटा हो रहा है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान, उक्त बैंकों का कार्य निष्पादन सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) बैंक अपने लाभ और हानि लेखे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में तैयार करते हैं। वर्ष के दौरान केवल बैंक की लाभ/हानि सम्बन्धी स्थिति समग्र रूप से लाभ-हानि लेखे और तुलन-पत्र में शामिल की जानी होती हैं। बैंकों से उनके तुलन-पत्रों में स्वदेशी लाभों तथा विदेशी लाभों को, अलग-अलग दिखाने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

अलबत्ता, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकों की कुछ विदेशी शाखाओं को विभिन्न कारणों से कुछेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के कार्यनिष्पादन की लगातार समीक्षा की जा रही है। इन शाखाओं के कार्यकरण में सुधार लाने और बैंकों के अन्दर परिचालनात्मक तथा नियन्त्रण संबंधी प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तिगत ऋणकर्ताओं/ऋणकर्ता समूहों के लिए अधिकतम ऋण सीमा निर्धारित करने, ऋण देने संबंधी देश-वार सीमा निर्धारित करने, उचित ऋण दर निर्धारण आदि के विकास की व्यवस्था की गई है।

भारतीय जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना के अन्तर्गत प्रीमियम एकत्र करना

8343. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम की बम्बई और कलकत्ता मंडल कार्यालयों के अन्तर्गत शाखाएं उन पालिसीधारकों, जिन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना बचत योजना के अन्तर्गत पालिसी ली हैं का प्रीमियम एकत्र करने सम्बन्धी अपनी मांग सूची विभिन्न नियोजकों को समय पर नहीं भेजती है;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से ऐसी निष्क्रियता के परिणामस्वरूप भारी संख्या में बीमा पालिसी व्यपगत हो रही हैं;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान भुगतान की गई पालिसियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) ऐसी बीमा पालिसियों को नियमित करने और बीमा पालिसियों के नवीकरण के प्रयोजन से पांच वर्ष की निर्धारित शर्त को समाप्त करने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) (क) जी, नहीं। जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना प्रक्रिया के अनुसार नियोक्ताओं द्वारा प्रीमियम की वसूली, कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को दिए गए बाकायदा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, जीवन बीमा निगम द्वारा तैयार की गई प्रीमियम वसूली की मांग सूचियां भी विभिन्न नियोक्ताओं को समय पर भेज दी जाती हैं। इसके साथ ही नियोक्ताओं को ये अनुदेश भी जारी कर किये जाते हैं कि यदि डांक में विलम्ब आदि के कारण मांग सूचना समय पर प्राप्त नहीं होती है तो नियोक्ता को पिछले महीने की मांग सूची के आधार पर प्रीमियमों की राशि काट लेनी चाहिए।

(ख) जी, नहीं। सामान्यत: लगभग सभी नियोक्ता नियमित रूप से प्रीमियम की अदायगी कर रहे हैं। फिर भी बहुत कम नियोक्ता ऐसे हैं जो वित्तीय कठिनाई तालाबन्दी, हड़ताल, आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से समय पर प्रीमियम अदा नहीं कर रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ङ) सामान्यतः ऐसी पालिसियों का पुन: प्रवर्तन नियमों के अनुसार किया जाता है। जो पालिसियां 5 वर्षों से भी अधिक समय से व्यपगत स्थिति में हैं, उनके पुन: प्रवर्तन को प्रोत्साहित नहीं किया जाता क्योंकि पालिसीधारकों को स्वास्थ्य सम्बन्धी अपेक्षाएं पूरी करने के अलावा ब्याज सहित प्रीमियमों की काफी बड़ी बकाया राशि अदा करनी पड़ती है। तथापि, बहुत से मामलों में

बीमाकृत की आयु, पुन: प्रवर्तन के लिए उसकी जरूरत, पालिसी की व्यवस्था, पालिसी की शेष अवधि, आदि पर विचार करते हुए गुणावगुणों के आधार पर पुनः प्रवर्तन किया जाता है।

सिलाई मशीनों का निर्यात

8344. श्री एन. डेनिस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलाई मशीनों का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इनका निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) सिलाई मशीन, पुर्जे जिसमें सुई भी शामिल है, का निर्यात सोवियत संघ, बंगलादेश, इन्डोनेशिया, जिम्बाबे, केन्या और मैडागास्कर को किया जाता है। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ई ई पी सी) से उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले चार वर्षों के दौरान सिलाई मशीन, जिसमें पुर्जे भी शामिल हैं, का निर्यात मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु. में)
1986-87	14.10
1987-88	8.28
1988-89	13.25 (अनन्तिम)
1989-90 (अप्रैल-फरवरी, 1990)	18.50 (अनन्तिम)

अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजी गई धनराशि

8345. श्री जनार्दन पुजारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में अधिकांश धनराशि गैर-सरकारी माध्यमों से भेजी जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988, 1989 और 1990 में अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ग) उन्हें सरकारी माध्यमों से ही धनराशि भेजने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सरकार को मालूम है कि कुछ लोग विदेशों से धनराशि अवैध माध्यमों से भेजते हैं किन्तु इस प्रकार अवैध माध्यमों से कितनी रकम भेजी गई है इसके बारे में सही-सही बता पाना संभव नहीं है।

(ग) अप्रवासी भारतीयों को वैध माध्यमों से अपनी रकम भारत में भेजने के लिए आकृष्ट करने हेतु विभिन्न प्रोत्साहन पहले ही दिए गए हैं।

कर्नाटक में सोने की खोज

8346. श्री जनार्दन पुजारी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की खानों में सोने के नये स्रोतों का पता लगाने तथा कोलार सोने की खानों को बन्द करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) कर्नाटक में सोने की खोज निम्नलिखित क्षेत्रों में की जा रही है :—

(1) गदाग स्वर्ण क्षेत्र, धारवाड़ जिला, (कादुबियानकट्टी, कांमसी तथा सांकादादक प्रखंड)।

(2) हट्टी स्वर्ण क्षेत्र, रायचूर जिला (बन्हाल्ली तथा हट्टी प्रखंड)।

(3) कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कोलारा जिला (के. जी. एफ. खानों में फुटबाल खोह तथा सूरापल्ली)।

(4) चित्र दुर्ग शिष्ट पट्टी, चित्रदुर्ग जिला (अजनहाली तथा बेल्लारा)।

(5) म/की शिष्ट पट्टी, रायचूर जिला (मस्की संबल, उडबल तथा तुपादुर प्रखण्ड); और

(6) नग्गोहल्ली शिष्ट, हसन जिला (केमिनकोट तथा गोबारहल्ली पट्टी)।

कोलार गोल्ड फील्ड, में 3 खानों को 1994 तक क्रमश: बन्द किए जाने की योजना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन का गैर-सरकारी करण

8347. श्री जनार्दन पुजारी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से पर्यटन का गैर-सरकारीकरण करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों विशेषकर गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों से, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे पर्यटक को किस हद तक और सुविधाएं उपलब्ध होंगी; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कारंवाई की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में होटलों/मोटलों की स्थापना

8348. **श्री एम. जी. रेड्डी :**

श्री राजमोहन रेड्डी :

क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य में, विशेषरूप से चित्तूर क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होटल/मोटल/यात्री निवास स्थापित करने के कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) इस समय सरकार का आन्ध्र प्रदेश राज्य में जिसमें चित्तूर क्षेत्र शामिल है, कोई होटल/मोटल/यात्री निवास स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में सोने की खानों का विस्तार

8349. **एम. जी. रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में चिगारगुन्टा सोने की खानों का विस्तार करके उसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1000 टन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

8350. **श्री एम. जी. रेड्डी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश चित्तूर जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने संबंधी कुल कितने अभ्यावेदन सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इस बारे में निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक पहले ही कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि इस जिले में अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

कॉफी हाउसों को बन्द करना

8351. **श्री ए. विजय राघवन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या कॉफी बोर्ड द्वारा कॉफी हाउस खोलने और बन्द करने के लिए कोई दिशा-निर्देश हैं;

(ख) वर्ष 1985 से मार्च, 1990 तक कॉफी बोर्ड द्वारा कितना कॉफी हाउस बन्द किए गए;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघ से विचार-विमर्श किया गया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) कॉफी हाउस खोलने की सामान्य नीति यह है कि नए कॉफी हाउस केवल तभी खोले जाने चाहिए जब इस संबंध में उठाए गए घाटे, यदि कोई हों, उन सम्बन्धित संगठनों द्वारा पूरे कर दिए जाएं, जिनके परिसर में नए कॉफी हाउस खोले जाने का प्रस्ताव किया गया हो। कॉफी हाउस बन्द करने के लिए कोई निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं हैं।

(ख) और (ग) इस अवधि के दौरान केवल पटना में एक कॉफी हाउस बन्द किया गया है, इसका कारण यह है कि भूमि मालकिन ने आग्रह किया था कि उनका परिसर खाली कर दिया जाए। कॉफी हाउस के लिए कोई भवन प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे, परन्तु सफलता नहीं मिली।

(घ) जी नहीं। क्योंकि कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं हुई थी।

खनन कार्य में इलेक्ट्रानिक का उपयोग

8352. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन कार्य में कम्प्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) मई, 1990 से किस-किस प्रकार की खानों में कम्प्यूटर और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उपयोग आरम्भ करने का विचार किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) अनेक खनन कम्पनियों ने खान योजना व डिजाइन बनाने, प्रक्रिया नियंत्रण, सामग्री प्रबन्ध, अयस्क भण्डार आकलन, भू-समतलन, पुनः वनस्पति रोपण, भू-जल नियंत्रण कार्मिक प्रबन्ध, लागत नियंत्रण, खान संचार प्रणाली आदि क्षेत्रों में कम्प्यूटर और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उपयोग के प्रस्ताव तैयार किये हैं।

(ग) विभिन्न खनन कम्पनियों द्वारा मई, 1990 से कम्प्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों के अपनाये जाने के कुछ ज्ञात प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

भू-प्रतिबलों के निर्धारण हेतु शिला-विन्यास अध्ययन के लिए एन-फोल्ड कम्प्यूटर प्रोग्राम।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड

(1) खेतड़ी कापर कम्पलेक्स, इंडियन कापर कम्पलेक्स तथा मलंजखंड कापर प्रोजेक्ट में सुपर मिनी कम्प्यूटरों की स्थापना।

(2) कम्पनी की विभिन्न यूनिटों इंजीनियरी तथा ग्राफिक कम्प्यूटर कार्य के केन्द्रों की स्थापना।

अग्नि बीमे के दावों का भुगतान

8353. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में आग से नष्ट हुए भवनों के संबंध में वर्ष 1989 के दौरान कुल कितनी राशि के बीमे दावे किए गए और कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या वर्ष 1989 के दौरान किन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी भीषण अग्निकाण्ड हुए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) ऐसे राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा प्राप्त बीमे के दावों की राशि का ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ?

केरल में भारत पर्यटन विकास निगम की परियोजनाएं

8354. **श्री पलाई के. एम. मैथ्यू** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विकास निगम की पाथानामथित्ता (केरल) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार पूरा हो गया है और इसका निर्माण-कार्य इस समय किस चरण में है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम की 1990-91 की वार्षिक योजना में पाथानामथित्ता, केरल में किसी योजना परियोजना को शुरू करने हेतु किसी स्कीम/प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

"सीलियम" संबंधी न्यूनतम निर्यात मूल्य

8355. श्री कैलाश मेघवाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान सीलियम (भूसा, चूर्ण और बीज) के निर्यात के लिए कितनी बार न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया और कितनी बार इसे समाप्त किया गया;

(ख) इसके क्या कारण है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सीलियम (भूसा, चूर्ण और बीजों) का श्रेणी-वार कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) ईसबगोल की खेती और निर्यात के क्षेत्र में भारत का वास्तविक एकाधिपत्य है। इसकी घरेलू खपत अपेक्षाकृत कम है और कृषकों मुख्यत: निर्यात पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि निर्यात मूल्य वसूली फसल स्थिति पर निर्भर करती है, जिस वर्ष उत्पादन में गिरावट आती है, उस वर्ष कीमतें बढ़ जाती हैं। निर्यातकों में परस्पर प्रतिस्पर्धा भी निर्यात वसूली को प्रभावित करती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पहली बार 13.5.1985 को न्यूनतम निर्यात कीमत शुरू की गई :

ईसबगोल की भूसी	न्यूनतम निर्यात कीमत
1	2
98% शुद्धता	2.50 प्रति किग्रा. अमरीकी डालर एफ ओ बी
95% शुद्धता	2.35 प्रति किग्रा. अमरीकी डालर एफ ओ बी

1	2
85% शुद्धता	2.10 प्रति किग्रा. अमरीकी डालर
ईसबगोल का बीज	
99% शुद्धता	0.70 प्रति किग्रा. अमरीकी डालर एफ ओ बी
97% शुद्धता	0.60 प्रति किग्रा. अमरीकी डालर एफ ओ बी

ईसबगोल का पाउडर :

पाउडर के रूप में किए निर्यात पर एम ई पी सभी मामलों में 20% ज्यादा है। चूंकि कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई और अपवादस्वरूप अच्छी फसल के कारण स्टाक इकट्ठा होना शुरू हो गया इसलिए स्थिति की समीक्षा की गई और 17.7.86 को एम ई पी निम्नवत कम की गई :

ईसबगोल की भूसी	न्यूनतम निर्यात कीमत
98% शुद्धता	2.00 अमरीकी डालर प्रति किग्रा. एफ ओ बी
95% शुद्धता	1.90 अमरीकी डालर प्रति किग्रा. एफ ओ बी
85% शुद्धता	1.75 अमरीकी डालर प्रति किग्रा. एफ ओ बी
ईसबगोल का बीज	
99% शुद्धता	0.55 अमरीकी डालर प्रति किग्रा. एफ ओ बी
97% शुद्धता	0.47 अमरीकी डालर प्रति किग्रा. एफ ओ बी

ईसबगोल का पाउडर

ईसबगोल भूसी के लिए एम ई पी से 20 अमरीकी सेन्ट प्रति किग्रा. अधिक एम ई पी।

फिर भी, चूंकि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ इसलिए, दिनांक 25.2.1987 से एम ई पी को समाप्त कर दिया गया। दिनांक 30 मार्च, 1988 से इन मदों को निर्यात (नियन्त्रण) आदेश की सीमा से हटा दिया गया। उसके बाद स्थिति की पुनः समीक्षा की गई और ईसबगोल के बीज, ईसबगोल की भूसी और ईसबगोल के पाउडर के निर्यात को पुनः दिनांक 10 अप्रैल, 1989 से नियन्त्रित कर दिया गया और इसकी अनुमति कैमेक्सिल में संविदाओं

के पंजीकरण ओ जी एल सं. 3 के अन्तर्गत दी गई। हाल ही में विभिन्न संगठनों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें कहा गया कि किसानों को लाभदायक कीमतें नहीं मिल रहीं हैं और निर्यातकों को एकाधिकृत लाभ नहीं हो रहा है। उचित विचार करने के उपरांत ईसबगोल की भूसी के निर्यात के लिए दिनांक 17 जुलाई, 1989 से एम ई पी पुन: शुरू करने का निश्चय किया गया जो निम्नवत है :

ईसबगोल की भूसी	न्यूनतम निर्यात कीमत
98% शुद्धता	3.20 अमरीकी डालर प्रति किग्रा. एफ ओ बी
95% शुद्धता	3.00 अमरीकी डालर प्रति किग्रा. एफ ओ बी
85% शुद्धता	2.80 अमरीकी डालर प्रति किग्रा. एफ ओ बी

इसी तरह ईसबगोल के बीज और पाउडर के लिए भी 14 अगस्त, 1989 से न्यूनतम निर्यात कीमत निर्धारित की गई जो निम्नलिखित है :

ईसबगोल का बीज	न्यूनतम निर्यात कीमत
99% शुद्धता	0.95 अमरीकी डालर प्रति किग्रा. एफ ओ बी
97% शुद्धता	0.86 अमरीकी डालर प्रति किग्रा. एफ ओ बी

ईसबगोल का पाउडर

इसी ग्रेड की भूसी के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत से 0.25 अमरीकी डालर प्रति किग्रा. अधिक।

(ग) ईसबगोल की भूसी/पाउडर और ईसबगोल के बीज का पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए निर्यात का मूल्य निम्नलिखित है :

निर्यात (करोड़ रुपए में एफ ओ बी)

वर्ष	ईसबगोल की भूसी/ पाउडर	ईसबगोल का बीज	योग
1986-87	22.04	1.91	23.95

1	2	3	4
1987-88	41.41	1.05	42.46
1988-89	38.82	0.58	39.40
अप्रैल, 89 से फरवरी, 90	41.00	1.00	42.00

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ कमाने की क्षमता

8356. **श्रीमती बी. जमुना :**

श्री बी. एन. रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किये गये विश्लेषण से उनके लाभ कमाने की क्षमता में वृद्धि होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध से अन्य बातों के साथ-साथ कार्य निधि के निवल लाभ के अनुपात सहित तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक का इस बैंकों के लाभ कमाने की क्षमता में और वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) प्रकाशित लेखों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों का कुल प्रकाशित लाभ वर्ष 1987 के 261.80 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर मार्च 1989 के अन्त में (1.1.88 से 31.3.89 तक की अवधि के लिए) 364.90 करोड़ रुपए हो गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समग्र लाभप्रदता, जो उनके कार्यशील पूंजी के प्रकाशित लाभ के प्रतिशत के रूप मे व्यक्त की गई है, भी वर्ष 1987 के 0.17 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 1988-89 में 0.19 प्रतिशत हो गई है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अर्जित प्रकाशित लाभ और 31 दिसम्बर, 1987 और 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्षों के दौरान उनकी लाभप्रदता का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता में सुधार करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं : सरकारी प्रतिभूतियों पर उच्चतर कूपन दरें, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे रोकड़ बकाया पर अधिक प्रतिफल, सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूंजी आधार में वृद्धि। बैंकों ने भी कर्मचारियों की बढ़ोतरी को नियंत्रित करके कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि करने, सेवा प्रभारों में वृद्धि करने और व्यय में कटौती करने जैसे कुछ उपाय किये हैं। संबंधित क्षेत्रो जैसे पट्टे पर उपकरण देना, मर्चेन्ट बैंकिंग, म्युचुअल फण्ड इत्यादि उपायों द्वारा बैंक अपने प्रचालन में विविधता एवं नवीनता लाने का प्रयत्न करते रहे हैं। कुशल निधि प्रबन्ध द्वारा अपनी लाभप्रदता बढ़ाने के उपायों के रूप में बैंको को अपनी आय और खर्च का सूक्ष्म विश्लेषण करने की सलाह दी गई है।

इन उपायों के साथ-साथ बैंकों को व्यापार योजना एवं विकास, ऋण और अग्रिमों की वसूली बढ़ाकर, अलाभप्रद ऋण में कटौती करके, आय के क्षरण को रोक थाम द्वारा सक्षमता एवं लाभप्रदता को कायम रखने के लिए विशेष उपाय करने की सलाह दी गई है।

विवरण

वर्ष 1987 और 1988-89 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रकाशित लाभ और उनकी लाभप्रदता जो उनकी कार्यशील पूंजी की तुलना में प्रकाशित लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शायी गई है।

क्रम सं.	बैंक का नाम	(लाख रुपए) प्रकाशित लाभ 1987	1988-89 (1-1-88 से 31-3-89)	कार्यशील पूंजी की तुलना में प्रकाशित लाभ का प्रतिशत 1987	1988-89
1	2	3	4	5	6
क. भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप :					
1.	भारतीय स्टेट बैंक	4551	8501	0.11	0.15
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	163	471	0.08	0.16
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	164	394	0.10	0.18
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	78	200	0.08	0.17
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	81	281	0.07	0.19
6	स्टेट बैंक आफ पटियाला	217	600	0.10	0.24
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	65	182	0,07	0.17
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	165	445	0.10	0.22
	क का जोड़	5484	11074	0.10	0.16
ख. राष्ट्रीयकृत बैंक					
1.	इलाहाबाद बैंक	602	1112	0.17	0.25
2.	बैंक आफ बड़ोदा	2175	3350	0.23	0.20

1	2	3	4	5	6
	3. बैंक आफ इण्डिया	1615	2208	0.14	0.15
	4. बैंक आफ महाराष्ट्र	290	312	0.10	0.10
	5. केनरा बैंक	4497	5494	0.47	0.49
	6. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	1328	1520	0.15	0.14
	7. देना बैंक	400	573	0.16	0.19
	8. इण्डियन बैंक	1053	1229	0.22	0.22
	9. इण्डियन ओवरसीज बैंक	562	624	0.11	0.10
	10. पंजाब नेशनल बैंक	2500	2719	0.25	0.22
	11. सिंडिकेट बैंक	710	801	0.12	0.12
	12. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	2041	2411	0.43	0.42
	13. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	23	50	0.01	0.01
	14. यूको बैंक	521	573	0.09	0.07
	15. आन्ध्रा बैंक	873	929	0.37	0.32
	16. कारपोरेशन बैंक	351	450	0.28	0.30
	17. न्यू बैंक आफ इन्डिया	201	311	0.12	0.16
	18. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	351	651	0.21	0.30
	19. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	49	104	0.02	0·05
	20. विजया बैंक	554	795	0.30	0 31
	ख का जोड़	20696	25416	0.21	0.21
	क+ख का जोड़	26180	36490	0 17	0.19

अपील दायर करने में विलम्ब होने के कारण राजस्व की हानि

8357. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बकाया करों से सम्बन्धित अपीलें सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्चतम न्यायालय में दायर नहीं की जाती है;

(ख) क्या इन अपीलों को दायर करने में विलम्ब किये जाने से देश को राजस्व की बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है; और

(घ) न्यायालय के ऐसे रोक आदेशों से सम्बन्ध धनराशि का ब्योरा क्या है, जिनमें काल-वर्जित होने के कारण विभाग के विरुद्ध निर्णय दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सरकार की जानकारी में यह आया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछेक मामले मियाद बाहर होने के कारण खारिज कर दिये गये हैं। चूंकि इनमें अधिकांश मामले कानूनी मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय में दायर किए जाते है अतः इन सभी मामलों में सम्बद्ध राजस्व को सही-सही बता पाना सम्भव नहीं है।

उच्चतम न्यायालय में इन मामलों को दायर करने में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण किया गया है और इन्हें दायर करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

सरकार द्वारा दूरदर्शन पर खर्च की गई धनराशि

8358. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन का "हाई-टैक सेन्ट्रल प्रोडक्शन सेन्टर" आरम्भ किये जाने के समय से सरकार द्वारा इस पर कुल कितनी धन राशि खर्च की गई है;

(ख) उपरोक्त केन्द्र द्वारा अब तक तैयार किए गए संगीत और नृत्य कार्यक्रमों सहित दूरदर्शन के नाटकों (टैलीप्लेज), बैले और कलात्मक कार्यक्रमों का विवरण क्या है तथा कुल मिलाकर दर्शकों को केवल राजधानी में ही नहीं अपितु अन्य महानगरों में, दूरदर्शन पर इनके प्रसारणों से कितनी सन्तुष्टि हुई है;

(ग) क्या इस "सेन्ट्रल प्रोडक्शन सेन्टर" के आरम्भ किये जाने के समय से इसके कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है; यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इनके द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने और तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (घ) सरकार द्वारा दिल्ली में दूरदर्शन केन्द्रीय निर्माण केन्द्र की स्थापना से सम्बद्ध परियोजना का अनुमोदन किया गया था जिस पर कुल 4936.22 लाख रुपए के व्यय का अनुमान था। मार्च, 1990 तक इस परियोजना पर 445.25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इस केन्द्र में कार्यक्रमों के निर्माण के लिए आधुनिक और सूक्ष्म एवं जटिल तकनीकों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। (क) कार्यक्रमों के निर्माण और (ख) केन्द्रीय निर्माण केन्द्र के रख रखाव और परिचालन व स्टाफ के वेतन का ब्योरा इस प्रकार है :—

(क) कार्यक्रमों के निर्माण पर किया गया कुल खर्च

वर्ष	राशि
1988-89	20,71,000/-रु.
1989-90	45,48,539/-रु.

(ख) वेतन सहित केन्द्रीय निर्माण केन्द्र के रख रखाव और परिचालन पर खर्च की गई राशि :—

वर्ष	राशि
1988-89	85,56,355/-रु.
1989-90	2.46,73,401/-रु.

केन्द्र की स्थापना से लेकर अप्रैल, 1990 तक, केन्द्रीय निर्माण केन्द्र में विभिन्न विषयों और संगीत और नृत्य सहित विभिन्न विषयों पर लगभग 100 कार्यक्रम तैयार किये गये केन्द्रीय निर्माण केन्द्र में तैयार किए गए कार्यक्रमों को दर्शकों ने आम तौर पर पसन्द किया है । नव वर्ष की पूर्व संध्या पर प्रसारित कार्यक्रम के बारे में दूरदर्शन के दर्शक अनुसंधान कक्ष ने एक अध्ययन किया था जिससे यह पता चलता है कि कार्यक्रम की सराहना की है । यह कार्यक्रम उक्त केन्द्र द्वारा तैयार किया गया था । दूरदर्शन के केन्द्रीय निर्माण केन्द्र द्वारा दिन-प्रतिदिन और किए गए और प्रसारित किए गए कार्यक्रमों की आलोचनात्मक समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और दूरदर्शन कार्य-प्रणाली की अभिन्न अंग है । तथापि, केन्द्रीय निर्माण केन्द्र की कार्य प्रणाली की कोई विशिष्ट समीक्षा नहीं की गई है ।

केन्द्रीय निर्माण केन्द्र के स्टाफ सदस्यों को समय-समय पर भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे जैसे विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों और विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है । कार्यक्रम तैयार करने और उपस्करों की जानकारी के बारे में कई पाठ्यक्रम आयोजित किये गये हैं । केन्द्रीय निर्माण केन्द्र में कम्प्यूटर ग्राफिक्स, "बीटाक्रैम" पर आपरेशनल कोर्स, कम्प्यूटरीकृत निर्माणोत्तर, सी. डी. स्विचर आदि पर कई पाठ्यक्रम आयोजित किये गये हैं । इस केन्द्र के वरिष्ठ तकनीशियनों/तकनीशियनों को समय-समय पर कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जाता है । इसी संस्थान में, नये भर्ती किये गये इन्जीनियरी सहायकों और वरिष्ठ इन्जीनियरी सहायकों को पदोन्नत होने पर अवस्थिति प्रशिक्षण दिया जाता है ।

गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाएं

8359. श्री आर. एन. राकेश : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर दिल्ली में बड़ी संख्या में ग़ैर-सरकारी वित्तीय संस्थाएं गरीब व्यक्तियों को वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर ऋण देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय "किराया-खरीद वित्तीय कम्पनियों से है जो किराया-खरीद का काम करती है अथवा इन कामों के लिए वित्तीय सहायता देती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाहनों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु किराया-खरीद वित्तीय कम्पनियां एक समान दर पर ब्याज लेती है तथा ब्याज की दर को सम्पूर्ण राशि पर अग्रिम की पूरी अवधि के लिए परिकलित किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक, गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1977 के अन्तर्गत उनके कार्यों से सम्बन्धित केवल एक पक्ष अर्थात, जनता से जमा राशियां प्राप्त करने के कार्य को नियन्त्रित करता है। इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, जमा राशियों की अधिकतम/न्यूनतम अवधि, जमा राशियों पर देय ब्याज दर आदि का निर्धारण किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा रंगीन टेलीविजन वी. सी. आर./वी. सी. पी. खरीदना

8360. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के कुछ वर्गों ने रंगीन टेलीविजन, वी. सी. पी./वी. सी. आर. आदि खरीदने के लिए ब्याज की आसान दरों पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारी सीमा-शुल्क गृहों में जब्त किये गये रंगीन टेलीविजन वी. सी. पी./वी. सी. आर. कम दरों पर खरीदने के पात्र हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) टेलीविजन सैट खरीदने के लिए पेशगी मंजूर करने के बारे में पिछले दिनों कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे परन्तु उन्हें स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं हो पाया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

साबुन का निर्यात

8361. **श्री एम डेनिस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी क्षेत्र/गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो साबुन का निर्यात करते हैं;

(ख) गत वर्ष के दौरान देश-वार साबुन का कितना निर्यात किया गया; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय (डी. जी. सी. आई. एण्ड एस.) द्वारा संग्रहित अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1989-90 के अनुसार 1989-90 के दौरान लगभग 21.24 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 167 लाख किलोग्राम साबुन का निर्यात किया गया। निर्यात के देश वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं। तथापि डी. जी. सी. आई. एण्ड एस. द्वारा इकाई-वार तथा राज्य-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

1989-90 के दौरान निर्यात किये गये साबुन के देश-वार आंकड़े

क्र. सं.	देश का नाम	मात्रा किग्रा. में	मूल्य रुपए में
1	2	3	4
1.	माली	11,250	4,12,500
2.	कनाडा	261	14,450
3.	सं. रा. अमरीका	10,802	4,14,668
4.	आस्ट्रिया	2,100	88,200
5.	मलेशिया	39,441	14,20,353
6.	नेपाल	40,892	11,33,935
7.	सिंगापुर	39,23,976	2,70,89,250
8.	श्रीलंका	22,906	8,63,269
9.	बहरीन	5,565	2,10,658
10.	कुवैत	2,278	1,19,025
11.	ओमान	12,790	3,83,550
12.	यू. ए. ई.	54,12,229	4,60,67,076
13.	पश्चिम जर्मनी	1,755	93,825
14.	इटली	55	4,500

1	2	3	4
15.	स्विटजरलैंड	3,450	1,78,750
16.	सोवियत रूस	64,32,567	12,83,69,777
17.	मारिशस	540	49,035
18.	जाम्बिया	1,13 000	23,20'045
19.	थाईलैंड	15,000	3,19,134
20.	कतार	400	8,601
21.	चीन जनवादी गणराज्य	4,460	2,39,589
22.	डेनमार्क	65	7,389
23.	ब्रिटेन	1,750	1,02,200
24.	नार्वे	22,240	41,751
25.	हंगरी	41,034	14,48,473
26.	हांगकांग	140	9,630
27.	फ्रांस	5	30
28.	साऊदी अरब	8,150	1,11,666
29.	यमन अरब गणराज्य	160	1,182
30.	केन्या	5,04,000	7,93,400
31.	सोमालिया	180	23,800
32.	स्वीडन	298	45,063

गुजरात में हीरा उद्योग

8362. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में हीरा उद्योग को मंदी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) हीरा उद्योग की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) क्या गुजरात के मुख्य मंत्री ने भी डायमंड कटिंग और पालिशिंग" उद्योग को विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) अपेक्षतया कम

अन्तर्राष्ट्रीय मांग तथा हीरा व्यापार द्वारा अधिक मालसूची रखने की वहज से गुजरात राज्य के हीरा क्षेत्र में विनिर्माण कार्य में अस्थाई मन्दी रही है। केन्द्र सरकार ने उद्योग के विकास के लिए पहले ही, प्रक्रियाओं को उदार बना दिया है, अन्तर्निबष्ट सहायता प्रदान की है तथा नीति विषयक पहलों की घोषणा की है। इन उपायों में शामिल हैं, ऋण के मानकों में ढील, प्रतिपूर्ति की संशोधित दरें, रियायती शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत पूंजीगत सामान के आयात आदि।

(घ) गुजरात सरकार ने, हाल ही में, राज्य में उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए डायमन्ड डेवलपमेन्ट बोर्ड का गठन किया है।

'टू एयर-होस्टिसस हेल्ड फोर स्मगलिंग शीर्षक सेसमाचार'

8353. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, 1990 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में "टू एयर-होस्टिसस हेल्ड फोर स्मगलिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में और क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत छ: महीनों के दौरान, महीने-वार, सोने की तस्करी के कुल कितने मामलों का पता चला;

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) कुमारी जहरा के मामले में अभियोजन के लिए एक शिकायत क्षेत्राधिकारिक न्यायालय में दायर की जा चुकी है।

(ग) पिछले छ: महीनों के दौरान, सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने 2006 मामलों में लगभग 83 करोड़ रुपये मूल्य के निषिद्ध सोने का अभिग्रहण किया था, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

महीना वर्ष	मामलों की संख्या	सोने की मात्रा (किलोग्राम में)	सोने का मूल्य (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
अक्तूबर, 89	4.9	782.084	23.84
नवम्बर, 89	320	259.981	8.39
दिसम्बर, 89	352	358.030	8.39
जनवरी, 90	305	263.347	8.84

1	2	3	4
फरवरी, 90	457	431.516	15.06
मार्च, 90	173	568.449	@18.61
	2006	2563·407	83.07

@आंकड़े अनन्तिम हैं।

(घ) तस्करी में ग्रस्त पाए जाने वाले व्यक्तियों पर विभागीय न्याय-निर्णयन में अर्थदण्ड लगाया जा सकता है और न्यायालयों में मुकदमे भी चलाए जा सकते हैं। यदि आवश्यक समझा जाता है तो विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 व अन्तर्गत उन्हें नजर बन्द भी किया जा सकता है।

मछली और झींगा मछली का निर्यात

8364. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री इरा अन्बारासु :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितनी मात्रा में मछलियों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या देश के पश्चिमी तट पर पाये जाने वाले झींगा-मछलियों की विदेशों में भारी मांग है; और

(ग) यदि हां, तो इसका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) गत दो वर्षों के दौरान निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों की कुल मात्रा निम्नानुसार थी;

वर्ष	निर्यात की गई मात्रा (मी. टन में)
1988-89	99777
1989-90 (अनन्तिम)	106840

(स्रोत : एम्पीडा, कोचीन)

(ख) भारतीय समुद्रों, पश्चिम और पूर्व दोनों तटों, में उपलब्ध झींगा मछलियों की विदेशों में भारी मांग है तथा भारत 19 देशों को झींगा मछलियों का निर्यात कर रहा है।

(ग) श्रिम्प के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

(1) नई प्रौद्योगिकी और मूल्य वर्धन को शुरू करना;

(2) संसाधन सुविधाओं का आधुनिकीकरण गुणवत्ता उन्नयन और अपशिष्ठ में कमी करना;

(3) प्रभावशाली बाजार संवर्धन उपाय;

(4) कल्चर मत्स्य पालन के उत्पादन को बढ़ाना;

(क) श्रिम्प फार्मों से प्रति हेक्टेयर उपज को बढ़ाकर; और

(ख) कल्चर द्वारा श्रिम्प के निर्यात उत्पादन के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र लाना।

अलगाववाद और धार्मिक घृणा फैलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

8365. श्री जे. चोक्का राव : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार किया गया है, जो अलगाववाद और धार्मिक घृणा फैला रहे है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन अपराधों को निर्वाचन कानून के अन्तर्गत रखकर ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने का है?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो अलगाववादी और धार्मिक असहिष्णुता का प्रतिपादन करते हैं, कार्यवाही करने के लिए विधि में पहले से ही पर्याप्त उपबंध विद्यमान हैं।

(ख) निर्वाचन विधि में भी पहले से ही यह उपबंध है कि ऐसे अपराधों के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य होने से निरर्हित हो जाएंगे।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गुजरात में सहायता

8366. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने वर्ष 1990-91 के लिए गुजरात के किसानों हेतु धनराशि वितरण का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान, वितरण संबंधी कुल कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने वर्ष 1990-91 के दौरान गुजरात में कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी गतिविधियों को सहायता देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य में ग्रामीण विकास प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(च) क्या राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने वर्ष 1990-91 के लिये गुजरात के लिए निम्नलिखित अनन्तिम लक्ष्यों की सूचना दी है :—

ब्यौरा	राशि करोड़ रुपए
1. बैंकों द्वारा योजनाबद्ध ऋण	89.05
2. मोसमी कृषि कार्य	175.00
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अल्पावधिक ऋण अपेक्षायें	8.00

(ख) वर्ष 1989-90 के पिछले वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्धारित कुल संवितरण लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :—

(I) योजनाबद्ध ऋण   73,997 करोड़ रुपए

(II) फसल ऋण   200 करोड़ रुपए

(ग) से (छ) बैंकों द्वारा दी गई बुनियादी स्तर की ऋण सहायता के माध्यम से गुजरात के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की पुनर्वित्त सहायता से उत्पादन बढ़ने की अपेक्षा की जाती है। इसके साथ ही यह कृषि और अन्य गतिविधियों की वृद्धि को बढ़ावा देगी, समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त ऋण सहायता सुनिश्चित करेगी और ऋण की गुणवत्ता में सुधार करेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होंगे। ग्रामीण उद्योगों को ऋण सहायता देने की प्रगति पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्य में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से निगरानी भी रखी जाती है।

फार्म-उत्पादों का आयात

8367. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि नई आयात-निर्यात नीति में फार्म उत्पादों के आयात के प्रावधान पर पुनः विचार किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी हां।

(ख) आयात एवं निर्यात नीति में परिवर्तन के संबंध में प्राप्त सभी सुझावों पर नई आयात निर्यात नीति बनाते समय समुचित विचार किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि जायफल तथा जावित्री को पहले स्टाक तथा बिक्री के लिए खुले सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) के

अन्तर्गत आते थे और जिन्हें नई नीति के अन्तर्गत लाइसेंस वाले संवर्ग में रखा गया है, को छोड़कर अन्य कृषि तथा बागान उत्पादों जैसे नारियल तेल, गरी, प्राकृतिक रबड़, सिंथेटिक रबर, नारियल जटा के रेशे तथा मसाले आदि के मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाए।

इलायची, कालीमिर्च, अदरक और काजू के निर्यात में कमी

8368. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री इरा अन्बारासु :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान इलायची, कालीमिर्च, अदरक और काजू के निर्यात से अर्जित आमदनी में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) 1987-88 तथा 1988-89, इन दो वर्षों के दौरान इलायची, मिर्च, अदरक तथा काजू के निर्यात निम्नलिखित थे :

वर्ष	इलायची	मिर्च	अदरक	काजू
1987-88	3.40	240.58	4.89	326.86
1988-89	9.88	164.20	9.53	281.84

कम उत्पादन, बहुत कम अवशेष स्टाक तथा फसल की देर से आमद के कारण 1988-89 में मिर्च का निर्यात कम हुआ। 1988-89 में काजू के निर्यात में कमी का मुख्य कारण था ब्राजील, जहां अमरीकी व्यापारियों ने पुनः खरीद-व्यवस्थाओं के साथ काजू में धन लगाया है, से प्रतिस्पर्द्धा तथा बादाम और पीस्टेचियस जैसे अन्य सस्ते काष्ठफलों से प्रतिस्पर्द्धा।

निर्यात के लक्ष्य

8369. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री इरा अन्बारासु :

श्री पी. नरसा रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा इन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया; और

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) वर्ष 1989-90 के लिए 28,025 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य के संबंध में पहले ग्यारह महीनों

अर्थात्, 1989 से फरवरी 1990 में कुल निर्यात, अनन्तिम तौर पर 24,506 करोड़ रु. का आंका गया।

(ख) वर्ष 1990-9. के लिए 36,000 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जूतों का निर्यात

8370. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री इरा अन्बारासु :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान और आस्ट्रेलिया ने जूतों के आयात पर प्रतिबंध में ढील दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चमड़ा उद्योग ने इन देशों में जूतों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जापान और आस्ट्रेलिया में पदत्राण का आयात वार्षिक विश्व कोटा और शुल्क के जरिए नियन्त्रित होता है। इस बारे में पूर्णतः परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) भारतीय चमड़ा पदत्राण को विश्व बाजार में कीमत और क्वालिटी के रूप में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए इस हेतु विदेशों में बाजार संवर्धन उपायों और भारत में उत्पाद विकास प्रयासों से इसका निर्यात बढ़ाने में मदद मिली है और इन उपायों को यथापेक्षित जारी रखने और इन्हें तेज करने का प्रस्ताव है।

खनिज संबंधी अधिकारों पर कर लगाने के लिए राज्यों के अधिकार

]हिन्दी]

8371. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल :**

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 277 के अंतर्गत खनिज संबंधी अधिकारों पर कर लगाने के लिए प्राधिकृत है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों को भी यह कर लगाने के समान अधिकार प्राप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का इस विसंगति को दूर करने के लिए अन्य राज्यों को भी कर लगाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) संविधान की धारा 277 में उन्हीं करों, शुल्कों, अधिशुल्कों एवं उपकरों को वैधता दी गई है जो संविधान के लागू होने से एकदम पूर्व तक, किसी राज्य की सरकार द्वारा कानूनी तौर पर लगाये जाते थे। यह धारा राज्य सरकारों को ऐसी कोई नयी लेवी लगाने का प्राधिकार नहीं देती।

राज्य सरकारों को ऐसा प्राधिकार संविधान की सातवी अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की विभिन्न प्रविष्टियों के तहत प्राप्त है तथा इसमें खनिज अधिकारों पर करों का समावेश उस सीमा तक है, जो संसद द्वारा खनिज विकास के संबंध में कानून द्वारा अधिरोपित की गई हो।

खनन योजना

8372. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश राज्य में नव-साक्षर तथा कमजोर वर्गों के लोग छोटी-छोटी खानों से अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन व्यक्तियों को खनन योजनाएं प्रस्तुत करने के प्रावधानों से मुक्त करने का है; और

(ग) क्या सरकार का नियमों में यह प्रावधान करने का भी विचार है कि खनन योजना राज्य सरकार द्वारा खनन-पट्टा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् किन्तु समझौते को अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व, प्रस्तुत की जा सकती है?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) कोई भी व्यक्ति खान और खनिज (विनियमन और विकास (अधिनियम, 1957 और उसके अधीन निर्मित खनिज रियायत नियमावली, 1960 के संगत प्रावधानों के तहत अनुदत्त खनन पट्टे की शर्तों के अनुसरण के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में खनन कार्य नहीं कर सकता। इस कानून के मुख्य उद्देश्य खनिजों का उचित विनियमन और विकास क्रमिक तथा वैज्ञानिक खनन, खनिज संरक्षण एवं प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस कानून के प्रावधान बड़ी और छोटी दोनों प्रकार की खानों पर समान रूप से लागू हैं।

(ख) खनिज विकास और संरक्षण के उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्ति की दृष्टि से ही, सभी आकार की खानों की खनन योजना प्रस्तुत करने का प्रावधान 1987 में समुचित संशोधन करके कानून में शामिल किया गया था। अतः किसी भी श्रेणी की खान को छूट देने का कोई विचार नहीं है।

(ग) खनन पट्टे के अनुदान हेतु खनन योजना प्रस्तुत करने के समय में परिवर्तन खनिज रियायत नियमावली, 1960 में 19.10..989 से संशोधन द्वारा पहले ही किया जा चुका है। आवेदक अब राज्य सरकार से प्रस्तावित पट्टे पर निर्धारित क्षेत्र की सूचना मिलने के बाद, छः महीने के अन्दर विधिवत अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत कर सकता है।

पर्यटन को बढ़ावा देना

8373. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स, वायुदूत सेवाओं तथा रेलगाड़ियों के हाल में बढ़ाए गए किरायों के कारण पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) भारत में स्थित पर्यटन स्थलों के बारे में विदेशों में आकर्षण पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और इसके क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) भारत में पर्यटकों का आगमन कीमतों के अधिक प्रभावित नहीं होता। विदेशी पर्यटकों को भारत आने की प्रेरणा मुख्य रूप से इसके विविध आकर्षणों तथा देश की सांस्कृतिक विरासत के मिलती है।

(ख) पर्यटक विभाग के विदेश स्थित कार्यालय विदेशों में भारत के प्रति जागरुकता उत्पन्न करते हैं तथा एक पर्यटक गंतव्य के रूप में इसका संवर्धन करते हैं। वे ऐसा निरंतर विपणन नीति के माध्यम से करते हैं जिसमें पर्यटक साहित्य, पोस्टरों का मुद्रण/वितरण, फिल्मों तथा श्रृव्य-दृश्यों का निर्माण एवं प्रेस, दूरदर्शन के जरिए प्रचार और व्यापार मेलों में भाग लेने, सेमिनारों, सम्मेलनों भारत संध्याओं का आयोजत जैसे अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप शामिल हैं।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, 1989 में पर्यटकों के आगमन में गत वर्ष की तुलना में 7.8% तक की वृद्धि हुई है।

इस्पात संयंत्रों के लिए इस्पात संयंत्र मशीनों की खरीद में मध्यस्थों की कथित भूमिका

[अनुवाद]

8374. श्री बालगोपाल मिश्र : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशाखापट्टणम और अन्य इस्पात संयंत्रों के लिए इस्पात संयंत्र मशीनों की खरीद में कथित मध्यस्थों के रूप में कुछ व्यारियों की भूमिका के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है; और

(ग) इन मध्यस्थों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बोफोर्स काउन्टर ट्रेड संबंधी फाइलों का गुम होना

8375. श्री बालगोपाल मिश्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने नोटिस बोर्ड पर यह सूचना लगाई है कि "बोफोर्स काउन्टर ट्रेड" की कुछ महत्वपूर्ण फाइलें गुम हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो गुम हुए दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम ने दिसम्बर, 1989 से जनवरी, 1990 के दौरान अपना प्रात व्यापार लेखों का रिकार्ड चन्द्रलोक बिल्डिंग से जवाहर व्यापार भवन, नई बिल्डिंग में स्थानान्तरित किया। स्थानान्तरण के बाद रिकार्ड को व्यवस्थित करते समय एस. टी. सी. ने यह पाया कि दो बेग गायब थे, इनमें बोफोर्स के साथ समझौता ज्ञापन सहित विभिन्न समझौता ज्ञापनों के तहत वर्ष 1988-89 के खातों में दर्ज निर्यात दस्तावेजों की प्रतियां थीं। बाद में, एक बेग को खोज निकाला गया। दूसरे गायब हुये बैग को खोजने का कार्य तीव्र करने हेतु, सामान्य प्रक्रिया अपनाते हुए, एस. टी. सी. बिल्डिंग तलों पर नोटिस जारी किया गया। दूसरा बैग भी प्राप्त हो गया है, और बोफोर्स के साथ प्रति व्यापार से संबंधित कोई भी दस्तावेज गायब नहीं है।

कोकिंग कोयले का आयात

8376. श्री बालगोपाल मिश्र : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी व्यापारी कम्पनियों को कोकिंग कोयले का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन व्यापारी कम्पनियों को किन-किन देशों से ऐसा कोयला आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ग) इस प्रकार की अनुमति देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(घ) क्या इसके आयात के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच कराई जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) आयात निर्यात नीति के अनुसार कम राख-युक्त धातुकर्मीय कोककर कोयले के आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मूल संविधान की प्रति

[हिन्दी]

8377. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :

प्रो. शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल संविधान किस भाषा में तैयार किया गया था, जिस पर तत्कालीन प्रधान मंत्री संविधान सभा के प्रेजीडेंट और अन्य व्यक्तियों ने अपने हस्ताक्षर किए थे; और

(ख) क्या यह तथ्य है कि मूल संविधान सर्वप्रथम अंग्रेजी में तैयार किया गया था और उसके बाद इसे हिन्दी में अनुवाद किया गया था तथा इसके हिन्दी रूपांतर को कानूनी रूप में मान्यता दी गई थी ?

इस्पात और खान तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) अंग्रेजी भाषा। संविधान सभा ने संविधान 26-11-1949 को अंगीकार किया।

(ख) 17 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने निम्नलिखित संकल्प अंगीकार किया :—

"संकल्प करती है कि राष्ट्रपति को, संविधान का हिन्दी में अनुवाद तैयार कराने और उसे 26 जनवरी, 1950 से पहले अपने प्राधिकार के अधीन प्रकाशित कराने तथा संविधान का भारत की ऐसी अन्य प्रमुख भाषाओं में जैसी वे उचित समझें, अनुवाद तैयार कराने और प्रकाशित कराने के लिए भी, कारंवाई करने के लिए प्राधिकृत किया जाए"

इस संकल्प के अनुसरण में, भारत के संविधान का हिंदी अनुवाद तैयार किया गया और उस पर संविधान सभा के सभापति, भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री और अन्य सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को हस्ताक्षर किए। फलस्वरूप मूल संविधान अंग्रेजी में तैयार किया गया था।

इलाहाबाद में टी. वी. रिले केन्द्र की स्थापना

[अनुवाद]

8378. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से टी. वी. केन्द्र की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए किसी स्थान का चयन किया गया है;

(घ) उपरोक्त टी. वी. केन्द्र का प्रसारण क्षेत्र कितना होगा; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ङ) इलाहाबाद में पहले ही 1984 से एक उच्च शक्ति (10 कि. वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत है जिससे करीब 45,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेवा प्राप्त होती है। इस परियोजना को 2.70 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजीगत लागत पर लगाया गया था।

दिल्ली दूरदर्शन के लिए और अधिक चैनलों की व्यवस्था

8379. श्री आर. एन. राकेश :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली दूरदर्शन के लिए कुछ और टी. वी. चैनल शुरु करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) अन्य चैनल कब तक शुरु किए जाएंगे; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (घ) जी नहीं। तथापि, आठवीं योजना के अन्तर्गत, धनराशियां उपलब्ध होने पर 16 और शहरों में दूरदर्शन का दूसरा चैनल शुरु करने का निर्णय लिया गया है।

मारुति कारों के बीमे की प्रीमियम दरें

[हिन्दी]

8380. श्री आर. एन. राकेश :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान मारुति कारों और वैनों के बीमें से प्रीमियम के रूप में कुल कितनी धनराशि अर्जित की और उनके दुर्घटना संबंधी दावों पर कितनी धनराशि का भुगतान किया;

(ख) क्या दावा संबंधी भुगतान प्रीमियम की राशि से अधिक था;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रीमियम की दरों में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं' तो इस क्षति की किस प्रकार पूर्ति की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) साधारण बीमा उद्योग द्वारा मोटर बीमा प्रीमियम और दावों के आंकड़े वाहनों के अनुसार नहीं रखे जाते हैं और इसलिए मारुति कारों एवं वैनों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के संबंध में मोटर बीमा प्रीमियम की दरें 1.4.90 से बढ़ा दी गई हैं। मारुति कारों एवं वैनों सहित निजी कारों के मामले में यह वृद्धि औसतन लगभग 4.95 प्रतिशत बैठती है।

दिल्ली में निचली अदालतों में चल रहे मकान मालिकों/किरायेदारों के मुकदमें

[अनुवाद]

8381. श्री राधामोहन सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीस हजारी, दिल्ली की निचली अदालतों में मकान मालिकों/किरायेदारों के विवाद सम्बन्धी कितने मुकदमें निर्णयाधीन पड़े हैं;

(ख) ऐसे मुकदमों के लम्बे समय तक निर्णयाधीन पड़े रहने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार का शीघ्र न्याय दिलाने के लिए इन मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) तारीख 31.12.1989 को दिल्ली में किराया/अपर किराया नियंत्रक के न्यायालयों में मकान मालिकों/किरायेदारों से संबंधी 18941 मामले लंबित थे।

(ख) मामले लंबित रहने के अनेक जटिल कारण हैं।

(ग) दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों में बकाया मामलों के निपटारे के लिए दिल्ली न्यायिक सेवा में अतिरिक्त तथा सहायक कर्मचारियों के पद, सृजित करने का प्रस्ताव है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

8382. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान समुद्री उत्पादों का कितना निर्यात किया गया;

(ख) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान इनके निर्यात को और बढ़ाने हेतु कोई नये उपाय करने का विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात 622.46 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का हुआ था।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 1990-91 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात को और बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं, वे हैं;

(I) "झींगा मछली के चारे" पर आयात शुल्क घटाकर 25% कर देना।

(II) समुद्री खाद्य संसाधित करने वाली कुछ मशीनरी पर आयात शुल्क घटाकर 35% करना।

(III) "झींगा मछली के चारे" और "मछली के चारे" की मदों को अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत रखना।

(IV) कई समुद्री खाद्य संसाधन मशीनरी को आयात-निर्यात नीति के खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखना; और

(V) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा जापान द्वारा और पश्चिमी यूरोप में क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित करना।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के कार्यालयों का खोला जाना

8383. **श्री एन. जे. राथवा :**
श्री एच. सी. श्रीकान्तय्या :
क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की वर्ष 1990-91 के दौरान 100 से भी अधिक कार्यालय खोलने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो ये कार्यालय राज्य-वार कहां-कहां खोले जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1990-91 के दौरान उसने विभिन्न राज्यों के 86 जिलों में अपने कार्यालय खोलने का निश्चय किया है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य का नाम	1990-91 के दौरान खोले जाने वाले जिला कार्यालय	
1	2	
आंध्र प्रदेश	1.	श्रीकाकुलम
	2.	नेल्लोर
	3.	महबूब नगर
	4.	कृष्णा
	5.	खम्मम
	6.	अनन्तपुर
	7.	चित्तूर
असम	1.	कारबियागलोंग
	2.	जोरहाट
	3.	गोआलपाड़ा
	4.	डिबरूगढ़

1	2
बिहार	1. पूर्वी चम्पारण
	2. देवघर
	3. पलामु
	4. गया
	5. धनबाद
	6. सारन
	7. मुजफ्फरपुर
	8. वैशाली
गुजरात	1. बारूच
	2. सुरेन्द्र नगर
हरियाणा	1. अम्बाला
	2. कुरुक्षेत्र
	3. सोनीपत
	4. मोहिन्द्रगढ़
	5, करनाल
	6. भिवानी
हिमाचल प्रदेश	1. हमीरपुर
	2. कांगड़ा
कर्नाटक	1. गुलबर्गा
	2. शिमोगा
	3. धारवाद
	4. चित्रदुर्ग
	5. बीजापुर
	6. एरनाकुलम
जम्मू-कश्मीर	
केरल	1. पालघाट
	2. त्रिचुर
	3. पट्टानाम थिट्टा
	4. अलेपि

1	2
	5. इडुक्की
	6. एरनाकुलम
मध्य प्रदेश	1. धार
	2. खांडव
	3. बिलासपुर
	4. इन्दौर
	5. जबलपुर
	6. ग्वालियर
	7. होशन्गाबाद
	8. रायपुर
महाराष्ट्र	1. अहमद नगर
	2. जलगांव
	3. अकोला
	4. कोल्हापुर
	5. रत्नगिरि
	6. सोतापुर
	7. चन्द्रपुर
	8. यवतमाल
उड़ीसा	1. धेनकानल
	2. गंजम
	3. बोलनगिर
पंजाब	1. होशियारपुर
	2. रोपड़
राजस्थान	1. चित्तोरगढ़
	2. सावाईमाधोपुर
	3. नागौर
	4. पाली
	5. सीकर
तमिलनाडु	1. डिन्डीगुल
	2. वेल्लोर

1	2
	3. दक्षिणी अर्काट
	4. धर्मापुरी
	5. पेरियार
	6. त्रिची
उत्तर प्रदेश	1. फतेहपुर
	2. इटावा
	3. मेरठ
	4. बरेली
	5. सहारनपुर
	6. गोरखपुर
	7. झांसी
	8. सीतापुर
	9. मुरादाबाद
	10. आगरा
पश्चिम-बंगाल	1. हुगली
	2. मुर्शीदाबाद
	3. नदिया
	4. मालदा
जोड़	86

प्रसार भारती निगम को स्वायत्तता प्रदान करना

8384. श्री एन. जे. राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स" और "टी. वी. प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स गिल्ड आफ इंडिया ने प्रसार भारती निगम को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने के सम्बन्ध में अप्रैल, 1990 में एक सम्मेलन का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में कितने विशेषज्ञों ने भाग लिया था और उसमें क्या-क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) सरकार ने उन निर्णयों पर क्या कार्रवाई की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) "नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स आफ इंडिया" और "टी. वी. प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स गिल्ड आफ इंडिया" द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 1990 को "प्रसार भारती-विश्वसनीयता के लिए स्वायत्तता। क्या बिना प्रतिस्पर्धा के विश्वसनीयता प्राप्त की जा सकती है ? "नामक विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

(ख) इस संगोष्ठी में लगभग 100 व्यक्तियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में निम्नलिखित मुद्दों पर सर्वसम्मति व्यक्त की गई जैसे—:दो निगम होने चाहियें, एक रेडियो के लिए तथा दूसरा टी. वी. के लिए, न्यासी निकाय के स्थान पर न्यासी बोर्ड होना चाहिए, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन दोनों के महानिदेशक निगम के कार्यकारी न्यासी (गवर्नर) होने चाहियें, गुणवत्ता तथा विषय वस्तु आदि में सुधार करने के लिए स्पर्धा की आवश्यकता है।

(ग) प्रसार भारती विधेयक में संशोधन करने के प्रयोजन से विभिन्न पक्षों से प्राप्त अन्य सुझावों के साथ उपर्युक्त सर्वसम्मत मुद्दों पर विचार किया गया है।

फिल्म उद्योग द्वारा अपनी प्रचार सामग्री की सेंसरशिप

8385. श्री एन. जे. राथवा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग ने अपने पोस्टरों और अन्य प्रचार सामग्री पर स्वयं ही सेंसरशिप लगाने और उनको फिल्म परिषद द्वारा जांच करवाने तथा मंजूरी देने के बारे में सहमति प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या फिल्म उद्योग फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा इन प्रस्तावों को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो फिल्म उद्योग द्वारा सेंसरशिप और पोस्टरों और अन्य प्रचार सामग्री के बारे में दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (घ) सरकार द्वारा की गई पहल पर अश्लील फिल्म पोस्टरों तथा अन्य प्रचार सामग्री की प्रभावी जांच करने के लिए फिल्म उद्योग द्वारा अपनी जांच समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों के काम को नियंत्रित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का उत्तरदायित्व फिल्म उद्योग का है।

जीवन बीमा निगम में कर्मचारियों की भर्ती

[हिन्दी]

8386. श्री राजवीर सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जीवन बीमा निगमों में जनवरी, 1988, जनवरी, 1989 और जनवरी, 1990 को स्थिति के अनुसार मुख्य श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अधिकारी संवर्ग और लिपिकीय कर्मचारियों की संख्या में वर्षवार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने से ग्राहक-सेवाओं संबंधी कार्यकुलता में भी वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) 1.1.1988, 1.1.1989 और 1.1.1990 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा निगम में स्थायी कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

पद की श्रेणी	1.1.88 को कर्मचारियों की संख्या	1.1.89 को कर्मचारियों की संख्या	1.1.90 को कर्मचारियों की संख्या
श्रेणी-I	7118	7945	9150
श्रेणी-II	9348	10591	11800
श्रेणी-III	46048	44643	50283
श्रेणी-IV	8571	7906	9836

(ख) विभिन्न संवर्गों में वृद्धि की प्रतिशतता निम्नानुसार है :—

	1988	1989	1990
श्रेणी-I	10.27%	11.62%	15.17%
श्रेणी-II	17.23%	13.30%	11.42%
श्रेणी-III	9.28%	(—) 3.05%	12.63%
श्रेणी-IV	2.70%	(—) 7.76%	24.41%

(ग) जी, हां।

उत्तर प्रदेश में बैंकों की शाखाएं खोलना

8387. श्री राजवीर सिंह :
श्री सरजू प्रसाद सरोज :
डा. बंगाली सिंह :
श्री कल्पनाथ सोनकर :
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई हैं, और

(ख) वर्ष 1990 के दौरान प्रत्येक जिले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाएं तथा किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 1.1.1987 से 31.12.1989 की गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में 582 शाखाएं खोलीं। पिछली शाखा लाइसेंसिंग नीति (1985-90) दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त की गई थी। "नई शाखा" लाइसेंसिंग नीति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अतः 1990 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में खोली जाने वाली सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या या उनके स्थान के बारे में बताना इस समय संभव नहीं होगा। पिछली नीति के अन्तर्गत मंजूर किए गए लाइसेंसों में उत्तर प्रदेश में शाखाएं खोलने के वास्ते सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास अभी भी 241 लाइसेंस लम्बित हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आबंटित केन्द्रों में बैंक शाखायें खोली जायें, भारतीय रिजर्व बैंक ने इन लाइसेंसों की वैधता अवधि को दिनांक 30 सितम्बर, 1990 तक बढ़ा दिया है।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले

8388. **श्री राजवीर सिंह** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में पांच वर्षों से भी अधिक समय से कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ख) उनका शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) 21-12-1989 को उच्चतम न्यायालय में पांच वर्ष से अधिक पुराने 23,921 मामले (केवल नियमित सुनवाई वाले मामले) लम्बित थे।

(ख) न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या घटाने के लिए विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखने और विशेष न्यायपीठों के गठन जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं।

फिल्म सोसाइटियों को फिल्मों का वितरण

[अनुवाद]

8389. **श्री एम. रमन्ना राय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा फिल्म सोसाइटियों को वितरण के लिए प्रति वर्ष औसतन कितनी फिल्में दी जाती हैं;

(ख) क्या फिल्म सोसाइटी आन्दोलन को प्रदर्शन के लिए अच्छी फिल्में प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फिल्म सोसाइटियों को वितरण के लिये फिल्मों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्म सोसाइटियों को रियायती दर पर फिल्म देने की कोई योजना है।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा फिल्म सोसाइटियों को प्रतिवर्ष वितरण के लिए औसतन 117 फिल्में दी जाती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा सोसाइटियों को फिल्मों के वितरण के अतिरिक्त सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भी इमदादी दरों पर अच्छी फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए फिल्म सोसाइटियों की मदद करता है। इसके अतिरिक्त, अच्छी फिल्मों के प्रदर्शन के लिए निगम ने राष्ट्रीय संग्रहालय के सहयोग से बम्बई में राष्ट्रीय फिल्म मंडल की स्थापना भी की है। नाम मात्र वार्षिक सदस्यता शुल्क 100 से 400 रुपये तक लिया जाता है तथा इस स्कीम के तहत अभी तक 300 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जा चुकी हैं।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम

8390. **श्री के. प्रधानी राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम के क्या उद्देश्य हैं,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस निगम द्वारा वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि एकत्र की गई है, और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान निगम द्वारा कितने दावे निपटाये गये हैं तथा वर्ष-वार और राज्यवार इन दावों से सम्बद्ध धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

(एक) बैंकों के पास जमा राशियों का बीमा कार्य, और

(दो) बैंककारी कम्पनियों सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर किए गए ऋणों और अग्रिमों की गारंटी देने की क्षतिपूर्ति करने का कारबार करना।

समय-समय पर निगम द्वारा शुरू की गई ऋण गारंटी योजनाओं का उद्देश्य, लघु क्षेत्र के उद्योगों और छोटे ऋणकर्ताओं को, विशेष रूप से समाज के कमजोर और अब तक के उपेक्षित वर्गों को ऋण देने के लिये बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को प्रेरित करना है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1987 (जनवरी से दिसम्बर), 1988-89 (जनवरी 1988 से मार्च 1989) और 1989-90 (अप्रैल 1989 से मार्च 1990) के दौरान एकत्र की गई गारंटी फीस और निपटाए गए दावे नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	एकत्र की गई गारंटी फीस	निपटाए गए दावों की राशि
1987 (जनवरी से दिसम्बर)	145.17	236.57
1988-89 (जनवरी 1988 से मार्च 1989)	191 89	437.17
1989-90 (अप्रैल 1989 से मार्च 1990) (अनन्तिम)	5[illegible]2.05	714.66

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने सूचित किया है कि एकत्र की गई गारंटी फीस और निपटाए गए दावों की राशि के राज्य-वार अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

संयुक्त क्षेत्र में बड़े और मध्यम दर्जे के होटलों का निर्माण

8391. **श्री के. चोक्का राव :**

श्री एस. कृष्ण कुमार :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार पर्यटन प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग के पर्यटकों के लिए संयुक्त क्षेत्र में और बड़े तथा मध्यम श्रेणी के आवासीय होटलों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न "ए" श्रेणी के शहरों में तथा केरल राज्य में वर्ष 1990-91 के दौरान होटलों में कितनी आवास व्यवस्था की जाएगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) और (ख) फिलहाल, सरकार का संयुक्त क्षेत्र में होटल स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त इस आशय के अनुरोध की जांच की जा रही है कि भारत पर्यटन विकास निगम राज्य सरकार के साथ सहयोग करके मद्रास में एक होटल का निर्माण करे।

सरकारी क्षेत्र में होटलों का निर्माण

8392. **श्री जे. चोक्का राव :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सरकारी क्षेत्र में कुछ और होटलों का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितने होटलों का निर्माण करने का विचार है और उनका कहां-कहां निर्माण किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में देश में सितारा होटलों के निर्माण हेतु किसी विशिष्ट स्कीम/प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

औषधों का आयात

8393. **श्री कल्पनाथ सोनकर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान औषधों और औषध-इन्टर-मीडिएट्स का गैर-कानूनी आयात करने के कतिपय मामले उनके मंत्रालय की जानकारी में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और ऐसे प्रत्येक मामले पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋण और जमा धनराशि का अनुपात

8394. **डा. असीम बाला :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों का ऋण और जमा धनराशि का अनुपात कितना है,

(ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में ऋण वसूली की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) अमीर और गरीब वर्गों से ऋण वसूली की प्रतिशतता कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) दिसम्बर 1989 के अन्तिम शुक्रवार (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण: जमा अनुपात क्रमशः 6..8 प्रतिशत तथा 50.0 प्रतिशत था।

(ख) और (ग) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं

होती। तथापि, 31 मार्च, 1989 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित श्रेणी-वार बकाया अग्रिमों में से अनन्तिम अतिदेय रकमों का श्रेणी-वार प्रतिशत अनुपात नीचे दिया गया है :—

श्रेणी	बकाया अग्रिमों में से अतिदेय रकमों का प्रतिशत
(क) बड़े एवं मझौले उद्योग	14.10
(ख) लघु उद्योग	20.25
(ग) कृषि	19.50
(घ) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	29.91
(ङ) अन्य सभी	9.39
सभी क्षेत्र	16.35

बैंक डकैतियां

8395. श्री यशवन्त राव पाटिल :

श्री कल्पनाथ राय :

श्री माधव सिंधिया :

श्री सरजू प्रसाद सरोज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी और देश अन्य भागों में हाल के महीनों में डकैतियों और लूट के मामलों में वृद्धि देखने में आई है,

(ख) यदि हां, तो गत चार महीनों (जनवरी-अप्रैल 1990) के दौरान राजधानी और देश के विभिन्न भागों में बैंक डकैती और लूट की कितनी घटनायें घटी हैं और कितनी धनराशि लूटी गई,

(ग) जनता, पुलिस या बैंक कर्मचारियों की सूझ-बूझ के कारण डकैती और लूट के कितने प्रयास असफल किये गए,

(घ) क्या सरकार बैंक डकैतों का मुकाबला करते समय मारे गये/घायल हुए जनता के व्यक्तियों/बैंक कर्मचारियों को कुछ पुरस्कार देती है,

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित बैंक डकैतियों में यदि कोई व्यक्ति मारा गया/घायल हुआ है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को कितनी धनराशि दी गई, और

(च) बैंक डकैतियों को प्रभावशाली ढंग से असफल बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1 जनवरी, 1990 से [illegible] अप्रैल, 1990 की अवधि के दौरान बैंक लूटपाट/डकैतियों की 34 वारदातें हुई थी जिनमें संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में हुई एक घटना भी शामिल है और इनमें 159.30 लाख रुपए की कुल रकम अन्तर्ग्रस्त थी।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 6 अप्रैल, 1990 को, एयर फोर्स स्टेशन, पालम स्थित सिंडिकेट बैंक की विस्तार-शाखा में लूटपाट करने का प्रयास किया गया था जिसे बैंक गार्ड ने विफल कर दिया था।

(घ) और (ङ) बैंक कर्मचारियों, आम जनता तथा पुलिस कर्मिकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से लुटेरों/डकैतो के प्रयासों का मुकाबला करने/विफल करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने की एक योजना चल रही है। इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वे ऐसे व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करें जो बैंक लूटपाट/डकैतियों की वारदातों को रोकनें/विफल करने में असाधारण बहादुरी का परिचय देते हैं ताकि उन्हें वीरता-पुरस्कार दिए जा सकें। प्रत्येक व्यक्ति को पुरस्कार के रूप में दी गयी राशि के बारे में सूचना सम्बन्धित बैंकों से एकत्र की जायेगी और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) बैंक लूटपाट/डकैतियों की वारदातें काफी हद तक किसी स्थान के आम सुरक्षा वातावरण पर निर्भर करती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अमल में लाये गए सुरक्षा उपायों की समय-समय पर जांच की जाती है और जहां कहीं उनमें आगे और सुधार करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, बैंकों को आवश्यक दिशानिर्देश/हिदायतें दी जाती हैं। बैंकों ने, अन्तर्ग्रस्त जोखिम को ध्यान में रखते हुए, अपनी शाखाओं की वर्गीकृत कर लिया है और सशस्त्र गार्ड नियुक्त कर दिए हैं और जहां कहीं आवश्यक है, सेंधमारी/लूटपाट रोधक यंत्र लगा दिए हैं।

दूरदर्शन द्वारा छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण

[हिन्दी]

8396. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष छात्रों के लिए कुल कितने शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया इनमें से अंग्रेजी और हिन्दी में कितने-कितने कार्यक्रम प्रसारित किए गए और ऐसे कार्यक्रमों की अवधि क्या थी;

(ख) क्या इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोई नीति, समयावधि और सुविचारित योजना बनाई गई है;

(ग) क्या ऐसे कार्यक्रमों की लोकप्रियता और ग्राह्यता के बारे में कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन द्वारा विशेष रूप से छात्रों के लिए जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वे कालेज तक के छात्रों के वास्ते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किए गए उच्च शिक्षा के कार्यक्रम और स्कूली बच्चों के वास्ते स्कूल पाठ्यक्रम पर आधारित (उपग्रह दूरदर्शन कार्यक्रम) होते हैं ।

वर्ष 1989 में अंग्रेजी में 1081 और हिन्दी में 1340 कार्यक्रम प्रसारित किए गए थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रत्येक कार्यक्रम की अंग्रेजी और हिन्दी में अवधि एक घंटा और प्रत्येक उपग्रह दूरदर्शन कार्यक्रम की अवधि 20 मिनट थी ।

(ख) जी, हां । नीति यह है कि देश में राज्यों और विश्वविद्यालयों के शिक्षापाठ्क्रकों में सम्मिलित विषयों को और समृद्ध बनाया जाए तथा अतिरिक्त जानकारी दी जाए । उपग्रह दूरदर्शन कार्यक्रम राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों के साथ परामर्श करके तैयार किए जाते हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों का आयोजन तथा उक्त निर्माण आयोग की अपनी देख-रेख के अन्तर्गत किया जाता है ।

(ग) दूरदर्शन द्वारा ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गयी है ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

राजस्थान में भारतीय स्टेट बैंक की शाखायें खोलना

8397. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में भारतीय स्टेट बैंक की, जिले-वार, कुल कितनी शाखायें हैं;

(ख) ये शाखायें कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) इन शाखाओं में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा उनमें स्थाई और अस्थाई कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का निकट भविष्य में राज्य में इस बैंक की और शाखायें खोलने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को भारतीय स्टेट बैंक से अजमेर जिले में विजय नगर जैसे वाणिज्यिक और औद्योगिक नगरों में इसकी शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(छ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) दिनांक 31.3.1990 की स्थिति के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक की राजस्थान राज्य में 153 शाखाएं कार्य कर रही थीं । इन शाखाओं की जिला-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त

नहीं होती। तथापि, बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान में भारतीय स्टेट बैंक के 3092 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(घ) से (छ) पिछली शाखा लाइसेंसिंग नीति (1985-90) दिनांक 31.3.1990 को समाप्त हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक नई शाखा लाइसेंसिंग नीति को अंतिम रूप नहीं दिया है। राजस्थान राज्य के लिए पिछली शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत जारी किए गए 14 लाइसेंस उपयोग किए जाने के वास्ते भारतीय स्टेट बैंक के पास लम्बित हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ने इन लाइसेंसों की वैधता अवधि 30.9.1990 तक बढ़ा दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने आगे बताया है कि उसने अजमेर जिले के विजय नगर तथा कुछ अन्य केन्द्रों में शाखाएं खोलने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इन आवेदनों पर गुण-दोषों के आधार पर विचार करेगा।

विवरण

दिनांक 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में कार्य कर रही भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के जिले-वार स्थान

जिले का नाम	केन्द्र का नाम
1	2
अजमेर	अजमेर, अवेरी देओरी, बघेरा, बीवार, बीवार इवनिंग शाखा, दिग्गीबाजार, अजमेर कुदेरा एसएबी, केकरी एडीबी, ख्वास एसएबी, लोको वर्कशाप अजमेर, मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड अजमेर, मदनगंज किशनगंज, नसीराबाद, अजमेर,
अलवर	अजबपुरा, अलवर, आर्यनगर, अलवर, बलेतु एसएबी, बेरोड़-एडीबी, भिवाड़ी, इतारना, खेरली, कोटकाशीम, मत्स्य इंडस्ट्रीयल, इस्टेट, अलवर. राजगढ़ एडीबी, रामगढ़ एडीबी (राजस्थान),
बांसवाड़ा	बांसवाड़ा, चन्दुजी कागढ़, एसएबी, कुशलगढ़ एडीबी,
बाड़मेर	बाड़मेर शहर, गुधामलानी एडीबी,
भरतपुर	बल्लभगढ़ (राज.), भरतपुर, भुसावर एडीबी, ब्रहमबाद, डीगएडीबी, गापोलगढ़ एसएबी, नदबाई एडीबी, नियार-एसएबी, थून एसएबी,
भीलवाड़ा	असिंद एडीबी, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा इवनिंग शाखा, हुरदा-एडीबी मन्दुलगढ़ एडीबी, पाटनएसएबी, रेला, धमनिया-एसएबी,

1	2
बीकानेर	अर्जनसार, बिकामपुर एसएबी, बीकानेर सीटी, नंगासहर रोड, बीकानेर, बैमासरएसएबी, सादुलगंज बीकानेर,
बून्दी	करवेडा, बून्दी, जवाहर सागर, बालीपुर,
चित्तौड़गढ़	छोटी सादड़ी एडीबी, चित्तौड़गढ़, नीमबेहेरा एडीबी,
चुरू	चुरू, रतनगढ़, सुजानगढ़,
धौलपुर	धोलपुर एडीबी, दासीमो
डुंगरपुर	चुन्दावाड़ा एसएबी, डुंगरपुर, जीथाना,
गंगानगर	बाजूवाला एसएबी, ब्रह्मसर एसडीबी, छानीबाड़ी, एडीबी, हनुमानगढ़ एडीबी, न्यू मंडी हनुमानगढ़, जयसिंह नगर एडीबी, रावला मंडी एसएबी, सदुलशहर, श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर एडीबी, सुरतगढ़, लीलावाली, एसएबी
जयपुर	बागरू, बजाजनगर, मैनसवा, स्कीम, जयपुर, दौसा, हवा सड़क, सोदाला, जयपुर, जयपुर, जयपुर कैंट, जयपुर, साउथ, करधरनगर जयपुर, लुनियावास एसएबी, मालवियानगर, जयपुर, न्यू सेंट्रल रिवेन्यू बिल्डिंग, जयपुर, सांभर लेक, संगनेर, सिंधी कलोनी, बानीपार्क जयपुर, टांक रोड़ जयपुर, ट्रांसपार्टनगर जयपुर, विद्याधर नगर जयपुर, विश्वकर्मा इन्स्ट्रीयलइस्ट्रेट जयपुर,
जयसलमेर	जयसलमेर, नेहदाई एसएबी, जलौर, देवारा एसएबी, अहोर, जलोर, मोसिम एसएबी,
झालवाड़ा	चकलेरा एडीबी, झालावाड़, सरेरी एसएबी,
झुंझुनु	झुंझुनु,
जोधपुर	आर्मी कन्टोन्मेंट एरियाजोधपुर, बीलारा एडीबी, गंगानी एसएबी, इंडियन एयर फोर्स स्टेशन, जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर सीटी, खड़ियाखगढ़, लुनी एसएबी, ओसियन, रूलका बाग जोधपुर, रेलवे स्टेशन जोधपुर, शास्त्रीनगर जोधपुर, यू.आई.टी. जोधपुर, जेलू गागरी,
कोटा	आदित्य नगर, मोरक, अतरू एडीबी, कोटा, कोटा एडीबी, लादपुरा, कोटा,
नागौर	लदनुवां मकराना, नागौर,

पाली मारवाड़	फलना, पाली सिटी इवनिंग शाखा, पाली मारवाड़, रानी, सोजात इंडस्ट्रीयल ऐरिया, सुमरपुर,
सवाई माधोपुर	हिन्दौन सिटी, मन टाउन,
सीकर	रिनगुस, सीकर
सिरोही	आबु रोड़, बसंतगढ़ (जेकेपुरम), माउन्ट आबु, पोसालिया एसएबी, सिरोही,
टोंक	नवल इंडस्ट्रेयल एरिया, टोंक
उदयपुर	बड़गांव एडीबी, भवाना (गिरवा) उदयपुर, उदयपुर (राजस्थान), उदयपुर सिटी (राजस्थान)

चाय का निर्यात

8398. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय का निर्यात करने वाली कम्पनियों और एजेन्सियों का ब्योरा क्या है और प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा कितनी चाय का निर्यात किया जाता है;

(ख) इन कंपनियों को चाय का निर्यात करने की अनुमति देते समय सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) क्या किसी विशेष देश को चाय का निर्यात करने के संबंध में कोई रियायत दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) आज की तारीख के अनुसार 606 फर्म/कम्पनियां/चाय निर्यातक के रूप में वैध लाइसेंसधारक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गयी चाय की कुल मात्रा निम्नलिखित है :—

वर्ष	निर्यात की गयी मात्रा (मिलियन किग्रा)
1987-88	207.57
1988-89	208.82
1989-90 (अनु.)	202.81

(अनु.) अनुमानित

(ख) भारत से चाय का निर्यात करने वाले को चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1957 के अंतर्गत चाय बोर्ड में पंजीकृत कराना पड़ता है। इस आदेश के अधीन चाय बोर्ड द्वारा वैध निर्यातक लाइसेंस धारक भारत से चाय का निर्यात करने के पात्र हैं। कोई निर्यातक वैध निर्यात आदेशों पर चाय का पोतलदान तभी कर सकता है जब निर्यात के पास चाय (विनिर्यात लाइसेंसिंग का विनियमन) आदेश, 1984 के संगत प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक खेप के लिए चाय बोर्ड द्वारा जारी पोतलदान लाइसेंस हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक द्वारा रिकार्डिंग-कैसेट प्रणाली आरम्भ किया जाना

[अनुवाद]

8399. **श्री एच. सी. श्रीकान्तय्या : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या कर्नाटक के आकाशवाणी केन्द्र प्रसारण हेतु फिल्मी गीतों की डिस्क रिकार्डिंग की पुरानी पद्धति अपनाए हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डिस्क रिकार्डिंग प्रणाली में नए फिल्मी गीत, शास्त्रीय संगीत और अन्य कार्यक्रम उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के सभी आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा प्रसारण के प्रयोजन से गीत रिकार्ड करने की कैसेट प्रणाली आरम्भ करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकांश रिकार्डिंग डिस्क पर उपलब्ध है। और

(ग) जी नहीं।

खाद्य तेलों का आयात

8400. **श्री सूरज प्रसाद सरोज : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान खाद्य तेलों के आयात में कितनी कमी आई है; और

(ख) वर्ष 1988-89 में आयात किए गए तेल की प्रति इकाई मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) खाद्य तेलों के आयात का स्तर वर्ष 1988-89 में 10.89 लाख मी. टन तक गिरने से पहले वर्ष 1986-87 में 13.07 लाख मी. टन था जो वर्ष 1987-88 में बढ़कर 19.67 लाख मी टन हो गया था।

(ख) आयातित खाद्य तेलों की संविदा की गई औसत सी आई एफ कीमत वर्ष 1987-88

में 5,264 रुपए प्रति मी. टन थी, जो वर्ष 1988-89 में बढ़कर 6,652 रुपए प्रति मी. टन हो गई। इस प्रकार इसमें 26% की वृद्धि हुई।

कम्पनियों द्वारा "पब्लिक इश्यू" के सम्बन्ध में दिशा निदेश

8401. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कम्पनियों द्वारा "पब्लिक इश्यू" जारी किए जाने के सम्बन्ध में कोई नए दिशा निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) नए दिशानिदेश, वर्तमान दिशानिदेशों से किस प्रकार भिन्न हैं;

(घ) शेयरों में पूंजीनिवेश करने वाले आम लोगों के हितों की सुरक्षा के बारे में मुख्य घटकों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार को ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो निदेशकों से पैसा एकत्र करती हैं लेकिन किए गए वायदे पूरे नहीं करती ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) वित्त मंत्रालय समय-समय पर विभिन्न मार्ग निर्देश जारी करता है। हाल ही में, 22 मार्च, 1990 को सदन में वित्त मंत्री के आश्वासन पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में इस आशय के और मार्ग निर्देश जारी किए गए थे कि जब तक समस्त निर्गमों का प्रति 90 प्रतिशत अभिदान प्राप्त न हो जाए तब तक सार्वजनिक/आधिकारिक निर्गमों मे आवंट नहीं किया जाए। इन मार्गनिर्देशों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) भिन्न-भिन्न प्रकार की शिकायतें प्रायः संबंधित प्राधिकारियों को उपर्युक्त कारवाई के लिए भेज दी जाती है, तथा मांगी गई विशिष्ट जानकारी रखी नहीं जाती है।

विवरण

संख्या एफ. 2/14/सी. सी. आई./90
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(पूंजी निर्गम नियंत्रण का कार्यालय)

प्रेस नोट

विषय :—**सार्वजनिक/आधिकारिक निर्गमों में कम से कम अभिदान**

न्यूनाभिदत्त पूंजी निर्गमों में निवेशकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्या कुछ समय से सरकार का ध्यान आकृष्ट करती रही है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :—

1. प्रतिभूतियों का कोई अधिकारिक/सार्वजनिक निर्गम जारी करने वाली किसी कंपनी को उस समय तक शेयर्स/डिबेंचर्स आबंटन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक

वह समस्त निर्गम के प्रति कम से कम 90 प्रतिशत अभिदान प्राप्त नहीं कर लेती है।

यदि इस सीमा तक अभिदान प्राप्त नहीं होता है तो आवेदनों के साथ एकत्रित की गई समस्त धनराशि निर्गम के बन्द होने से 90 दिन के समाप्त होने पर आवेदकों को वापस कर देनी होगी।

2. जिन मामलों में पूंजी निर्गम नियंत्रक से आधिकारिक और सार्वजनिक निर्गमों के लिए संयुक्त स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है वहां इस बात का विचार किए बिना कि निर्गम एक साथ जारी किए गए हैं अथवा नहीं, 90 प्रतिशत की उक्त सीमा समस्त धनराशि पर लागू होगी।

3. इस प्रकार की संयुक्त स्वीकृतियों पर जारी किए गए निर्गमों के विभिन्न निर्गमों (जैसे आधिकारिक, भारतीय जनता, अनिवासी भारतीय आदि) के बन्द होने की तारीखों के बीच का अन्तर 30 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. आधिकारिक निर्गमों को 60 दिन से अधिक के लिए खुला रखे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. यदि हामीदारों के संबंध में कोई बात है तो कम से कम 90 प्रतिशत का स्तर उपलब्ध कराने के लिए निर्गम के बन्द होने से 90 दिन के भीतर उनसे अभिदान प्राप्त करना होगा।

6. सार्वजनिक निर्गम खुलने से पहले प्रवर्तकों को अपना अभिदान अग्रिम देना तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय स्टाक एक्सचेंज को एक प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा।

7. आधिकारिक/सार्वजनिक निर्गमों के लिए प्राप्त किया गया अभिदान विशिष्ट बैंक खातों में रखा जाएगा और जब तक कंपनियों को आबंटन के लिए संबंधित क्षेत्रीय स्टाक एक्सचेंज (ओं) से स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वे इस प्रकार की राशि को प्राप्त नहीं करेंगे। जहां एक से अधिक एक्सचेंज में सूचीकरण प्रस्तावित किया गया हो वहां जब तक संबंधित प्रत्येक एक्सचेंज से स्वीकृत सूचीकरण अनुमोद उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक आबंटन या उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. कंपनियों को व्यापारिक बैंकरों और कम्पनी के मुख्य कार्यकारी/कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे तथा प्रतिलिपि भार, प्रति. एक्स. बोर्ड और पूंजी निर्गम नियंत्रक को भेजनी होगी ताकि आबंटन के लिए स्टाक एक्सचेंज का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्गम में कुल का 90 प्रतिशत तक अभिदान प्राप्त हो हो सके।

9. इस संबंध में कंपनियां विवरणिकाओं, प्रस्ताव पत्रों, विज्ञापनों, प्रचार साहित्य, विवेशकों/दलालों के सम्मेलन इत्यादि में पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण करेंगी और यदि

90 प्रतिशत तक अभिदान प्राप्त न हुआ हो तो निर्गम के बन्द होने की तारीख 90 दिन के समाप्त होने पर धनराशि वापस करने का वचन देंगी और यदि इस अवधि के बाद धनराशि करने में 10 दिन से अधिक दिन की देरी हो जाती है तो 15 प्रतिशत वार्षिक दर ब्याज देना होगा।

10. ये मार्गनिर्देश/शर्तें इसके बाद जारी किए गए सभी सार्वजनिक/आधिकारिक निर्गमों पर लागू होंगी। सिवाय उन विवरणिकाओं प्रस्ताव पत्रों के जो 8 अप्रैल, 1990 तक दायर किए गए/जारी किए गए हों।

दिनांक : 6 अप्रैल, 1990

धर्मार्थ संगठनों को आयकर में छूट

8402. **श्री मदन लाल खुराना :**

श्री वी. निवास प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-जी के अन्तर्गत आयकर में छूट के लिए धर्मार्थ संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्रों और पहले से ही दी गयी छूट की वैधता की अवधि बढ़ाने संबंधी आवेदन-पत्रों के निपटान की समय सीमा क्या निर्धारित की है;

(ख) क्या आयकर अधिकारि निर्धारित समय सीमा का पालन कर रहे हैं;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में आयकर विभागों के विभिन्न कार्यालयों में 20 महीने से अधिक समय से ऐसे कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन आवेदन-पत्रों के निपटान में और कितना अधिक समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अधीन आयकर आयुक्तों को ऐसे आवेदन-पत्रों का निपटान 90 दिन के भीतर करने की सलाह दी गई है। उक्त अवधि के भीतर निपटान नहीं किए गए आवेदन-पत्रों, 20 महीनों से अधिक की अवधि तक अनिर्णीत पड़े हुए आवेदन-पत्रों तथा ऐसे आवेदन-पत्रों को किस समय तक निपटाया जाएगा, इनके बारे में सूचना केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में उपलब्ध नहीं है तथा इस सूचना को अब क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र किया जा सके।

एशियाई विकास बैंक की नीति

8403. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :**

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने भारत को ऋण देने संबंधी अपनी नीति के बारे में कोई परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कोयले का आयात

8404. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, आस्ट्रेलिया से कोकिंग कोयला आयात करने के संबंध में गठित अन्तर-मंत्रालीय दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर-मंत्रालीय दल की रिपोर्ट तथा उसकी सिफारिशों की अभी सरकार जांच कर रही है।

महाराष्ट्र में धूलिया में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना

8405. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में धूलिया में एक दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी स्थल का चयन किया जा चुका है;

(घ) इस दूरदर्शन केन्द्र का प्रसारण क्षेत्र कितना होगा; और

(ङ) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (ङ) इस समय महाराष्ट्र के धुले जिले में तीन अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर अर्थात् धुले, नन्दूरबार तथा शाहद में एक-एक ट्रांसमीटर कार्यरत है, जबकि धुले में इस समय एक अतिरिक्त दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना करने के लिए कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, सरकार का इस प्रयोजन के लिए निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए जिले के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने का प्रयास हैं।

गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारण लाभ से वंचित क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना की अनुमति

8406. **श्री ए. आर. अन्तुले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के उन क्षेत्रों में जो दूरदर्शन और आकाशवाणी स्टेशनों के प्रसारण के लाभ से वंचित हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को अनुमति देने के बारे में विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े आपराधिक मामले

8407. **श्री ए. आर. अन्तुले** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितने आपरारिक मामले आए;

(ख) ऐसे कितने मामले पिछले पांच से सात वर्षों की अवधि से निपटान के लिए लंबित पड़े हुए हैं; और

(ग) ऐसे आपराधिक मामलों की संख्या कितनी है जिनमें मुकदमे की कार्रवाई पूरी हो गई है तथा तथाकथित अपराध करने के बाद नौ वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ही जिनमे निर्णय लिया जाना है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जब्त की गयी उपभोक्ता वस्तुओं की दिल्ली में सीमा-शुल्क की फुटकर दुकानों द्वारा बिक्री

8408. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब्त की गयी उपभोक्ता वस्तुएं उच्च अधिकारियों द्वारा संस्तुत किये गये व्यक्तियों को ही बेची जाती हैं और 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर नहीं बेची जाती हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या कलक्टर सीमा-शुल्क दिल्ली को सीमा-शुल्क की फुटकर दुकानों के कार्यकरण के बारे में अनेक पत्र प्राप्त हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) पकड़े गए जब्तशुदा

उपभोक्ता माल की थोक (बल्क) बिक्री अनुमोदित सहकारी समितियों तथा राज्य सिविल आपूर्ति निगमों/राज्य सहकारी संघों को और आगे सहकारी समितियों, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारों आदि की माफंत वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचे जाने के लिए की जाती है। बिक्री के लिए ऐसे माल के सम्बन्ध में सैनिक/पुलिस/अर्घ-सैनिक कैन्टीनों को भी प्रस्ताव किया जाता है। थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऐसे माल की बिक्री सीमा-शुल्क की खुदरा दुकानों की मार्फत, वास्तविक उपभोक्ताओं को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर भी की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। ऐसी शिकायतें मिली थी कि सीमाशुल्क की खुदरा दुकान पर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर माल की बिक्री नहीं की जा रही है। दिल्ली स्थित सीमा शुल्क की खुदरा दुकान की कार्यपद्धति में सुधार लाने के लिए अब निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर दी गयी है;

(ii) बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले को माल को प्रदर्शित करने के लिए और अधिक स्थान उपलब्ध कराया गया है;

(iii) यह दुकान सही ढंग से कार्य करे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से आकस्मिक दौरे किए जाते हैं;

(iv) बिक्री के लिए पेश की जा रही वस्तुओं के ब्यौरे तथा इन का मूल्य, खुदरा दुकान के बाहर एक नोटिस बोर्ड पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है।

प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए सलाहकार समिति का गठन

8409. **श्री आर. जीवरत्नम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जिला स्तर पर प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए एक सलाहकार समिति गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस तरह की कोई अन्य संस्था गठित करने का विचार है ताकि बैंक लोगों की, विशेष रुप से उन्हें ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में और अधिक बेहतर ढंग से सेवा कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का ऐसी संस्थाओं में ग़ैर-सरकारी सदस्यों के रुप में स्थानीय संसद सदस्यों को नियुक्त करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) जिला स्तर पर प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से किसी परामर्शदात्री समिति का गठन नहीं किया गया है। तथापि, अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत, एक जिला समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसमें बैंकों के प्रतिनिधि तथा सरकारी विकास एजेंसियों के सरकारी अधिकारी शामिल हैं। इस समिति की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाती हैं जिसकी अध्यक्षता जिला कलैक्टर करते हैं। समिति, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों सहित वार्षिक कार्य योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है और बैंकों तथा सरकारी विकास एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करती

हैं। इसके अतिरिक्त, जिला स्तरीय संवीक्षा समिति नामक उपर्युक्त समिति का एक परिवर्धित मंच छमाही आधार पर बैठकें करता है। जिला स्तरीय संवीक्षा समिति की छमाही बैठकों में स्थानीय संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाएं खोलना

8410. श्री आर. जीवरत्नम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का तमिलनाडु में कोयम्बटूर जैसे अन्य नगरों के व्यावसायिक केन्द्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कामकाज को सुचारु बनाने के लिए प्रमुख नगरों में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समय उसके पास देश के किसी राज्य में नई शाखाएं कार्यालय खोलने के वास्ते कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पर्यटन स्थलों का विकास

8411. श्री प्रतापराव बी भोसले : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान और अगले वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ और पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र वार अलग-अलग ब्योरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) से (ग) पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य और संघशासित क्षेत्रों की सरकारों की है। तथापि, पर्यटन विभाग पर्यटन आधारिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों, उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

बचत योजनाएं

8412. श्री प्रतापराव बी. भोसले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार के स्वामित्व वाली/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ वित्तीय संस्थाएं अपनी विभिन्न बचत योजनाओं के माध्यम से धन एकत्र कर रही हैं;

(ख) क्या कुछ गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाएं भी अपनी विभिन्न बचत योजनाओं के माध्यम से धन एकत्र करने में लगी हुई हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी सरकार की स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं और गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है ?

वित्तमंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंक विभिन्न जमा योजनाओं के माध्यम से जनता से रकमें एकत्र करते हैं। कुछ बैंकों ने पारस्परिक निधियां (म्युचुअल फण्ड) भी स्थापित की हैं जिनके माध्यम से रकमें एकत्र की जाती हैं। वाणिज्यिक बैंकों के अलावा, कतिपय गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनियों, गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों, व्यक्तियों और भागीदारी फर्मों तथा अवशिष्ट गैर-बैंककारी कम्पनियों द्वारा भी उनकी विभिन्न बचत योजनाओं के माध्यम से जनता से रकमें एकत्र की जाती हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट आदि जैसी सरकारी वित्तीय संस्थाएं भी उनके द्वारा स्थापित पारस्परिक निधियों के माध्यम से जनता से रकमें एकत्र करती हैं।

डाक घर बचत योजनाएं

8413. **श्री प्रतापराव बी. भोसले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के डाकघरों के माध्यम से कुछ बचत योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का छोटे निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए कुछ और आकर्षक बचत योजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का अधिक पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन योजनाओं की परिपक्व राशि को वापस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) देश के डाकघरों में उपलब्ध विभिन्न बचत स्कीमें निम्नलिखित हैं :—

स्कीम का नाम	ब्याज की दर प्रतिशत
1	2
1. डाकघर बचत खाता	5.5 प्रतिशत (वैयक्तिक/समूह खाते) 3 प्रतिशत/5 प्रतिशत (अन्य खाते)
2. डाकघर सावधि जमा	
1 वर्षीय खाता	9.5 प्रतिशत
2 वर्षीय खाता	10 प्रतिशत
3 वर्षीय खाता	10.5 प्रतिशत
5 वर्षीय खाता	11 प्रतिशत

1	2
3. डाकघर आवर्ती जमा (5 वर्ष)	11 प्रतिशत
4. राष्ट्रीय बचत स्कीम, 1987	11 प्रतिशत
5. डाकघर मासिक आय खाता (6 वर्षीय)	12 प्रतिशत*
6. राष्ट्रीय बचत पत्र VIII निर्गम (6 वर्षीय)	12 प्रतिशत
7. लोक भविष्य निधि (15 वर्षीय)	12 प्रतिशत**
8. सामाजिक सुरक्षा पत्र (10 वर्षीय)	निवेश 10 वर्षों में तिगुना
9. इंदिरा विकास पत्र	निवेश 5 वर्षों में दुगुना
10. किसान विकास पत्र	निवेश 5½ वर्षों मे दुगुना और 2½ वर्ष के बाद परिपक्वतापूर्व भुगतान की सुविधा।

*परिपक्वता पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त बोनस भी देय

**वर्ष 1989-90 के लिए

(ग) से (च) इस समय कोई नई अल्प बचत स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है। अल्प बचत स्कीमों के कार्यविधिक पहलुओं की लगातार समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक समझा जाता है, परिवर्तन किए जाते हैं।

नई वित्त-नीति

8414. **श्री प्रतापराव बी भोसले :**

श्री एम. कृष्ण कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोई नई वित्त-नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) वर्ष 1990-95 की अवधि के लिए एक नई दीर्घावधि राजकोषीय नीति तैयार की जा रही है।

सालबोनी में नोट मुद्रणालय स्थापित करना

8415. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सालबोनी में एक नया नोट मुद्रणालय स्थापित करने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सालबोनी में भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है।

(ख) कार्य लगभग चार वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

चैकों के लिए सेवा प्रभार

8416. **श्री के. एस. राव :**

श्री पी. नरसा रेड्डी :

श्री पी एम. सईद :

श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से जारी किए जाने वाले तथा प्राप्त होने वाले दोनों प्रकार के चैकों के लिए 25 पैसे प्रति चैक की दर से सेवा-प्रभार लेने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ग) इस प्रभार से रिजर्व बैंक को अनुमानतः कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी,

(घ) क्या वाणिज्यिक बैंकों से भूतलक्षी प्रभाव से इन प्रभाव से इन प्रभारों का भुगतान करने को कहा गया है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(च) क्या वाणिज्यिक बैंकों ने इस निर्णय पर रोष प्रकट किया है और वे उक्त सेवा प्रभार देने के इच्छुक नहीं हैं,

(छ) क्या भारतीय बैंक एसोसिएशन ने यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया है, और

(ज) वाणिज्यिक बैंकों के उक्त सेवा-प्रभार का भार आग ग्राहकों पर डालने के सम्भावित प्रयास को विफल करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) चैकों को तेजी से निपटाने और ग्राहक सेवा में सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास स्थित समाशोधन गृहों में मशीनीकृत चैक संसाधन सेवा प्रदान करता है। सदस्य बैंकों द्वारा समाशोधन गृह के परिचालन संबंधी लागत को बांटने की सुस्थापित प्रथा को ध्यान में रखते

हुए सेवाएं प्रदान करने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपकरण, आधारभूत और अन्य सुविधाएं देने के लिए किए गए परिचालन व्यय को पूरा करने में लिए उसका "न लाभ, न हानि" के आधार पर सदस्य बैंकों से चैक संसाधन प्रभार वसूल करने का प्रस्ताव है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि प्रभार दर के बारे में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक उसने बैंकों से कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनकी ओर से संसाधित बाहर जाने वाले या बाहर से आने वाले चैकों के सम्बन्ध में 25 पैसे प्रति चैक की अस्थायी दर से दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिए वे अपने खातों में प्रावधान करें।

इस कारण भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त होने वाली सम्भावित राशि प्रभार दर को अन्तिम रूप से निर्धारित किए जाने और समाशोधन गृहों में संसाधित चैकों की संख्या पर निर्भर करेगी।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में दो वाणिज्यिक बैंकों और दो विदेशी बैंकों ने उसे लिखा है। जब कि एक बैंक ने प्रभारों का भुगतान करने में हिचकिचाहट दिखाई है, अन्य तीन बैंकों ने प्रभार दर को कम करने और उसे पूर्वव्यापी अवधि से प्रभावी न करने का अनुरोध किया है।

(छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय बैंक संघ ने उसके साथ मामला नहीं उठाया है।

(ज) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस भार को ग्राहकों पर डालने के प्रश्न पर उसने कोई विचार नहीं किया है।

व्यापारिक बैंकिंग गतिविधियां नियमित करने के लिए दिशा-निदेश

4817. **श्री के. एस. राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में व्यापारिक बैंकिंग सम्बन्धी गतिविधियां नियमित करने के लिए दिशा-निदेश जारी किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दिशा-निदेशों को जारी करने के पीछे क्या लक्ष्य हैं और इन दिशा-निदेशों के अन्तर्गत "सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया" की क्या भूमिका है; और

(घ) इन दिशा-निदेशों के अन्तर्गत लगाए गए प्रतिबन्धों का सामान्य पूंजी बाजार संचालन और व्यापारिक बैंकिंग समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) आशा है कि ये मार्ग निर्देश पूंजी बाजार के स्वस्थ और व्यवस्थित संचलन के लिए लाभकारी होंगे।

विवरण

व्यापारिक बैंकरों के लिए मार्ग-निर्देश

1. प्राधिकार

व्यापारिक बैंकिंग का कारोबार करने का प्रस्ताव करने वाले किसी भी व्यक्ति या निकाय को ारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड से उनके निर्धारित फार्मेट में पाधिकार प्राप्त करना आवश्यक ागा। यह बात उन पर भी लागू होगी जो प्रबन्धकों, निर्गमों के परामर्शदाताओं या सलाहकारों हित इस समय व्यापारिक बैंकिंग कार्यकलाप मे कार्यरत हैं।

2. प्राधिकृत कार्यकलाप

(क) निर्गम प्रबन्ध, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ विवरण पत्र तथा निर्गम सम्बन्धी अन्य ानकारी को तैयारी, वित्तपोषण ढांचे का निर्धारण, वित्तपोषणों का संयोजन तथा अभिदान का अंतिम ावटन और/या वापसी शामिल है।

(ख) निर्गम सम्बन्धी निगमित सलाह सेवाएं।

(ग) हामीदारी

(घ) पोर्टफोलियो प्रबन्ध सेवाएं

(ङ) निर्गम में प्रबन्धक, परामर्शदाता या सलाहकार

3. प्राधिकरण मानदण्ड

सभी व्यापारिक बैंकरों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सभी कार्यों को सत्यनिष्ठा तथा मानदारी के साथ करेंगे भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड व्यापारिक बैंकरों के लिए एक ाचरण संहिता निर्धारित करेगा। इसी सन्दर्भ में भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सेचेंज बोर्ड में प्राधि-ार-मानदण्ड में मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाएगा :—

(क) व्यावसायिक दक्षता।

(ख) कार्मिक, उनकी पर्याप्तता व गुणवत्ता तथा अन्य आधारभूत संरचना।

(ग) पूंजी पर्याप्तता।

(घ) उनके समस्त लेन-देनों में उनका पिछला रिकार्ड, अनुभव, सामान्य ख्याति तथा ईमानदारी

4. प्राधिकार की शर्तें:

(क) मौजूदा व्यापारिक बैंकरों सहित सभी व्यापारिक बैंकर इन मार्ग निदेशों के जारी होने के तीन महीने के भीतर भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करेंगे। भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड इस अवधि को अपने विवेकानुसार अधिक से अधिक तीन महीने तक और बढ़ा सकता है।

(ख) सभी व्यापारिक बैंकरों की कम से कम एक करोड़ रुपए की निवल मालियत हो चाहिए ।

(ग) प्राधिकार प्रारम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा ।

(घ) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड व्यापारिक बैंकरों से प्रारम्भिक प्राधिकर शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क वसूल कर सकता है ।

(ङ) सभी निर्गमों का प्रबन्ध एकमात्र प्रबन्धक या मुख्य प्रबन्धक के रूप में कार्य करने वा कम से कम एक प्राधिकृत व्यापारिक बैंकर द्वारा किया जाए आम तौर पर, कि सार्वजनिक निर्गम के लिए मुख्य प्रबन्धक, सलाहकार और परामर्शदाता के रूप में से अधिक व्यापारिक बैंकर सम्बद्ध न किए जाएं । 100 करोड़ रुपए से अधिक रा के निर्गमों में, व्यापारिक बैंकरों की संख्या अधिक से अधिक चार हो सकती है ।

(च) निर्गम से पूर्व प्रत्येक मुख्य प्रबन्धक की विशिष्ट जिम्मेदारियों भारतीय प्रतिभूति त एक्सचेंज बोर्ड को अवश्य प्रस्तुत की जाएं ।

(छ) निदेशक, प्रवर्तक तथा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो विवरण पत्र का निर्गम प्राधिकृत कर है, विवरण पत्र की विषय वस्तु की पूरी जिम्मेदारी लेगा, व्यापारिक बैंकर स्मत रूप से विवरण-पत्र की विषय वस्तु और उसमें अभिव्यक्त किए गये विचारों औचित्य को सत्यापित करते हुए सम्यक् तत्परता बरतेंगे । निर्गम सम्बन्धी व्यापारि बैंकर भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्त करेंगे ।

(ज) इनके द्वारा प्रबन्ध किये जाने वाले निर्गम में व्यापारिक बैंकर (बैंकरों) का प्रत्य दावा सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य प्रबन्धकों से निर्गम में उच्चतम सीमा के अधी रहते हुए न्यूनतम 5 प्रतिशत हामीदारी की बाध्यता स्वीकार करने की अपेक्षा जायेगी ।

(झ) मुख्य प्रबन्धक/व्यापारिक बैंकर निवेशकों को प्रतिभूतियों के समय पर आवंटन अ वापसियों सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

(ञ) व्यापारिक बैंकरों की एक निर्गम में सम्बन्धता कम से कम अनिवार्य अनुवर्ती कार्रव पूरी होने तक बनी रहेगी, जिसमें लिखत का सूचीबद्ध करना और प्रमाण पत्रों/वा सियों का प्रेषण कार्य शामिल हैं । चाहे इनमें से बहुत से कार्यकलाप अन्य मध्यस्थ द्वारा किए जाते हैं, फिर भी व्यापारिक बैंकर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेद होंगे कि ये एजेंसियां अपने कार्य पूरा करें और निर्गमकर्ता कम्पनी के साथ उपयु करारों के जरिये इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के योग्य हो सकें ।

(ट) व्यापारिक बैंकर भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड को ऐसी जानकारी दस्ता विवरणियां और रिपोर्ट उपलब्ध करायेगा जो निर्धारित की जाएं या मांगी जाएं

(ठ) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड व्यापारिक बैंकरों के लिए आचार संहि तैयार करेगा और निर्धारित करेगा जिसका उन्हें अनुपालन करना चाहिए ।

(ड) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड मार्ग निर्देशों के उल्लंघन होने पर व्यापारिक बैंकरों के प्राधिकार उपयुक्त अवधि के लिए निलम्बित/रद्द कर सकता है। ऐसे सभी मामले पूंजी निर्गम नियंत्रक के ध्यान में लाये जायेंगे। इस बारे में सुसंगत ब्यौरे भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड द्वारा तैयार किए जायेंगे।

(ढ) इन मार्ग निर्देशों में से कोई भी बात कम्पनी उसके कार्यकर्त्ताओं अथवा अन्य को किसी मौजूदा विधि, विनियम, मार्ग निर्देशों या किसी स्वीकृति सहित लगाई गई शर्त द्वारा दी गई किसी की जिम्मेदारी से छूट प्रदान नहीं करेगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राजसहायता

8418. **श्री के. एस. राव :** क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली राजसहायता पर लगभग कितनी धनराशि खर्च की जाती है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आर्थिक सहायता देने की कोई योजना नहीं है। अलबत्ता, उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी को चरणबद्ध में 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सहायता

8419. **श्री के एस. राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के ऐसे कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता देने का विचार है और प्रत्येक परियोजना में कितनी धनराशि व्यय की जायेगी,

(ख) आंध्र प्रदेश में रेशम उत्पादन, शुष्क खेती, जल प्रबन्ध और मत्स्य पालन जैसे कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में दिए जाने वाले अल्पावधि और मध्यमावधि ऋण का विवर क्या है, और

(ग) इन परियोजनाओं का वित्त पोषण करने तथा मध्यावधि और मध्यावधि ऋण देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वर्ष 1990-91 के लिए आंध्र प्रदेश के वास्ते योजनाबद्ध ऋण देने के अन्तर्गत 19,54[illegible]/-लाख रुपए की धनराशि अनन्तिम रूप से निर्धारित की गई है : प्रयोजनवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हैं।

नाबार्ड ने वर्ष 199-91 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में छुट-पुट ऋण प्रदान करने के वास्ते विभिन्न अल्पावधि प्रयोजनों और मध्यावधि ऋणों के वित्तपोषण के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। इन प्रयोजनों के लिए वित्तपोषण राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण प्रदान करने हेतु कार्यक्रम के आधार पर अपेक्षित वित्त की व्यवस्था की जायेगी।

(ग) अल्पावधि कृषि ऋणों के वित्तपोषण के वास्ते केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को नाबार्ड से पुनर्वित्त केवल तभी दिया जाता है जब केन्द्रीय सहकारी बैंकों की प्रतिदेय राशियां मांग के 60 प्रतिशत से अधिक न हों। सीमाएं वास्तविक ऋण देने के कार्यक्रम और नाबार्ड द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम अन्तर्ग्रस्तता के बीच अन्तर तक ही स्वीकार की जाती हैं। ऋण सोमाओं पर आहरण गैर-प्रतिदेय कवच की उपलब्धता, छोटे किसानों को वित्त सहायता देने के मानदन्डों की अनुपालना, आवधिकता अनुशासन और न्यूनतम अन्तर्ग्रस्तता की शर्तों के अनुपालन के अधीन दिये जाते हैं।

छुट-पुट ऋणों के लिए मध्यावधि कृषि ऋणों के मामले में, उन केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को 100 प्रतिशत पुनर्वित्त दिया जाता है जिनकी प्रतिदेय राशियां मांग के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होती हैं। इस प्रकार का पुनर्वित्त 3 से 7 वर्षों तक की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है जो कि कार्यान्वित किये जाने के प्रस्तावित निवेशों की किस्मों और अधिग्रहण किये जाने के लिए प्रस्तावित परिसम्पत्तियों की उपयोगी-अवधि पर निर्भर करता हैं।

विवरण

आंध्र प्रदेश में कृषि, संबद्ध गतिविधियों और गैर-कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत 1990-91 के लिये प्रयोजन वार आवंटन

प्रयोजन	आवंटन (लाख रुपए में)
1	2
लघु सिंचाई	4240
राज्य बिजली बोर्ड/ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	2800
भूमि विकास	150
कृषि मशीनीकरण	2520
शुष्क भूमि कृषि	80
वृक्षारोपण/बागवानी	1130
डेरी विकास	510
मत्स्य पालन	920
गोदाम/बाजार बार्ड	50
वानिकी	280
बायोगैस	170
मुर्गीपालन	1750

1		2
भेड़/बकरी/सुअर पालन		300
समन्वित ग्रामीण विकास बैंक		3323
अन्य		720
गैर-कृषि क्षेत्र		1000
	कुल	19943

अजन्ता और एलोरा की गुफाओं के विकास के लिए धनराशि का नियतन

8420. डा. वेंकटेश काबड़े : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अजन्ता और एलोरा की गुफाओं में पर्यटन के विस्तार हेतु कोई धनराशि नियत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) से (ग) आठवीं पंच-वर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। पर्यटन का विकास करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि, इस सम्बन्ध में वर्ष 1990-91 के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बैंक ऋणों को माफ करने के प्रस्ताव का ऋणों की वसूली पर प्रभाव

8421. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री दिलीप सिंह भूरिया :
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 और 1989 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने प्रतिशत कृषि ऋण वापस मांगे गए,

(ख) क्या कृषि ऋणों को माफ करने के संबंध में सरकार की घोषणा के बाद ऋण वसूली की दर में कमी आयी है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जून, 1988 और जून, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मांग के मुकाबले वसूली की प्रतिशतता क्रमश: 57.2 और 58.1 थी।

(ख) से (घ) किसानों, कारीगरों तथा बुनकरों के लिए ऋण राहत उपायों की घोषणा की गई थी। इस समय, कृषि की देय रकमों से संबंधित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वसूली के आंकड़े केवल जून 1989 के लिए ही उपलब्ध हैं।

अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की रेंज

[हिन्दी]

8422. श्री हरीश रावत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा में स्थापित कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर की रेंज बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी रेंज बढ़ाई जाएगी और यह कार्य कब किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) और (ख) अल्मोड़ा के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की की शक्ति को बढ़ाना और फिर उसकी रेंज बढ़ाना, इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। फिलहाल, इस ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

उत्तर प्रदेश को अपने प्रशासनिक तंत्र में सुधार करने के लिए धनराशि

8423. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवें वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए नये जिले, तहसील और खण्ड बनाने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य को अपने प्रशासनिक तंत्र में सुधार करने हेतु कुल कितनी धनराशि देने का विचार है;

(ग) क्या इस धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कतिपय मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक की सहायता

8224. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक के पास लंबित पड़ी हुई हैं तथा वे कब से लंबित पड़ी हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की मंजूरी दिलवाने के लिए विश्व बैंक से बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को मंजूरी कब दी जायेगी?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों को शामिल करते हुए एक बहु-राज्यीय तकनीशियन शिक्षा परियोजना के सम्बन्ध में 26 करोड़ डालर की सहायता के लिए 1.5.90 को विश्व बैंक के बोर्ड के साथ बातचीत की गई है और उन्होंने इसे अनुमोदित कर दिया है। यह परियोजना करार पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद चालू हो जायेगी।

इसके अतिरिक्त, उत्तर-पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र के लिए एकीकृत बागवानी विकास परियोजना नामक एक बहु-राज्यीय परियोजना, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक भागीदार राज्य है, के संबंध में भी विश्व बैंक की सहायता के लिए विचार किया जा रहा है। परियोजना संबंधी स्वीकृति परियोजना तैयार करने के स्तर और उसकी जांच-पड़ताल पर निर्भर करेगी।

प्रत्यक्ष करों आदि से प्राप्त धनराशि

[अनुवाद]

8425. **श्री कल्पनाथ राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पाद और सीमा-शुल्क, आय कर आदि जैसे प्रत्यक्ष करों से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त कुल धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान उपर्युक्त धनराशि में से आय कर के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान करों से प्राप्त कुल धनराशि का कितने वेतनभोगी कर्मचारियों से वर्षवार प्राप्त किया गया?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ख) गत तीन वर्षों में मुख्य कराधान शीर्षों के अन्तर्गत वसूल की गई कुल धनराशि निम्नप्रकार है :—

(रुपये करोड़ में)

	1986-87 (लेखा)	1987-88 (लेखा)	1988-89 (लेखा)
निगम कर	3160	3433	4407
आयकर	2879	3192	4237
सीमा शुल्क	11475	13702	15805
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	14470	16426	18841
	31984	36753	43290

(ग)	वर्ष	वेतन भोगी कर्मचारियों से वसूल किया गया कर	प्रतिशत %
	1986-87	467.59	1.46
	1987-88	658.22	1.79
	1988-89	762.62	1.76

आय कर छापे

8426. श्रीमती बासव राजेश्वरी :

श्री जी. एस. बासवराज :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अधिक संख्या में आयकर छापे मारने का निर्णय किया है;

(ख) जनवरी, 1990 के दौरान कुल कितने छापे मारे गए; और

(ग) इनमें कितनी नगदी और कितने मूल्य का सामान बरामद किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) आयकर अधिनियम की धारा 132 के अधीन, यदि उक्त धारा में उल्लिखित प्राधिकारी, उसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि किसी मामले-विशेष में तलाशी लेना आवश्यक है, तो वह उक्त मामले में तलाशी लेने के बारे में प्राधिकार-पत्र जारी कर सकता है। सरकार ने इस बारे में कोई मार्ग-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) जनवरी, 1990 के दौरान 112 तलाशियां ली गई थीं। इन तलाशियों के परिणामस्वरूप 69.93 लाख रुपये की नकदी तथा 703.63 लाख रुपये के अनुमानित मूल्य की अन्य परिसम्पत्तियां अभिगृहीत की गई थी।

रुग्ण कम्पनियों को पुनः चालू करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया गया अध्ययन

8427. श्रीमती बासव राजेश्वरी :

श्री जी. एस. बासवराज :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्वास बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से रुग्ण कम्पनियों को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए नये, व्यापक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कोई रिपोर्ट तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने किस सीमा तक इसकी सिफारिशें स्वीकार की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि उसने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से रुग्ण कम्पनियों के पुनरुद्धार के लिए कोई सामान्य/व्यापक तकनीकी आर्थिक अध्ययन करने के लिये नहीं कहा है। तथापि, रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अनुसार, औद्योगिक विकास बैंक सहित किसी भी कार्यरत एजेंसी से उस कम्पनी के लिए पुनरुद्धार योजना तैयार करने के लिए कह सकता है।

काफी की खेती के अन्तर्गत आने वाली सीमांत भूमि पर रबड़ की खेती

8428. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का विचार इस समय काफी की खेती के अन्तर्गत आने वाली सीमांत भूमि को रबड़ की खेती के अन्तर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा करने से आयात बिल में कितनी कटौती हो जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) विश्वव्यापी अधिशेष उत्पादन, स्थिर घरेलू खपत और गिरती हुई अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण योजना आयोग द्वारा गठित बागान फसल कार्य समूह ने यह सुझाव दिया था कि काफी की खेती का और अधिक विस्तार रोक दिया जाये और काफी की खेती के अधीन जो कष्टकृष्य क्षेत्र हैं उन्हें यथावश्यकतानुसार रबड़ अथवा चाय की खेती में बदल दिया जाए।

तदनुसार, सरकार ने चाय बोर्ड, काफी बोर्ड और रबड़ के अध्यक्षों की एक समिति गठित की है जो इस सुझाव की व्यवहार्यता तथा वांछनीयता की गहराई से जांच करेगी। काफी के अधीन कष्टकृष्य क्षेत्रों को अन्य बागान फसलों में बदलने के वास्ते अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण पहले ही आरम्भ किए जा चुके हैं।

चूंकि ये सर्वेक्षण अभी प्रारम्भिक स्तर पर चल रहे हैं इसलिए, यह बताना सम्भव नहीं है कि उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप रबड़ के आयात बिल में किस सीमा तक कमी की जा सकेगी।

जीवन बीमा निगम के भवनों और परिसरों में अग्नि शमन व्यवस्था

8429. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगमों के भवनों और परिसरों में अग्नि-सुरक्षा दरवाजे/खिड़कियां सहित अग्नि-दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) जीवन बीमा निगम, सम्पूर्ण देश में अपने भवनों का निर्माण करने से पहले स्थानीय प्राधिकरणों की, जिसमें अग्नि-शमन प्राधिकरण भी शामिल है, स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करता है। इस प्रकार जीवन बीमा निगम के भवन अग्नि संबन्धी जोखिमों से निपटने के लिए सामान्यतः पर्याप्त रूप से सज्जित हैं। सभी जीवन बीमा निगम के भवनों में स्थानीय अग्नि-शमन प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। पुराने भवनो के सम्बन्ध में अग्नि-शमन प्राधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार अग्नि सुरक्षा नियमों सम्बन्धी उपाय कार्यान्वित किये जाते हैं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

अधिक विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियां

8430. **श्री पी. नरसा रेड्डी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन पर विदेशी स्वामित्व अधिक है;

(ख) 30 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार उन कम्पनियों का ब्योरा क्या है जिनमें 40 प्रतिशत से भी अधिक शेयर-पूंजी विदेशियों की लगी हुई है; और

(ग) देश में कार्य कर रही विदेशी पूंजी की बहुलता-वाली इन कम्पनियों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) फेरा कम्पनियों, अर्थात 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी धारिता वाली, भागीदारी कम्पनियों और शाखाओं की संख्या 30 अप्रैल, 1990 को 94 थी। इस प्रकार की कंपनी की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इस प्रकार की कम्पनियों को सामान्य रूप से कुछ प्राथमिकता वाले उद्योगों, मुख्यरूप से निर्यातोन्मुख उद्योगों में अथवा ऐसे कार्यकलापों में निवेश करने की अनुमति दी जाती है जहां परिष्कृत प्रौद्योगिकी का उपयोग होता हो जो देश में उपलब्ध न हो। इन कम्पनियों पर, अन्य कम्पनियों पर लागू विभिन्न अधिनियमों के उपबंधों को लागू किये जाने के अलावा, विदेशी मुद्रा विनियमन, 1973 के विशिष्ट उपबंध भी लागू होते हैं।

विवरण

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत आने वाली फेरा कम्पनियां (30 अप्रैल, 1990 की)

क्रम संख्या	भारतीय कम्पनी का नाम	30.4.90 की स्थिति	विदेशी पूंजी (लाख रुपए)	कुल पूंजी में विदेशी पूंजी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	ऑडको इंडिया लिमिटेड, बम्बई	31.3.89	225.00	50
2.	ए. पी. ई. बेलिस इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता (पूर्व नाम बेलिस एण्ड मारकोन (I) लिमिटेड	31.3.89	66.31	49
3.	अपोलो चेन जिप्स प्राईवेट लिमिटेड	30.6.88	1.45	100
4.	एसोसिएटिड बियरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	31.3.89	630.00	51
5.	एटिक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, अतुल	31.3.89	300.00	50
6.	आर्क इन्वेस्टमेंट लिमिटेड मद्रास	30.6.88	51.95	99.90
7.	एन्गस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	30.6.88	ई. 71.56	97.54
			पी. 35.15	93.73

8. असम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	31.3.89	518.00	74
9. ब्रेक्स इंडिया लिमिटेड, मद्रास	30.6.88	293.02	49
10. असम फ्रन्टियर टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	51.3.89	222.00	74
11. बेयर इंडिया लि. बम्बई	31.3.89	827.40	51.01
12. बंगाल लिम्न (औद्योगिक मट्टी) लि., कलकत्ता	30.6.88	4.17	50
13. डॉ. बेक एण्ड कम्पनी (I) लि., पूना	30.6.88	94.54	49
14. बाकू बॉल्क इंडिया लि., पूना	30.6.88	149.29	49.87
15. बी. ए. एस. एफ. (इंडिया) लि., बम्बई	30.6.88	ई. 142.00 पी. 8.75	ई. 50 पी. 50
16. क्रेगमोर प्लांटेशन इंडिया, लिमिटेड	30.9.87	25.90	73.97
17. क्लोराइड इंडिया, लि., कलकत्ता	30.9.87	1047.20	50.70
18. कॉमिनको बिनानी जिंक लि., बम्बई	31.3.89	151.28	40.02
19. कॉरमोन्डल फर्टिलाइजर्स लि., सिकन्दराबाद	30.9.87	1080.91	44.44
20. सिमिडिया कम्पनी लि., बम्बई	30.9.87	250.77	55
21. ड्रेटन ग्रीवज लि., बम्बई	31.3.89	12.85	49
22. डूम डूमा इंडिया लि., कलकत्ता	31.12.88	414.40	74
23. दार्जिलिंग प्लांटेशन इंडस्ट्रीज लि., कलकत्ता	30.9.87	44.40	74

1	2	3	4	5
24.	ई. हिल्स एण्ड कम्पनी प्रा. लि., मिर्जापुर	30.9.87	8.00	74
25.	भारतीय इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी लि., मद्रास	30.9.87	30.00	66.67
26.	एवरेस्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लि., नई दिल्ली (पहले एसबेस्टोस सीमेंट कम्पनी लि.)	31.3.89	122.00	49.46
27.	इंनोर फाउन्ड्रीज लि. मद्रास	30.9.87	267.37	59.09
28.	अय्यर स्मेल्टिंग प्रा. लि. कलकत्ता	30.6.88	26.64	74
29.	अम्पायर प्लाटेशन (इण्डिया) लि., कलकत्ता	30.6.88	44.00	73.33
30.	फलेग्वर मेकनील जीयर्स लि. कलकत्ता	30.6.88	67.85	50
31.	फिक इण्डिया लि., फरीदाबाद	30.6.87	30.60	51
32.	फलाक्ट इंडिया लि. कलकत्ता (पूर्वनाम एस. एफ. इण्डिया लि.)	30.6.88	173.40	51
33.	गेडोर टूल्स (इण्डिया) प्रा. लि., नई दिल्ली	30.9.87	120.00	44.46
34.	ग्रीस बीकर्ट सावे लि. चण्डीगढ़	31.3.89	66.00	60.00
35.	गेस्ट कीन विलियम्स लि. हावड़ा	30.9.87	1126.32	46.82
36.	जनरल इलैक्ट्रीक कम्पनी आफ इण्डिया लि.	31.3.89	480.00	66.66

37. ग्रीयस फास्को लि. बम्बई	30.9.87	184.11	50
38. गुडईयर इण्डिया लि., नई दिल्ली	30.9.87	348.40	59.95
39. गामन नार्टन मेटल तथा डायमण्ड डाइज, लि. बम्बई	30.6.88	1.04	41.60
40. गुडरिक्स ग्रुप लि. कलकत्ता	31.3.89	532.80	74
41, आर्ज विलियमसन असम लि., कलकत्ता	30.6.88	441.00	70
42. हिन्दुस्तान फैरोडो लि. बम्बई	31.3.89	329.99	60
43. हीन लेमेन (भाई) लि. कलकत्ता	30.6.88	38.07	49
44. हिन्दुस्तान लीवर लि. बम्बई	30.6.87	2379.78	51
45. हिन्दुस्तान गम एवं केमीकल्स लि. भवानी	30.6.87	15.00	50
46. हिन्दुस्तान ब्रोच बालीवर लि. बम्बई	31.3.89	158.40	66.67
47. इण्डियन एक्सप्लोसिव लि. कलकत्ता	31.9.87	2163.86	92.94
48. इंगेरसोल रैण्ड (इंडिया) लि. बम्बई	31.3.89	584.00	73.99
49. जानसन एण्ड जानसन लि. बम्बई	30.6.88	180.00	75
50. जोकोई (इण्डिया) लि. कलकत्ता	30.6.88	185.00	74
51. किरलोस्कर कमींस लि. पुणे	30.9.88	1320.00	50
52. केरल बालेसं लि., एललैंपी	30.6.88	2.45	49
53. लोकस टी. वी. एस. लि. मद्रास	30.9.87	510.00	51

1	2	3	4	5
54.	एन. एन. वेन मांप्स डायमंड टूल्स इण्डिया लि., कोनूर	30.9.87	9.92	49
55.	लक्ष्मण इसोला लि., बंगलौर	30.6.88	37.50	50
56.	मोटर उद्योग क. लि., बंगलोर	31.12.88	1940 63	51
57.	महेन्द्रा सिंटर्ड प्रोडक्ट्स लि., पुणे	30.6.88	55.29	49
58.	माथर एण्ड प्लाट (आई) लि. बम्बई	30.6.88	384.00	60
59.	जालंधर प्रोपरटिज लि. कलकत्ता	1.7.74	0.50	50
60.	मारन टी कं. (आई) लि., कलकत्ता	30.9.88	51.00	74
61.	नोरिक्षिया लि., बम्बई	30 6.75	1.50	50
62.	नवरोजी वाडिया एण्ड सन्स प्रा. लि., बम्बई	31.3.89	47.88	95.76
63.	एम.जी.ई.एफ.-ए.एस.जी. इन्जीनियरिंग कं. लि., बंगलौर	31.3.89	60.00	50
64.	जी.ई.एन. इण्डिया लि., कोचीन	30.9.87	32.76	45
65.	ओटिस इलेवेटर क. (आई.) लि., बम्बई	31.3.86	282.24	56
66.	पारिटस एण्ड स्पेन्सर (एशिया) लि., नई दिल्ली	31.3.89	116.09	59.20
67.	पायलनी तेजारथी कं. इण्डिया प्रा. लि., अमृतसर	1.3.84	1.50	100
68.	प्लासर इण्डिया प्रा. लि., नई दिल्ली	30.6.88	7.40	74
69.	रोश प्रोडक्ट्स लि., बम्बई	31.12.88	356.00	74

70. स्टोन इण्डिया लि., कलकत्ता (पहले स्टोन प्लाट इलेक्ट्रीकल इण्डिया लि.)	30.6.88	89.28	60
71. स्पिरेक्स मार्शल लि., पुणे	31.3.89	9.52	51
72. सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड कैमिकल उद्योग लि., रानावर	30.6.88	351.75	50.25
73. सेंडविक एशिया लि., पुणे	31.12.88	316.80	54.86
74. सिम्लो (इंडिया) टी कं. लि., कलकत्ता	30.6.88	44.00	73.33
75. स्टेवार्ट हाल (इंडिया) लि. कलकत्ता	31.3.89	177.60	74.00
76. स्काडोर स्कोविल डंकन लि., बम्बई	30.6.88	46.20	50
77. सीमेन्स इण्डिया लि., बम्बई	30.9.88	1059.16	51
78. संसार मशीन लि., नई दिल्ली	30.6.88	15.35	49.50
79. सेंडोज (इण्डिया) लि., बम्बई	31.12.88	270.00	50.94
80. त्रिवेनो डिसूज लि., कलकत्ता	30.9.87	405.26	51
81. ट्रेक्टर इन्जीनियर्स लि. बम्बई	31.3.89	42.50	50
82. टी एस्टेट इण्डिया लि. कूरूर	30.6.89	651.20	74
83. टोयो इन्जीनियरिंग इण्डिया लि., नई दिल्ली	30.6.88	25.00	50
84. यूनियन कारबाइड इण्डिया लि., कलकत्ता	31.3.89	1658.98	50.92
85. ऊष इण्डिया लि. बम्बई	31.3.89	33.30	74
86. विदिया इंडिया लि., बंगलौर	31.12.88	186.81	50.89

1	2	3	4	5
	87. वारेन टी लि., कलकत्ता	31.3.89	286.51	73.47
	88. व्येथ लेबोरेट्रीज लि., बम्बई	31.3.89	66.60	74
	भागीदारी वाली कम्पनियां			
	(1) मेटालिक्स इंडिया लि., कलकत्ता	30.9.87	0.74	74
	शाखाएं			
	1. आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *2. समुनगर जूट फैक्ट्री कम्पनी लि., कलकत्ता 3. ईरान वर्क्स बैंक 4. टीटाघर जूट फैक्ट्री कम्पनी लि. कलकत्ता	इन शाखाओं का भारत में इस प्रकार की कोई पूंजी आधार नहीं है, अतः इन के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई ।		

टिप्पणी :—इस सूची में 30 अप्रैल, 1990 की स्थिति दी गई है ।

(2) इसमें निम्न प्रकार की श्रेणियों की कम्पनियां शामिल नहीं हैं ।

(i) जिन कम्पनियों ने अपने कार्य कलाप रोक दिए हैं और उनको बन्द किया जा रहा है ।

(ii) जिन कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2)(क) के अन्तर्गत पूंजी और आय के अप्रत्यावर्तन आधार पर अनुमति प्रदान कर दी गई है ।

(iii) जिन कम्पनियों में भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास अनिवासी हिताधिकार 40 प्रतिशत से अधिक हैं ।

(iv) मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित कम्पनियां ;

* कम्पनियां जिन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2)(क) के अधीन अनिवासी शेयरों को कम करके 40 प्रतिशत तक कम करने के निदेश जारी किए गए हैं ।

उत्तर प्रदेश में रुग्ण एकक

[हिन्दी]

8431. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे लघु उद्योगों का पता लगाया गया है जिन्हें वित्तीय और अन्य समस्याओं के कारण बन्द कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो इनकी जिलावार संख्या कितनी,

(ग) उत्तर प्रदेश के बरेली डिवीजन में ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है जिन्हें जिला स्तर पर रुग्ण घोषित कर दिया गया है,

(घ) क्या रुग्ण एककों को पुन: अर्थक्षम बनाने की कोई योजना विचाराधीन है अथवा इस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कारंवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत बैंक बंद पड़े लघु उद्योग एककों आदि के संबंध में सूचना एकत्र नहीं करते हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यशील एककों की संख्या और बंद (विभिन्न कारणों से बंद) एककों की संख्या का पता लगाने के लिए लघु उद्योगों के नमूना सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ किया है। सर्वेक्षण द्वारा पता लगाए गए बन्द एककों की जिलेवार संख्या नीचे दी गई है :

जिला	बन्द एककों की संख्या
1	2
आगरा	—
बहराइच	91
बाराबंकी	—
बरेली	1
बस्ती	180
देहरादून	38
फैजाबाद	—
गाजीपुर	—

1	2
गोंडा	40
गोरखपुर	131
जौनपुर	51
लखीमपुर	158
लखनऊ	60
मथुरा	111
मेरठ	594
मिर्जापुर	59
मुरादाबाद	300
मुजफ्फर नगर	238
पीलीभीत	102
रामपुर	152
शाहजहाँपुर	—
सीतापुर	19
सुलतानपुर	16
टिहरी गढ़वाल	1
उत्तर काशी	22
वाराणसी	56
गाजियाबाद	105

31 मार्च, 1990 को स्थिति के अनुसार बरेली मंडल में 21 रुग्ण एकक थे। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के निदेशक उद्योग ने मार्च 1990 में एक सम्बन्धित कार्यालय को एक समेकित परिपत्र जारी किया था जिसमें रुग्ण एककों के पुनर्वास की रूप-रेखा के बारे में बताया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण लघु उद्योगों की पुनर्स्थापना के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत मार्गनिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आरम्भिक रुग्णता का पता लगाने और उसके सम्बन्ध में उपचारात्मक कार्रवाई करने पर बल दिया गया है। उन्होंने संभाव्य अर्थक्षम रुग्ण लघु उद्योगों को सहायता/छूट उपलब्ध कराने के उपाय, अर्थक्षमता मानदंड और पैरा-मीटर भी सुझाए हैं।

बैंकों और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से रुग्ण लघु उद्योग एककों को पुनर्स्थापना सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (अब एस. आई. डी.

बी. आई.) के पास एक पुनर्वित्त योजना भी है। अगस्त 1987 में स्थापित की गई राष्ट्रीय इक्विटी निधि के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, लघु उद्योग क्षेत्र के संभाव्य अर्थक्षम रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना के लिए 75,000 रुपये तक की इक्विटी की तरह की सहायता उपलब्ध करता है।

दिल्ली दूरदर्शन द्वारा फीचर फिल्मों का प्रसारण

[अनुवाद]

8432. **श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन द्वारा किस प्रकार की फीचर फिल्में प्रसारित की जा रही हैं;

(ख) क्या ऐतिहासिक फिल्मों का प्रसारण बहुत कम किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐतिहासिक फिल्मों के प्रसारण के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन द्वारा प्रसारित की जाने वाली फीचर फिल्मों में सामाजिक, ऐतिहासिक और देशभक्ति का समिश्रण होता है और संबंधित विषयों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन समय-समय पर ऐतिहासिक फिल्में दिखाता रहा है और जब भी अच्छी फिल्में उपलब्ध होंगी तो वह ऐसा करता रहेगा।

दिल्ली और पटना उच्च न्यायालयों में सिविल रिट याचिकाएं

8433. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और पटना उच्च न्यायालयों में सर्विस मामलों से संबंधित कितनी सिविल रिट याचिकाएं वर्ष 1988 और 1989 के दौरान विचारार्थ स्वीकार की गई/लंबित पड़ी हैं; और

(ख) इन याचिकाओं को शीघ्रतापूर्वक निपटाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) सेवा विषयक मामलों के बारे में लंबित सिविल रिट अर्जियों की संख्या निम्नलिखित थी :—

	दिल्ली	पटना
1988	3072	4439
1989	3507	4989 (30-6-89 तक)

(ख) उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या घटाने के लिए न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने के अतिरिक्त समान प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखने, विशेष न्यायापीठों का गठन

करने जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार ने न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए जनवरी, 1989 में उच्च न्यायालयों के तीन न्यायमूर्तियों की एक समिति गठित की है।

क्रोम अयस्क का उपयोग

8434. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में क्रोम अयस्क को एक महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस खनिज के विदोहन के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में होटलों/मोटलों की स्थापना

8435. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

श्री अनादिचरण दास :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में, मंडल-वार, कितने होटल/मोटल स्थापित किए गए;

(ख) क्या सरकार की वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य में कुछ और होटल/मोटल स्थापित करने की कोई योजना है;

(ग) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे विशेष रुप से भुवनेश्वर और ब्रह्मपुर, जाजपुर टाउन, बिन्धा-खेतना, पर्यटन स्थल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर और पुरी-कोणार्क मैरिन ड्राइव रोड पर कुछ और होटलों/मोटोलों की स्थापना के लिए उक्त राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में स्थापित होटलों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	होटलों की संख्या
1987	7
1988	36
1989	18

(ख) से (ङ) सरकार होटलों का निर्माण नहीं करती और ना ही होटलों/मोटलों का निर्माण करने के लिए कोई वित्तीय सहायता देती है।

पर्यटन का विकास करने का दायित्व मुख्य रुप से राज्य सरकारों का है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय की जलभूतल परिवहन मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्री-प्रधान मार्गस्थ सुख-सुविधाएं विकसित करने की एक स्कीम है। जल-भूतल परिवहन मंत्रालय और पर्यटन विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 पर रामेश्वरम में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण करने के लिए क्रमश: 20.28 लाख रुपये और 7.27 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

राज्य सरकार का जाजपुर में होटल स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, उड़ीसा पर्यटन विकास निगम ने 1985 में जाजपुर में 16 कमरों वाले आवास का निर्माण किया है। इसके अलावा दो होटल प्राइवेट सेक्टर में है।

बंगलादेश के साथ व्यापारिक संबन्ध

8436. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगलादेश के साथ व्यापारिक संबंध सुधारने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय किन-किन मदों का वहां निर्यात किया जाता है और वहां से किन-किन मदों का आयात किया जाता है; और

(ग) व्यापार में वृद्धि करने के लिए किन-किन नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत से बंगलादेश को निर्यात की रही प्रमुख मदों में शामिल हैं : फल और सब्जियां कोयला, संसाधित खनिज, रसायन और भेषज, इंजीनियरी माल, सूती यार्न और फैब्रिक्स, बंगलादेश से आयात की जा रही प्रमुख मदों में शामिल है : अखबारी कागज, उर्वरक और कार्बनिक रसायन।

(ग) द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष उपाय कर रहे हैं। बंगलादेश में प्रतिक्रय व्यवस्थाओं द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। एस टी सी और बंगलादेश के व्यापार-निगम विभिन्न वस्तुओं के विनिमय के लिए व्यवस्था आरम्भ करने पर विचार कर रहे हैं। फिक्की और उनके प्रतिपक्ष ने पहले ही एक संयुक्त व्यापार परिषद

का गठन किया है ताकि व्यापार सम्बन्धों के विस्तार के सम्बन्ध में जानकारी का आदान-प्रदान हो सके।

पर्यटन वर्ष "1991"

8437. श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1991 को पर्यटन के रूप में मनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष राज्यवार, कितने पर्यटकों के आगमन की सम्भावना है; और

(ग) आधारभूत सुविधाओं में और वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में अनुमान लगाना कठिन है कि इस वर्ष राज्यवार कितने पर्यटकों के आने की संभावना है।

(ग) राज्य सरकारों और उद्योग के परामर्श से मौजूदा 18 परिपथों के विस्तार का अभिनिर्धारण कर लिया गया है जिनका वर्ष के दौरान संवर्धन किया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट सिफारिशें करने पर, उन्हें पर्यटन आधार-संरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

हांग-कांग स्थित एक होटल ग्रुप के सहयोग से होटल का निर्माण

8438. श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांग-कांग के मंडेरियन ओरिएंटल होटल ग्रुप को मोदी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ सहयोग करके नई दिल्ली में एक होटल का निर्माण करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में एक और होटल के निर्माण की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चाय पर उपकर

8439. श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चाय पर उपकर में वृद्धि करने और इस प्रकार एकत्र हुई राशि से पुनः चाय बागान लगाने के लिए कोई कोष तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) जी, हां। एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

वेतन निर्धारण के लिए विकल्प

8440. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी कर्मचारियों को अनुदेश परिचालित न किए जाने के कारण सभी सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त 1988 तक अपने वेतन निर्धारण का विकल्प नहीं दे सके थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों को एक और अवसर प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी परिस्थितियों में सरकार का सभी कर्मचारियों के हितों की किस प्रकार रक्षा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सरकार ने 27.5.1988 को ये आदेश जारी किये थे कि जो कर्मचारी 1.1.1986 के पश्चात् किन्तु 31.12.87 से पहले पड़ने वाली अपनी वेतन-वृद्धि की तारीख से संशोधित वेतनमानों में अपना वेतन लेना चाहते हैं वे 31.8.1988 तक अपना विकल्प दे सकते हैं । सभी मंत्रालयों और विभागों को इन आदेशों की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाने के संबंध में शीघ्रता से कार्यवाही करनी थी ताकि समय बढ़ाए जाने की आवश्यकता न पड़े । विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इन आदेशों के परिचालन के संबंध में वास्तविक स्थिति केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है ।

(ख) से (घ) सरकार विकल्प देने के लिए पहले ही पर्याप्त समय दे चुकी है । फिलहाल विकल्प देने के लिए कोई दूसरा अवसर प्रदान करने अथवा समय बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों के कार्यकाल के दौरान पुस्तकों, लेखों का प्रकाशन

[हिन्दी]

8441. **श्री बृज भूषण तिवारी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों और भूतपूर्व राष्ट्रपतियों अथवा उनके कार्यालयों द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान सामग्री का प्रकाशन करने का अधिकार किस एजेंसी को था; और

(ख) भूतपूर्व राष्ट्रपतियों, भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों और मंत्रियों के कार्यकाल के दौरान प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित किये गये लेखों, पुस्तकों का ब्योरा क्या है और अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गयी ऐसी सामग्री का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) कानून संबंधी उपलब्ध परामर्श के अनुसार, राष्ट्रपतियों/प्रधान मंत्रियों और मंत्रियों के सार्वजनिक भाषणों की पाण्डुलिपियों के कापी-राइट का प्रथम अधिकार भारत सरकार का होता है, बशर्ते कि इस बारे में कोई अन्य विपरीत अनुबंध न किया गया हो।

(ख) राष्ट्रपति/प्रधान मंत्री के चुने हुए भाषण और लेख प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, जबकि मंत्रियों के भाषणों/लेखों के बारे में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। प्रकाशन विभाग भूतपूर्व मंत्रियों सहित प्रख्यात महानुभावों की जीवनियां भी प्रकाशित करता है। अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित इस प्रकार की सामग्री का ब्योरा सरकार के पास नहीं होता।

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण

[अनुवाद]

8442. श्री उत्तम राठौड़ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति बढ़ने के कारणों का पता लगाया है और इस पर नियंत्रण रखने के लिए कोई उपाय सुझाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1990-91 के पूर्वार्द्ध की अपनी ऋण नीति की रूप रेखा तैयार करते समय यह उल्लेख किया है कि मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले कारकों में से एक कारक पिछले वर्ष जनता के पास उपलब्ध मुद्रा (एम 3) में असमानुपातिक और निरन्तर वृद्धि होना था। 1987-79 में जब यह वृद्धि 21.2 प्रतिशत थी तब से यह वृद्धि 19.4 प्रतिशत पर अधिकतम है। मौद्रिक विस्तार की बहुत ऊंची दर 1989-90 में सरकार को दिए गए निवल भारतीय रिजर्व बैंक ऋण में हुए विस्तार से परिलक्षित होती है। इसके कारण मुद्रास्फीति में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अधिक नकदी बाहुल्य के रहने से, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, यह आवश्यक है कि मुद्रास्फीतिकारी संभावनाओं को तेजी से कम किया जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्य स्थिति पर किया गया उपर्युक्त विश्लेषण आर्थिक सलाहकार परिषद् द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और 1989-90 के बजट से पूर्व प्रस्तुत की गई आर्थिक समीक्षा से अनुरूप ही है और इसे 1990-91 का बजट तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है। सरकार, कठोर राजकोषी और मौद्रिक अनुशासन, पूर्ति को बढ़ाने सम्बन्धी उपायों और मुद्रास्फीतिकारी सम्भावनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए किए गए उपायों के माध्यम से प्रभावी मांग को नियंत्रित रखने के लिए बहु-आयामी नीति का अनुसरण कर रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1990-91 के पूर्वार्द्ध की अपनी ऋण नीति में अन्य शर्तों के के साथ-साथ 22 सितम्बर, 1990 से प्रभावी निवल मांग और सावधि देयताओं के सांविधिक नकदी

अनुपात को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 38.5 प्रतिशत कर दिया है। इसके अतिरिक्त, 28 जुलाई, 1990 से प्रभावी अनिवार्य (विदेशी रुपया लेखा) और विदेशी मुद्रा (अनिवासी लेखा) के सांविधिक नकदी अनुपात को भी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा रहा है।

भारत से औषध आयात के विरुद्ध अमरीका द्वारा "धारा सुपर" 301" का इस्तेमाल

8443. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार अपने व्यापार अधिनियम की धारा "सुपर 301" का इस्तेमाल करके अमरीकी औषध और फार्मास्युटिकल उद्योग के उत्पादों को अपेक्षाकृत अधिक संरक्षण प्रदान कर रही है; जिसके अन्तर्गत अमरीकी सरकार को बदले की कार्यवाही करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं और जिसका इस्तेमाल करके वह उन देशों से आयात बन्द कर सकती हैं और/या उनसे भारी क्षतिपूर्ति वसूल कर सकती है जो अनधिकृत रूप से अमरीकी पेटेन्टों का इस्तेमाल कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और पर्यटन मन्त्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के समान पेटेन्टस भी आमनीवस ट्रेड एण्ड कम्पीटीटिवनेस एक्ट आफ 1988 की धारा सुपर 301 के अंतर्गत आते हैं। इस कानून के तहत अमरीका व्यापार प्रतिनिधियों को उन फर्मों का पता लगाना होता है जो अमरीका को उन फर्मों को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण और बाजार में उनके प्रवेश से इन्कार करते हैं जो फर्में ऐसी सुरक्षा पर निर्भर करती हैं, और यह निश्चित करना होता है कि इनमें से कौन से देश "प्रायरिटी देश" हैं। वर्ष 1989 और 1990 में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधियों ने किसी भी देश को प्रायरिटी देश घोषित नहीं किया, और इसीलिए किसी भी देश के खिलाफ जांच प्रारम्भ नहीं की गई। किन्तु अमरीकी व्यापार प्रतिनिधियों ने भारत को प्रायरिटी निगरानी सूची में रखा है और पेटेंट सुरक्षा से संबंधित कानूनों सहित भारतीय कानून में परिवर्तन करने को कहा है।

सरकार की प्रतिक्रिया जिससे अमरीका के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है वह यह है कि हमारे कानूनों में पेटेन्टस के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था है।

जवाहरात और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निर्धारित निर्यात लक्ष्य

8444. **श्री जी. एस. बासवराज** : वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरात और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने वर्ष 1990-91 के लिए एक उत्साहजनक निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ग) वर्ष 1989-90 के निर्यात की तुलना में यह कितना अधिक है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जी. जे. ई. पी. सी.) ने एक प्रारम्भिक योजना बनाई है कि अनुकूल व्यापार परिस्थितियों में इस क्षेत्र से लगभग 7000/-करोड़ रुपयों का निर्यात किया जाए। 1989-90 के दौरान अनन्तिम निर्यात निष्पादन 5,444 करोड़ रुपए था।

सूचना और सिनेमाटोग्राफी के बारे में संगोष्ठी और सम्मेलन

8445. श्री पी. नरसा रेड्डी :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में सूचना सचिवों और निदेशकों की दो दिवसीय विचार-गोष्ठी और सूचना और सिनेमाटोग्राफी के राज्य मंत्रियों का बीसवां सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई और यदि कोई निर्णय लिया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य के लिए सूचना संबंधी नीतियों के निर्धारण के केन्द्रीय सरकार और राज्यों और एजेंसियों की आधारिक स्तर पर अधिक परस्पर क्रिया की आवश्यकता महसूस की है;

(घ) क्या विशेषतः कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए प्रचार माध्यम के प्रभावी प्रयोग का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में स्वीकृत सिफारिशों की एक प्रति, जिसमें विचार-विमर्श की मुख्य-मुख्य बातें शामिल है, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) संचार माध्यमों का उपयोग विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रीय रूप से मान्य विषयों की जानकारी देने और उनका प्रचार करने के लिए किया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य परिवार कल्याण, साक्षरता आदि जैसे अन्य विषयों के अलावा कृषि और ग्रामीण विकास के कायक्रम भी शामिल हैं।

विवरण

दिनांक 16-17 अप्रैल, 1990 को राज्यों के सूचना और फिल्म सचिवों/निदेशकों की बैठक की सिफारिशें।

आकाशवाणी/दूरदर्शन

1. प्रसार भारती विधेयक को स्वीकार करने को सिफारिश की जाती है। तथापि, यह जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों तथा निगम के बीच उपयुक्त आदान-प्रदान के लिए उचित संस्थागत व्यवस्था की जाए। अधिनियम के अधीन नियम और विनियम तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जा सकता है।

विधेयक के खंड 19 के शब्दों को बदलने की जरूरत है ताकि निगम की गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण की किसी सम्भावना को दूर किया जा सके।

2. राज्यों के बड़े शहरों में 8वीं पंचवर्षीय योजना के उत्तरार्ध में प्राथमिकता के आधार पर दूसरे चैनल की व्यवस्था करनी चाहिए और वहां पर कार्यक्रम निर्माण की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

3. यह बहुत जरूरी है कि दूरदर्शन पर चल रही परियोजनाओं को, विशेषकर राज्यों की राजधानी में स्थापित किए जा रहे टी. वी. स्टूडियो केन्द्रों की परियोजनाओं को पूरा करने के काम को उचित प्राथमिकता दे। साथ ही यह भी अनुरोध है कि जहां स्टूडियो पहले ही बन कर तैयार हो गए हैं और उपकरण लगाए जा चुके हैं, वहां पदों को भरने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं ताकि काम शुरू किया जा सके।

4. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगी कि दूरदर्शन/आकाशवाणी को परियोजना स्थलों पर बिजली और पानी की सप्लाई, वहां तक पहुंचने की सड़कों के निर्माण आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं।

चूंकि आकाशवाणी/दूरदर्शन की स्थापनाएं अत्यधिक संवेदनशील किस्म की होती हैं, इस लिए यह जरूरी है कि राज्य सरकारें उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करें।

5. बैठक यह सिफारिश करती है कि देश भर में सामुदायिक अवलोकन के लिए लगाए जाने वाले टी. वी. सेटों की स्कीम को केन्द्र प्रायोजित स्कीम बना दिया जाये।

6. आकाशवाणी/दूरदर्शन दोनों की प्रेषण सुविधाओं को, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्र में मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है।

7. राज्यों की विकास गतिविधियों के पहले से अधिक प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन तथा राज्य सरकारों के बीच निरन्तर निकटवर्ती तथा और सार्थक आदान-प्रदान की अत्यधिक आवश्यकता है।

8. दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए यह बहुत जरूरी है कि स्थानीय प्रतिभा का और अधिक उपयोग करने के लिए विस्तृत एवं सुविचारित नीति तैयार की जाए। इससे परिचालन लागत भी काफी कम हो जाएगी।

9. फिल्म प्रभाग और दूरदर्शन की निर्माण योजनाओं के लिये एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जायेगा, क्योंकि इससे लागत में बचत होगी और उपलब्ध निर्माण क्षमता तथा विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग होगा।

मुद्रित संचार माध्यम

10. यह वांछनीय होगा कि समाचारपत्रों को विज्ञापन देने के लिए पैनल में शामिल करने के वास्ते मानकों में तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय व राज्य सरकारों की

विज्ञापन दरों में एकरूपता लाई जाए। इस सम्बन्ध में सूचना का परस्पर आदान-प्रदान किया जाना चाहिए। यदि विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मानकों और उसके द्वारा निर्धारित दरों का फार्मूला राज्य सरकारों को भी उपलब्ध करा दिया जाए तो इससे काफी सहायता मिलेगी।

11. समाचार-पत्रों, विशेष कर छोटे समाचारपत्रों द्वारा अपनी प्रसारण संख्या के बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए दावों का विज्ञापन दरों और अखबारी कागज से महत्वपूर्ण संबंध है। समाचारपत्रों की प्रसार संख्या के सही आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एक उपयुक्त तंत्र का विकास करने की आवश्यकता है और यह सिफारिश की गई कि प्रसार संख्या की जांच के लिये राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों और प्रशासनों की सहायता बड़ी उपयोगी होगी।

12. विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा राज्य सरकारों की प्रचार सामग्री/विज्ञापनों श्रव्य दृश्य सामग्री/अभियानों आदि के प्रभाव का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। इस दिशा में कोई मूल्यांकन अध्ययन किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए भारतीय जन संचार संस्थान जैसी किसी संस्था को काम सौंपा जा सकता है। अभियानों की रूपरेखा बनाने पर पहले से अधिक बल दिया जाना चाहिए ताकि पूर्व परीक्षा के बाद ही अभियान शुरू किया जा सके।

13. प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें प्रचार सामग्री ही नहीं हैं बल्कि अच्छी लोकप्रिय पुस्तकों के रूप में उनका अपना स्थान भी है। राज्य सरकारों को इन पुस्तकों की मांग और उपयोग को बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए।

14. भारतीय प्रेस परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने पर विचार कर सकती हैं ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली शिकायतों पर कार्रवाई की जा सकें।

15. पत्र सूचना कार्यालय के अधिकारियों और राज्यों के सूचना विभागों के अधिकारियों के बीच परस्पर आदान-प्रदान से सूचना के प्रसार और कवरेज में और सुधार होगा। साम्प्रदायिक दंगों आदि के दौरान एक ही समय एक ही स्थान पर प्रेस ब्रीफिंग की आवश्यकता है ताकि समाचारपत्रों म परस्पर विरोधी समाचारो के प्रकाशन को रोका जा सके।

16. राज्य सरकारों को क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और सहायता करनी चाहिए। उन्हें विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा लगाई जाने वाली प्रदर्शनी से भी सहयोग करना चाहिए और भाग लेना चाहिए।

फिल्म

17. जनवरी, 1990 में सरकार को पेश की गई फिल्म उद्योग विषयक समिति को संबद्ध वे सभी 22 सिफारिशें अनुपालन के लिए स्वीकार कर ली गई जिनका सम्बन्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से हैं।

18. केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के एक छोटे दल द्वारा वीडियो चोरी निरोधक कानूनों, विशेषकर इस सम्बन्ध में चलचित्र अधिनियम, 1952 कापीराइट अधिनियम, 1957, भारतीय तार अधिनियम, 1985, भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 आदि के सबद्ध उपबन्धों की समीक्षा की जानी चाहिए। इस दल में कुछ कानूनी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकता है। इस दल को वीडियो पार्लरों, वीडियो लाइब्रेरी, केबल टी. वी. नेटवर्क को लाइसेंस देने आदि और आंतरिक एवं वाणिज्यिक अवलोकन आदि के अधिकार सौंपने के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए। यह दल वीडियो चोरी और कापीराइट अधिनियम तथा चलचित्र अधिनियम के उलंघन के सम्बन्ध में कारगर ढंग से उपाय करने के लिए एक व्यापक विधेयक का प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता पर विचार करेगा।

19. चूंकि पुलिस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के काम में काफी व्यस्त है, इसलिए वीडियो चोरी को रोकने के लिए सम्बद्ध कानूनों का कारगर ढंग से अनुपालन करने के लिए अलग पुलिस कक्ष और विशेष अदालतें गठित की जानी चाहिए।

20. कापीराइट की चोरी के विरुद्ध भारतीय फैडरेशन को वीडियो पार्लरों में फिल्मों के अनधिकृत प्रदर्शन के खिलाफ छापे मारने के काम में पुलिस अधिकारियों की मदद करनी चाहिए।

21. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को तमिलनाडु की भांति वीडियो पार्लरों को लाइसेंस देने की कड़ी शर्तों वाले उपयुक्त कानून बनाने चाहिएं।

22. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चाहिए कि वे बसों, होटलों आदि में दिखाई जाने वाली वीडियो फिल्म शो के रूप कापीराइट/चलचित्र अधिनियम के सभी प्रकार के उल्लंघन को समाप्त कर दें क्योंकि ये फिल्म शो गृह अवलोकन के लिए हैं न कि वाणिज्यिक अवलोकन के लिए।

23. केबल टी. वी. के जरिए चोरी को रोकने के लिए नियमों में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए।

24. सिनेमा उद्योग को गृह और वाणिज्यिक अवलोकन के लिए केवल एकमुश्त कापीराइट देने का संविदा करने के लिए राजी करने का प्रयास किया जायेगा।

25. सिनेमा थियेटरों के निर्माण के लिए नियमों की समीक्षा की जायेगी और छोटे थियेटरों का निर्माण करने पर जोर दिया जाएगा।

26. फिल्मों के प्रमाणन के वर्तमान मार्गनिर्देशों की समीक्षा की जानी चाहिए।

27. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को फिल्मों में दृश्य जोड़ने और प्रमाणित फिल्मों के प्रदर्शन को रोकने के लिए और अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।

28. फिल्म उद्योग के विकास के लिए मनोरंजन कर के संग्रह का कुछ प्रतिशत निर्धारित

करने की बजाए विभिन्न प्रोत्साहनों द्वारा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

29. देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने का विचार स्वीकार कर लिया गया और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ऐसे समारोहों का आयोजन करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेंगे।

30. बाल फिल्म समिति द्वारा निर्मित बाल फिल्में स्वत: ही मनोरंजन कर और शो टैक्स से मुक्त होनी चाहिएं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा प्रमाणित ऐसी बाल फिल्मों के लिए दी गई छूट केवल बच्चों के लिए दिखाये जाने वाले फिल्म शो के लिए वैध होगी।

31. सभी राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासन सिनेमा थियेटरों और फिल्म स्टूडियो को उसी प्रकार रियाती दरों पर बिजली और पानी दे सकते हैं जिस प्रकार ये रियायतें पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को दी जाती हैं।

32. फिल्मों और फिल्म उपकरणों के लीजिंग पर बिक्री कर नहीं लगाया जाना चाहिए।

33. यद्यपि फिल्म परिषद की स्थापना की चर्चा की गई है, लेकिन यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस परिषद में मुख्य रूप से फिल्म उद्योग के ही प्रतिनिधि होंगे और यह आत्म-निर्भर होगी। सरकार फिल्म परिषद को मान्यता प्रदान करेगी और परिषद से मुख्य अपेक्षा यह होगी कि वह सिनेमा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करे। ऐसा करते समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि परिषद के कार्य राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के कार्यों से मिलते-जुलते न हों या निगम के कार्यों को किसी प्रकार सीमित न करते हों। फिल्म परिषद के घोषणा पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ फिल्म उद्योग से सम्बद्ध संवर्धनात्मक, परामर्शदात्री और विनियमनकारी कार्य भी शामिल होंगे।

सामान्य

34. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों के संचार प्रयासों में पहले से अधिक समन्वय की जरूरत है। अब तक जो अन्तर माध्यम प्रचार समन्वय समितियां बनी है, वे इतनी अधिक प्रभावी नहीं हैं। जिला स्तर पर केवल कुछ ही समितियों ने काम करना शुरू किया है। इस दिशा में अधिक समन्वय के लिए और प्रयास किये जाने चाहिएं।

35. भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा सभी राज्यों को पत्रकारिता सहित जनसंचार के सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। यद्यपि संस्थान के लिए सभी राज्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना सम्भव नहीं होगा, लेकिन यह वांछनीय होगा कि विभिन्न कोर्सों के पाठ्यक्रम का मानकीकरण कर दिया जाए। ताकि विश्वविद्यालय/संस्थान आदि इन्हें अपने नियमित कोर्सों में स्वीकार कर लें।

36. राज्य सरकारों तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच विचारों का और अधिक आदान-प्रदान होना चाहिए। विशेष रूप से राज्यों की राजधानियों में समय-समय पर और अधिक सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए। यद्यपि प्रत्येक राज्य में वार्षिक सम्मेलन आयोजित करना सम्भव नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय सम्मेलन और उसके बाद दिल्ली में वार्षिक सम्मेलन आयोजिय करने के लिये औपचारिकताएं तय की जा सकती हैं।

बासमती चावल का निर्यात

8446. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान बासमती चावल की कितनी मात्रा निर्यात की गई और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ख) निर्यात किन देशों को किया गया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडी) के अनुसार वर्ष 1989-90 के दौरान अनन्तिम रूप से 404.68 करोड़ रुपए मूल्य के 3.9 लाख मै. टन बासमती चावल का निर्यात किए जाने का अनुमान है।

(ख) बासमती चावल का अधिकतर निर्यात सऊदी अरब, सोवियत संघ, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन तथा ओमान को किया जाता है।

काली मिर्च का निर्यात

8447. **श्री के. मुरलीधरण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय काली मिर्च के निर्यात की क्या स्थिति है;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च का दर्जा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार काली मिर्च की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को देखते हुये तथा काली मिर्च का निर्यात बढ़ाने के लिए "काली मिर्च बोर्ड" गठित करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान 36001 मी. टन काली मिर्च का निर्यात हुआ जिसका मूल्य 160 करोड़ रुपया था।

(ख) भारतीय काली मिर्च गुणवत्ता में बेहतर मानी जाती है। विश्व निर्यात में वर्ष 1989-90 के दौराना भारत का अंश अनुमानतः 24% रहा।

(ग) काली मिर्च के लिए पृथक बोर्ड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंगला देशवासियों द्वारा औषधियों का अवैध व्यापार

8448. **श्री माधवेन्द्र दत्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या देश में अवैध रूप से रह रहे बंगला देशवासी औषधियों को लाते हुए अथवा बेचते हुए या तस्करी करते पकड़े गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1989 तथा 1990 (31.3.90 तक) के दौरान नशीले औषधि द्रव्यों के अवैध व्यापार के सिलसिले में किसी भी बंगला देशी को गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारियों की आवश्यकता संख्या के बारे में अध्ययन

8449. **श्री पल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता और उनकी संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) क्या किसी मंत्रालय/विभाग में कर्मचारियों की संख्या अधिक पाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी विभागों में अनावश्यक कर्मचारी रखने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वित्त मंत्रालय का कर्मचारी निरीक्षण एकक जो 1964 से अस्तित्व में है केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा उनके अधीन अन्य संगठनों के स्टाफ की आवश्यकता और स्टाफ की संख्या की समीक्षा के काम में निरन्तर लगा हुआ है ।

(ख) और (ग) जिन केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान समीक्षा की गई है उनकी संख्या, उन पदों की संख्या जिनकी समीक्षा की गई है जिनमे अतिरिक्त माग सम्मिलित है तथा कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा किए गए अध्ययन के परिणामस्वरूप फालतू घोषित किए पदों की संख्या बताने वाला विवरण संलग्न है ।

(घ) फालतू स्टाफ को हटाने तथा अनावश्यक स्टाफ की वृद्धि को नियन्त्रित करने के संबंध में कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा किए गए अध्ययनों के अलावा नये पदों के सृजन को विनियमित करने वाले अनुदेश भी विद्यमान हैं इन अनुदेशों में यह अनिवार्य है कि यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसे प्रस्तावों की विभिन्न स्तरों पर पूरी छानबीन की जाए कि केवल ऐसे पदों के सृजन पर विचार किया जाए जो बिल्कुल ही अनिवार्य तथा अपरिहार्य हैं ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा समीक्षा किये गये संगठनों की संख्या, समीक्षा किए गए पदों की संख्या और फालतू घोषित किए गए पदों की संख्या

वर्ष	समीक्षा किए गए संगठनों की संख्या	अध्ययन किये गये पदों की संख्या		फालतू पाये गये पदों की संख्या	
		स्वीकृत	अतिरिक्त मांग	स्वीकृत कर्मचारी संख्या में से	अतिरिक्त मांग में से
1	2	3	4	5	6
1987-88	39	9,852	1,458	1,573	1,109
1988-89	31	19,692	2,027	3,955	1,708
1989-90	22	8,342	792	1,521	681

सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को पैकेजिंग भत्ता और स्थानान्तरण अनुदान

8450. श्री को. श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, जो दिल्ली में अपने अन्तिम मुख्यालय से 30 किलोमीटर से अधिक दूर हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में बस गये है, को कोई पैकेजिंग भत्ता और स्थानांतरण अनुदान नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों के अन्य राज्यों में बस जाने के मामले की तरह दिल्ली से सेवा-निवृत्त होने के पश्चात फरीदाबाद में बसने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी उक्त लाभ देने हेतु संगत नियमों की समीक्षा करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) वर्तमान नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी के उस अन्तिम स्टेशन पर बसने के लिए कोई पैकिंग भत्ता और स्थानांतरण अनुदान स्वीकार्य नहीं होता जहां कि वह सेवा-निवृत्त होने से ठीक पहले तैनात था। इसके ऐसी उपनगरीय नगरपालिकाओं के क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र अथवा छावनियाँ भी शामिल हैं, जो उसकी ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन से सटे हुए हैं। चूंकि फरीदाबाद नगर पालिका दिल्ली नगरपालिका से सटी हुई है। अतः ड्यूटी का अन्तिम स्टेशन दिल्ली होने के नाते फरीदाबाद में बसने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पैकिंग भत्ता तथा स्थानांतरण अनुदान स्वीकार्य नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

आतिशबाजी और माचिसों पर उत्पाद शुल्क

8451. श्री रामदास सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान सरकार ने तमिलनाडु में विभिन्न उत्पादकों द्वारा आतिशबाजी और माचिसों पर उत्पादन शुल्क की चोरी करने के कितने मामलों का पता लगाया है, और

(ख) उत्पाद शुल्क की चोरी करने वाले उत्पादकों का ब्योरा क्या है, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[12.00 मध्याह्न]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : हां,

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : जैसे कि आपने कहा था, मैंने नियम 184 के अन्तर्गत पहले ही यह सूचना दे दी है कि एयर बस सौदे के सम्बन्ध में सभी दस्तावेज सभा पटल पर रखे जायें। इस विषय में पिछले दिनों हमने चर्चा भी की थी और इस पर आप सहमति भी हो गई थी। यह थोड़ा-थोड़ा करके सूचना प्रदान करना न तो नैतिक रूप से और न ही कानूनी रूप से उचित है। मैंने पहले ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप इस विषय में गौर करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. सी. थामस।

श्री पी सी थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, पाकिस्तान ने सभी मुस्लिम राष्ट्रों से अपील की है कि वे कश्मीर के अलगाववादियों तथा अलगाववादी आन्दोलन का समर्थन करें। वास्तव में पाकिस्तान ने इस सम्बन्ध में मुस्लिम देशों को अपने प्रतिनिधि भेजने का भी निर्णय लिया है। इसने यह भी अपील की है कि भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध धमकाने वाला रुख अपनाया हुआ है और इसको सभी मुस्लिम देशों को गम्भीरता से लेना चाहिए मैं सरकार से यह अपील करना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे को गम्भीरता से लें और इस अन्तर्राष्ट्रीय आंदोलन से निपटने के लिए उचित कदम उठायें।

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद में आर. एस. एस. के सैक्रेटरी और भा. ज. पा. के एक प्रमुख कार्यकर्ता, श्री अशोक गुप्ता की दिनांक 9.5.1990 को गोली मार कर हत्या कर दी गई। यह गुजरात के पालेस के बाद इस तरह की दूसरी बड़ी घटना है जिससे ऐसा लगता है कि देश में कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो भा. ज. पा., आर. एस. एस. और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं की योजनाबद्ध तरीके से हत्याएं करने का प्रयास कर रहे हैं और देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिससे तनाव उत्पन्न हो लोगों में एक्साइटमैंट हो,

प्रोवोकेशन हो और देश में दंगे हों। इसे रोकने के लिए आप कौन सी कार्यवाही करना चाहते हैं। जिन लोगों ने इलाहाबाद में श्री गुप्ता की हत्या की है, वे दंगों में शामिल थे, जाने-माने गुण्डे हैं, एन्टी सोशल एलोमैंट हैं। उनका किसी तरह का पारिवारिक झगड़ा नहीं था बल्कि केवल इसलिए उन्होंने हत्या की क्योंकि वे आर. एस. एस. के प्रमुख थे, बी. जे. पी. के कार्यकर्ता थे, इसीलिये उन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय गृह मंत्री जी इस बारे में कार्यवाही करें और अपनी इन्टैलीजैंस एजेंसी से, चाहे आई.बी. हो या सी. बी. आई. हो, पूरे मामले की जांच करायें। हमारे पास निश्चित रूप से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस तरह की घटनाएं जगह जगह पर हों और देश में ऐसा वातावरण पैदा किया जाये ताकि देश भर में साम्प्रदायिक दंगे फैल जायें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, यह मामला बहुत गम्भीर है। मैं चाहता हूँ कि होम मिनिस्टर साहब सदन में उठकर एश्योर करें, कोई स्टेटमैंट इस बारे में हो। ऐसे तो नहीं चल सकता कि आप सिर्फ यह कह दें कि हां, ठीक है। यह बहुत ही सीरियस मामला है। आज ऐसी घटना यदि एक जगह हुई है तो कल दूसरी जगह पर होगी, बाकी जगहों पर भी होगी।

श्री कालका दास (करोल बाग) : अध्यक्ष जी, यह वास्तव में एक गम्भीर मामला है। मैं चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही तभी चले जब इस मामले पर गृह मंत्री जी का स्टेटमैंट हो जाये। यदि किसी व्यक्ति को किसी संस्था विशेष से सम्बन्धित होने पर ही गोली मार दी जायेगी तो देश का क्या होगा। इसलिए यह गम्भीर मामला है।

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : अध्यक्ष महोदय, जानबूझ कर लोगों की भावनाओं को उभारा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, एक महीने में यह चौथी-पांचवीं घटना है, चुन-चुन करके आर. एस. एस. और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं को हत्याएं की जा रही हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री काशीराम (सूरत) : अध्यक्ष महोदय, जो गुजरात में तूफान की शुरुआत हुई वह विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता की हत्या के बाद ही हुई थी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

(व्यवधान)

प्रो विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसको ऐसे ही नहीं जाने दिया जायेगा। यहां पर सरकार के बहुत से मंत्री बैठे हुए हैं। यदि गृह मंत्री नहीं हैं, तो क्या हुआ और मंत्री तो बैठे हुए हैं, वे इसके बारे में जवाब दे सकते हैं? (व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी कोई जवाब इस घटना के बारे में नहीं देते हैं, तो हम यह समझेंगे कि इस काण्ड को सरकार ने गम्भीरता से नहीं लिया है। सरकार इस बारे में अपना दृष्टिकोण बताये कि वह क्या करने जा रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। यहां पी. उपेन्द्र जी बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आपसे पूर्व में निवेदन किया गया था कि हत्याएं करने के लिए पत्र आए हैं और उन पत्रों के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं कि अगर राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण की कारंवाई बन्द नहीं की गई, तो सबको खत्म कर दिया जायेगा, गोली से उड़ा दिया जायेगा। गृह मंत्री महोदय को मैं बताना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस राष्ट्र के अंदर इन राष्ट्रीय शक्तियों के ऊपर, अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा हमले किए जाते रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा, देश में क्या हालत होगी ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग इकटठे बोल रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं पा रहा हूं। इसलिए आप बैठ जायें और एक-एक करके बोलें, तो मैं कुछ सुन सकूंगा।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि क्या सुरक्षात्मक प्रबन्ध किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आर. एस. एस., विश्व हिन्दू परिषद और सांसदों को मारने के लिए धमकियां दी जा रही हैं, गोली से उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं, एक के बाद एक, हत्यायें हो रही हैं, सरकार क्या कर रही है, इस बारे में बयान देने के लिए गृह मंत्री महोदय को यहां उपस्थित होना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं लोढा जी। यहां पी. उपेन्द्र जी बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : अध्यक्ष महोदय, यदि उपेन्द्र जी, अपनी तरफ से हमें आश्वासन दें, तो हम बैठ जायेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप लोग बैठ जाएं। हो सकता है कि आपके बैठने के बाद उपेन्द्र जी कुछ कहना चाहें।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : सर, जब सईयां भए कोतवाल, तो फिर ऐसी हालत क्यों ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसका मुझे बहुत खेद है। परन्तु जैसाकि आप जानते हैं कि प्रत्येक घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना सरकार के लिए सम्भव नहीं यह घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई। हम उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी रिपोर्ट मांगेंगे और उनसे तुरन्त कार्यवाही करने को कहेंगे।

[हिन्दी]

श्री गुमानमल लोढा : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को यह तो बताना चाहिए कि क्या भारत वर्ष में ऐसा कोई योजनाबद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसके अन्तर्गत हत्याए करने के लिए पत्र भेजे जाते हैं ? (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कब तक चलता रहेगा, इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाएं जोशी जी।

(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : हम पहुँचा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। ये कह रहे हैं कि आपकी भावना को गृह मंत्री जी को पहुँचा देंगे।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : हम जवाब से सन्तुष्ट नहीं हैं लेकिन आप कह रहे हैं तो हम बैठ जाते हैं।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती जिलों में गत कई वर्षों से डाकुओं का उत्पात बहुत जोरों पर है। अब तक सौ से अधिक लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के रीवा सतना जिले में, उत्तर प्रदेश के बांदा, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले में हनुमान, सीताराम और हृदया गगुआ के गिरोह जोरों से सक्रिय हैं। अभी हाल में पिछली 24 तारीख को रीवा जिले के शितलहा ग्राम में तीन परिवारों के यहां डाका डाला, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, 60 वर्ष के वृद्ध चन्द्रपाल तिवारी का और 25 वर्ष के नवयुवक सुरेश मिश्रा का अपहरण करके वे ले गये। आज 15 दिन का समय बीत गया लेकिन अभी तक उनका अता-पता नहीं है। इससे पहले रीवा जिले के तमरा ग्राम में वीरेन्द्र पांडे नामक युवक की निर्मल हत्या की थी। मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की जो प्रान्तीय सरकारें हैं, वे अपने पुलिस बल के होते हुए भी डाकुओं का सफाया करने मे असमर्थ हैं। वहां पर भयंकर आतंक और रोष का वातावरण है, लोग अपने घरों से निकल नही पा रहे हैं, इतनी भयंकर स्थिति है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि रीवा, सतना, बांदा, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिलों की इस डाकू समस्या के निवारण के लिए या तो इन जिलों को सेना के सुपुर्द कर दिया जाये या सी. आर. पी. को लेकर इन डाकुओं के आतंक से वहां की जनता को मुक्ति दिलाई जाए।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मैंने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चक्रवात द्वारा मचाई गई तबाही के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण की सूचना दी थी। मेरी सूचना के अनुसार 500 करोड़ रुपए का जान-माल का नुकसान हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को केवल 87 करोड़ रुपए और तमिलनाडु सरकार को 30 से 35 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। परन्तु यह राशि पर्याप्त नहीं है। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। अगर आप इसकी आज्ञा देंगे तो सरकार यह बताने की स्थिति में होगी कि वे इस दिशा में क्या कर रहे हैं।

महोदय, कृपया इस पर विचार कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : मैं भी इसी विषय में कुछ कहना चाहती हूं। मुझे विश्वास है कि यह सदन चक्रवात से पीड़ित लाखों लोगों के दुख में शामिल है। मैं यह बात सदन से कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने समय पर कार्यवाही करके लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकाल लिया। राज्य सरकार की जागरुकता के कारण इस बार कम लोग मरे जबकि वर्ष 1977 में 10,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे।

मैं केन्द्रीय सरकार से यह अपील करना चाहती हूं कि वह सहायता राशि में कुछ वृद्धि करे। जो सहायता दी गई है वह रेलवे, संचार साधनों, जान-माल की हानि को देखते हुए बहुत कम है।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : मैं आपकी तथा इस सदन में उपस्थित सभी मंत्रियों की जानकारी में यह बात लाना चाहती हूं कि एल.एम. एल. स्कूटर्ज लिमिटेड नाम की एक कम्पनी है। उन्होंने आम जनता से स्कूटर खरीदने के नाम पर 16 करोड़ रुपए की बड़ी राशि एकत्रित की है। न तो वे उनको स्कूटर दे रहे हैं और न ही उनको अन्तिम राशि का ही भुगतान कर रहे हैं। जमाकर्ताओं के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत से निर्णय दिये हैं। परन्तु उनको न्याय नहीं मिल रहा है। यह कम्पनी अपनी ही दुनिया में कार्य कर रही है और इसके अपने ही कानून हैं। मैं यह चाहूँगी कि वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, तथा विधि और कानून मंत्रालय इस मामले पर विचार करें ताकि लोगों की शिकायतों को दूर किया जा सके। कम्पनी के मालिकों को यह बता दिया जाना चाहिए कि वे इस देश के कानून से ऊपर नहीं हैं और उन्हें इस देश के कानून को मानना होगा।

[हिन्दी]

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से रास्ते वहां बारिश होने की वजह से बन्द हो गये हैं। इससे कई आदमी व पशु मर गये हैं मुझे यह इत्तला मिली है कि आठ आदमियों की कल इसमें मृत्यु हो गई है। लोगों की फसलें इससे तबाह हो गई हैं और उनके सेब और दूसरे फ्रूट खराब हो गये हैं। मैं भारत सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह वहां के नुकसान का जायजा लेने के लिए एक टीम वहां भेजे और राज्य सरकार को अधिक से अधिक सहायता की जाये ताकि किसानों को मदद मिल सके।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. कुमार मंगलम (सलेम) : मुझे खुशी है कि वाणिज्य मंत्री सभा में उपस्थित हैं तथा मैं सोचता हूँ कि सभा पटल पर कुछ पत्र रखने का प्रस्ताव है। मुझे प्रतीत होता है कि मैं अभी उनका ध्यान अपनी आकर्षित नहीं कर पाया हूँ। भगवान का शुक्र है कि अन्त में मैंने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। मुझे अच्छी तरह से पता है कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डी. जी.एस. एण्ड डी) को बन्द करने से 4(0) कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, मैं समझता हूं कि जो कुछ किया जा रहा है इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा सरकारी विभागों के लिए माल की खरीद स्वयं की जाएगी तथा कमीशन सम्बद्ध मंत्रियों को मिल सकेगा। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रक्रिया के अपनाने से कर्मचारी गैर-कानूनी कार्यों के शिकार हो रहे हैं। मेरा

सरकार से अनुरोध है कि डी. जी. एस. एण्ड डी. को बन्द करने से पहले एक वक्तव्य दिया जाए। उन्हें सार्वजनिक राजकोष पर इसके प्रभावों को समझना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन तिवारी।

(व्यवधान)

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरु) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि माननीय सदस्य ने आज की प्रश्न सूची के प्रश्न संख्या 782 को नहीं पढ़ा है। यह पूर्ति विभाग के सम्बन्ध में है। मैं अत्यन्त आभारी होऊंगा यदि माननीय सदस्य इस प्रश्न के साथ संलग्न विवरण को पढ़ें। मेरे विचार में इस विवरण को पढ़ने के पश्चात् उन्हें ऐसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, हावड़ा-लखनऊ एक्सप्रेस, दानापुर फास्ट पैसेंजर और दिल्ली एक्सप्रेस में गत तीन महीनों में खुले आम डकैतियां हुई हैं। हजारों यात्रियों को ट्रेनों में लूटा गया है और यह क्रम जारी है। रेलवे के जो अधिकारीगण हैं और वहां की जो पुलिस है, उनकी मिली भगत से यह गुण्डे, बदमाश और क्रिमिनल लूट करवा रहे हैं। आजकल शादी और लग्न के दिन चल रहे हैं। यात्री रुपया-पैसा लेकर और गहने आदि लेकर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में उनको लूटा जा रहा है। वे आज असुरक्षित है। सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे वे अपने को सुरक्षित समझें।

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : मैं आपके माध्यम से सम्बन्धित मंत्री तथा सभा को यह बताना चाहता हूँ कि जांच समिति के एक सदस्य श्री नम्बियार ने सी-डॉट के सम्बन्ध में एक वक्तव्य जारी किया है। मैं श्री साठे की इस बात से सहमत हूँ कि समाचार पत्रों में आंशिक सूचना प्रकाशित होने से भ्रम पैदा हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सी-डाट अनावश्यक संगठन नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। परन्तु तकनीकी उपकरण और ज्ञान किसको अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से छुटकारा नहीं दिलाते हैं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : रिपोर्ट सभापटल पर नहीं रखी गयी है। उन्होंने रिपोर्ट छिपा ली है।

श्री तरित बरण तोपदार : इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को सी-डॉट के बारे में सभा में विवरण देना चाहिए क्योंकि इसके सदस्यों, अभियन्ताओं और तकनीशियनों का एक शिष्टमंडल अपनी कुछ मांगों से सम्बन्ध मे प्रधान मंत्री से मिला था। इससे पहले मैंने इन्हें सभा से उठाया था मैं यह कहना चाहता हूँ कि समूची सभा को श्री नम्बियार द्वारा दिए गए इस वक्त की जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने सी-डॉट के कार्यों की जांच कराई आंशिक सूचना अथवा रहस्योद्घाटन समाचार पत्रों में प्रकाशित होने से संदेह हुआ और मांग की गई कि वे किसी से कम देश भक्त नहीं हैं।

श्री चित्त बसु (बारसात) : जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र ने अपनी नवीनतम रिपार्ट में भारत सरकार की पंजाब में मानवाधिकारों के हनन के बारे में गम्भीर रूप से निंदा की है । महोदय हम इस रिपोर्ट की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र से सम्बद्ध संगठन है । हन्य बातों के अलावा रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है कि भारतीय अधिकारी सिख समुदाय के उग्रवादी तत्वों को नियन्त्रित करने में असफल रहे हैं। वे बहादुर समुदाय और इसकी न्यायोचित महत्वाकांक्षाओं को दबाने के लिए विनाशक आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं । मैं यह कह सकता हूं कि यह सब अवांछनीय, दुर्भावना पूर्ण और निर्मल है। इसका अभिप्राय पंजाब के आतंतवादियों का जान-बूझकर मनोबल बढाना है। इसका तात्पर्य अलगाववाद और पृथक्तावाद का स्पष्ट रूप से समर्थन करना है ।

हमारे देश के विरुद्ध बाहर से व्यापक समर्थन इसी प्रकार का दूसरा पहलू है। मैं सोचता हूं कि अमेरिकी कांग्रेस में भारत की सहायता में कटोती के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित किया गया है तथा एमनेस्टी इन्टरनेशनल और ऐसे ही अन्य संगठनों को पंजाब में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने की अनुमति दी गयी है। मेरे विचार से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत को बदनाम करने के लिए एक जुट षड्यन्त्र का प्रयास किया गया है। मैं सोचता हूं कि भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के समक्ष इसका विरोध करना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आज के इण्डियन एक्सप्रेस में छपे समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में हाऊस आफ रिप्रेजेण्टेटिव्ज में कश्मीर के प्रश्न को लेकर इस प्रकार का अनर्गल प्रचार किया गया और यह बताया गया कि पंजाब समस्या का एकमात्र हल खालिस्तान ही हो सकता है। वहां पर मि. डान बूटन ने एक विधेयक भी पेश किया है और विधेयक को पेश करते हुए यह बात उठाई है कि जब तक भारत वहां की एमनेस्टी इण्टरनेशनल को भारत में आने की अनुमति नहीं देता और पंजाब में जाकर अध्ययन की उसे अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक भारत को किसी भी प्रकार की सहायता न दी जाए। यह गम्भीर मामला है और अत्यन्त आपत्तिजनक मामला है । इस संबंध में एक और उल्लेखनीय बात है, वहां पर काश्मीर के मामले में एक सिनेटर्स कमेटी बनाई गई है, जो इस मामले में विचार करने वाली है । यह हमारा घरेलू मामला है, इसमें हस्तक्षेप अत्यन्त ही आपत्तिजनक है । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे इस संबंध में सदन को आश्वस्त करें। उन्होंने क्या कार्यवाही की है और आपत्ति उठाई है ?

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की तरफ से इस सदन को आश्वासन दिया गया था कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट का वह अंश जो पिछली सरकार ने छुपा रखा था, उस अंश को सदन के पटल पर रखेंगे। चूंकि यह सत्र अब समाप्ति की ओर जा रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि ठक्कर आयोग के उस अंश को सदन के पटल पर शीघ्रातिशीघ्र रखें ।

[अनुवाद]

@ **श्रीमती विमल कौर खालसा (रोपड़)** : * * (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : क्या आप इन सब बातों को अनुमति देते हैं। हम सभी इन महिला सदस्य का सम्मान करते हैं परन्तु उन्होंने ऐसी बातें कहकर इस अवसर का दुरुपयोग किया है। उनकी टिप्पणियां राष्ट्र विरोधी हैं। एक सीमा होती है। ऐसी बातों को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिये।······ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कार्यवाही वृतांत पढ़ूंगा यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होगी तो उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री वसंत साठे : हम ऐसी टिप्पणियों को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किये जाने की अनुमति नहीं दे सकते (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप से कहा है कि मैं कार्यवाही वृतांत पर गौर करूंगा और सभी आपत्तिजनक टिप्पणियों को निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : पूरी टिप्पणी को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिये··· (व्यवधान)।

श्री अरुण कुमार नेहरू : हम भी यह महसूस करते हैं कि आपत्तिजनक टिप्पणियों को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। मैं बोल रहा हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पांजा, आपको मैं आदेश देता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर चले जाएं। आपको अध्यक्ष के आदेश का पालन करना होगा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं महसूस करता हूँ कि पूरा सदन इस बात पर सहमत है कि श्रीमती

@ मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।
** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

खालसा ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं और मैं सदन की भावना को समझता हूं। हां, अब श्री जनक राज गुप्त…

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे, कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल, अपने स्थान पर बैठें। मैंने अपना निर्णय दे दिया है। हां, अब जनकराज गुप्त बोलें…

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? श्री कमल, क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें…

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं यह समझता हूं। आपकी भावनाओं का महत्व कम करने का उन्हें अधिकार नहीं है। कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम का उल्लंघन किया गया है जिस कारण आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय आपने यह व्यवस्था दी है कि सभी आपत्तिजनक अंशों या शब्दों को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाएगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि वे आपत्तिजनक अंश और शब्द क्या है…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष की व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। आप अपना स्थान ग्रहण करें। हां, अब श्री जनक राज गुप्त बोलें…

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, आज जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी और पसमांदा इलाकों में बहुत से गुज्जर, बकरवाल और गद्दी जाति के लोग रहते हैं, जो कि आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। उनकी पसमंदगी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उनकी हालत इतनी बदतर है कि दो वक्त खाने के साधन भी उनके पास नहीं है। मैं चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर में गुज्जर बकरवाल और गद्दी जाति के लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए और उनके लिए एक स्पेशल फण्ड स्थापित किया जाए, ताकि वे ठीक ढंग से उन्नति कर सकें।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इनकी बात का समर्थन करता हूँ।……
(व्यवधान)

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में जनता-दल की सरकार बनने के बाद और बिहार में जनता-दल की सरकार बनने के बाद बिहार के रोहतास जिले में कांग्रेसी ** अपराधियों की साजिश और पुलिस की मिली-भगत से बड़े पैमाने पर अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। अपहरण करके बड़े पैमाने पर पैसे लिए जाते हैं, तब उनको छोड़ा जाता है। केस में असली मुजरिम को पकड़ना चाहिए. उनको न पकड़ कर निर्दोष लोगों को पुलिस फांसती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अपहरण की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए समुचित कार्यवाही करें। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। कांग्रेसी "...." शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, वह अन-पार्लियामेंटरी है। इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : महोदय, क्या शब्द ** संसदीय है ? आप उन्हें कांग्रेस के लोगों को ** कहने की अनुमति दे रहे हैं। क्या यह संसदीय है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि यह असंसदीय है तो मैं इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, 14 अप्रैल से बहुजन समाज पार्टी के हजारों-हजार कार्यकर्ता दिल्ली में झुग्गियां जलाए जाने के विरोध में और सरकार की वायदा-खिलाफी के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यहां की सरकार चाहती है कि वे धरना खत्म करके अपने-अपने घरों को चले जाएं। मैंने भी टेलीफोन पर संबंधित अधिकारियों को कहा था कि धरने पर बैठे हजारों-हजार लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं उनके लिये टैंकरों द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। इसमें सरकार की साजिश मालूम पड़ती है, वह चाहती है कि ये लोग धरना समाप्त करके अपने-अपने घरों को चले जाएं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उन लोगों के लिये पानी की व्यवस्था टैंकरों द्वारा की जाए ताकि वे अपना धरना चालू रख सकें।

12.41 म. प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अंतर्गत सूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : मैं प्रो. मधु दण्डवते की ओर से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

संख्या सा. का. 146 (अ) से सा. का. नि. 245 (अ), जो 20 मार्च 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो .9 मार्च, 1990 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष-करों से सम्बन्धित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में किये गये परिवर्तन तथा दी गई छूट के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 809/90]

पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगे

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : मैं पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 810/90]

इस्पात और खान मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगे; भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) इस्पात और खान मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 811/90]

(2) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 812/90]

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगे

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य (श्री भागेय गोवर्धन) : मैं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 813/90]

वित्त मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग)

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) वित्त मंत्रालय की 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 814/90]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1990 का संख्या 2)—संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 815/90]

12.44 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 8 मई, 1990 को हुई अपनी बैठक में पारित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1990 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

12.44½ म. प.

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथा पारित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1990 सभा पटल पर रखता हूं।

14.45 म. प.

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री. जगदीप धनखड़) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं

सूचित करता हूं कि सोमवार, 14 मई, 1990 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

1. आज की कार्यसूची बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान :

(क) श्रम

(ख) कल्याण

3. वर्ष 1990-91 के लिए बकाया अनुदानों की मांगों (सामान्य) को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करना।

4. निम्नलिखित विधेयक पर विचार तथा पारित करना :—

(क) वित्त विधेयक, 1990

(ख) स्वर्ण (नियंत्रण) निरसन विधेयक, 1990

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1990

(घ) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक, 1990

———

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष ने यह विनिर्णय देने की कृपा की है कि आपत्तिजनक टिप्पणियां कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दी जाएंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि समाचार पत्रों को भी सूचित किया जाना चाहिए कि इनमें से कोई भी टिप्पणी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो नियमों के अनुसार होगा, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।

———

12.47 म. प.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

रुई बाजार में रुई की भरमार होने और उसके फलस्वरूप रुई उत्पादकों को हुई बहुत अधिक हानि

श्री कादम्बुर एम. आर. जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : मैं वस्त्र मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :—

रुई बाजार में रुई की भारी आमद के कारण रुई की कीमतों में आई अत्यधिक गिरावट,

जिससे रुई उत्पादकों को हुई बहुत अधिक हानि से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : रुई सलाहकार बोर्ड की 22.3.90 को हुई पिछली बैठक में चालू रुई मौसम (सितम्बर, 1989-अगस्त 1990) के दौरान कच्ची रुई का उत्पादन 122 लाख गांठ के बराबर कपास का रिकार्ड उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। रुई उपजकर्ताओं ने 7-5-1990 तक बाजार में रुई की 120 लाख गांठों से कुछ अधिक रुई पहुंचाई। पिछले रुई वर्ष (1988-1989) की इसी अवधि के दौरान इसकी तुलना में लगभग 100 लाख गांठों की आवक हुई थी। उत्पादन की इस बड़ी मात्रा और बाजार में इसकी बिक्री होने के बावजूद अधिकांश किस्मों की कपास की कीमतें अधिकांश मौसम के दौरान पिछले वर्ष के स्तर के लगभग बराबर बनी रहीं और इस समय मुख्य किस्म की कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमत से 13 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक अधिक हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि विभिन्न किस्मों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन कीमत स्वतः ही लगभग 70 से 90 रु. प्रति क्विंटल अधिक रही है। इस प्रकार सामान्यतः कपास की कीमतों में तेजी से कोई गिरावट नहीं आई है तथा सामान्य औसत दर्जे कपास की मौजूदा कीमतें मौसम की मध्य अवधि के दौरान कीमतों के आस-पास ही रही हैं।

सरकार ने इस वर्ष भरपूर उत्पादन होने के बावजूद रुई उपजकर्ताओं को लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए मुख्य उपाय निम्नोक्त अनुसार हैं :—

(1) सी सी आई से अनुरोध किया गया है कि वह विशेषकर कपास की ऐसी किस्मों की खरीदारियां बढ़ाए जिनकी कीमतें न्यूनतम समर्थन स्तर के आसपास हैं (इस वर्ष 7-5-1990 तक 11.77 लाख गांठों की खरीदारी की गई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 5.41 लाख गांठों की खरीदारी की गई थी।

(2) निर्यात कोटे को जोकि नवम्बर, 1989 में 4.35 लाख गांठ था बढ़ाकर 7-5-1990 तक 13.85 लाख गांठ कर दिया गया। इसकी तुलना में पिछले वर्ष केवल 2 लाख गांठों का कोटा ही रिलीज किया गया था।

(3) चयनात्मक ऋण नियंत्रण हटाना।

(4) न्यूनतम निर्यात कीमत में कटौती करना ताकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रुई की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार किया जा सके।

(5) केवल भारतीय कपास निगम और राज्य सहकारी परिसंघों के पक्ष में ही बढ़े हुए निर्यात कोटे का रिलीज करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये एजेंसियां घरेलू उपजकर्ताओं से अच्छी कीमतों पर बराबर खरीदारियां करती रहें ताकि अधिक अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के लाभ व्यापारियों के बजाय किसानों को मिलते रहें।

इन उपायों की सफलता इस तथ्य से देखी जा सकती है कि आशातीत भरपूर फसल होने के बावजूद इस वर्ष वास्तव में कीमत समर्थन प्रचालन शुरू करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रकार रुई उपजकर्ता चालू मौसम में अच्छी कीमतों पर अपने उत्पाद को बेचने में समर्थ रहे। इसके

विपरीत, वर्ष 1985-86 के दौरान जब फसल केवल 107 लाख गांठ हुई थी, तब सी सी आई को न्यूनतम समर्थन कीमत पर 12.5 लाख गांठों की खरीदारी करनी पड़ी थी।

यहां यह भी बताया जाता है कि जबकि उत्पादन में वृद्धि हुई है उसके साथ ही घरेलू खपत में भी वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप यदि निर्यात कोटा का पूर्णतया इस्तेमाल किया जाता है तो भी मौसम के अन्त में अन्त-शेष लगभग 10 लाख गांठ होने का ही अनुमान है जबकि इसकी तुलना में पिछले मौसम के अन्त में यह 22 लाख गांठ था। किसानों को लाभप्रद आय सुनिश्चित करते समय घरेलू उद्योग के हितों को विशेषकर और विद्युतकरघा के विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों के हितों को भी ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में, कुछ माननीय सदस्यों ने इस मौसम में रुई के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के भी सुझाव दिए थे। फिर भी सरकार ने उपजकर्ताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हित का ध्यान में रखते हुए एक सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाया है। इस प्रकार, इस वर्ष रुई की स्थिति का संचालन अत्यधिक सावधानी से किया गया है और सरकार ने इसे सुनिश्चित करने के लिए समय पर तथा कारगर ढंग से हस्तक्षेप किया है।

श्री कादम्बुर एम. आर. जनार्दनन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय श्री वस्त्र मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का पढ़ लिया है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि इस नई सरकार ने 12.5 लाख से 14 लाख गांठों के निर्यात की अनुमति दे दी है। भारत के इतिहास में पहले कभी इतनी बड़ी मात्रा में निर्यात नहीं किया गया। मैं इस बात की कुछ जानकारी देता हूं कि क्या उत्पादको को अच्छी कीमतें आदि मिल पायी हैं। इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने से पहले मैं इस सम्मानीय सभा को यह बताना चाहता हूं कि जब राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू किया तो उन्होंने हमारे हाथों में तकली और सूत देकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल देने का आह्वान किया। यह नई सरकार समथन मूल्य का सहारा ले रही है जबकि कपास का कृषि के कच्चे माल के रूप में शत प्रतिशत उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए होता है। अतः कपास के समर्थन मूल्य के लिए एक अलग मानदंड होना चाहिए। हमारा देश कपास उत्पादक देश है और इस कच्चे माल का उपयोग शत प्रतिशत उद्योगों में होता है। हमें कपास के किस्म के अनुकूल सूत का मूल्य देखना चाहिए। जब गांधी जी जीवित थे कपास के बीजों का उपयोग ईंधन के रूप में होता था। लेकिन आज आप इसे खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कपास उद्योग का व्यापक विस्तार हुआ है। इन सभी बातों पर विचार करते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से कपास के समर्थन मूल्य का निश्चित करने के लिए एक अलग मानदंड नियत करने का अनुरोध करता हूं। आपको इसे एक साधारण कृषि उपज नहीं समझना चाहिए। आप कपास के समर्थन मूल्य को नियत करने का एक अलग मानदंड निश्चित करें तथा इस समय जो आप किस्म के अनुसार 640 रुपये या 540 रुपये मूल्य निश्चित करते हैं, वह अर्थपूर्ण नहीं होगा और इससे ग्राहकों का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं वक्तव्य से उद्धरण देता हूं :

"रुई की कीमतों में कमी नहीं आयी है।"

उपाध्यक्ष महोदय : जनार्दनन जी, इस सभा के सभी सदस्यों के हित के लिए मैं यह पढ़ना चाहूँगा, यदि आप इस पर ध्यान देंगे इससे सिर्फ एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा बल्कि इस सभा में और भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाये जा सकते है। नियम 197 का महत्वपूर्ण भाग यह है :

"ऐसे वक्तव्य पर जब वह दिया जाए, कोई वाद-विवाद नहीं होगा, परन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकेगा और ऐसे सभी प्रश्नों के अन्त में मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जाएगा;"

यदि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत सभा में अन्य मुद्दों पर चर्चा करना चाहते है तो बनाये गये नियमों का पालन करना बेहतर होगा।

अब आपने इस विशेष मुद्दे की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया। यदि वक्तव्य में कोई बात स्पष्ट न हो तो आप स्पष्टीकरण के लिए कह सकते हैं। इससे आपको मदद मिलेगी, इससे अन्य माननीय सदस्यों को भी मदद मिलेगी और अधिक मुद्दों को उठाया जा सकता है। क्या मैं आपसे इस नियम को पालन करने का अनुरोध कर सकता हूं।

श्री कावम्बुर एम आर. जनार्दनन : चूंकि समर्थन मूल्य की आड़ में कुछ भी हो जाता है, अतः सर्वप्रथम मैं इसकी व्याख्या करूंगा कि समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए। मैं मूल विषय पर आ रहा हूं। मंत्रालय द्वारा मेरे प्रश्न का यह उत्तर दिया गया है। मैंने वर्ष 1987-88 से 989-90 के आंकड़ों के बारे में पूछा था। मत्रालय द्वारा प्रति किलो रुई की कीमत और उसके सूत की कीमत बतायी गयी है। अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि उनकी रुचि विद्युत चालित करघा और हथ-करघा बुनकरो में भी है। अतः वर्ष 1987 में प्रति किलो रुई की कीमत 12.80 रुपये थी, वर्ष 1988 में 17.81 रुपये और वर्ष 1989 में यह 16.99 रुपये थी। आज यह 14.45 रुपया है।

(व्यवधान)

इसलिए मंत्रालय द्वारा मेरे प्रश्न के दिये गये जवाब के अनुसार आज प्रतिकिलो 20 एम रुई की कीमत 14.6 रुपये है। इसके सूत की कीमत प्रतिकिलो वर्ष 1987 में 22.69 रुपये थी और रुई की कीमत 12.80 रुपये थी। वर्ष 1988 में सूत की दर 32.60 रुपये थी और रुई की कीमत 17.81 रुपये थी। सूत की दर वर्ष 1989 में 35.68 रुपये थी जबकि रुई की कीमत 16.99 रुपये थी। आज सूत की दर 39.65 रुपये है जो कि 4 वर्ष की अवधि में सबसे अधिक हैं। लेकिन रुई का मूल्य 14.65 रुपये है। क्या यह पहले की तुलना मे कम नहीं है? क्या इतनी अधिक मात्रा में रुई के निर्यात का लाभ गरीब कपास उत्पादकों को मिला है?

मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। चूंकि उपाध्यक्ष महोदय ने कुछ निर्देश दिये हैं, मैं उन निर्देशों का पालन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि अधिकांश मौसम में रुई की कीमत लगभग समान थी। आप पंजाब की जे-34 रुई का उदाहरण लें। पंजाब ने सबसे अधिक मात्रा में, लगभग 40 लाख गांठ, रुई का उत्पादन किया है जो कि हमारे उत्पादन का करीब 50 प्रतिशत है। हमारा कुल उत्पादन लगभग 1.2 करोड़ गांठ है। विगत नवम्बर-दिसम्बर में जे- 34 रुई का मूल्य 5800 से 6300 रुपये प्रति गठ्ठर (कैंडी) था। जनवरी माह में जब सरकार ने निर्यात नीति की घोषणा की तो इसकी कीमतें बढ़ गई और इसका मूल्य 6700 रुपये प्रति गठ्ठर यहां तक कि 7500 रुपये प्रति गठ्ठर हो गया। लेकिन फरवरी में यह घटकर 5800 रुपये से 6000 रुपये प्रति गठ्ठर हो गया। मार्च-अप्रैल में पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की संभावना थी इसलिए पंजाब

और हरियाणा के अधिकांश कपास उत्पादकों ने अपनी रुई को सस्ते दामों में बेच दिया। इसके मूल्य घटकर 4800 रुपये से 5000 रुपये प्रति गठ्ठर पर आ गए। लेकिन आपके मंत्रालय ने यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया और एक अन्य प्रकार का उत्तर दिया गया है।

1.00 म. प.

मैं इस सम्माननीय सभा में माननीय उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री श्री देवी लाल जी का वक्तव्य पढ़ना चाहूंगा।

"कृषि मंत्रालय कपास का निर्यात करे : देवीलाल पहले हिसार और सिरसा जिलों के कपास उत्पादकों की चर्चा करते हुए उन्होंने वस्त्र मंत्री और बम्बई में निर्यात आयुक्त से रुई निर्यात प्रस्तावों पर अत्यधिक लेने के कारण असंतोष प्रकट किया है।

श्री देवीलाल ने अफसोस जाहिर किया कि इन दो विभागों ने मिल कर रुई निर्यात के सम्बन्ध मे इस प्रकार का घोटाला किया ताकि व्यापारियों को इससे भारी लाभ मिल सके और किसानों को भारतीय कपास निगम द्वारा दी गयी कीमतें मिलें।"

माननीय उप प्रधान मंत्री जी ने प्रेस में यह बात कही है।

आपने भारतीय कपास निगम के लिए निर्यात कोटा निर्धारित किया है क्योंकि इस वर्ष बहुत अच्छी फसल हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको स्पष्टीकरण के लिए कहना होगा। आप इस प्रकार से भाषण नहीं पढ़ सकते हैं। यह वाद-विवाद नहीं है।

श्री कादम्बुर एम. आर. जनार्दनन : 14 लाख गांठों के निर्यात से भी किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है क्योंकि तमिलनाडु में वर्तमान कीमत 655-700 रुपये है जो कि जनवरी में 800-850/- रुपये थी। अतः उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आप कहते हैं कि कपास का आधिक्य नहीं हैं। मेरा नाम कादम्बुर जनार्दनन है कादम्बुर मेरा गांव है। हमारे यहां जनवरी से स्टाक यथावत पड़ा हुआ है।

इसके अतिरिक्त आप कहते है कि आप विद्युत करघों और हथकरघा बुनकरों के हितों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। परन्तु वर्तमान सूती धागे का मूल्य बहुत अधिक है। हथकरघा बुनकरों ने आपको प्रतिवेदन दिया था कि सूती धागे का मूल्य बहुत अधिक है। विगत वर्ष जब कांग्रेस का शासन था तो अप्रैल में निर्यात नीति की घोषणा की गयी थी। जिसके परिणामस्वरूप कपास के मूल्य के संबध में अटकलें लगायी गयी यद्यपि कपास की फसल कम थी परन्तु अब भारतीय कपास निगम ने जे-34 पंजाब कपास 142 से लेकर 160 सेंट प्रति किलोग्राम के मूल्य पर विदेशों को निर्यात की है। परन्तु भारतीय मूल्य 7000 रुपये प्रति 'कैंडी' है। निर्यात के माध्यम से अर्जित लाभ को कृषकों में वितरित करने के लिए आपने किस तंत्र की व्यवस्था की है? क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषकों को लाभ मिले? भारतीय कपास निगम ने जे 34 किस्म की कपास का निर्यात 9000 रुपये से लेकर 10000 रुपये प्रति 'कैंडी' के हिसाब से किया है। आप 3000 रुपये के लाभ को किसानों में किस प्रकार वितरित करेंगे?

आज महाराष्ट्र में क्या स्थिति है ? कितने लाख गाठें स्टाक में हैं ? आपको दो महीने का समय मिला है। जुलाई बुआई का मौसम है। अगली फसल आ जाएगी। देश में कपास उत्पादकों की दयनीय स्थिति है।

इसलिए मेरा सुझाव है कि भारतीय कपास निगम का विकेन्द्रीकरण जैसे सी. सी. आई., तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक अलग-अलग कर दिया जाना चाहिए। उनके किसी कपास निकाय होने चाहिए। भारतीय कपास निगम में छोटे गांवों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

सी. सी. आई. के कितने अधिकारी गांवों में जाकर कृषकों से सम्पर्क स्थापित करते हैं ? यह एक नौकरशाह के समान कार्य कर रही है। इसे कृषकों और कपास उत्पादकों के हित में कार्य करना चाहिए।

अब मैं धागे के निर्यात का उल्लेख करना चाहता हूं। एक या दो वाक्यों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। बम्बई बाजार में कपास के मूल्य में गिरावट का मुख्य कारण कताई मिलों की अत्यन्त सीमित मांग तथा स्टाकिस्टस द्वारा बिक्री के लिए दबाव बताया गया था। इसलिए इसके मूल्यों में गिरावट आई। देश के कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कपास और धागे का निर्यात किया जाना चाहिए। तब ही उत्पादकों को अच्छा मूल्य मिलेगा। निर्यात नीति तथा मूल्यों की घोषणा करते समय कृषि तथा कपड़ा मंत्रालय में उचित समन्वय होना चाहिए। इसलिए मेरा नयी सरकार से अनुरोध है कि कपास और धागे के लिए समर्थन मूल्य के सबंध में विचार किया जाए। कपास वर्ष अक्टूबर या सितम्बर से सितम्बर तक की बजाए फूल आने वाले मौसम से समझा जाना चाहिए। नवम्बर कपास का फूल आने वाला मौसम है। यदि सरकार नौकरशाहों की रिपोर्ट के आधार पर कोई दूसरा महीना आधार के रूप में लेगी तो सफलता नहीं मिलेगी। कपास सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट और व्यापार रिपोर्ट में अन्तर है। सरकार को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसलिए कपास वर्ष के फूल आने वाले महीने पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए सरकार को कपास का समर्थन मूल्य, बीज तथा धागे का मूल्य अलग-अलग समान आधार पर निर्धारित करना चाहिए। इससे कपास उत्पादकों को सहायता मिलेगी। मैं यह कहने को बाध्य हूं कि कपास का बाजार में आधिक्य है। जहां तक कपास के मूल्यों का संबंध है, उसमें बढ़ती प्रवृत्ति है। कृषकों को 600 रुपये प्रति क्विटल का मूल्य मिल रहा है। यदि वे तीन महीने पहले बेचते तो 650 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से मूल्य मिलता। इसलिए मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय उचित जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री बनवारीलाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष जी, आपके नियमों का पालन करते हुए आपके माध्यमो से मंत्री जी के ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूं। यदि हम आज की परिस्थिति पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारे नागपुर शहर में हजारों बुनकर हैं। हैंडलूम वीवर्स की हालत बहुत खराब है, उनको यार्न समय पर नहीं मिलता, पैसा नहीं है, सोसाईटीज आलमोस्ट बैंकरप्सी में आ गई, निरंतर घाटे का सामना करना पड़ता है। गरीब तबके की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। हैंडलूम इंडस्ट्री से हमारे पास इतने रिप्रेजेंटेशन आ जाते हैं। बड़ी मिलों का यदि ख्याल करें तो टैक्सटाइल मिलें जो कोटन के ऊपर बेसड हैं हमारे देश में, उन सभी मिलों की हालत बहुत खराब है आपके पास तो बहुत से रिप्रेजेंटेशनस आते होंगे कि

यहां मिलें बन्द हो गई हैं। मिलों को कम से कम सरकार को लेना चाहिए, यदि सरकार नहीं लेती है तो मजदूरों को कोपरेटिव बनाएं या कम से कम राज्यों सरकारों को आदेश दें। इस पालिसी में कहीं न कहीं गलती है क्योंकि हैंडलूम सैक्टर में बुनकर भुखमरी का शिकार हो रहा है, पावरलूम सैक्टर घाटे में चल रहा है, टैक्सटाइल की मिलें घाटे मे आकर बैंकरप्सी की हालत में आ गई हैं। इन सब सैक्टर्स को खत्म करके बड़े-बड़े अम्बानी जैसे मैनमेड फाईबर बनाने वाले करोड़पति, अरब-पति बना दिए और हमारे बुनकर भुखमरी के शिकार हो गये हैं। इस परिस्थिति में टैक्सटाइल इंडस्ट्री के संदर्भ में विचार करना पड़ेगा। आज के बारे में मैं कहता हूं कि हम किसान की भलाई की बात बहुत करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा दिलाने की बात करते हैं। हमारे एक प्रश्न के उत्तर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम किसानों को उसकी इंडस्ट्री की हैसियत में जो मुनाफा मिलना चाहिये, वह दिलाएंगे मतलब जमीन की कीमत का ब्याज दिलाएंगे। ज्यादा बात-चीत हुई तो उन्होंने यहां तक कहा कि उसकी औरत को खाना पहुंचाने में ढाई घंटे लगते हैं, उसका पैसा भी हम दिलाएंगे, कपास के उत्पादन का लागत मूल्य भी दिलाएंगे, यह ठीक साबित नहीं हुआ है। उसमें उसको घाटा ही होता है। पहले के अगर आप आंकड़े देखें तो पता लगेगा कि उन्हें जो उचित भाव मिलने चाहिये थे वह नहीं मिले। पहली गलती सरकार ने इसमें यह की कि इस सम्बन्ध में उसने जो एक्सपोर्ट की पालिसी बनायी थी उसमें पहले क्राप का एस्टिमेंट ठीक से नहीं लगाया था। इस संबंध में पूरी कंट्री का नवम्बर के फस्ट-सैकिण्ड वीक में एस्टिमेंट हमारे पास आ जाना चाहिये और इस पीरियड में ओवर-आल एस्टिमेंट करके सरकार को अपनी इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित कर लेनी चाहिये कि हम इतने लाख गांठ का कोटा देंगे। इससे मार्किट स्टेबिलाइज होती है। लोग जब चिल्लाते हैं तब जा कर आप मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में एक्सपोर्ट कोटा फिक्स करते हैं। इस बीच में किसान अपना माल व्यापारियों को सस्ते में बेच देते हैं। इससे व्यापारियों को मुनाफा होता है। आप चाहे कितना ही कह लें कि कोआपरेटिव के माध्यम से एक्स-पोर्ट करें लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं होता है। व्यापारियों के पास जो भी बची हुई गांठें होती हैं, उससे वह अनाप-शनाप मुनाफा कमा लेते हैं।

हमारे महाराष्ट्र में काटन फैडरेशन है। वहां एक मनोपली परचेज स्कीम है। तो यह बहुत सुन्दर स्कीम है। परन्तु यह फेल हो रही है। हमारे आजू-बाजू के स्टेट में फ्री ट्रेड इसका है। नतीजा यह होता है कि जब भाव इसके कम रहते हैं तो वह माल पूरा बाहर चला जाता है। ऐसे में हमारी फेडरेशन घाटे में जाती है। यदि बाहर चला जाता है। ऐसे में हमारी फेडरेशन घाटे में जाती है। यदि बाहर भाव ज्यादा रहते है तो वह सामान सारा बाहर से आ जाता है। जब आप पाकिस्तान से स्मगलिंग नहीं रोक सके तो फिर एक स्टेट बोर्डर से स्मगलिंग को कैसे रोक पायेंगे? मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों की एक निर्णायक बैठक बुलायें। यह इतनी सुन्दर स्कीम है कि एक-एक पैसे का फायदा हमारे किसानों को उससे होगा। अगर आप ऐसी स्कीम सब जगह चलायेंगे तो पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर उसके एक भाव रहेंगे और किसानों का एक्सप्लाय-टेशन जो व्यापारी करते हैं वह नहीं हो सकेगा।

इसके अलावा हमारे फेडरेशन के पास बहुत इसका स्टाक है। उनके गोदाम इससे भरे हुए है। केदार साहब जो कि इसके चेयरमैन हैं वह आपसे मिलने आये थे और उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन माननीय मंत्री जी को दिया था। उन्होंने मांग की कि हमारे पास इतनी रुई है यदि वह नहीं बिकेगी तो अगले साल कैरी-ओवर करनी पड़ेगी। आपने इसका जो कोटा दिया है वह बहुत कम दिया

है—बावद 11-12 लाख गांठ का दिया हैं। उसमें ढाई लाख और पौने तीन लाख गांठ का कोटा अपनी इस फेडरेशन को दिया है। उन्होंने जो रिप्रजेंटेशन दिया है, उस पर आपने गौर नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह फेडरेशन किसानों की है। इसमें व्यापारी का कोई भला नहीं होगा। भला किसान का ही होगा। फेडरेशन ने अलग से जो मांग की है कि कम से कम पांच लाख गांठ एक्सपोर्ट करने की उन्हें इजाजत दी जाये, वह आप पूरा करें। इससे सीधे किसानों को फायदा होगा।

आपकी ओवर-आल जो पालिसी है उसमें कुछ विसंगतियां हैं। आपने 120 करोड़ गांठ का प्रोविजनल ओवरआल इस्टिमेट मई तक का बनाया है और ट्रेड का एस्टिमेट 130 का है। 10 लाख गांठें ज्यादा होंगी इस बात को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा लिबरल रहिये। महाराष्ट्र फेडरेशन को पांच लाख एडीशनल कोटा इसके लिये दें जिससे महाराष्ट्र के किसानों को फायदा हो सके। इससे पूरी कंट्री पर इसका असर पड़ेगा। मेरी इन सब बातों पर आप अवश्य ही गौर करें।

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : महोदय मैं शुरू में मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि पिछली बार डेढ़ महीना पहले उन्होंने हमारी परेशानियों के बारे में हमारी बात सुनी थी।

जहां तक कपास उत्पादन का संबंध है, इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत में कपास का उत्पादन बारानी खेती करने वाले तथा संरक्षित सुविधा वाले किसान करते है। समूचे देश में समान किस्म की कपास के मूल्य समान हैं। परन्तु यहां कपास उत्पादकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं सबसे पहले मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे बारानी खेती करने वाले किसानों और संरक्षित सिंचाई सुविधा प्राप्त किसानों के साथ न्याय किया जा सके। पैदावार में अन्तर के कारण उन्हें अधिक धनराशि मिलती है जबकि शुष्क खेती करने वाले किसानों को कम क्योंकि वे वर्षा पर निर्भर रहते हैं।

महाराष्ट्र के बारे में दूसरी बात जिसका श्री बनवारी लाल पुरोहित ने उल्लेख किया है, यह है कि कपास-एकाधिकार खरीद योजना को एक वर्ष, दो वर्ष अथवा तीन वर्ष बढ़ाने से क्या फायदा है। हम इतने वर्षों से आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में दस वर्ष की वृद्धि कर दी जाए ताकि हम योजना बना सकें तथा आगे कार्यवाही कर सकें। मैं नहीं जानता कि उन्हें क्या कठिनाई है। विगत सरकार ने भी ऐसा नहीं किया था। यदि आप भी ऐसा नहीं कर सकते तो मैं नहीं जानता कि हमें किस के पास जाना चाहिए। आप लोगों से कह रहे हैं कि आप किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए शासन में आए हैं। यदि ऐसा है तो कम से कम उन संस्थाओं की, जो किसानों के लिए कार्य कर रही हैं तथा उनकी ओर से चल रही हैं, रक्षा की जाए तथा उन्हें सुदृढ़ किया जाए ताकि वे दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजना का निर्माण कर सकें।

जहां तक निर्यात कोटा का संबंध है, मैंने हमेशा एक बात पर आपत्ति की है। महाराष्ट्र संघ, गुजरात सहकारिता तथा भारतीय कपास निगम की कुल खरीद को एकत्रित करके यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक को कितना कोटा आवंटित किया जाए। मेरे हिसाब से अनुपात निर्धारित कर दिया जाना चाहिये। यदि हमने 10 लाख रुपए की खरीद की तो हमें 3 या 4 लाख रुपये मिलेंगे। यदि आप कम खरीद करें तो आपको कम मिलेगा। परन्तु ऐसा नहीं होता है। यद्यपि भारतीय कपास निगम में 18 वर्षों में 100 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है परन्तु आपको

संस्था होने के कारण आप इसके निर्यात कोटा में वृद्धि करके इसका बचाव करना चाहते हैं। इससे हमारी भावना को चोट पहुंचती है। क्या हम इस सरकार के अंग नहीं हैं ? क्या हम नागरिक नहीं हैं ? यदि हम नागरिक हैं तो हमें समान अधिकार दिया जाना चाहिए। केवल भारतीय कपास निगम की ही रक्षा मत कीजिये। इस बात का ध्यान रखिये कि आपके संरक्षण के कारण ही सी. सी. आई. को घाटा हो रहा है।

आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद कपास बाजार में प्रवेश करने की क्या आवश्यकता थी जबकि वहां खरीददारों की भरमार है ? आप एक महीने बाद खरीद शुरू कर देते हैं। मेरे विचार से जब मूल्य कम हो जाए, तभी सी. सी. आई को प्रवेश करना चाहिये। परन्तु मैंने देखा है कि अधिकांश बाजारों में प्रवेश करने वाला सी. सी. आई. पहला संगठन है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

कोटा के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस चाल को नहीं समझता। पहले आप अपनी आवश्यकता की गणना कीजिए। आपका कपड़ा विभाग आपको बता सकता है कि कितनी मिलों में हड़ताल चल रही है और इसके कितने दिनों तक चलने की संभावना है।

एक बार बम्बई में डा. दत्ता सामन्त की सहायता से जो माननीय सदस्य हैं, बहुत दिनों तक हड़ताल चली और अधिकांश मिले बन्द रहीं। परन्तु आपने उस विशेष कोट का निर्यात करने के बारे में कभी विचार नहीं किया है। ऐसी बातें होनी चाहिए। हमने देखा है कि जब आप कोटा देते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अधिक होते हैं और जब वे इसे बेचना चाहते हैं तो मूल्य कम हो जाते है। अन्तः में, मुझे याद है कि सी. सी. आई. और दूसरे लोगों को इसे निजी विक्रेताओं को बेचना पड़ता है, इससे उन्हें बहुत अधिक लाभ होता है। ऐसा किस प्रकार होता है ? क्योंकि हम अधिक समय तक प्रक्रिया का इन्तजार नहीं कर सकते हैं। यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति जोखिम उठा सकता है तो सरकारी निगम क्यों नहीं ? मैं केवल यही पूछना चाहता हूं।

मेरा अनुमान है कि कुछ गड़बड़ की गयी थी। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। परन्तु आपको इसकी जांच करनी चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके बारे में क्या किया गया है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि कल आपने बड़ी कृपा की कि आप उपाध्यक्ष के हाल में कपास उत्पादकों से मिले। मेरा आपसे अनुरोध है कि कपास उत्पादकों के हित मे कोई कार्य करें। वे ऐसे लोग हैं जो पूरे साल कार्य करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। उनके पास केवल यही नकदी फसल है। प्रो. रंगा बतायेंगे कि आंध्र प्रदेश जिससे वह संबंधित हैं, ये कुल 100 लाख से भी अधिक रुई की गांठों में से 13 लाख गांठो का उत्पादन होता है। कृपया अधिक सावधानियां बरती जायें तथा उनकी सहायता करने की कोशिश की जाये तथा उनकी सहायता करने की कोशिश की जाये और चाहे जहां कहीं भी वे काम करें चाहे सहकारी क्षेत्र में अथवा फेडरेशन में, उन्हें पर्याप्त समय तथा पूरी मदद दी जाये जिससे वे जीवित रह सकें। जैसा कि श्री पुरोहित जी यह कह रहे हैं, यदि आप देश भर में एकाधिकार खरीद लागू कर सकते हैं तब इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। परन्तु महोदय, मुझे इसमें संदेह है। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के. एस. राव।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : श्री राव यहां पर उपस्थित नहीं हैं। आपकी अनुमति से, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रंगा जी, कृपया नहीं।

प्रो. एन. जी. रंगा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय कपास निगम का मद्रास और आंध्र प्रदेश के कृषकों की मदद करने के उद्देश्य से बाजार में खरीद करने का विचार है, तथा क्या सरकार सभी संबंधित पक्षों का एक सम्मेलन बुलाने का प्रयत्न करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उनके पारस्परिक हितों में अनुकूलता बनी रहे तथा किसानों को उनके उचित दाम दिये जा सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। श्री हरीश रावत।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का पूरा स्टेटमेंट पिछले वर्ष की सीसीआई की परफार्मेंस के कम्पैरीजन में उन्होंने दिया है। जबकि इस वर्ष पिछले वर्ष से कुछ भिन्न स्थिति है। पिछले वर्ष उत्पादन कम था और इस वर्ष आपके अपने आंकलन से बहुत ज्यादा उत्पादन होने के कारण उस का असर मार्केट के ऊपर पड़ा है। वास्तव में गवर्नमेंट एजेंसीज को, उनकी परफार्मेन्स की, उनकी मदद किसानों को ऐसे वक्त में सब से ज्यादा जरूरत पड़ती है। सीसीआई से जो उम्मीद की जाती थी, यकीनन वह उम्मीद सीसीआई पूरी नहीं कर पाई है। आज न केवल ऐसी हालत है, विभिन्न स्टेट्स के अन्दर सीसीआई की ओर से परचेस प्वाइन्ट्स, जो भी उनके माध्यम हैं, उन माध्यमों के जरिए नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारे राज्यों ने आपसे अनुरोध किया है कि उनके यहां नए परचेस प्वाइंट होने चाहिए। उस बात को इग्नोर किया जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है, क्योंकि उससे जो खर्च बढ़ता है, उस खर्च को अपने ऊपर लेने के लिए नहीं हैं। सीसीआई और स्टेट्स की जो फैडरेशन्स हैं, इस काम में लगी हैं, उनके बीच में तालमेल नहीं है, जबकि उनके बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। यदि तालमेल नहीं होगा, सीसीआई की पूरी सपोर्ट और आपको मिनिस्ट्री की पूरी सपोर्ट ऐसे मौके पर उनको हासिल नहीं रहेगी तो यकीनन वे फैडरेशन्स अपनी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से नहीं निभायेंगी।

मैं माननीय मंत्री जी से केवल दो-तीन बातें जानना चाहता हूं। जिस हिसाब से आपके कपास की आवक बढ़ी है, उस हिसाब से क्या आपने और परचेज प्वाइंट्स रखने के लिए, उनके परचेज को रैग्युलेट करने के लिए कोई व्यवस्था की है ? क्या आपने आपकी जो पहली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में इस वर्ष कितना प्रोडक्शन होगा, उसका अनुमान लगाया गया था और उस प्रोडक्शन के हिसाब से परचेज प्लान बनाना चाहिए था, वह प्लान आपने बनाया ? उस प्लान के अभाव में किसान पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसानों को अपने माल को मार्केट में पहुँचाने की सबसे ज्यादा जल्दी रहती है। जब किसान माल लेकर मार्केट में जाता है, तब उस समय वहां खरीददार मौजूद नहीं रहता है और जल्दीबाजी के कारण वह अपना माल उल्टे-सीधे दामों पर बेचने के लिए बाध्य हो जाता है। यह स्थिति सिर्फ इसी की नहीं है, और मामलों में भी इसी प्रकार की स्थिति है। मैं आप से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यदि इसके विषय में आपने कोई परचेज प्लान बनाया है, तो उसकी जानकारी किसानों को होनी चाहिए थी, संस्थाओं के माध्यक से जानकारी दी जानी चाहिए थी।

[अनुवाद]

प्रो. एन. जी. रंगा : महाराष्ट्र योजना की जांच की जानीं चाहिये।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : आवक बढ़ने की वजह से कीमतों में जो बड़ी भारी गिरावट आई है, उस भारी गिरावट का किसानों को नुकसान उठाना पड़े। माननीय मन्त्री जी ने अपने बयान में और हमारे अपने मित्रों ने कुछ फेडरेशन की बात कही कि फेडरेशन ने आप से पहले भी अनुरोध किया है कि उनको डाइरेक्टली एक्सपोर्ट करने की इजाजत देनी चाहिए क्योंकि वे अपने क्षेत्र में जो ग्रोअर्स है उनके इंट्रेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस विषय में बहुत पहले से बात चली है और बहुत बात भी हुई है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि क्या इसको थोरोली एग्जामिन किया गया है ? क्योंकि जो हमारे कॉटन ग्रोअर्स हैं वे बड़े-बड़े मिल-मालिकों की कृपा पर निर्भर हैं क्योंकि सी.सी.आई. के ऊपर दो प्रकार के दबाव काम करते हैं। एक प्रकार से कमर्शियल आरगेनाइजेशंस के भी हैं और दूसरी तरफ वह किसानों की मदद करने के लिए माना जाता है। तो ये दोनों प्रकार के दबाव उस पर काम करते हैं। इधर उनका कोई दबाव मिलों के ऊपर नहीं है। ऐसी स्थिति में जो प्राइवेट मिल-आनर्स हैं वे लोग मिल कर के इस स्कीम के अन्तर्गत ऐसी हालत पैदा कर देते है ताकि किसान को अपनी उपज को सस्ते दाम पर बेचनी पड़े। जिस प्रकार की हालत इस समय हो रही है, मेरे मित्र बनवारी लाल जी कह रहे थे कि मिलें घाटा उठा रही हैं, लेकिन इस समय जो हालत है उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी मिल-मालिक ऐसा नहीं है जो अपने पुराने सारे घाटे को वाईप आऊट नहीं कर देगा। सारी की सारी जो प्रोडक्शन है और उसका जो लाभ है वह मिल-मालिकों को जा रहा है। जबकि उस लाभ में किसान को शेयर मिलना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि फेडरेशन और स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके आप इस विषय में कोई योजना बनाएं।

आपने एक्सपोर्ट के विषय में कहा है कि हमने इसका कोटा निर्धारित कर दिया है। लेकिन इसकी जो जानकारी हमको मिली है यह है कि आपने जो कोटा निर्धारित किया है, एक्चुअल एक्सपोर्ट जो है वह पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम है। यही कारण है कि सी.सी.आई. के ऊपर इसका भार होगा। सी.सी.आई. के ऊपर भार न आ सके तो कृपया इस पॉसिबिलिटी को भी देखने का कष्ट करें कि जितना आपने एक्सपोर्ट के लिए कोटा निर्धारित किया है वह एक्सपोर्ट हो सके।

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पुरोहित जी ने, रावत साहब ने जो सवाल उठाये हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनका संतोषजनक उत्तर उनको मिल जाए।

इस वर्ष जो कपास का उत्पादन हैं वह रिकार्ड उत्पादन है। अनुमान हमारे विभाग का है कि वह 122 लाख बेल का होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एस्टीमेट 105 लाख बेल का है। लेकिन अभी कुछ सदस्यों ने कहा कि नहीं, यह ज्यादा का है। इस बाबत हमने एक सावधानी बरती है कि अगले वर्ष जो क्राप्स का एस्टीमेट है, उसकी बाबत पहले से ही हम सेटेलाईट से एस्टीमेट लेने का काम शुरू करेंगे। उत्पादन चाहे 122 हो या 130 हो। लेकिन यह निश्चय है कि इस बार जो उत्पादन हुआ है वह रिकार्ड उत्पादन है। जब से यह सरकार आई है और मैं इस विभाग का मन्त्री बना हूँ तब से सब से ज्यादा कोशिश की है और ध्यान दिया है वह इसी सवाल पर दिया है जो फसल बड़े पैमाने पर इस बार आई है, किसानों को उसके वाजिब दाम मिलने चाहिए। यानी सी.सी.आई को हमने बहुत मजबूती से कहा है कि कहीं भी दाम नहीं गिरना चाहिए।

अभी रावत जी कह रहे थे कि सी. सी. आई. की जो फंक्शनिंग है, उसमें त्रुटियां हैं। मैं मानता हूं कि वह जितनी चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए वह उतनी नहीं है। इस लिहाज से हमने इस बार जो 13.85 लाख बेल का एक्सपोर्ट किया है, उसमें महाराष्ट्र फेडरेशन के लिए कोई कंजूसी नहीं की। देश में 1/6 भाग कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है जब कि उससे कहीं ज्यादा कोटा उनको देने का काम किया है। सी सी आई के बाबत जो रावत साहब ने कहा कि - सी सी आई के जो सेन्टर हैं उनमें खरीद तो थी ही, लेकिन उसका भी एक्सपेंशन हमने किया।

[अनुवाद]

श्री एल. जी. रंगा : आन्ध्र प्रदेश में इतना नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : जिन-जिन इलाकों से मेरे पास शिकायतें आई - चाहे वे इस पक्ष के थे या दूसरे पक्ष के थे, जब उन्होंने कहा कि सेन्टर परचेज नहीं कर रहे है तो तत्काल आफिसर्स को वहां भेजा गया। आपके आन्ध्र प्रदेश के इलाके में किसानों ने यह समझा था कि बहुत दाम बढ़ेंगे, इसलिये उन्हें रोकना शुरू किया है। वह हड़ताल पर चले गये थे। उनके पास अपने आफिसरों को भेज कर उन्हें समझाया और कहा कि हमारी जो केपेसिटी है, उसमें आर्थिक दिक्कतों के बाद भी हम जितना परचेज कर सकते हैं उतना करेंगे और किया भी है। मैं सी सी आई के बारे में बता रहा था, इसमें पिछली बार 163 सेन्टर थे और इस बार 188 सेन्टर बनाये गये हैं—यानि सेन्टर बढ़ाये गये हैं, घटाये नहीं गये हैं। फसल को देखते हुए हमने कमर्शियल परचेज किया है—यानि करीब 13 फीसदी से ले करके 23 फीसदी तक, 24 फीसदी तक। यदि एवरेज लगाया जाये तो पूरे देश भर में जो कपास का उत्पादन होता है, उसमें जो एवरेज प्राइज है उससे 20 फीसदी ज्यादा हमने दिया है। इस पर जो दाम दिये गये हैं उन दामों का मकसद है कि किसानों के जो दाम हैं वह नीचे न गिर जायें। सी सी आई का रोल हमारा इतना है कि इसमें हम देखते हैं कि बाजार में किसान की उपज के दाम गिर न जायें। हम मानते हैं कि यह सब जगह पर परफेक्ट नहीं है और इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं, लेकिन इसे जितना चुस्त और दुरुस्त होना चाहिये, उतना चुस्त और दुरुस्त बनाने का काम हमें करना है और इसे आगे बढ़ाना है। जैसा कि कहा गया है कि अभी तक जो एक्सपोर्ट कोटे का कमिटमेंट नहीं हुआ है इसमें 9.4 लाख गांठ रजिस्ट्रेशन हमने करा दिया है —यानि कि 13.8 लाख गांठ में से 9.4 लाख गांठ रजिस्ट्रेशन करा दिया है, शिपिंग के लिये तैयार है। महाराष्ट्र फैडरेशन ने यह अच्छा काम किया है, एक्सपोर्ट में उन्होंने सी सी आई से ज्यादा समझदारी से काम किया है लेकिन सी सी आई ने किसानों के दाम को गिराने का काम नहीं बल्कि कमर्शियल परचेज किया है। इस बार का जो रिकार्ड उत्पादन है - वह 122 लाख बेल का है, इसके बावजूद भी हमने जो कोटा निर्धारित किया है। जनार्दन जी जब सलाहकार समिति में थे तो उन्होंने कहा था कि एक्सपोर्ट को कम करना चाहिये लेकिन आज अपने कालिंग अटेंशन उठाया कि किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। हमने जो कोटा दिया गया है इस बार उसे बहुत साइंटिफिक तरीके से रिलीज किया है, एक-दम नहीं किया। इसका कोई एस्टीमेट नहीं था कि कितनी फसल आयेगी और कितनी नहीं आयेगी। इस पर विवाद था कि डोमेस्टिक मार्केट में कहीं कमी न पड़ जाये। हिन्दुस्तान में सस्ता कपड़ा मिले, यह भी हमारी जिम्मेदारी है और डोमेस्टिक मार्केट में कहीं पावरलूम वाले, मिल सेक्टर वाले और हथकरघा वाले लोग न आ जायें। पुरोहित जी ने ठीक ही

कहा कि यह जो विभाग है, यह विभाग कई तरह की बीमारियों से भरा हुआ है और कहीं पावरलूम हैण्डलूम को खाता है और कहीं मिल सैक्टर को पावरलूम खाता है। यानी किसान, काटन ग्रोअर्स, हैण्डलूम वीवर्स, पावरलूम वीवर्स और मिल सेक्टर के जो लोग हैं, इनमें बराबर कन्फलिस्ट रहता है : जब हम कोटा बाहर दे रहे थे तो लगातार बहुत से सेक्शंस की ओर से विरोध चलता रहा। हैण्डलूम सेक्टर के बहुत से लोगों ने मेमोरेंडम दिए कि आप कोटा रिलीज मत करिए, एक्सपोर्ट मत करिए, एक्सपोर्ट मत करिए, हमारे दाम बढ़ेंगे, हमने उनसे कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देश की सबसे बड़ी संख्या रोजी-रोटी में लगी हुई है और उनमें सबसे बड़ा सेक्शन काटन ग्रोअर्स का है, किसानों का है। अगर किसान का ध्यान नहीं रखा जाएगा, उसको मजबूत नहीं किया जाएगा, सहानुभूति नहीं रखी जाएगी, तब तक यह इंडस्ट्री घाटे में रहेगी, नुकसान में रहेगी।

जैसा कहा कि हमको एक समरस और निश्चित नीति अपनानी चाहिए। हमने तय किया है कि 5 लाख बेल लगातार एक्सपोर्ट निश्चित रूप से करेंगे। उत्पादन के अनुसार उसमें वेरिएशन नहीं होगा, यह हमने कोशिश की है और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बार सी सी आई ने 11 लाख बेल की खरीद की है, उसका फल क्या रहा। और इस बार कोटा हमने सब फेडरेशंस को, स्टेट फेडरेशंस, सी सी आई आदि को दिया है, प्राइवेट ट्रेडर्स को नहीं है, जो व्यापार करते हैं। हमने इस इस बार पाई पाई, तिल तिल, तोला, मासा, रत्ती सारा कोटा सी सी आई महाराष्ट्र फेडरेशन और स्टेट्स कोआपरेटिव फेडरेशंस को दिया है। हालांकि कई जगह फेडरेशंस कमजोर हैं उन्होंने कोटा हमसे कम मांगा, हमने कोशिश की थी कि उत्पादन के अनुसार उनको कोटा दें, उसके पीछे हमारी भावना यह थी कि एक्सपोर्ट करने से जो मुनाफा होगा, वह किसान के घर में जाएगा, चाहे सी सी आई करे या फेडरेशंस करें, क्योंकि फेडरेशंस किसानों की हैं, जैसा कि पुरोहित जी ने भी कहा है; इसलिए भी सी आई या फेडरेशंस को जो मुनाफा होगा, वह किसान के पक्ष में जाएगा। हमने मुनाफा किसानों को दिया है और जो मुनाफा बचेगा वह अगले साल जो फसल आएगी, उसमें दिया जाएगा। वर्ष 1985-86 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 12 लाख बेल खरीदने का काम किया गया था. आंध्र प्रदेश में किसान जहर खा कर मरे थे, रंगा जी जानते हैं, यह स्थिति न आए, इसकी तैयारी हमको करनी चाहिए। इस लिहाज से हमने इस प्रकार का कोटा तय किया और इससे जो फायदा होगा वह किसान को होगा और इसके चलते सी. सी. आई. की तरफ से, फेडरेशंस की तरफ से किसानों के पक्ष में खरीदारी की गई है। देश में तकरीबन 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए का अधिक मुनाफा, अधिक पैसा किसानों के घर में पहुँचाने का काम किया है। हमने जो परचेज किया है, बाजार से कंपीट करके परचेज किया है और बाजार में उनके दाम नहीं गिरने दिए। जितनी वेरायटीज हैं, मैं निवेदन करूं कि जितनी मोटी मोटी वेरायटीज हैं, जो परसेंटेज है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उससे कितना ऊंचा है, यह आप देखिए। जे 34, 24 परसेंट ऊपर है, जे 34 हरियाणा में और राजस्थान में 21 परसेंट ऊपर है, पंजाब में 28 परसेंट ऊपर है। एम सी यू-5 आंध्र प्रदेश में 28 परसेंट ऊपर है, दूसरी वेरायटीज 13 परसेंट ऊपर हैं, हालांकि हम मानते हैं कि इनकी कीमत कम मिली है। कर्नाटक में काटन ग्रोअर्स को .5.90 तक हमने 26 परसेंट ऊपर प्राइस दी है। यह सारी कमर्शियल परचेज हमने की है। यह सब बाजार के साथ कम्पीट करके किया है। हमारे सख्त आदेश हैं कि जहां मार्किट गिरेगा उनमें आपकी जिम्मेदारी ठहरायी जाएगी। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि सी. सी. आई. ने इस बार कोताही नहीं की है। इस बार उसका कमर्शियल परचेज का काम बहुत बढ़िया और तरीके से चला। जो उसकी क्षमता

है, उसके इनफरास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उसके बावजूद हमने कोशिश की है कि किसानों की उपज के दाम न गिरें। माननीय सदस्यों ने कहा कि 120 लाख बेल बाजार में आ चुकी हैं। लिंट के प्राईस कम हैं, लेकिन सीड़ के प्राईस अच्छे हैं। किसान का जो सवाल उठाया गया है, उसके बाबत जो चिन्ता है, उसको मैं मानता हू। मैं मानता हूं कि किसान को और मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारी शक्ति है, जो कुव्वत है उससे ज्यादा हमने कोशिश की है कि किसान के घरों में ज्यादा से ज्यादा आमदन पहुँचे।

पुरोहित जी ने कहा है कि महाराष्ट्र फैडरेशन का कोटा और बढ़ना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि 130 लाख बेल पैदा हो गयी हैं, यदि यह बात होगी तो एक्सपोर्ट का कोटा जैसे बढ़ेगा, महाराष्ट्र फैडरेशन को मजबूत करने के लिए हम बिल्कुल कोताही नहीं करेंगे। आपके मुख्य मन्त्री का पत्र भी हमें मिला है, आपके यहां से बहुत से लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, इसीलिए जो वहां का उत्पादन है उससे कहीं ज्यादा हमने दिया है। यानी उनको जो कोटा दिया है वह सी. सी. आई. से आधा दिया है। पूरे देश में सी. सी. आई आपरेट करती है यदि उसको 100 परसेंट दिया है तो इनको इसका आधा यानी 50 परसेंट दिया है। हमने इसका पक्ष लिया है और फेवर किया है। किसानों के पक्ष में वायलेंटरी आर्गेनाइजेशन बनाकर या को-आपरेटिव बनाकर जो लोग काम करना चाहते हैं उनकी हम मदद करेंगे और को-आपरेटिव बनाने से लोकतंत्र मजबूत होता है। मास लेवल पर प्रोडक्शन करने वाले लोगों के हाथ मजबूत होते हैं और वे आत्म-विश्वास से भरे होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में जो इस सवाल को उठाने वाले हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि मुझे भी मौका मिला, इस बार जो काम हुआ है उसके बारे में जानकारी देने का मौका मिला। मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ बहुत दिक्कत है। जब हम किसान की तरफ जाते हैं, हैण्डलूम वीवरस, पावरलूम वीवरस सफर कर जाते हैं। टैक्सटाईल उद्योग जो है इसमें बहुत सावधानी से काम करने की जरुरत है। आपने जो सवाल उठाने का काम किया, जो सम्भव हो सकता है मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कादम्बुर एम. आर. जनार्दनन : क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तमिलनाडु की सुविन कपास का निर्यात किया जा रहा है ? केवल तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में ही इस सुविन कपास का उत्पादन हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात आपको पहले पूछ लेनी चाहिए थी।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैंने कहा कि जितने प्रान्त हैं उनसे पूछा गया। जितना वे चाहते थे उसी हिसाब से हमने किया। तमिलनाडु का स्पैसिफिक सवाल आपने पूछा, अभी इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं बाद में आपको बता दूंगा।

1.43 म. प.

कार्य-मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगदीप धनखड़) : श्री सत्य पाल मलिक की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा दिनांक 10 मई, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के 10वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दिनांक 10 मई, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के 10वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

————

1.44 म. प.

अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक*

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : प्रो. मधु दंडवते की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनिल शास्त्री : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

————

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन नियम 377 के अधीन मामलों को लेगा। श्री जनक राज गुप्त।

---

*दिनांक 11.5.90 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

1.45 म. प.

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) जम्मू जिले की रणवीर सिंह पुरा तहसील में अरनिया गांव के निकट "आइक नाला" पर एक पुल बनाये जाने की मांग

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : पाकिस्तानी सीमा के समीप जम्मू और कश्मीर राज्य में रणवीर सिंह पुरा की तरफ अरनिया गांव के निकट सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को गांव अरनिया, तहसील रणवीर सिंह पुरा, जिला जम्मू के निकट "आइक नाला" पर पुल के न होने के कारण अत्यन्त कठिनाइयां हो रही है। मानसून के दौरान वहां के निवासी दबलेहर तथा रणवीर सिंह पुरा को जाने वाली मुख्य सड़क से पूरी तरह से कट जाते हैं क्योंकि उस नाले में काफी अधिक पानी भर जाता है तथा उन्हें रणवीर सिंह पुरा, तहसील मुख्यालय पहुंचने के लिए लम्बा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है।

इससे पूर्व सेना ने उस नाले पर उस क्षेत्र की आम जनता तथा सेना के वाहनों की सुविधा हेतु 'बेली' पुल बनाया था। परन्तु पिछले तीन चार वर्षों से सेना ने उस पुल को भी तोड़ दिया है।

पिछले संसदीय चुनावों के दौरान गांव अरनिया तथा उसके आस पास के गांवों के निवासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था तथा उस "आइक नाला" पर पुल का निर्माण न करने के विरोध में मतदान नहीं किया था।

मैं रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह जम्मू जिले में तहसील रणवीर सिंह पुरा में अरनिया गांव के निकट उस क्षेत्र की जनता की उचित मांग को दृष्टि में रखते हुए उस "आइक नाला" पर पुल बनाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मानकूराम सोड़ी।

श्री जोस फर्नान्डीज (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : महोदय मैं यह बताना चाहता हूं कि सदन में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति की घंटी बजायी जा रही है।

अब सदन में गणपूर्ति है।

श्री मानकूराम सोड़ी।

(दो) जगदलपुर-गोपालपटनम राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोड़ी (बस्तर) : मध्य प्रदेश के बस्तर जिला में जगदलपुर से गोपाल पटनम तक 210 किलो मीटर स्टेटट राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले बजट प्रावधान के अन्तर्गत

शामिल किया गया है। एक वर्ष व्यतीत हो रहा है परन्तु अब तक केवल उस सड़क का चार्ज ही लिया गया है। उसमें जो कार्य पहले चल रहा था वह एक दम धीमी गति में है। यहां तक कि जो पुल-पुलिया निर्माणाधीन थीं वह भी अपनी जगह रुक गई हैं। सड़क पर गेंगकुली जो अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन मरम्मत का काम करते थे वे भी निष्क्रिय हैं जिसमें दैनिक आवागमन का दबाव बढ़ने से सड़क की हालत दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। यह सड़क बरसात में पुल-पुलियों के के कमजोरी के कारण चार माह बंद रहती है।

अत: केन्द्र शासन से अनुरोध है कि शीघ्र इस सड़क को पूर्व की भांति तेज गति से काम आरम्भ करने की पूरी व्यवस्था हेतु राज्य शासन को निर्देश दें।

(तीन) तिरुचिरापल्ली और नागौर के बीच मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री एस. सिंगरावडीवेल (तंजावूर): दक्षिण रेलवे के तिरुचिरापल्ली रेलवे मंडल में तंजावूर से होकर तिरुचिरापल्ली तथा नागौर के बीच 140 कि. मी. मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करने की मांग तंजावूर जिले के विकास के हित में की जाती रही है। इस समय सम्पूर्ण जिले में केवल मीटर गेज रेल लाइन ही है तथा इसके कारण लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी रेल लाइन के अभाव में माल लाने ले जाने का कार्य लगभग सड़क द्वारा ही किया जा रहा है जिसके कारण बहुत अधिक भाड़ा-शुल्क देना पड़ता है। जिले का औद्योगिक विकास भी अत्यधिक प्रभावित हुआ है। मीटर गेज रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करने से जिले में उपलब्ध नमक, धान तथा अन्य वस्तुओं को लाने ले जाने की लागत कम हो जायेगी तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगपतियों को इस क्षेत्र में अपने उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा तथा जिले के नरिमानम तथा अन्य भागों में पैट्रोलियम उत्पादों को आसानी से लाया जा सकेगा तथा बड़ी रेल लाईन द्वारा तंजावूर जिले को देश के अन्य भागों से जोड़ा जा सकेगा।

अतएव, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित करने के लिये यथाशीघ्र सर्वसंभव कदम उठाये।

(चार) इन्दिरा गांधी नहर के पक्के खालों के निर्माण की जांच करने वाले राम सिंह आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री बेगा राम (श्रीगंगानगर) : सरकार को वर्ल्ड बैंक ने इन्दिरा गांधी नहर पर पक्के खाले बनाने के लिए पैसा दिया था। जो पक्के खाले बनाए गए वह सभी टूट गये। पक्के खाले बनाने वाले इंजीनियरों की जांच के लिए भारत सरकार ने 1978 में राम सिंह आयोग व सी. बी. आई. जांच बिठाई थी। इस आयोग ने व सी. बी. आई. ने यह रिपोर्ट दी थी कि सिंचाई विभाग के छोटे बड़े 193 इंजीनियर दोषी हैं। अत: सरकार इन पर समुचित कार्यवाही करे। परन्तु अब तक इन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि रामसिंह आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर तत्काल उचित कार्यवाही की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि जो एप्रूव्ड टैक्स्ट है, केवल वही रिकार्ड में आयेगा।

[अनुवाद]

शेष बातों की कार्यवाही वृत्तान्त का भाग नहीं माना जाएगा।

(पांच) उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले पेट्रोल और डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट रोकने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : देशभर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पम्पों पर तेल की मिलावट के मामले में डीजल तथा पेट्रोल का गौर से देखा जाए तो यह सिद्ध होने में कोई कठिनाई नहीं होती कि सैम्पल अधिकारियों को तेल की मिलावट सिद्ध करना आरम्भ है। जब भी सम्बन्धित अधिकारी किसी पेट्रोल पम्प पर सैम्पल भरने के लिए जाता है तो डीलर एक कानूनी औपचारिकता को आढ़ लेकर चात साफ बचा है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि डीलर आई. एस. आई. (भारतीय मानक संस्थान) स्टैंडर्ड के नियमों के अन्तर्गत ही सैम्पल लेने की बात करता है और यह स्टैंडर्ड अपनाना असम्भव न हो, कठिन जरूर है। इस सम्बन्ध में अनेक औपचारिकता पूरी करनी होती हैं। इस मामले में कोई न कोई कसर रह ही जाती है। सबसे अधिक उल्लेख का विषय तो यह है कि पेट्रोल पम्प डीलरों को तेल डिपो से जो तेल उत्पाद प्राप्त होता है, वह आई. एस. आई. स्तर से परखा नहीं होता। कानूनी निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि डीलरों को आई. एस. आई. स्तर का तेल आपूर्ति नहीं होता तो उसके पम्प के तेल का आई. एस. आई स्तर सैम्पल लेना अनुचित है। अतः आपूर्ति किया जाने वाला पेट्रोल डीजल उपरोक्त स्तर का हो या सैम्पल की औपचारिकता संशोधित की जाए। जिससे डीजल और पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट से बचा जा सके।

(छः) डाक और तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की सेवाएं नियमित किये जाने की मांग।

श्री प्रेम कुमार धूमाल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि संचार मंत्रालय के डाक-तार विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों (ई. डीज.) की ओर सरकार ध्यान दे। मैं बताना चाहता हूँ कि इन कर्मचारियों को जितने घंटे काम करते हैं, उसके अनुसार वेतन दिया जाता है तथा सुबह और शाम को दो-दो तीन तीन घंटे इनके काम करने के निर्धारित हैं। देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले ये कर्मचारी जब प्रातः अपने कार्य पर उपस्थित हो जाते हैं तो फिर कार्य समाप्त करके अपने घर इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको घर तक जाने में काफी समय लग जाता है और फिर शाम को पुनः उसी स्थान पर कार्य करने के लिए उपस्थित होना पड़ता है। इस बीच का समय वे या तो विभागीय कार्य करते हुए बिताते हैं या फिर समय को बरबाद करते हैं। इनको अन्य किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अतः मैं भारत सरकार से माग करता हूँ कि देशभर में कार्यरत सभी ई. डीज. कर्मचारियों को तुरन्त नियमित कर्मचारियों की श्रेणी में लाया जाये और इन्हें वे सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जायें जो स्थायी कर्मचारियों को मिलती हैं। इससे जहां एक ओर इन कर्मचारियों में फैला असन्तोष दूर होगा, वहीं दूसरी ओर विभाग का काम भी सुचारु रूप से और शीघ्रता से सम्पन्न होगा। इस प्रकार से यह देश के हित में एक प्रभावकारी कदम होगा।

(सात) सहार और सांताक्रुज हवाई अड्डों का नाम बदलकर क्रमशः "छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा" और बाबा साहेब अम्बेडकर अन्तर्देशीय हवाई अड्डा रखे जाने की मांग।

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने कुछ दिन पहले तीन प्रमुख हवाई अड्डों के नाम परिवर्तन कर जो निर्णय लिया है, उसके अनुसार मुंबई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प. जवाहर लाल नेहरू के नाम से, कलकत्ता अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सुभाष चन्द्र बोस के नाम से, मद्रास अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अन्ना दुराई के नाम से मद्रास अन्तर्देशीय हवाई अड्डा कामराज के नाम से पुकारा जाएगा। इस निर्णय की महाराष्ट्र में स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह रही है कि पश्चिम बंगाल के सुपुत्र सुभाष चन्द्र बोस का नाम कलकत्ता को दिया गया, तमिलनाडु के अन्ना दुराई कामराज नाडर का नाम मद्रास को दिया गया, लेकिन जानबूझ कर महाराष्ट्र के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति का नाम मुंबई अड्डे को नहीं दिया गया है। यह जनभावना बढ़ती जा रही है कि जानबूझकर महाराष्ट्र की अस्मिता को अपमानित किया जाता है और अब इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिये। इस भावना को समर्थन देने वाले वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया इन दलों ने दिये हैं। साथ ही साथ कई सांसदों ने भी इस निर्णय में परिवर्तन की मांग की है कई अखबारों ने भी इनका समर्थन किया है।

मुंबई और महाराष्ट्र की जनता द्वारा जो भावनायें व्यक्त हुई हैं, उनका आदर करते हुए मेरी यह स्पष्ट मांग है कि भारत सरकार को नाम बदलने के निर्णय में परिवर्तन कर "सहार" अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को छत्रपति शिवाजी का और सांताक्रुज अन्तर्देशीय हवाई अड्डे को डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम देना चाहिए। यह नहीं हुआ तो महाराष्ट्र में जन आन्दोलन शुरू होगा, यह भी सरकार समझ ले।

2.00 म. प.

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1990-91

जल संसाधन मन्त्रालय

और

कृषि मन्त्रालय (जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम जल संसाधन मन्त्रालय सम्बन्धित अनुदानों की मांगों, मांग संख्या 78 और कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग सं. 1 से 5 पर और आगे चर्चा करेंगे। इसके लिए

15 घण्टे का समय आवंटित किया गया था जिसमें 9 घण्टे और 56 मिनट का समय निकल चुका है। 5 घण्टे और 4 मिनट का समय शेष है। मेरे पास वक्ता सदस्यों की बहुत लम्बी सूची है। मैं आरम्भ में हो, सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो समय उन्हें दिया गया वे उसी में बोलें जिससे कि अधिक सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकें।

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण (कराड़) : मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने का समय दिया।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। स्वतन्त्रता के समय से ही हम कृषि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा विश्व जनता है कि कैसे हमने कृषि में सुधार लाने के लिए पूरी कोशिश की है। हमने कई परियोजनायें आरम्भ की हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान हमारा देश आत्म-निर्भर बना है और हमारी सरकार ने बड़े देशों, जैसे अमरीका, इंग्लैंड, इत्यादि से भीख मांगना अथवा उधार मांगना बन्द कर दिया है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि अब हम ऐसी स्थिति में है कि उन देशों को अनाज निर्यात कर सकें जो भौगोलिक कारणों से कुछ भी पैदा नहीं कर सकते।

2.02 म. प.

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुई]

इस उपलब्धि का श्रेय हमारे कृषि वैज्ञानिकों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को जाता है। इसका श्रेय पण्डित जवाहर लाल नेहरू को भी जाता है जिन्होंने कृषि और उद्योग के विकास के लिए योजनाएं और अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए। इसका परिणाम यह रहा कि आज हम चीनी, गेहूं, मक्का और अन्य सभी खाद्य पदार्थ जिनका मनुष्य उपयोग करते हैं। इसके साथ, अब हम कई प्रकार के फल, सब्जियां और तिलहन भी पदा कर रहे हैं। यह सब कुछ हमारी सिंचाई नीति से ही सम्भव हो सका।

हमारी कांग्रेस सरकार ने कृषि के विकास के लिए कई कृषि महाविद्यालय खोले। बहुत से व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अनुसन्धान किया और कृषि के क्षेत्र में आधुनिक और अद्यतन तकनीक सीखने के लिए विदेश गए। इस सबका परिणाम यह है कि आज हमारा देश उन कुछ देशों में से एक है जो बड़े देश माने जाते हैं।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। मैं महसूस करती हूं कि सरकार की जिम्मेवारी लेने से पहले सत्तारुढ़ दल ने जो वायदे लोगों से किये थे उन्हें पूरा नहीं किया है।

किसान अभी भी वित्तीय सहायता पर निर्भर रहते हैं। उन्हें कोई अनुदान भी नहीं मिलता है। वे कारखानों के लिए और अधिक कच्चा माल नहीं पैदा कर पाते हैं। बड़े किसान ही केवल अनुसन्धानों का प्रयोग कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं किन्तु छोटे किसान नहीं। हमारी वर्तमान सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जो गरीब किसानों की मदद कर सके जिससे वे अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। मैं सोचता हूँ कि नई पीढ़ी की ओर भी अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें मदद और प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिससे वे लगातार अपनी खेती-बाड़ी कर सकें और अन्य व्यवसायों को न अपनाएं। किसानों के बच्चों की अच्छी देखभाल होनी चाहिए और आगे उनके बच्चों की भी अच्छी देखभाल होनी चाहिए।

महोदय, किसानों की छात्राओं को पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। मैं सुझाव देता हूं कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक छात्रावास और प्राइमरी स्कूल खोले जो विशेषतया लड़कियों के लिए हों। महोदय, जैसाकि हम सब जानते हैं, 60 प्रतिशत महिलाएं कृषि क्षेत्रों में काम करती हैं और वे किसानों की बहुत मदद करती हैं। जैसे हमारी खेती को देखभाल की आवश्यकता है उसी प्रकार हमें हमारी महिलाओं की भी देखभाल करनी चाहिए, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में। लड़कियों को बचपन से ही शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें कृषि महाविद्यालयों में भी प्रवेश मिलना चाहिए। हमारे देश में सामान्यतया, लड़कों को ही शिक्षा दी जाती है और लड़कियों के साथ शिक्षा देने के मामले में भेदभाव बरता जाता है। मैं निवेदन करती हूं कि कृषि विज्ञान का प्राथमिक विद्यालय के स्तर से ही अनिवार्य विषय बना देना चाहिए ताकि लड़के-लड़कियां कृषि का ज्ञान प्राप्त कर सकें। मुझे पता है कि महाराष्ट्र के कई विद्यालयों में कृषि को एक विषय के रूप में रखा गया है। इसे अनिवार्य विषय के रूप में रखा गया है और बच्चों को कृषि कार्य को शिक्षा देने हेतु एक घंटे का समय अलग से रखा गया है। इस समय में लड़के और लड़कियां बागवानी के तरीकों का अध्ययन करते हैं। यह उत्पादनोन्मुख और राष्ट्र के लिए लाभकारी भी है। इसलिए मेरी यह सलाह है कि खेती और कृषि के लिए एक नयी नीति तैयार की जानी चाहिए और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं आशा करती हूं कि वर्तमान सरकार इन मुद्दों पर विचार करेगी और कृषि के विकास के प्रति न्याय करेगी।

[हिन्दी]

श्री हरि शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदया, मैं कृषि के बारे में बोलना चाहता हूं।

आदमी नहीं बलवान है समय बलवान
समय-समय पर सुविधा न मिलने से
किसान हो गया हैरान
किसान की मांग है मिलना चाहिए
पूरा-पूरा पसीने का दाम
जनता सरकार ने किया है वादा धन्यवाद, धन्यवाद।

सभापति महोदय, किसानों को अपनी मेहनत के पसीने का पूरा-पूरा दाम मिलना चाहिए और आपको ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे किसानों को अपनी उपज की अच्छी कीमत मिल सके। मैं राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अभी तक इस सम्बन्ध में जो नीति बनायी है वह बहुत अच्छी बनायी है, लेकिन उस नीति को जल्दी कार्यान्वित किया जाये।

मेरे से पूर्व बहुत बुजुर्ग और पुरानी अनुभवी नेता ने बहुत कुछ इस सम्बन्ध में बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 40 वर्षों में बहुत कुछ इस दिशा में किया है। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस ने इस दिशा में कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भी योजनायें उन्होंने इस सम्बन्ध में बनायी वह उन तक ठीक ढंग से पहुँची नहीं।

महाराष्ट्र के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वहां की भूमि कैसी है ? कुंए खोदने के

लिए 18 हजार रुपये का कर्जा आप रावार्ड के माध्यम से देते हैं। इस महंगाई के जमाने में इतने पैसों में एक कुंआ नहीं खोदा जा सकता है। महाराष्ट्र में कहते हैं कि "अर्जीवा" वह कुंआ खोदते हैं और उसके मांती के समय में जाकर वह कुंआ बन कर तैयार होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसको बनाने में कई साल लग जाते हैं। मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि कुंआ खोदने के लिये चालीस हजार या पचास हजार रुपए कर्ज के रूप में मिलने चाहिए इसके अलावा हमारे किसानों को बिजली भी नहीं मिलती है। इसकी सुविधा भी उन्हें मिलनी चाहिए।

हरित क्रांति के बारे में यहां बहुत कुछ बोला जाता है। एक श्वेत क्रांति भी चलायी जानी चाहिए। दुग्ध योजना जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए जैसे कि गुजरात में और दूसरे कई राज्यों में है। गुजरात में यह योजना बहुत प्रभावी ढंग से चलायी जा रही है। ऐसी सुविधा हर प्रान्त में होनी चाहिए।

कृषि को उद्योग मान कर चलना चाहिए और उसको उद्योग मानकर नीति बनानी चाहिए। कपड़ा जो मिलों में बनता है, उसकी कीमत खुद निर्धारित करता है लेकिन किसान अपनी उपज की कीमत खुद निर्धारित नहीं करता है। वह जब मंडी में अपना माल बेचने जाता है तो दलाल उसकी उपज की कीमत निर्धारित करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बड़े-बड़े व्यापारी अपनी चीजों की कीमत खुद निर्धारित करते हैं वैसे ही किसान अपनी उपज की कीमत खुद निर्धारित करें।

परिचक्र के बारे में मेरे से पूर्व बहनजी ने जो कुछ कहा उसमें मैं सहमत हूं। परिचक्र के आने से देश का नुकसान होता है। 40 बरस तक कांग्रेस ने यहां शासन किया और उसने अपने हिसाब से ही बाढ़ और सूखे के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की। हमारे यहां कहीं सूखा पड़ता है और कहीं बाढ़ आती है। इसको रोकने के लिए कुछ सोचना होगा।

आपने बीमा योजना भी चलायी है। खेत में जो कुछ भी पैदा होता है, उस सब का बीमा होना चाहिए। और बाढ़ से बचाव की सुविधा होनी चाहिए। खेती का सम्बन्ध बीमे से जुड़ना चाहिए, मेरा यह निवेदन है। अगर सिंचाई की सुविधा हो जाए तो यह खेती के लिए ठीक है। महाराष्ट्र में वर्तमान में केवल 12 प्रतिशत भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा है जिसमें से 6 प्रतिशत कुएँ से होने वाली सिंचाई है और 6 प्रतिशत नहर के जरिये होने वाली सिंचाई है। महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पारगार योजना है जो पश्चिम वाहिनी नदी पर है, यह नदी आगे जाकर समुद्र में मिल जाती है और उसके पानी से सिंचाई के लिए कोई लाभ नहीं होता तो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि पश्चिम वाहिनी नदी को पूर्व वाहिनी नदी बना दिया जाए तो इससे बहुत सिंचाई हो सकती है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र आधा सिंचाई के अन्तर्गत कवर होता है। मेरी मांग है कि सिंचाई की सुविधाओं के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए।

महाराष्ट्र में शुगर के बहुत से कारखाने हैं जिनमें से कुछ आदिम जाति के नाम पर भी हैं लेकिन उनमें आदिम जाति का एक भी डायरेक्टर नहीं लेते लेकिन कारखाना आदिम जाति के नाम पर खड़ा होता है। इन कारखानों में आदिम जाति के लोगों को नौकरी में भी नहीं लेते और कारखाने में शामिल नहीं करते तो इसपर भी ध्यान देना चाहिए। अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को शुगर कारखानों में शामिल करना जरूरी है इसलिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा खर्च

सरकार करती है। इन मिलों में 15 टका किसान का होता है और 85 टका सरकार का खर्च होता है लेकिन फिर भी उसमें आदिम जाति और जनजाति के लोगों को शामिल नहीं करते तो इसपर ध्यान देना चाहिए।

बिजली की सुविधा के लिए महाराष्ट्र में 4-5 परियोजनाएं हैं, मेरे पास इसकी सूची है लेकिन मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करूंगा। इन परियोजनाओं के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और मजूरी देनी चाहिए, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना है।

दूसरी बात, सैशन अब कुछ दिनों में समाप्त हो जायेगा और जनता दल के संसद सदस्य अपने क्षेत्र में जायेंगे तो किसान उनसे पूछेगा कि आपने 10 हजार रुपए कर्जे की माफी के बारे में क्या किया, क्योंकि अभी तक 10 हजार रुपये के कर्जे की माफी के बारे में अच्छी तरह से तय नहीं हुआ है, कभी-कभी तो कहते हैं कि राज्य सरकार आधी रकम देगी और भारत सरकार आधी रकम देगी और कभी कुछ कहते हैं तो इस बारे में जल्दी से जल्दी, सेशन समाप्त होने से पहले ही अच्छी नीति बनानी चाहिए और साफ नीति बनानी चाहिए। इस बारे में कुछ भी हो लेकिन केन्द्र ने पहले बोल दिया है तो कर्ज माफ करना चाहिए, पहले तो बोला नहीं कि प्रान्तीय सरकार भी आधा खर्च वहन करेगी इसलिए यह जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मेरी मांग है कि सरकार सेशन समाप्त होने से पहले साफ-साफ बताये कि कर्जे के बारे में क्या नीति है।

ब्याज का बोझ आज किसानों के ऊपर बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में पहले साहूकारी ब्याज बोलते थे, जैसे पठानी ब्याज है तो अभी तक बैंक का ब्याज साहूकारशाही का है। मेरी मांग है कि किसान को जो कर्ज देते हैं वह कम ब्याज पर देना चाहिए। क्योंकि, इन्होंने वायदा किया है कर्जे माफ करने का इसलिए मैं इसके बारे में बोल रहा हूं। यदि आप मुझ से पूछें, तो कर्जा माफ करना अच्छा नहीं है लेकिन जो कर्जा मिलना चाहिए, वह कम ब्याज पर मिलना चाहिए। ब्याज की दर कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, इन लोगों को तो वगैर ब्याज पर कर्ज देना चाहिए। इसके साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया था, उसमें सिर्फ सौ आदिम जाति के लोग आये। आदिम जाति और अनुसूचित जाति के बारे में मेरी मांग है कि इनका कर्ज तो माफ ही कर देना चाहिए। यही मेरी आपसे मांग है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

***डा. विश्वनाथम (श्री काकुलम)**: सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। यह मेरा पहला भाषण है हालांकि मैं इस महान सदन में पांच महीने पूर्व आया था। मैं साठ वर्ष का हूं। महोदया, यह मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं इस महान सदन का सदस्य हूं। प्रो. रंगा, श्री इंद्रजीत गुप्त, श्री सोमनाथ चटर्जी और प्रो. मधु दण्डवते जैसे अनुभवी संसदविदों का साथ मिलना एक दुर्लभ उपलब्धि है।

हवा, पानी, भोजन और आवास मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं हैं। हम इस तथ्य से भी परिचित हैं कि शिक्षा भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। महोदया, सत्ता में आने से पूर्व कई वायदे

* मूलतः तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

किये जाते हैं परन्तु बड़े आराम से सत्ता में आने के बाद वे वादे भुला दिये जाते हैं। आज हम देखते हैं कि उसी पुरानी कहानी की पुनरावृत्ति ही हो रही है। राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष श्री एन. टी. रामाराव ने घोषणा की थी कि सरकार पंजाब समस्या का निराकरण एक दिन में कर देगी। अब सत्ता राष्ट्रीय मोर्चा के पास है और पांच महीने बीत चुके है। समस्या जैसी थी वैसी ही अब भी है, जब एक संवाददाता ने राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष श्री एन. टी. रामाराव से पूछा की वह पंजाब की समस्या का निष्करण किस प्रकार करेंगे तो राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा था कि यदि मोर्चा निर्वाचित होकर सत्ता में आ जाये तो वह समस्या दल कर देंगे। यह घटना तो केवल एक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि सत्ता में आने के बाद वायदे किस प्रकार भुला दिए जाते हैं। कथनी और करनी में अभी भी बहुत अन्तर है।

महोदया, एक दिन की या एक महीने की अच्छी बारिश देश के लोगों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में हुई बारिश इसका उदाहरण है। हमें भविष्य में उपयोग में लाने के लिए पानी जमा करके रखना होगा। इसके लिए एक समन्वित योजना तैयार करनी होगी। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि जल भण्डारण के लिए परियोजना तैयार करने हेतु योजना को लागू करने में हमेशा अर्थाभाव की समस्या रहती है। जब भी कोई योजना लागू करने के लिए सरकार के समक्ष जब भी प्रस्तुत की जाता है तो सरकार का घिसा-पिटा जवाब यही होता है कि 'पैसा नहीं है।' अनुत्पादक कार्यों के लिए पचुर मात्रा में धनराशि है जबकि उत्पादन के लिए पैसे नहीं होते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अनुत्पादक कार्यों के लिए किया गया खर्च उत्पादन कार्य की तुलना में बहुत अधिक है। यह बहुत विचित्र बात है कि हमारे पास सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल है लेकिन पीने के लिए जल नहीं है। समय-समय पर खोदे गये कुंओं और लगाये गये नलकूपों के आंकड़े दर्शाते है कि सरकार देश के प्रत्येक गांव में सुरक्षित जल या पेय जल उपलब्ध कराने में बुरी तरह विफल रही है। विकास आंकड़ों की संख्या तक ही सीमित है। कितने नल कूप ठीक से काम कर रहे हैं इसके देख-रेख की कोई व्यवस्था नहीं है। खुदाई एवं उनके उपयोग पर नजर रखने की कोई व्यवस्था नही है। सरकार इन कुंओं के उपयोग के बारे में चुप है।

महोदया, देश के 25 राज्यों और सात संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल पांच राज्य ही अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। यदि वर्ष में छह से आठ महीने तक किसानों को निश्चित रूप से पानी उपलब्ध कराने का वादा किया जाये तो इन पांच राज्यों के किसान एक वर्ष में तीन फसल उगा सकते हैं। इन राज्यों द्वारा उत्पादित खाद्यान्न पूरे देश के लिए पर्याप्त होगा। बचे हुए राज्यों में नगदी फसल उत्पन्न की जानी चाहिए। नगदी फसल के लिए केरल प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि राज्य के लोग शिक्षित हैं तथा वे जानते हैं कि उनकी मिट्टी किस तरह की फसल के लिए उपयुक्त है। वे अपनी नगदी फसल का अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके बदले वे सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न खरीद रहे हैं। इस प्रकार वे लाभ उठा रहे हैं। उनकी शिक्षा उनकी सफलता का आधार है। अतः मैं इस बात पर पुन: जोर देता हूं कि अशिक्षित किसानों को शिक्षित बनाने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। कृषक वर्ग के लिए अशिक्षा अभिशाप है।

महोदया, जनसंख्या वृद्धि देश को पंगु बनाने वाली दूसरी बड़ी समस्या है। यदि हम आजादी पूर्व की जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या पर गौर करें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जल्द ह

हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन से आगे बढ़ जाएगा आजादी के समय यद्यपि कम लोगों को भोजन उपलब्ध कराना था, तो भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था। सौभाग्य से हम बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हैं। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि केवल हमारी आबादी बढ़ रही है, जमीन नहीं। हमें यह बताना चाहिये कि केवल लचीलापन केवल जनसंख्या के मामले में है जमीन के मामले में नहीं। केवल अन्धे और अनभिज्ञ ही इस सत्य की अनदेखी कर सकते हैं। इसलिए देश के हर व्यक्ति को यह तथ्य समझना चाहिए और परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए। अगर हम वास्तव में देश का कल्याण चाहते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप खाद्यान्न उत्पन्न करने हेतु अनुदान की व्यवस्था और प्रयास किये जाएं। पारिस्थितिकीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें विभिन्न क्षेत्रों उगाये जाने वाले फसलों का भी निर्णय करना होगा। इस दिशा में सरकार का कार्य करना चाहिए। महोदया, हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है। हमें विशेषज्ञों की सेवा लेनी चाहिए। सरकार को अपनी सनक और कल्पना के बजाय विशेषज्ञों पर निर्भर करना चाहिए। अन्यथा हम उन्नति नहीं कर सकते। बेशक, हमारे खेती के तरीकों में परिवर्तन आया है उदाहरणस्वरूप हम संकर किस्मों का उपयोग करने लगे हैं। लेकिन संकर किस्मों के उपयोग और अधिक खाद्यान्न उत्पादन हेतु साधन उपलब्ध होने के बावजूद देश की स्थिति पूर्ववत् है। परिणामतः भूख से कई मौतें हुई हैं। अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने के लिए अनेक नए तरीकों एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का सही उपयोग करना होगा।

महोदया, पेय जल की समस्या की ओर लौटते हुए यह कहना चाहता हूं कि देश में ऐसे अनेक गांव है जहां अभी तक पेय जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः यह स्थिति है कि गांवों में नहर तो है परन्तु इसके पानी को पेयजल के रूप में ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ग्रामीण अब भी कुओं और तालाबों पर निर्भर करते हैं। यह तरीका अच्छा रहा है। यह जल स्वास्थ्य कर नहीं होता है। यद्यपि हमारे पास कई विशेषज्ञ हैं परन्तु ग्रामीणों को सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के लिए कोई भी योजना या कार्यक्रम तैयार नहीं हो पाया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रसिद्ध अभियन्ता डा. के. एल. राव ने गंगा को कावेरी से जोड़ने की योजना तैयार की थी। परन्तु अभी तक इस योजना को मूर्तरूप नहीं दिया जा सकता हम पैसों की बर्बादी वैसे ही करते रहे हैं जैसे चिड़ियों के चुगने के लिए दाना फेंक देते हैं। के. एल. राव की योजना जैसी अच्छी योजनाओं के लिए हमारे पास पैसे उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सत्ता में आने के लिए जनता से बड़े बड़े वायदे किए हैं। सरकार को इतना तो ध्यान देना ही चाहिए कि अच्छी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराए। उन्होंने वादा किया है कि कम समय में ही ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक परिवर्तन लाया जाएगा। लेकिन विडम्बना तो यह है कि ग्रामीण विकास के लिए कोई मंत्री भी नहीं है। जबकि वे एक ग्रामीण विकास मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे किस तरह गांवों और ग्रामीणों के विकास की बात सोचते हैं। इससे मालूम होता है कि अपने चुनावी वायदों के प्रति कितने गम्भीर हैं। यह बहुत दुःख की बात है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि गांव केवल कृषि का पर्याय नहीं है। ग्रामीण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि कृषि। अतः गांवों का सम्पूर्ण विकास होना चाहिए। एक सैनिक देश की रक्षा करता है और किसान उन्हें भोजन देता है। सैनिकों के बच्चों को सरकार हर सुविधा उपलब्ध कराती है। लेकिन सरकार द्वारा किसानों के बच्चों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। एक सैनिक का पुत्र अच्छी नौकरी की आशा करता है जबकि किसान के

पुत्र के लिये ऐसा कोई अवसर नहीं है। सैनिक के बच्चों को शिक्षा की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जबकि किसानों के बच्चों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है। यहां तक कि उच्च वर्ग के किसान भी अपने बच्चों के लिये ऐसी सुविधाओं के लिये सोच भी नहीं सकते। महोदया, यह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। हमारी 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही है। सरकार कम से कम यह न्यूनतम सुविधाएं उन परिवारों के बच्चों को उपलब्ध कराए जो गरीबी रेखा से नीचे है। अगर आप यह भी नही कर सकते हैं तो कम से कम उनकी लड़कियों को शिक्षा की सुविधा दें। एक लड़की को शिक्षा देकर आप पूरे परिवार को शिक्षित कर सकेंगे।

महोदया, शिक्षा एवं परिवार कल्याण के लिए जो भी राशि आवंटित की गई है वह नगण्य है। जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। इसके बावजूद परिवार कल्याण के लिए इस 100 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में भी कम है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस थोड़ी सी राशि से सरकार जनसंख्या किस प्रकार नियन्त्रण में रख सकती है। क्या सरकार का यह विचार है कि किसी प्रकार का गृह युद्ध होगा जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में कमी होगी? यदि वे ऐसा सोचते हैं तो मुझे इस बात का खेद है। अब देश में परिवार नियोजन स्वैच्छिक है। लेकिन महोदया, बात यह है कि जब लोग शिक्षित होंगे तभी तो वे परिवार नियोजन के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे देश में जहां अशिक्षितों की संख्या अधिक है, स्वैच्छिक ढंग से परिवार नियोजन को अपनाने का कोई अर्थ ही नहीं है। हमें तब तक निरन्तर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक देश के सभी लोग शिक्षित न हो जाएं। यदि यह स्वैच्छिक प्रणाली निरन्तर जारी रहती है तो मैं इस देश के भविष्य की कल्पना करके कांप उठता हूं। कुछ समय पूर्व जबरन परिवार नियोजन के उपाय अपनाए गये थे परन्तु अब उन्हें त्याग दिया गया है। चीन जबरन परिवार नियोजन लागू करके अपनी जनसंख्या को नियन्त्रण में रखने में सफल हो गया है। महोदया, छोटे परिवार में मानदण्डों स्वेच्छा से अपनाने के नाम पर हम अपने आपको धोखा दे रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि यदि हमारी जनसंख्या अधिक है तो हम चीन से आगे निकल पायेंगे लोग अशिक्षित हो सकते हैं। किन्तु देश पर शासन करने वाले तो अशिक्षित नहीं हैं। सभा में उपस्थित माननीय सदस्य अशिक्षित नहीं हैं। परन्तु हम में से कितने लोग परिवार कल्याण के हित में बोलते हैं। हममें से कितने सदस्य परिवार नियोजन का समर्थन करते हैं। महोदया मैं जो परिवार नियोजन के बारे में इतना कुछ कह रहा हूं इसका कारण यह है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे वायु, जल, खान-पान और रिहाइश पूर्णरूप से जनसंख्या पर आधारित है। प्रोत्साहन देने के लिए अधिक धन राशि नहीं है। जो पुरुष शल्य चिकित्सा (आप्रेशन) कराता है उसको 20 हजार रुपये का चैक दिया जाना चाहिए ताकि यह राशि उसके बच्चे के 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात् उसके काम आ सके तुच्छ राशि देना किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं है। हमें इन थोड़े प्रोत्साहनों से कोई उपलब्धि नहीं होगी।

महोदया, जब तक देश में छोटे-2 ग्राम हैं तब तक देश में न कोई प्रगति होगी। और न ही कोई विकास होगा। सौ वर्ष पश्चात् भी इन ग्रामों में रहने वाले लोगों को यह मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त नहीं होंगी। विकास के लिए इन छोटे ग्रामों को इकट्ठा करके छोटे कसबों से बदल दिया जाना चाहिए। आप हेलीकाप्टर को किसी पहाड़ी की चोटी पर किसी छोटे ग्राम में तो नहीं ले जा सकते हैं। अमरीका में जो इतनी प्रगति हुई है इसका एक कारण यह है कि वहां थोड़े से ही ग्राम हैं। पिछले 200 वर्ष में जो लोग अमरीका गये वे भली-भांति शिक्षित हैं। अतः अब लोगों और

उनके ग्रामों को कम से कम पुनःसंगठित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वायु, जल, योजना आवास जैसी आधारभूत जरूरते सभी लोगों को उपलब्ध कराई जायें। महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपना पहला भाषण देने का अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

श्री राज मंगल मिश्र (गोपालगंज) : सभापति महोदया, जल संसाधन एवं कृषि विभाग की अनुदान मांगों का मैं समर्थन करता हूं। मैं बिहार प्रान्त से आता हूं। यहां भूमि तीन हिस्सों में बंटी है। एक तो वह भूमि है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, दूसरी जो उपजाऊ नहीं है और तीसरी पथरीली भूमि। इस हिसाब से बिहार में सिंचाई की योजनाएं चलती हैं। दक्षिण बिहार में लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है, माइनर इरीगेशन स्कीम है। मध्य बिहार में भी इसी तरह से है। उत्तर बिहार में बड़ी-बड़ी योजनाएं है। उत्तर बिहार में आपने देखा होगा कि डेढ़ लाख हैक्टेयर जमीन बाढ़ में प्रतिवर्ष बरबाद हो जाती है। सारी फसलें लगी होती है, बाढ़ आती है और जान, माल सम्पत्ति की बरबादी होती है। बिहार सरकार की क्षमता नहीं है कि इस पर कंट्रोल कर सके। नदियां विकराल रूप में बहती हैं। जब सूखा होता है तो ये नदियां हमारी जमीनें काटती हैं। यही नहीं, हमारे प्रांत में बड़ी-बड़ी नदियां निकलती हैं, सोन है, गंगा है, सरयू बहती है, गण्डक और कोसी नदी बहती है। कोसी को बिहार का सारो (Sorow) कहा जाता है आज यह नदी यहां है कल दलबदल कर यमुना पार चली आयेगी कुछ पता नहीं। इससे हमारी लगी हुई फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इनको कंट्रोल करके इरीगेशन की बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई जा सकती हैं। अब आप तो जानते हैं कि कोसी योजना के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता है कोसी नदी पूर्व रेल मन्त्री स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र के इलाके की नदी है। कोसी में बांध बने और बांध कट गये। गण्डक के बारे में डा. राजेन्द्र बाबू ने अपनी जीवनी में लिखा है कि गण्डक नहर से हमारे जिले की सिंचाई कब तक हो सकती है। नहरें बनी हुई हैं लेकिन आज वे मिट्टी और बालू से भरी हुई हैं, उन नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती है। यह जरूर है कि नदियों में बाढ़ आकर हमें बर्बाद कर जाता है।

माननीय मंत्री जी साउथ बिहार से आते हैं वे स्वत: भुक्तभोगी हैं। मैंने एक प्रश्न किया था उसका जवाब आया कि गण्डक नहर परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए हमें रूकना है। नहरें बनीं, लेकिन हमारे खेत बर्बाद हो गये, सिंचाई में हम तरक्की नहीं कर सके मैं नही मानता हूं कि चालीस साल की आजादी में देश में तरक्की नहीं हुई है, लेकिन उतनी तरक्की नहीं हुई है जितनी कि होनी चाहिए थी। हम किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं, आज किसानों की स्थिति यह है कि हम अपनी जमीन में सिंचाई नहीं कर सकते हैं। हमारी लगी हुई फसलें बरसात से बर्बाद हो जाती हैं। जल जमाव का विकराल रूप हमारे इलाके में है, साल भर अच्छे खेत में पानी भरा रहता है और चीफ इंजीनियर से इस बारे में में पूछते हैं तो वे कहते हैं कि आप पानी वाला फल लगाईये। हमारी जमीन नम्बर एक है, वहीं हम गेहूं पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं। वे कहते हैं कि जहां जल जमाव होता है वहां आप सिंघाड़ा लगाईये और यही खेती बाड़ी करिये। जमीन हमारी नम्बर एक है और हम सिंघाड़ा लगायें और सारे देश में घूमते रहें यह कहते हुए कि हमारे सिंघाड़े ले लो, हमारे सिंघाड़े ले लो। अगर उत्तरी बिहार में जल जमाव और इरीगेशन का प्रबन्ध ठीक हो जाये, बाढ़ से रक्षा हो जाये तो हम आप से कहते हैं कि हिन्दुस्तान को हम खिला सकते हैं। लेकिन इस सब को देखने

वाला कोई नहीं है। एक तो यों ही बिहार गरीब है और सरकार है कि कान में तेल डालकर बैठी हुई है।

कृषि का जल से गहरा सम्बन्ध है। जल ही जवीन है इसलिए कि खेती उससे होती है और हमें पानी मिलता है। सारी नदियों की स्थिति हमारे प्रान्त में यह हो गई है कि हम गंगा का पानी नहीं पी सकते हैं। गंगा का पानी पहले सड़ता नहीं था, लेकिन अब गंगा का पानी सड़ता रहता है और दूषित हो गया है। बनारस, पटना और कानपुर का इतना गन्दा पानी वहां डाल दिया जाता है कि वह पानी पीने लायक नहीं रह गया है। गंगा परियोजना बन रही है और गंगा को शुद्ध करने का काम हो रहा है सारे प्रान्त में, लेकिन वह भी संतोषजनक नहीं है। आप कृषि के ऊपर ध्यान दें तो हम कृषि में काफी उन्नति कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जनता दल है मैं उसी दल का हूं, हमारे मेनिफेस्टो में लिखा है कि किसानों के ऋण माफ करेंगे। न्यूनतम मजदूरी की बात आपने कही है। मैं कहता हूं 36 रुपये कर दो, 40 रुपये कर दो, लेकिन हमारे खेत में मजदूर कितना काम करेगा। हमारे खेत में दो मन अनाज हुआ और तीन मन उसको घर से लाकर देंगे, तो कैसे किसान उन्नति करेगा। मजदूरी कितनी भी कर दो 40 रुपये तक कर दो, लेकिन हमारे खेत में कितना काम करेगा, कितना खेत कटेगा, कितना खेत जोत सकता है यह भी आपको देखना चाहिए। एक तरफ हम चर्चा कर रहे हैं कि किसानों के साथ हम सही सुलूक नहीं कर रहे हैं।

बिहार वह प्रान्त है, जहां सारे हिन्दुस्तान में फिक्स्ड डिपाजिट नं. वन पर है लेकिन विकास के नाम पर बिहार सबसे पीछे है। नियम के हिसाब से हम जितना फिक्स डिपाजिट करते हैं, उसी के हिसाब से हमारी कृषि की उन्नति होनी चाहिये, हमारी नहरों का विकास होना चाहिए लेकिन इसके बारे में कोई बोलता नहीं है।

महोदया, मैं बतलाना चाहता हूं कि कभी हमारे बिहार से सारे हिन्दुस्तान को 40 परसेंट सूगर सप्लाई की जाती थी लेकिन आज बिहार की स्थिति क्या है? अब बिहार गन्ने की खेती में सबसे पीछे है। इसकी वजह क्या है? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सरकार ने हमारे यहां की 14 मिलों का अधिग्रहण किया और हमारा 20 करोड़ रुपया बाकी है। हम चिल्ला रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम अपनी लड़की की शादी करने के लिए पर्ची लेकर आते हैं तो मैनेजर कहता है कि पैसा नहीं है। इस सम्बन्ध मे माननीय कृषि मंत्री जी को और यहां तक कि प्रधान मंत्री को भी लिखा कि कम से कम हमारा पैसा तो दिलायें। तो क्या आप हमारी इतनी भी मदद नहीं कर सकते हैं? हमारा रुपया और हमारी फसल आपके यहां पड़ी हुई है और उसका दाम नहीं दे रहे हैं। अब कारपोरेशन के पास 14 मिलें हैं लेकिन चीनी सबसे कम पैदा करता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारा पैसा हमको नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में नयी चीनी मिलें लगीं लेकिन बिहार में नयी चीनी मिलें नहीं लग सकती हैं। बिहार का एक जिला है पश्चिमी चम्पारण जहां पर 40 लाख क्विटल गन्ना पैदा होता है। वह गन्ना उत्तर प्रदेश में जाता है लेकिन सरकार कानों में तेल लगाकर बैठी हुई है कि बिहार में नयी चीनी मिलें स्थापित हों ताकि बिहार का गन्ना उत्तर प्रदेश न जाकर यहां लगे और उससे चीनी पैदा की जा सके। मैं अपना रोना किस से कहूं?

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कृषकों के लिए कुछ न हुआ है और आपने बिहार में भी चुनाव के दौरान ऐसा कुछ कहा कि किसानों के कर्ज 10 हजार रु. तक माफ होंगे लेकिन बाद में

"इफ्ज एण्ड बट्स" लगा रहे हैं। आपने कहा कि किसानों का दस हजार का कर्जा माफ होगा लेकिन अब क्या हो रहा है ? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं हम किसान कर्ज का पैसा दे सके ? महोदया, असली बात यह है कि बैंकों से कर्जा लेने पर किसानों को मुगलों से भी ज्यादा कर्जा देना पड़ रहा है। देश में हर तीन महीने में सूद जुड़ता है, मूल में बांध देते हैं, फिर उस मूल पर सूद लगा दिया जाता है और तीसरे महीने फिर मूल में सूद बांध दिया जाता है इस तरह चार दफा मूल पर सूद लगाकर ले लिया जाता है। मनी लैंडिंग एक्ट के अन्तर्गत कर्जा दूना नहीं लिया जा सकता है लेकिन यहां तो दूना नहीं, चौगुना नहीं बल्कि आठ गुना लिया जाता है और हमारी समझ में यह बात नहीं आती है कि मुगलों से बढ़कर के सूद बैंक क्यों लेता है ? यह तो चौगुना, आठ गुना और उससे भी ज्यादा सूद ले रहा है। प्राईवेट मनी लैंडिंग बिल में हमने यह सब बंद कर दिया है। हम उसके पक्ष पर नहीं हैं लेकिन बैंकों पर भी कुछ अंकुश लगायें।

महोदया, जब हम बैंक से कोई सामान मंगाते हैं तो उस पर परसेंटेज मांगा जाता है। यह कहा जाता है कि जब तक परसेंटेज नहीं दिया जायेगा, वह सामान मुहैया नहीं कराया जायेगा। किसानों को 5-5 दिन खड़े रहना पड़ता है उनको पैसा नहीं मिलता है चाहे वह पम्पिंग सेट के लिए हो या ट्रैक्टर के लिए हो या बीज खरीदने के लिए हो, उनको पैसा नहीं मिलता है। हमारे बिहार में एक बिस्कोमान है। जब खाद यू. पी. से हम लेते हैं है तो हमें काफी छूट मिलती है और यदि वह खाद बिहार से लेटे हैं है तो काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। बिस्कोमान के गुण के बारे में वे जानते हैं लेकिन वह आज सबसे मंहगा खाद किसान को देता है। लेकिन किसानो को हर जगह रोड टैक्स, बैलगाड़ी टैक्स, शिक्षा टैक्स और मकान का टैक्स देता है लेकिन मजा करें दूसरे लोग। हमारे देह पर वस्त्र नहीं हैं तो किसान की गति क्या होगी ? किसान का रूप देखियेगा जिसके तन पर कपड़ा नहीं, जिसकी फटी धोती है, जो फटे नंगे पैर का हो, उसे किसान समझें जो दरिद्र हो कंगाल हो वह किसान है। जो मैला कुचैला कपड़े पहने हो वह वह किसान है। आज किसान की यही पहचान है। कमाये धोती वाला और खाये टोपी वाला-आज की स्थिति यह हो गयी है इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस पर गौर करें और बिहार की जितनी केन्द्र में योजनाएं लम्बित हैं, उन्हें से शीघ्र से शीघ्र स्वीकृति देकर क्रियान्वित कराया जावे, वरना बिहार पीछे पड़ जायेगा जो हमेशा से अग्रणी रहा है, हर आन्दोलन में बिहार आगे रहा है चाहे आप कोई भी आन्दोलन देख लीजिये। भारत की आजादी की लड़ाई के आन्दोलन में भी बिहार आगे रहा है, जय प्रकाश नारायण जी की लड़ाई में भी बिहार अग्रणी रहा है। ऐसा न हो कि फिर किसी आन्दोलन में बिहार को लीडरशिप करनी पड़े। इन शब्दों के साथ, अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति महोदया, मैं थोड़े समय में ही अपनी बात खत्म कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया। हमें इस देश में किसानों की स्थिति पर पहले ध्यान देना चाहिये। किसानों की संख्या इस देश की कुल आबादी का 80 प्रतिशत है, जो किसी न किसी रूप में खेती पर आश्रित हैं, खेती करते हैं या खेत-मजदूर हैं। इन खेत मजदूरों का जमिंदारों द्वारा भारी शोषण होता है। आज तक उन्हें जमीनों का मालिक नहीं बनाया गया। वैसे तो यह सरकार किसानों की बड़ी बात करती है कि हम किसानों के 10 हजार रुपये तक के कर्ज माफ करेंगे, परन्तु वास्तव में सबसे पहले हमें यह देखना चाहिये कि 10 हजार रुपये का कर्ज किन लोगों को मिला है और क्या

वे वास्तव में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वे गरीबी की रेखा के ऊपर के लोग हों, जिनके कर्ज माफ करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट को पहले यह तय करना चाहिए कि कौन लोग गरीबी की रेखा के नीचे ऐसे हैं, कितने हरिजन और आदिवासी ऐसे हैं, कितने पिछड़े हुए किसान हैं, उनकी आमदनी क्या है जिनका कर्ज माफ करना चाहिए। उनमें से किसी की आमदनी 7 हजार रुपए सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिये क्योंकि 7 हजार रुपये प्रति वर्ष से कम जिसकी आय है उसे ही हमने गरीबी रेखा से नीचे माना है। मैं तो देख रहा हूं कि सरकार ने 10 हजार रुपए तक के कर्ज माफ करने का जो निर्णय लिया है, उससे बड़े बड़े जमिदारों को ही फायदा होने जा रहा है, किसी गरीब रेखा से नीचे रहने वाले किसान को राहत नहीं मिलने वाली है। यदि हम जनता पार्टी के मैनीफैस्टों की तरफ ध्यान दें तो इन्होंने चुनाव के समय स्पष्ट वायदा किया था कि हम छोटे किसानों के कर्ज माफ करेंगे परन्तु अब ऐसा लगता है कि सरकार का ध्यान गरीबी की तरफ नहीं है, जैसा इन्होंने वायदा किया था। यह कितने अफसोस की बात है। सरकार ने बजट में एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान जो रखा है यदि वह खेतिहर मजदूरों के लिए होता, उन्हें जमीन खरीदने के लिए होता, उनके मकान बनाने के लिए होता, खेती के सुधार के लिए होता, उन्हें बोनस देने के लिए होता, तो मैं मान सकता था कि इस सरकार ने अच्छा काम किया है, गरीबी के हित में सोचा है, गरीबी को ऊपर उठाने की बात की है, परन्तु मैं आपके जरिये सरकार से कहना चाहता हूं कि जैसे अभी यहां बिहार के एक भाई बोल रहे थे, उनका कहना था कि यह सरकार अपने कानों में तेल डालकर बैठी हुई है, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि इस सरकार ने वाकई अपने कानों में तेल डाला हुआ है। ये लोग समझते ही नहीं कि खेतीबाड़ी क्या है। आज स्थिति यह है कि बड़े बड़े लैण्डलार्डस ने, पूंजीपतियों ने अपने कुत्तों, बिल्लियों और न जाने किस किस के नाम बेनामी जमीन की हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदया, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 10 हजार रुपये तक का ऋण जमींदारों को भी दिया गया, जिसे अब माफ किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जानकारी गलत है। दस हजार रुपये तक का ऋण छोटे किसानों, मजदूरों और छोटा कारोबार करने वालों का है, जिसे सरकार ने माफ करने का फैसला लिया है।

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : ऐसा लगता है कि मेरे साथी मेरी बात समझ नहीं पाये। मैं कहना चाहता हूं कि आपने 10 हजार रुपये तक का कर्ज माफ करने का जो निर्णय लिया है, उसमें अनेक जमींदार लोग भी आ गये हैं। अब प्रश्न है कि खेती कौन लोग करते हैं. उसमें छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं और खेतिहर मजदूर भी हैं। आपने इसमें छोटे किसानों और खेत मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं दिया बल्कि कुछ ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया है जो इसके पात्र नहीं हैं। इस तरह हरित क्रान्ति को खतम करने की बात की जा रही है। बेहतर यह होता कि सरकार स्पष्ट तौर से कहती कि दस हजार रुपये तक के कर्ज उन लोगों के ही माफ होंगे जो छोटे किसान हैं, और खेतिहर मजदूर हैं, हरिजन आदिवासी हैं उनके लिए ही प्रावधान किया जाता, जो दबे हुए कुचले लोग हैं तो बात समझ में आती, उनके लिए प्रावधान किया जाता जो गांवों में आपके जमींदारों की बेगार करते हैं। उनके लिए आपने कुछ नहीं किया, कोई प्रावधान नहीं किया। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं और मेरे अतिरिक्त यहां अन्य कई माननीय सदस्य हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं। हमारे यहां पहाड़ों पर सबसे बड़ी प्रोब्लम यह आ रही है कि खेती के लिए पानी की

व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं हो पाती। पहाड़ों पर खेती उस वक्त तक अच्छी नहीं होगी, तब तक हम सिंचाई का इंतजाम न करें। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि वहां पर सिंचाई का इंतजाम किया जाए।

सभापति महोदया, यों तो हमारे वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने खोज कर के देश में प्रोडक्शन बढ़ाया है, उनके कारण देश में हरितक्रांति आई है, बड़े-बड़े काम हुए हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर फलदार वृक्ष लगाकर ही खेती कर सकते हैं। बहुत सी जमीन है जो सरकारी है और जंगलात में उजड़ी पड़ी हुई है और वह गांव के साथ-साथ लगती है, उस जमीन में अगर हम वन-रोपण कर के वृक्षों की तादात को बढ़ाएं और इस काम के लिए उन किसानों को अपने साथ जोड़ें, लीज पर, उन्हें भूमि देकर, प्लांटेशन कराएं, तो इससे जहां एक ओर भूमि का कटाव (इरोजेन) रुकेगा, वहीं दूसरी ओर फलदार वृक्ष लग सकेंगे और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सकेगी, इस तरफ सरकार तवज्जुह दे।

सभापति महोदया, खेती-बाड़ी के लिए ट्रैक्टर के बारे में छोटे किसानों को कुछ रियायत देनी चाहिए जिससे वे फायदा उठा सकते हैं। आज ट्रैक्टर बहुत महंगे हो गए हैं। डीजल की महंगाई की वजह से आज आम किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे हैं। जहां तक बैंकों से कर्ज लेकर खरीदने की बात है, जब से यह सरकार आई है, तब से बैंक बिलकुल ठप्प हो गए हैं। आप हरियाणा में चले जाएं, वहां काम बिलकुल ठप्प है। चौधरी साहब, उपप्रधान मंत्री यहां बैठे नहीं हैं, जिस कमेटी में वे हैं, उस कमेटी का मैं भी मेम्बर हूं। मैं जानता हूं किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिन किसानों से वायदा किया गया है, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप किसानों को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो ट्रैक्टर की कीमत कम की जाए, डीजल के दाम कम कीजिए, वरना यह जो कागजों पर है, इस पर मैं यकीन नहीं करती हूं।

सभापति महोदया, जो बड़े-बड़े जमींदार लोग हैं, वे खेत मजदूरों से काम कराते हैं और गिरदावरियां भी नहीं होने देते हैं। इससे होता यह है कि जो मजदूर काम करता है और जिसको कानून के अनुसार उस जमीन का मालिक बन जाना चाहिए, वह गिरदावरी न होने से मालिक बनने से महरूम हो जाता है। स्थिति यह हो जाती है कि वह खेत में अन्न उगाता है, लेकिन इस देश में उसकी कहीं कोई जमीन नहीं होती है।

सभापति महोदया, एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को तो इस देश में सभी तरह के अधिकार और शक्तियां हैं। वह आई ए. एस. अफसर भी बनकर नौकरी और जमींदारी भी करता है, उसी परिवार का एक व्यक्ति मेम्बर आफ पार्लियामेंट बन जाता है और इस प्रकार से देश की सेवा करने के नाम पर सारा खानदान मौज लूटता है, किन्तु दूसरी ओर इसी देश में गरीब, खेत-मजदूर हैं, जिनको कोई अधिकार नहीं, जिनकी इस देश में कोई जमीन नहीं, ऐसा क्यों ? इसका यही कारण है कि आपने गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं की। आपने उनको वोट देने का तो अधिकार दिया, लेकिन काम करने और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मैं सभी पार्टी के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान करने में सभी पार्टियों के लोगों को सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस (इ) और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तोग तो उनके लिए कुछ काम करते हैं, लेकिन अन्य लोग नहीं करते हैं। इसलिए मैं अपने लोगों से कहूंगा कि जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, बिजनैस मैन हैं, उनकी चालों में न

पड़ें। यहां दिल्ली में आजाद मार्केट है । उसमें हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग सेब भेजते हैं। एक-एक सेब दरख्त से तोड़कर, उन्हें इकट्ठे करके भेजते हैं, लेकिन उनको उचित भाव नहीं मिलता है, उनका आर्थिकशोषण होता है । उनका माल कम कीमत में यहां के आढ़तियों द्वारा खरीद लिया जाता है और उनका शोषण किया जाता है ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मुझे क्षमा कीजिए, श्री सुल्तानपुरी मंत्री जी को 3.00 म. प. पर वक्तव्य देना है। अतः कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : महोदया, मैं अभी समाप्त करता हूं । मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये जो शोषण करने वाले लोग हैं, जो आढ़तियां है, उनके ऊपर देखभाल के लिए आपकी मार्केटिंग कमेटी होनी चाहिए और उसमें बाकायदा सरकार द्वारा आरक्षण होनी चाहिए ताकि किसानों को उचित दाम मिल सकें। किसानों को अपनी उपज का दाम दिलाने के लिए दिल्ली में भी उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली तो सारे देश की मंडी है और फलों के मामले में उत्तरी भारत की मुख्य मंडी है । पूरे उत्तर भारत क्षेत्र से यहां फल आते हैं। एक बात मैं यह कहना चाहता

3.00 म. प.

हूं कि हमारे यहां मिलिट्री छावनी छावनी है, उन छावनियों में सिविल पोपुलेशन है। मेरे क्षेत्र नहान में, शिमला, सोलन, पाटू में यह कैन्ट ऐरिया है जहां छावनियां हैं । उसमें जो जमीनें हैं उसमें न तो मिलिट्री वाले काश्त करते हैं न कोई और आदमी काश्त करता है, जिन आदमियो के पास वो जमीनें हैं या काबज हैं उनको मालिक बना दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी खेती-बाड़ी कर सकें। नहान में एक्स सर्विसमैन की छावनी है, और वहां पर कैन्टोनमैंट बनाकर उसकी हद बढ़ाई जा रही है । मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को कहा कि वे उसके बदले में कोई और जमीन ले लें उसी स्थान पर लेकिन उनको डिस्टर्ब न किया जाए और जो सुविधाएं उनको प्राप्त हैं वह रहनी चाहिएं । मैं कहना चाहता हूं कि जो कैन्टोनमैंट ऐरिया है, उसमें जो सिविल पोपुलेशन रहती है उसे तंग नहीं किया जाना चाहिए, उनकी खेती में जो पैदावार होती है वह उनको प्राप्त होनी चाहिए और उनको भूमि का मालिक बना दिया जाये । जितनी नदियां पहाड़ से आती हैं उनमें उठाऊ पेयजल योजना और उठाऊ सिंचाई योजना बननी चाहिए ताकि पहाड़ में जो प्लान्टेशन हो रहा है उसे 12 महीने पानी मिल सके । इसके लिए सर्वे करवाकर राज्य सरकार से योजना लेनी चाहिए और उसे फाईनेंस करना चाहिए ताकि हरित क्रान्ति कामयाब हो सके। हमारे यहां से सतलुज नदी आती हैं, सतलुज हिमाचल प्रदेश की नदी है और भाखड़ा डेम भी इस नदी पर बना है जिस का शिलान्यास पंडित नेहरू जी ने किया था, इसी वजह से पंजाब में प्रोडक्शन बढ़ा है । पंजाब के लिए बड़ा भारी काम किया है. सारी कुर्बानी पहाड़ी लोगों की हुई लेकिन उसमें हमको शेयर नहीं मिलता है । बिजली पर 7.19 प्रतिशत रायलटी मिलनी चाहिए लेकिन हमको 2.19 प्रतिशत मिलती है । जिस समय पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा बना उस समय ऐग्रीमैंट था कि आपको हम 7.19 प्रतिशत के हिसाब से बिजली पर रायलटी देंगे या पैसा देंगे लेकिन यह नहीं हुआ ।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : इनसे पूछिए यह अन्याय किसकी सरकार में हुआ ? जिस सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों ने अत्याचार किया ।

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : आप उसे ठीक कर दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी।

सभापति महोदय : आप कनक्लूड करिए।

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : अभी हिमाचल प्रदेश में ओला वृष्टि हुई, सारी जगह आपने टीमें भेजी लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी तक आपकी टीम नहीं गई, हिमाचल प्रदेश में फसलों का भारी नुकसान हुआ है। फसलें सारी तबाह हो गई है। शिमला के सिरमौर, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर और ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में जान-माल का नाश हो गया है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए धन का प्रावधान करें। प्रधानमंत्री जी उधर का दौरा भी करें, यदि वे नहीं जा सकते तो किसी मंत्री को भेजें, वे राज्य सरकार से बात कर लें कि वहां कितना नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि जो नुकसान हुआ है उसके लिए राज्य सरकार धन जल्द दे ताकि उससे वहां के किसान लाभान्वित हो। आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं उपेन्द्र नाथ वर्मा को वक्तव्य देने के लिए बुलाती हूं।

———

3.04 म. प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[हिन्दी]

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में समुद्री तूफान से मरने वालों के परिवारों को वित्तीय सहायता दिया जाना

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : महोदय मैं, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में हाल ही में आए चक्रवात के कारण मरने वालों के परिवारों को वित्तीय सहायता दिए जाने के बारे में सदन की आज्ञा से एक वक्तव्य देना चाहता हूं माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने कल इस आपदा के कारण हुई कुछ मौतों के बारे में सदन में एक वक्तव्य दिया था। हमारे पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश में 72 व्यक्ति मरे हैं, सात व्यक्ति तमिलनाडु में और 2 पांडिचेरी में मरे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति और हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए उप-प्रधान मंत्री एवं कृषि मंत्री ने मौत के प्रत्येक मामले में इंडियन पोपल्स नेचुरल कैलेमटीज ट्रस्ट ट्रस्ट से 25,000 रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया है।

मैं एक बार फिर से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि भारत सरकार स्थिति पर निगरानी रखे हुए और प्रभावित राज्य सरकारों को जब भी और जैसी भी जरूरत होगी, सभी संभव सहायता मुहैया करायी जाएगी।

———

3.06 म. प.

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1990-91

जल संसाधन मंत्रालय और कृषि मंत्रालय जारी

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री सूर्य नारायण यादव । आप पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देना ।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदया आपने मुझे पांच मिनट का भी बोलने का समय दिया है, मुझे आशा है कि आप अपनी तरफ से भी बोलने का समय बढ़ायेंगे क्योंकि हम बिहार से आते हैं और वहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विपदा से हमारे लोग तहस-नहस हो जाते हैं और किसानों का भी बहुत नुकसान होता है ।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य श्री रामसंगल मिश्र कह रहे थे कि जिन के पांव में चप्पल नहीं है, आधी धोती है और वस्त्र नहीं हैं तो उसके लिये मान लिया जाये कि वह किसान मजदूर है । इस देश में आज तक किसानों के लिये कोई अच्छी योजना मेरी समझ के अनुसार बनायी नहीं गई है । पूरे संसार में अगर किसान कहीं उपेक्षित है । तो वह हिन्दुस्तान में है । पूरे हिन्दुस्तान में आज तक एक भी जमीन की चकबंदी नहीं की जा सकी है और जमीन की कैटेगिरी का विश्लेषण नहीं किया जा सका है । इससे पता लगता है कि किसानों को इन कांग्रेस के लोगों ने कितनी तरजीह दी ? कांग्रेस ने करीब 45 वर्ष तक इस देश में राज किया और किसान मजदूर और समाजवाद का नारा देकर लोगों को ठगने का काम किया । अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता दल ने यह वायदा किया था कि हम किसानों के दस हजार रुपये तक के ऋण माफ करेंगे । लेकिन इसके साथ उन्होंने 'किन्तु' 'परन्तु' लगाया । मैं बुलन्दी से कहना चाहता हूं कि अगर आप छोटे किसानों और मजदूरों के दस हजार तक के ऋण माफ करने की घोषणा करते हैं तो उसके साथ से 'किन्तु' और 'परन्तु' हटायें और दस हजार रुपये तक ऋण किसानों के माफ करने का काम करें ।

सिंचाई का जहां तक सवाल है, मैं उसके सम्बन्ध में आंकड़े देना चाहता हूं । हमारे परियोजना पदाधिकारी ब्लाक में बैठते हैं और वह वहां बैठ कर, किसानों का कितना पैदाइश होगा और सरकार की ओर से इसके लिये कितनी व्यवस्था करनी होगी, इसका पूरा आंकड़ा ले लेते हैं । जिस तरह से पशुओं की गणना भारत वर्ष में की जाती है और उसको कोई गिनता नहीं है, केवल अंदाज से कर ली जाती है, उसी तरह से किसानों की खेती के संबंध में जानकारी घर बैठे कर ली जाती है । फिर भारत सरकार और राज्य सरकार उसका डाटा बना कर उसे सदन में रख देती है । इससे किसान का उद्धार होने वाला नहीं है । जब तक इस देश के 80 प्रतिशत किसान मजबूत नहीं होंगे, आप इस देश को सबल नहीं बना सकते ।

मुझे आपने 5 मिनट का समय दिया इसलिए मैं जल संसाधन पर आना चाहता हूं । जल संसाधन एक ऐसा विषय है जिसमें मैंने सुना है कि जहां जल के ज्यादा स्रोत हों, वहीं उस स्रोत के माध्यम से खेती को व्यवस्थित किया जाता है, मैंने यह भी सुना है, जो मात्र हिन्दुस्तान में, भारतवर्ष में है कि बाढ़ भी इसी देश में आये, सुखाड़ भी इसी देश में ही आए और फसल बर्बाद भी इस देश में हो जाए तो इससे ज्यादा रोने की बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती । मैं सुझाव देना

चाहता हूं कि आज जितनी भी योजनायें हैं, जल संसाधन की योजना मद में जितना पैसा आपने अभी दिया, उससे ज्यादा इस मद में खर्च करना चाहिए था, आप देखेंगे कि पिछले दो तीन चार वर्ष का जल संसाधन विभाग का जो बजट है, कृषि विभाग का जो बजट है, उसके अनुकूल ही इस सरकार ने योजना में पैसा लाने का कार्य किया है, इससे भी लगता है कि इस सरकार की भी यह मंशा है कि किसान को, जिस तरह से पिछली सरकार ने उपेक्षित करने का कार्य कि है, उसी तरह से यह सरकार आगे चलाने की योजना बना रही है इसलिए बजट में किसान और जल संसाधन के लिए प्रावधान की आप और भी डिमाण्ड करें, मन्त्री जी, तो हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, आपकी कटौती नहीं होगी। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधान मन्त्री जी ने रक्षा मंत्रालय के लिये बजट की विशेष व्यवस्था की है, उसी तरह से युद्ध स्तर पर किसान और जल संसाधन के लिए बजट की व्यवस्था आप करें और हम लोग निश्चित रूप से आपकी मांग को पूरा करेंगे, चूंकि यह गांव का पैसा है, गांव पर खर्च होना चाहिये, शहर पर नहीं होना चाहिये, जो आप करने जा रहे हैं।

दूसरे, उत्तरी बिहार की क्या विडम्बना है, क्या रोना है, वहां आप देखेंगे, कि भारत सरकार और बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष 100-100 करोड़ रुपये रिलीफ के नाम पर खर्च करती हैं। अगर भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके उस पानी को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करे, डैम बनाने का कार्य करे, उससे सिंचाई का कार्य करे तो उत्तरी बिहार बिजली की पैदाइश करेगा और उसकी बिजली पैदाइश से पूरे हिन्दुस्तान में रोशनी की जगमगाहट को हम पैदा कर सकते हैं, उस इरीगेशन से उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे भाग को हम पानी देने का कार्य करेंगे, उससे हम सिंचाई कर सकते है लेकिन यह नहीं हो सकता है, 48 वर्ष में आज तक कोई भी सरकार, पिछली सरकार ने तो किया ही नहीं था, इस सरकार ने भी हम लोगों को बताया, नेपाल सरकार से बात करने के लिए हम तत्पर हैं, मैंने बात करने के लिए 2-3 पत्र भी दिये हैं, मन्त्री जी, मैं स्वागत करता हूँ, आप निश्चित रूप से नेपाल से बात करें और नेपाल सरकार जो भी एग्रीमेंट करे, आपसे जो भी वायदा कराना चाहे, इरीगेशन के बारे में और बिजली के बारे में तो आप उसे मान लें और आप पूरे बिहार को आगे ले जाने का कार्य करें। दूसरे मछली का अगर हम व्यापार करेंगे, क्योंकि संसार में इस चीज की मांग हैं, उत्तरी बिहार में मछली विभाग के व्यापार से पूरे देश के एग्रीकल्चर को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, वहां इतना बड़ा स्रोत है, साधन है लेकिन आज तक इसको नहीं किया गया।

नेपाल सरकार और भारत सरकार की बातचीत एक बार हुई थी, वर्ष मुझे मालूम नहीं तो नेपाल सरकार ने कहा कि बिजली हम पैदा करेंगे लेकिन बिजली हम आपको दे देंगे और बिजली का जो एमाउण्ट है, जो आय है, वह हम ले लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर नेपाल सरकार इस शर्त पर भी आप को डैम बनाने दे, सहरसा की कोसी नदी पर तो इसे सहर्ष स्वीकार कर लें और अगर आप डैम बनाने वाले है तो इरीगेशन का काम करेंगे बिजली की पैदाइश का एमाउण्ट आप नेपाल सरकार को दें और मछली व्यापार के एमाउंट से उसकी क्षतिपूर्ति करें, बचत कितनी होगी, 45 वर्षों तक आपने जो 100-100 करोड़ रुपया रिलीफ के काम पर खर्च किया है, बिहार में, उस 100 करोड़ रुपये की बचत भारत सरकार को प्रत्येक वर्ष में होने जा रही है इसलिए मैं तो चाहूंगा और आप भी चेयर पर हैं, आप भी सरकार को स्पष्ट रूप से निर्देश दें, इन्हें सुझाव दें कि आप इस कार्य को करें।

सभापति महोदय, मैं आई आर डी पी के बारे में कहना चाहता हूं। आई आर डी पी के तहत बचे हुए लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात हुई। उनके लिए बकरी की खरीद की गई, लेकिन जिला पहुंचते-पहुंचते सारी बकरियां समाप्त हो गई। एक बकरी भी जिन्दा नहीं बची। गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात तो दूर, उन बेचारों को उन जानवरों के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि हिन्दुस्तान का वातावरण ऐसा है, हिन्दुस्तान में जानवरों को पाला जाता है। एयर-कंडीशन में हिन्दुस्तान के जानवर नहीं रहते हैं और हम उतने व्यवस्थित नहीं हैं कि हम उनको रख सकें। आप कनेडियन बकरी और शुगर खरीदते हैं और देते हैं गरीबों के उत्थान के लिए। इसमें आप मुस्तैदी से सुधार करें। इस तरह की योजनायें आदि आप कांग्रेसियों की तरह से शुरू करेंगे, तो इस देश की जनता आपको भी नकारने में देरी नहीं करेगी। उनमें भुखमरी है, उनमें पीड़ा है और उसी पीड़ा का परिणाम यह बदलाव है। इसलिए मैं मांग करता हूं, आप जो भी अपनी योजनाएं, चाहे जल संसाधन की हों, कृषि की हों और चाहे किसी और विभाग की हों, हम जितने भी माननीय सदस्य हैं और एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से आप सुझाव लें और उन सुझावों के माध्यम से ज्यादा गांवों का विकास करें और उन कामों को करने में मुस्तैदी बरतें।

समय कम है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदया, इरिगेशन और एग्रीकल्चर हमारे देश के महत्वपूर्ण विभाग हैं। आजादी के बाद हमारे देश का योजनाबद्ध तरीके से विकास हुआ और खास कर अनाज के मामले में हमारा देश आत्म-निर्भर है। इसका कारण यह है कि हमने सिंचाई के बड़े-बड़े बांध बनाये, खाद के कारखाने खोले और बिजली के नए-नए डैम बनाकर किसानों तक बिजली पहुंचाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नई सरकार आई है और नई सरकार ने किसानों से वायदा किया कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और उनके मैनिफेस्टो में किसानों के कर्ज को माफ करने की बात कही गई है। इसके लिए उन्होंने बजट में एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है और कहते हैं कि दस हजार रुपए तक किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि वोट के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं और वोटर को प्रभावित करके वोट लेते हैं। परन्तु जहां देश का विकास करना हो, देश को आगे बढ़ाना हो, खुद अपने पैरों पर खड़े होना हो, तो उसके लिए हम को कुछ दूसरी योजनायें बनानी पड़ेंगी।

अभी बहुत से भाषण हुए, कोई किसान के नेता बनते हैं और किसान बनते हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं खुद किसान हूं और खेती करने वाला हूं। सरकार ने कर्ज माफ करने की बात कही है, मैं समझता हूं कि किसान का अपना एक स्वाभिमान है, सभापति महोदया आप भी इस बात को जानती हैं, किसान कभी किसी के पास भीख मांगने नहीं जाता है। इस 42 साल की आजादी में किसान शोषणखोर से दूर हो गया था, हट गया था। आज वह इस धोखे में बैठा है कि कब कर्ज माफ होगा, कब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, कोई भी कोआप्रेटिव बैंक, कोई भी अन्य एजेंसी आज उसको कर्ज देने वाली नहीं है। आपने वोट ले लिया, आपकी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बन गयी। इससे किसान का भला होने वाला नहीं है। अगर सरकार में विल पावर है तो वह सब से पहले किसान के कर्ज को उसके खाते में जमा करे, उसको सर्टिफिकेट दे। बेशक विकास के काम बन्द करे। लेकिन यह आज तक नहीं हो रहा है। केवल घोषणाएं चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। संसद में कानून बन रहे हैं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग जो खास कर के आदिवासी क्षेत्र से, आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जानते हैं कि अगर आपने किसान को कर्ज माफ करने वाले चक्र में फसा दिया तो इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। आज किसान की यह मांग है। कल हार्ऊसिंग वाले यह मांग करेंगे, कल उद्योग वाले यह मांग करेंगे। एक दिन वह आयेगा कि हमको कहीं से भी कर्ज वापिस नहीं मिलेगा। अगर राजनीतिक पार्टियों का यही रवैया रहा तो मैं समझता हूं कि हम अपने देश के इस सर्वोच्च सदन में बैठकर के देश के हित की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग कैसे पावर में आएं, कैसे लोगों को हम प्रभावित कर सकें, कैसे हम वोट ले सकें इसकी हम चर्चा कर रहे हैं।

जो बड़ी-बड़ी इंश्योरेंस कम्पनियां हैं जो कि बीमा करती हैं, उनसे काटन मिल वाले थोड़ी-सी कपास जला कर के बीमे की राशि ले लेते हैं लेकिन आज देश का किसान ही एक ऐसा ईमानदार आदमी है जो कि न संडे देखता है, न सेटरडे देखता है और न घड़ी देखता है और पूरी ईमानदारी से काम करता है। आज देश में जितना अनाज पैदा होता है, वह किसान की ईमानदारी है कि इतना अनाज पैदा होता है। अगर हमने किसान को इस चक्र में फंसा दिया तो फिर वह भी मेहनत करने वाला नहीं है। फिर दुनिया में इस 80 करोड़ की आबादी वाले देश की भी हालत खराब हो जाएगी। मैं समझता हूं कि ऐसे लुभावने नारों से देश नहीं बनता है।

किसान जो शोषण करने वालों से दूर होता जा रहा था आज इस कर्ज माफी के नारे ने किसान के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। हिन्दुस्तान का किसान अपनी झोंपड़ी में बैठ कर इस बात को जानता था कि उसके बाप ने, उसके बाप के बाप ने जो कर्जा लिया है वह उसे चुकायेगा यह उस किसान की ईमानदारी और स्वाभिमान था। इससे उसकी ईमानदारी और स्वाभिमान को ठेस लगी है। यह काम नहीं होना चाहिये था। मैं समझता हूं कि जब सरकार ने यह घोषणा की है तो वह उसको पूरा भी करे। नहीं तो इस दस हजार वाली बात से हट कर उसके मैनिफेस्टो में जो बातें कही गयी हैं, उनको पूरा करे।

जो एग्रीकल्चर रिसर्च वाली बात है—हमारे देश में जो बहुत सी पहाड़ी जमीन है, हम उस जमीन पर बैठ कर रिसर्च कर सकते हैं। ट्राइबल एरिया की जो पहाड़ी जमीन है उसमें तिलहन की सोयाबीन की अच्छी खेती हो सकती है। इसलिए हमें ऐसी जमीन पर और ऊबड़-खाबड़ जमीन पर कैसे पैदावार बढ़ सकती है, उन जमीनों पर रिसर्च सेंटर खोलने चाहिए। मेरी कांस्ट्रीच्युएंसी झाबुआ में एक रिसर्च सेन्टर खोलने की बात हुई थी। लेकिन अभी तक उस बारे में कुछ नहीं हुआ है। ऐसे क्षेत्र में रिसर्च सेन्टर खोल कर वहां तिलहन की खेती को बढ़ाना चाहिये। तेल के मामले में हम अभी पीछे हैं। पुरानी सरकार ने ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के बारे में जो योजनाएं चालू की थीं, गरीब आदमियों को सब्सीडी देने की, गरीबों को बेनिफिट्स देने की, लोगों का उन योजनाओं के प्रति अटेचमेंट है। जब तक हम आम जनता को इन योजनाओं के प्रति आकृष्ट करके नहीं रखते, तब तक मैं समझता हूं कि यह योजनायें सफल नहीं हो सकती। हमारे मन्त्री जी यहां नहीं बैठे हैं, लेकिन मैं अपने मन्त्री जी से यही कहूंगा कि इस देश में जो गरीब लोग हैं या गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको हम दूसरे समाज के बराबर कैसे लायें? यह तभी हो सकता है जब उनको पैसों की जरूरत हो तो उनको पैसों की मदद करें और टैक्नीकल गाइडेंस की जरूरत हो तो टैक्नीकल गाइडेंस की मदद करें क्योंकि यह हमारी मोरेलिटी का सवाल है। यदि हम वास्तव में इन लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो इन योजनाओं के अंतर्गत गांवों में सड़कें बनें और सभी

सुधार के कार्य वहां कराये जायें। हमने हरित क्रांति की बात कही, यह हरित क्रांति तभी हो सकती है। जब हम किसानों को पूरे साधन उपलब्ध करायें।

सभापति महोदया, आप स्वयं गुजरात में जा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां डेरी वाले खुद अपने गांव की सड़क को बनाते हैं और गांव के स्कूल बनाते हैं। हमारे कोटाड़िया जी भी गुजरात के ही हैं। उसमें लोगों का कैसे पार्टिसिपेशन न हो, कैसे उनका इन्वाल्वमेंट हो— इसमें सिर्फ पैसे का ही इन्वाल्वमेंट नहीं बल्कि उसमें दूसरे विकास के साधनों का भी इन्वाल्वमेंट हो, यह कोशिश हमको करनी चाहिए।

मैं सिंचाई के बारे में भी एक-दो बातें कहना चाहता हूं कि नर्मदा प्रोजेक्ट की बात बहुत जोरों से चल रही है, इसमें सब लोग अपनी-अपनी राय देते हैं। मैं सरकार से यह कहूंगा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार दुविधा में है-कभी वे कहते हैं कि इसकी ऊंचाई कम कर दें, उसके लिये हम टैक्नीकल कमेटी बना दें और कभी कहते हैं कि उसको यथावत रखा जाना चाहिये। मैं मन्त्री जी से यही कहूंगा कि आपके पास टैक्नीकल आदमी हैं—वह देखें कि इनको क्या चाहिये ? आप अपनी स्थिति बिल्कुल क्लियर कहिये कि इस बान्ध के बनने से देश में रहने वाले लोगों को लाभ होगा— जिन लोगों की जमीन डूब गई है और मकान डूब गये हैं उनको अच्छी जमान मिले, उनको रहने के लिए मकान मिले और उनके बच्चों के पढ़ने के लिये स्कूल हों। ये सब चीजें उनको मुहैया करानी चाहिये ताकि ठीक से वे अपना जीवन-निर्वाह कर सकें। हमारे ज्यादातर देशों में पीने के पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है—चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। आज हमको बान्ध भी मल्टीपरपज बनाना है ताकि उस बांध से सिंचाई भी हो सके और पीने के पानी की भी व्यवस्था हो सके। आज इस देश में इस तरह की योजनायें बनाने की जरुरत है और यह तभी हो सकता है जब हम रेगिस्तानी और पहाड़ी एरिया में पानी जो स्टोरेज करें, इकट्ठा करें। अभी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कई लोगों की मृत्यु हो गई, इसका हमें बहुत दु.ख है—वहां पर तूफान आया और बरसात भी हुई, कई जगह तो लोग पानी के लिये तरसते हैं, उनको पानी के दर्शन तक नहीं होते—ऐसे में हम जहां पहाड़ हैं, जंगल हैं, हरियाली है, उनको कैसे डेवलप करें। अगर किसान को ठीक से पानी नहीं मिलेगा तो वह कैसे खेती कर सकता है। इसके लिये छोटे-मोटे बान्ध बनाये जा सकते हैं जिससे खेती की जा सके और ज्यादा नुकसान न हो। इस तरह से छोटी-छोटी जगहों पर पानी को स्टोर करके लोगों की खेती तक पहुंचायें, इस तरह की हम योजनायें बनायें। (व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि छोटे-छोटे देश जैसे आस्ट्रिया, बैंकाक. थाईलैंड आदि में हार्टीकल्चर के क्षेत्र में काफी काम हुआ है और हर तरह के फल-फ्रूट वहां पर पैदा किए जाते हैं। इसलिए हम को खेती के अलावा हार्टीकल्चर के क्षेत्र में भी विकास करना चाहिए, इन सारी चीजों की पैदावार बढ़ानी चाहिए, ताकि किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। हमारे यहां अच्छा क्लाईमेंट है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर अगर इस ओर ध्यान दिया जाये तो काफी उन्नति हो सकती है। इसके लिए मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा भाव किसानों को दिया जाना चाहिए, बिचौलियों से छुटकारा दिलाया जाना चाहिए।

आज नए नए सांसद एक ही नारा लगाते हैं कि पुरानी सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल रहने के बाद उनको पता चलेगा कि पुरानी सरकार ने कितने विकास के काम किए है, और उन्होंने 5 साल में कितना काम किया है, दोनों का अनुपात निकालने से

स्थिति स्पष्ट होगी। फिर उनको पता चलेगा कि यह तो अथाह समुद्र है, जहां एक बार आदमी घुस जाए तो वापिस नहीं आ सकता, इसलिए इन बातों को छोड़िए, देखना यह है कि यह सरकार किसानों के लिए क्या करना चाहती है। सिंचाई और कृषि के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, उप प्रधानमंत्री जी इन बातों में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, किसानों की बात कहते हैं, लेकिन अभी तक किसान को कुछ मिला नहीं है। किसान को किस रास्ते पर ले जाना है सरकार की कृषि नीति और सिंचाई नीति क्या है, कैसे किसानों को आगे बढ़ाया जायेगा, इन सारी बातों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। जापान में सपोर्ट प्राइस पहले डिक्लेयर कर दी जाती है, लेकिन यहां पर बाद में डिक्लेयर होती है, इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। उस दिन सपोर्ट प्राइस की घोषणा की गई, 12-13 रुपए बढ़ाए गए, तेल का भाव 30-32 रुपए हैं, चाहे 50 रुपए हो जाए, इससे किसान का भला नहीं होता है। गेहूं के 1८ रुपए बढ़ाने से भी किसान का भला नहीं होता है। असल में जो उसकी मेहनत है, जो उसकी पत्नी और बच्चे सब लोग मिल कर मेहनत करते हैं उसकी वैल्यू निकालकर जब तक उसको प्राइस नहीं दें; तब तक उसका भला नहीं हो सकता है।

इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

———

[अनुवाद]

सभापति महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करने से पूर्व, मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सातों धर्मपुर गांव में हुई घटना के सम्बन्ध में श्रम और कल्याण मंत्री श्री राम विलास पासवान को अपनी ओर से स्वत: वक्तव्य देने के लिए बुलाती हूं

3.33 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सातो धर्मपुर गांव में हुई घटना

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : बड़े दुख के साथ मैं सदन को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना देना चाहता हूं। यह घटना जिला-फतेहपुर के सातो धर्मपुर नामक गांव में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के प्रति किए गए अपराध से संबंधित है और इस घटना ने पर्याप्त सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया है।

फतेहपुर के जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार सातोधर्मपुर, थाना-असोथर, के अनुसूचित जाति निवासी श्री सोखो के सुपुत्र श्री धनराज, आयु 23 वर्ष की 5 अप्रैल, 1990 को पिटाई की गई और राजू सिंह तथा गुलाब सिंह नामक उसी गांव के दो भाइयों द्वार मिट्टी का तेल छिड़ककर उसको आग लगा दी गई। उस समय चूंकि सरकारी डाक्टर हड़ताल पर थे अत: श्री धनराज को एक निजी नर्सिंग होम में दाखिल किया गया। पूर्व इसके कि उसका मृत्यु-पूर्व बयान रिकार्ड किया जाता, 6.4.1990 को श्री धनराज की मृत्यु हो गई। बताया गया है कि मृतक के परिवार-जनों और ग्राम-वासियों द्वारा उसका पार्थिव शरीर फतेहपुर के कलेक्ट्रेट में लाया गया और क्षति-पूर्ति के साथ-साथ दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। अन्तरिम सहायता के रूप

में 2,000/-रु. की राशि तत्काल उन्हें दी गई। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत राजू सिंह (आयु-25 वर्ष) और गुलाब सिंह (आयु-22 वर्ष) के विरुद्ध मामला संख्या 56/ 0, थाना असोथर में रजिस्टर्ड किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का दौरा किया गया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के अन्तर्गत कारगर कार्यवाही की गई। उन्होंने 11.4.1990 को न्यायालय मे आत्मसमर्पण कर दिया तथा उन्हें जेल भेज दिया गया। न्यायालय में 22.4.90 को उनके विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया गया इस गांव में आवश्यक पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है।

मृतक के परिवार को 10,000/-रु. की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त चार बीघा भूमि भी आवंटित कर दी गई है। पता चला है कि इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी सविवेक निधि में से उन्हें 15,000/-रु. दिए गए हैं। मृतक के परिवार को प्रधान मंत्री सहायता कोष से भी 20 हजार रुपये की राशि दी गई।

इस अवसर पर मैं पुनः यही कहना चाहता हूं कि यह सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध सभी अपराधों और अत्याचारों को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है। हमारे समाज के सबसे कमजोर इस वर्ग के प्रति इस और ऐसे ही अन्य अत्याचारों और अपराध के मामलों में सभी आवश्यक दण्डात्मक और पुनर्वासात्मक उपाय करने तथा उनके विरुद्ध ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को पहले भी लिखा जा चुका है और पुनः भी लिखा जा रहा है।

कुमारी उमा भारती (खुजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहती हूं। उस हरिजन महिला कुच्चो को पुलिस अधिकारी पुनः विवाह करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। क्या इस मामले में भी आप उसे संरक्षण देंगे।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मृतक की पत्नी दिल्ली में घूम रही है। बहुत से समाचार-पत्रों मे छपा है कि उसे डराया जा रहा है। पुलिस अभी उसको डरा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आपने उनके खिलाफ क्या किया है।

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैंने कहा कि सरकार ऐसे सभी मामलों पर चाहे अनुसूचित जाति का मामला हो या अनुसूचित जनजाति का मामला हो, महिलाओं के सम्बन्ध में जुल्म और अत्याचार का मामला हो, न सिर्फ चिन्ता व्यक्त करती है बल्कि जो भी कारगर कदम सरकार के द्वारा उठाने की बात होगी, हम निश्चित रूप से उठायेंगे। जो माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है हम उस संबंध में भी देखेंगे। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि यह समाज का, राष्ट्र का कोढ़ है। इसको सामाजिक दृष्टिकोण से लेना चाहिए। फतेहपुर ही नहीं, देश के किसी भी कोने में अगर इस तरह की घटना घटे तो हमें उसकी निन्दा करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री दिलीप सिंह भूरिया : मैं एक बात जानना चाहता हूं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आपको अगर कोई शंका है तो मंत्री जी से मिल लीजिए। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।

3.37 म. प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि यह सभा 10 मई, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 10 मई, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.38 म. प.

नियोजन विधेयक*

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र-निर्माण क्रियाकलापों में लगाकर सभी वयस्क नागरिकों के नियोजन के लिए उपबन्ध करने और उनके कल्याण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्र-निर्माण क्रियाकलापों में लगाकर सभी वयस्क नागरिकों के नियोजन के लिए उपबन्ध करने और उनके कल्याणो के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अनादि चरण दास : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

*दिनांक 11-5-90 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित ।

3 39 म. प.

भवन निर्माण तथा सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन की शर्तें) विधेयक*

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भवन-निर्माण तथा सन्निर्माण कर्मकारों का संरक्षण करने और उनके लिए न्यूनतम मजदूरी, काम की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा कल्याण संबंधी ऐसे अन्य उपायों के लिए जिनका उपबन्ध भारत में प्रवृत्त विभिन्न श्रम तथा औद्योगिक विधियों में हैं, उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भवन-निर्माण तथा सन्निर्माण कर्मकारों का संरक्षण करने और उनके लिए न्यूनतम मजदूरी, काम की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा कल्याण संबंधी ऐसे अन्य उपायों के लिए जिनका उपबन्ध भारत में प्रवृत्त विभिन्न श्रम तथा औद्योगिक विधियों में है, उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

2.40 म. प.

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ (आदेश) संशोधन विधेयक*

अनुसूची में संशोधन

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव पाटिल (यवतमाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव पाटिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 11 मई, 1990 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

3.40 ½ म. प.

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 155 में संशोधन)

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.41 म. प.

मातृ-वंशावली विधेयक*

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि किसी की वंशावली उसके मातृ-पक्ष से जानने के अधिकार का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसी की वंशावली उसके मातृपक्ष से जानने के अधिकार का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 11.5.1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

3.41 ½ म. प.

पदों तथा सेवाओं में रिक्त स्थानों का (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए) आरक्षण विधेयक*

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री छवि राम अर्गल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

3.42 म. प.

सीमान्त किसान और कृषि कर्मकार परिवार सुरक्षा विधेयक*

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि सीमान्त किसानों और कृषि कर्मकारों के परिवारों की सुरक्षा के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापति करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमांत किसानों और कृषि कर्मकारा के परिवारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुर.स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

———

* दिनांक 11.5.1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

8.42 ½ म. प.

कामगार महिला कल्याण विधेयक*

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि विभिन्न उद्योगों तथा स्थापनाओं में कार्यरत महिलाओं के कल्याण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विभिन्न उद्योगों तथा स्थापनाओं में कार्यरत महिलाओं के कल्याण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

8.43 म. प.

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 263 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 11.5.1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

3.43½ म. प.

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए भाग 16क का अन्त: स्थापना)

[अनुवाद]

श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

———

3.44 म. प.

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 34 में संशोधन)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

———

*दिनांक 11.5 1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

3.44½ म. प.

रोजगार का उपबंध विधेयक*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने हेतु उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने हेतु उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

3.45 म. प.

नागरिक (अनिवार्य आवासन की व्यवस्था) विधेयक*

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक मकान का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक मकान का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

*दिनांक 11.5.1990 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

3.46 म. प.

युवा विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा 26 अप्रैल, 1990 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे, अर्थात् :

"कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, युवा विधेयक पर उस दिन चर्चा प्रारम्भ हुई थी और उस चर्चा के दरमियान विधेयक के अन्दर जो शिक्षा के संबंध में बातें आयी थीं, वहां से बात अधूरी रह गयी थी। मैंने उस दिन चर्चा की थी कि हिन्दुस्तान के अन्दर इस युवा विधेयक की इसलिए आवश्यकता है कि इस देश में जितने भी निरक्षर हैं, उसमें युवकों की संख्या एक तिहायी है। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय देश में छ: करोड़ साक्षर थे और 30 करोड़ निरक्षर थे। गत वर्ष के आंकड़ों के मुताबिक 25 करोड़ साक्षर और 43 करोड़ निरक्षर हैं। अब इस विधेयक के अन्दर 45 वर्ष के लोगों को नौजवान की श्रेणी में लाने की बात की गयी है और पिछले वर्ष जो आंकड़े इकट्ठे किये गये थे उसमें 15 से 35 वर्ष की जो संख्या थी, उसमें 11 करोड़ नौजवान निरक्षर थे लेकिन 45 वर्ष की सीमा के अन्दर वाले लोगों को नौजवानों की श्रेणी में लाया जायगा तो निश्चित रूप से 1/3 अनपढ़ नौजवान हिन्दुस्तान के अन्दर मौजूद होंगे। अब देश के अन्दर जो शिक्षा पद्धति चल रही है, वह लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी जो केवल क्लर्क उत्पादन करने की व्यवस्था रही है। दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद भी हम उसी रास्ते पर चलते रहे और पिछले पांच वर्षों के अन्दर नौजवानों के अन्दर यह आशा जगी कि हिन्दुस्तान की बागडोर एक नौजवान के हाथ में आयी है तो नौजवानों के अन्दर खुशहाली आयेगी और नई शिक्षा पद्धति के आने पर एक उन्माद जगेगी लेकिन परिणाम सामने रहा। अब नई शिक्षा नीति के नाम पर अंग्रेजियत का बोलबाला प्रारम्भ हो गया और बिलकुल दून संस्कृति जैसी शिक्षा जगत में दिखाई पड़ने लगी। नवोदय विद्यालय खुल गये और उस पर करोड़ों की राशि खर्च हुई। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला। हमारे जो नौजवान गांवों में रहते हैं, उन्हें इससे क्या मिला। आज नवोदय विद्यालयों में बाबूओं के बेटे और औद्योगिक घरानों के बेटे हो जाते हैं और गांवों में रहने वाले नौजवानों को उनका कोई लाभ नहीं है। पिछली सरकार के समय आंकड़े दिये गये थे कि हिन्दुस्तान के 5 लाख 80 हजार गांवों में से मात्र 5 लाख 37 हजार गांवों में अभी तक प्राथमिक विद्यालय हैं। आज भी हजारों की संख्या में गांव ऐसे हैं, जहां एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है। गत वर्ष सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि एक लाख 72 हजार प्राथमिक विद्यालयों के अपने भवन नहीं हैं। बाकी क्षेत्रों की बात को यदि छोड़ भी दिया जाये तो हम आजादी के इतने वर्षों बाद तक भी हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय भी मुहैया नहीं करा पाये। दूसरी ओर, नई शिक्षा नीति के नाम पर पिछले वर्षों में जो कुछ हुआ, उससे इस देश के नौजवानों भविष्य और ज्यादा चौपट हो गया। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि हिन्दुस्तान की विरासत, हिन्दुस्तान की संस्कृति, हिन्दुस्तान की परम्पराओं, अपने पुरखों के आदर्श और गौरव को जानने के

लिये इस देश में केवल एक ही भाषा है संस्कृत, परन्तु नई शिक्षा नीति में उसका कहीं नामो-निशान आपको नहीं मिलेगा। नवोदय विद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले वर्ष अखबारों में यह खबर काफी चर्चा का विषय रही कि शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बड़ी गड़बड़ियाँ होती हैं केन्द्रीय विद्यालयों के 185 शिक्षकों के स्थानान्तरण में करोड़ों रुपये का वारा-न्यारा शिक्षा जगत में हुआ। उन दिनों के अखबारों ने सेन्ट्रल स्कूल के क्षेत्र में इसे मिनि बोफोर्स की संज्ञा दी है। इस तरह नई शिक्षा नीति के नाम पर इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ गत वर्षों में मजाक किया जाता रहा। इस विधेयक में निशुल्क शिक्षा देने की बात कही गयी है। मैं चाहूंगा कि इस विधेयक में यह व्यवस्था की जाये कि स्नातक स्तर तक की, तथा डिप्लोमा स्तर तक की तकनीकी शिक्षा भी निशुल्क हो। उसका कारण यह है कि हिन्दुस्तान में अनेक नौजवान ऐसे हैं जो मेधावी हैं परन्तु गरीब होने के कारण अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकते। कोई गरीब छात्र इस देश में एम. ए. स्तर तक की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी मेरी धारणा है परन्तु इतना मैं अवश्य मानता हूं कि यदि गरीबी के कारण वह एम. ए. पास नहीं कर सकता, उसे कम से कम स्नातक की डिग्री तो मिल जाये, इसलिये स्नातक स्तर तक की शिक्षा इस देश में मुफ्त देने की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। वैसे ही यदि कोई छात्र मेधावी है परन्तु गरीबी के कारण इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, इतनी व्यवस्था तो हमारे देश में अवश्य होनी चाहिये कि वह डिप्लोमा स्तर तक की पढ़ाई निशुल्क कर सके, कम से कम ओवरसियर बन जाये। इसके लिए आवश्यक है कि डिप्लोमा स्तर तक की तकनीकी शिक्षा हम निशुल्क करें। मैं चाहूंगा कि इस विधेयक में इन दोनों व्यवस्थाओं को और शामिल कर लिया जाये।

जहां तक प्रौढ़ शिक्षा का प्रश्न है, ग्रामीण युवकों को शिक्षित करने के लिए ही प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम देश में चलाया गया था परन्तु मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा के नाम गांव के नौजवानों के साथ गत वर्षों में जिस तरह का मजाक हुआ, वह हम सब के लिये अफसोस की बात है। उपाध्यक्ष जी, आप किसी भी इलाके की प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की सूची मंगवा कर देख लीजिए। उस सूची में आपको अनपढ़ नौजवानों के स्थान पर, गांव के पढ़े लिखे, हाई स्कूल या कालेज में पढ़ रहे नौजवानों के नाम दर्ज मिलेंगे। उनके नाम प्रौढ़ शिक्षा लेने वालों की सूची में दर्शाये गये हैं। रोजगार के मामले में अभी हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि गत वर्षों में देश के विभिन्न भागों में 1984 तक रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगार शिक्षितों की संख्या 2 करोड़ 38 लाख थी परन्तु पिछले साल तक यानी साढ़े चार सालों में, जो आंकड़े सामने आये हैं, उनके अनुसार इस देश में बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गयी। इसका मतलब है कि साढ़े चार सालों में इस देश में एक करोड़ 15 लाख बेरोजगार बढ़ गये। ऐसा क्यों हुआ, वह भी जग-जाहिर है। जिस तरह से इस देश में विदेशी कम्पनियों का धड़ल्ले से आगमन हुआ, उसी का परिणाम है कि देश में रोजगार के अवसर कम पैदा हुआ, और बेरोजगारी बढ़ती चली गयी। मैं इस मुद्दे पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता सिर्फ इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि युवकों की संख्या पूरे देश में निरंतर बढ़ती ही जा रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, 1950 में जहां पूरे विश्व में 45 करोड़ नौजवान थे, 1960 में उनकी संख्या बढ़कर 51 करोड़ हो गयी, 1986 में वह संख्या बढ़कर 85 करोड़ तक जा पहुंची और जिस इक्कीसवीं सदी की हम जोरशोर से बात करते हैं, 21वीं सदी तक पूरे विश्व में नौजवानों की संख्या 118 करोड़ हो जाने का अनुमान है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन युवाओं की संख्या की वृद्धि की रफ्तार अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है। जो विकसित देश हैं, वहां रफ्तार कम है और जो गरीब देश हैं वहां रफ्तार ज्यादा है। भारतीय युवकों की जो समस्याएं हैं वे दो वर्गों में बटी हुई हैं क्योंकि युवक दो वर्गों में बटे हुए हैं। पहला वर्ग उन युवकों का है, जो नगरों, महानगरों के सम्पन्न, समृद्ध परिवारों से आते हैं। इस वर्ग के युवक ऐसे लोग होते हैं जिनकी कोई मौलिक समस्या नहीं होती है बल्कि स्वनिर्मित समस्या होती है। भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के विरुद्ध पश्चिमी देशों की सांस्कृतिक चेतना की गुलामी इनका शौक है। अपनी सभ्यता में इन्हें केवल रूढ़ि दिखाई देती हैं और दुर्भाग्यवश यही युवा वर्ग भारत का असली युवा वर्ग कहलाता है और यही वर्ग देश के युवकों का नेतृत्व करने का दावा भी करता है।

दूसरा वर्ग भारत के उन युवकों का है जो गांवों, कसबों, नगरों, उपनगरों और महानगरों के छोटे एवं मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याओं को अपने कंधों पर लादे संघर्ष कर रहा है। जिंदगी के हर मोर्चे पर यही वर्ग जूझता हुआ मिलेगा। शिक्षा इस वर्ग के लिए जीविकोपार्जन का साधन है सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी इनका लक्ष्य और अंततः किसी समृद्ध वर्ग की गुलामी इनके नियति है।

उपाध्यक्ष महोदय : राधा मोहन जी आपको पढ़ना नहीं है, भाषण करना है।

श्री राधा मोहन सिंह : ये दोनों बातें बहुत साफ हैं। हिन्दुस्तान के अंदर दोनों के सोच, रहन-सहन एवं विचार में बहुत अन्तर है। इसलिए मेरा आग्रह यह होगा कि हिन्दुस्तान के युवकों के लिए एक व्यापक और समान नीति की आवश्यकता है। इसलिए मैं इस युवा विधेयक का समर्थन करता हूं और इसमें इतना संशोधन करने का आग्रह करता हूं कि इसमें जहां व्यापक युवा नीति की चर्चा की गई है, वहां "व्यापक और समान युवा नीति" शब्द भी जोड़ दिए जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उन माननीय सदस्य को बधाई देता हूं जिन्होंने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है। यह विधेयक अच्छी तरह से विचार कर तैयार किया गया है और अच्छे उद्देश्यों हेतु लाया गया है। देश का युवा वर्ग चाहे यह भारत हो अथवा विश्व का अन्य कोई भाग, देश की सम्पत्ति है कोई भार नहीं है। दुर्भाग्यवश हमने इस बात का प्रमाण इस सभा में देखा है। पिछली सरकार और वर्तमान सरकार ने जब भी पंजाब, कश्मीर या असम में उग्रवाद की समस्या का सामना करने और उसे निपटाने की कोशिश की है, उन्होंने बेरोजगार युवकों को इस समस्या के एक कारण के रूप में पाया है। वे कहते हैं कि कुछ लोग उग्रवाद में विश्वास करते हैं इन बेरोजगार युवकों को बहकाते हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा नीति के कारण वे सही दिशा से भटक जाते हैं। आज शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात किसी युवक के लिए एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाने के मार्ग इतने संकुचित हो गये हैं कि जिसके लिए उसने शिक्षा प्राप्त की है। यह विधेयक द्वारा हमारी मुख्य समस्याओं को बतलाया गया है तथा इस सभा को और इसके द्वारा सरकार को उन मौलिक समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश की गई है जिनसे आज का युवा वर्ग जूझ रहा है। एक लड़का जिसके पास उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता है लेकिन वह उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसके पास शिक्षा जारी रखने

के साधन नहीं हैं। इसके विपरीत एक व्यक्ति जिसकी योग्यता कम है और जो एक स्तर के बाद सफल नहीं हो सकता है उसे शिक्षा जारी रखने के अवसर मिल रहे हैं क्योंकि वह ऐसे परिवार से है जो कि उसे उच्च शिक्षा हेतु बाहर भेजने में समर्थ है। इस विधेयक में कहा गया है कि एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर दिया जाना चाहिए।

4.00 म. प.

अब, हाल ही में मैंने 15 दिनों के लिए सोवियत संघ का दौरा किया था। उन्होंने पायोनियर कैम्प नामक एक शिविर लगा रखा है जहां वे सभी बच्चों को ले जाते हैं और इस प्रकार से उनकी परीक्षा लेते हैं कि परीक्षा के बाद शिविर के अधिकारी माता-पिता को इस आशय का कार्ड देते हैं कि यह बालक विमान चालक बन सकता है, तांत्रिक बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। वे पता लगाते हैं कि इस बालक को किस क्षेत्र में जाना चाहिए। यदि उच्च शिक्षा के लिए किसी व्यक्ति के पास मानसिक योग्यता नहीं है तो उच्च शिक्षा हेतु उसे भेजने का प्रश्न ही नहीं है। शिविर में बालक का परीक्षण कर वे पता लगाते हैं कि वास्तव में किस क्षेत्र में उसे जाना चाहिए। लेकिन भारत में हम इसे प्रोत्साहन नहीं देते हैं यद्यपि हमारी जनसंख्या 80 करोड़ है फिर भी हम ओलम्पिक या एशियाई खेलों में एक भी स्वर्णपदक नहीं जीत पाते हैं। एशियायी खेलों का दायरा सीमित है फिर भी उसमें हमारा प्रदर्शन खराब रहा है। ऐसा इस कारण है कि दिल्ली, बम्बई या कलकत्ता में जो खिलाड़ी हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों की अपेक्षा आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलते हैं। दूरस्थ गांव के निवासी एक अच्छे खिलाड़ी को अवसर नहीं मिल पायेगा क्योंकि हम उन्हें युवावस्था में ढूंढ कर उचित प्रशिक्षण नहीं दे सकते है।

पूर्व के वक्ता ने नवोदय विद्यालय की आलोचना की है। नवोदय विद्यालय की स्थापना के पीछे क्या सकल्पना है। यह उन सबके लिए है जो कि इसकी प्रवेश परीक्षा में सफल हो कर इसमें अपना नामांकन करा सकते हैं। यह सच है कि समाज के कुछ वर्ग अपने बच्चों को, दून स्कूल, पब्लिक स्कूलों जैसे सेन्ट स्टीफन, सेन्ट जेवियर कालिज और दूसरे कन्वेन्ट स्कूलों में भेजते हैं और वहां का खर्च वहन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों के ऐसे विद्यार्थी है जिनके माता पिता उन्हें एक अच्छे स्कूल में भेजने का खर्च सहन नहीं कर सकते, दून स्कूल की तो वे बात ही नहीं करते हैं। वे उन्हें किसी केन्द्रीय विद्यालय में नहीं भेज सकते। नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा परीक्षण करके सबसे अच्छे लड़के लिए जाते हैं। मैंने अरुणाचल प्रदेश के स्कूलों का दौरा किया है और देखा है कि 90 प्रतिशत लड़के और लड़कियां अत्यधिक प्रतिभाशाली हैं। वे श्रेष्ठ निकल आये हैं। अब गरीब परिवार अपने बच्चा का पब्लिक स्कूलों में भेजने का खर्च सहन नहीं कर सकते। परन्तु उनके बच्चे सरकारी स्कूलों, नवोदय विद्यालयों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अधिकांश लड़के निर्धन और पददलित परिवारों के हैं।

हमने स्कूली शिक्षा को निःशुल्क बनाए जाने के बारे में कहा है। विधेयक के प्रस्तुतकर्ता ने विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं और छात्रवृत्तियां दिये जाने के बारे में कहा है। इसके लिए एक अधिनियम होना चाहिए। अब क्योंकि हमने 'युवक कल्याण मंत्रालय' बनाया है, अतः उसे इसके बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। परन्तु वे अब तक प्रत्येक कार्य को तदर्थ आधार पर करते रहे हैं। इस सरकार अथवा पिछली सरकार ने कोई अधिनियम पारित नहीं किया है।

मैं इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में बताये गये उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की सराहना करता हूं। सरकार को कुछ लक्ष्यों को स्वीकार करना चाहिए। कम से कम सरकार को सभा में यह आश्वासन देना चाहिए कि भविष्य में सरकार एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करेगी जिसमें यहां प्रकट किए गए अनेक विचारों जैसे माध्यमिक स्कूल स्तर तक युवकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शैक्षिक सुविधाएं, पुस्तकें, कापियां एवं लेखन सामग्री आदि प्रदान करने को शामिल किया जायेगा। मैं मूल रूप से असम राज्य का प्रतिनिधि हूं। असम में हाल ही में एक भूतपूर्व मंत्री कुछ विद्यार्थियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे। यह आश्वासन दिया गया था कि 'पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन परिसंघ', जोकि सरकारी संगठन है, पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति करेगा। परन्तु अभी तक 80 प्रतिशत स्कूल के लड़के और लड़कियों को उनकी पाठ्य-पुस्तकें नहीं मिली हैं। उनसे पाठयक्रम के अनुसार पढ़ने की आशा की जाती है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। जब विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें ही न मिलें तो शिक्षा का क्या उपयोग है और वे किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करेंगे ? कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जिसके द्वारा सरकार को या तो स्वैच्छिक संगठनो के अथवा सरकारी संगठन के माध्यम से पाठ्य-पुस्तकों का इन्तजाम करना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों स्कूल ऐसे हैं जिनमें पक्के कमरे नहीं हैं। अनेक बार चक्रवात अथवा तूफान में, टेस्ट फट जाते हैं। उनके पास इनकी मरम्मत के लिए धन नहीं है। सरकार को कम से कम प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत धन देना आरम्भ करना चाहिए। मैंने यह भी देखा है कि कुछ स्थानों पर उस धन का, जो प्राथमिक स्कूल शिक्षा के लिया दिया गया था, उचित प्रकार से उपयोग किया गया परन्तु कुछ दूसरे स्थानों पर इसका सदुपयोग नहीं किया गया था। जो धन दिया जाता है वह पर्याप्त नहीं है। कुछ ऐसे स्कूल हैं वहां विद्यार्थियों के लिए पढ़ना सम्भव नहीं है।

बंगलादेश ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। वहां कोई और नये स्कूल खोलने की अनुमति नहीं हैं। स्कूलों में प्रातःकालीन एवं सायंकालीन पारियां होती हैं। सरकार स्कूलों में निःशुल्क बिजली की आपूर्ति करती है। वह प्रातःकालीन और सायंकालीन पारियों के लिए अध्यापकों का प्रबन्ध करती है। कक्षाएं पूर्वाह्न तथा अपरह्न में लगाई जाती हैं। इस प्रकार जो स्कूल वहां पहले से उनकी अच्छी प्रकार देख रेख की जाती है।

हम जितने अधिक स्कूल स्थापित कर सकते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। यह अच्छी बात है कि कुछ शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। परन्तु क्या सरकार ने कोई मूल्यांकन किया है ? क्या ये हमारे बच्चों को वास्तविक शिक्षा प्रदान करने की स्थिति में हैं ? नहीं।

हमारे बच्चे टेलीविजन से क्या सीख रहे हैं ? जयन्तिया और गारो पाहाड़ियों में बच्चे बंगलादेश का टेलिविजन देखते हैं और इसीलिए वे जानते हैं कि श्री इरशाद बंगलादेश के राष्ट्रपति हैं। वे यह जानते हैं क्योंकि वे प्रतिदिन बंगलादेश का टेलिविजन देखते हैं न कि भारतीय टेलिविजन। भारतीय टेलिविजन के कार्यक्रम वहां नहीं पहुंचते।

इस प्रकार से हम एक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिसके द्वारा हमारे युवकों के भविष्य का निर्माण उचित तरीके से नहीं होता है।

इसको ध्यान में रखते हुए, मैं इस पुनःस्थापित विधेयक के निहित विचार से पूर्ण सहमत हूँ। यह विधेयक अच्छी प्रकार से सोच विचार कर प्रस्तुत किया गया है। मैं इस विधेयक के विस्तार में जाना नहीं चाहता। परन्तु अन्त में जब मंत्री महोदय उत्तर देंगे तो उन्हें सदस्य से केवल इसे वापिस लेने के लिए नहीं कहना चाहिए। मेरे विचार से सरकार की ओर से उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि यह सरकार नई शिक्षा नीति की घोषणा करने जा रही है। ठीक है, यदि आप समझते हैं कि पिछली सरकार की नीति गलत थी तो आपको इसमें परिवर्तन करने की अनुमति दी जाती है क्योंकि इस सरकार ने वामपंथियों और भारतीय जनता पार्टी की सहायता से जनादेश प्राप्त किया है। परन्तु यह न भूलें कि शिक्षा नीति में अधिक परिवर्तनों से विद्यार्थियों में भ्रम पैदा होता है। पहले 10+2, फिर 11+2, और फिर अन्य पहले। विद्यार्थी को अधिक किताबें खरीदनी और अधिक उत्तर देने पड़ते हैं। पिछले दिनों मुझे पता लगा था कि कलकत्ता में एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी से के. जी. कक्षा में प्रवेश के लिए अंकगणित के बारे में एक प्रश्न पूछा था और मुख्य मंत्री ने कहा था कि 'पहले शिक्षक को उत्तर देने दीजिए। उसे आने दीजिये, विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे और विद्यार्थी उससे सीखेंगे।" स्कूल जाने वाले बच्चों पर पुस्तकों का भार लाद दिया जाता है।

इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा के बारे में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए। युवकों का सही मार्गदर्शन किया जा सकता है। मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और इसके मसौदे की पुनः प्रशंसा करता हूं। मैं आशा करता हूं कि उनके प्रयास बेकार नहीं होंगे।

सरकार को विशेष आश्वासन देने चाहिए जिससे कि इस सदन के आगामी सत्र में कोई विधेयक पुरःस्थापित हो।

मुझे इस चर्चा में हिस्सा लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय दिया गया था। अब तक एक घंटा 15 मिनट पूरे हो गये हैं। शेष समय अत्यधिक कम है। जब समय में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी तो हो सकता है हमें इसमें वृद्धि करनी पड़े। परन्तु मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे उन बातों को न दोहरायें जो कह दी गयी हैं। युवकों से सम्बन्धित नीति पर चर्चा के समय प्रत्येक सदस्य शिक्षा के बारे में कह रहा है। शिक्षा इसका केवल एक भाग है। रोजगार, चरित्र निर्माण, भविष्य और अनेक दूसरी बातें उसमें हैं। क्या मैं सदस्यों से निवेदन कर सकता हूं कि वे उन मुद्दों को न दोहराये जो एक बार उठाये जा चुके हैं, यदि सदस्य उन्हें पुनः उठाते हैं तो मुझे यह याद दिलाने की अनुमति दी जानी चाहिए वे उन्हीं मुद्दों को दोहरा रहे हैं।

अब श्री नकुल नायक बोलेंगे।

***श्री नकुल नायक (फूलबनी)** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा इस सदन में युवा विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मैं विधेयक के समर्थन में कुछ शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, इस देश की कुल जनसंख्या में युवा वर्ग बाहुल्य है। युवा वर्ग की अनेक

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

समस्याएं हैं। हम उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए हैं। वे राष्ट्र का भविष्य हैं। अतः युवा वर्ग के विकास के लिए सभी संभव कदम उठाने की आवश्यकता है। परन्तु यह खेदजनक है कि हमारे पास देश के युवाओं के विकास के लिए कोई व्यापक नीति नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य श्री हन्नान मोल्लाह ने इसी उद्देश्य के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित किया है। मैं इस उचित समय पर लाये गए विधेयक का स्वागत करता हूं।

महोदय, यह खेद की बात है कि हमारे देश में युवाओं को कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा बहकाया जा रहा है तथा उनका शोषण किया जा रहा है। विद्यार्थी भी गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वे गलत बातों को अपना रहे हैं। यदि हमने उनकी समस्याओं का अध्ययन नहीं करते हैं तथा उनके भविष्य के लिए काम नहीं करते हैं तो इससे देश में अराजकता फैल जायेगी। यदि हम युवाओं को पूर्ण उन्नति के लिये कार्य नहीं करेंगे तो, वे समाज विरोधी तत्वों से मिल जायेंगे तथा समाज के लिए समस्या उत्पन्न कर देंगे। पंजाब, जम्मू और कश्मीर का उदाहरण लें। हजारों युवक पाकिस्तान गये थे तथा वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने पश्चात में आतन्क उत्पन्न करने के लिए वापस आ गये। सीमा पर घुसपैठ अभी भी जारी है। युवक सीमा पार क्यों कर रहे हैं ? वे अपनी मातृभूमि क्यों छोड़ रहे हैं तथा अपने ही देश के खिलाफ षड्यन्त्र क्यों रच रहे हैं ? यह इसीलिए है क्योंकि उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। उनके लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं जुटाए गए थे। हमारे नेताओं द्वारा समाज में उनका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा था। सरकार उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकी थी। अतः वे विदेशी ताकत का शिकार बन गये। इस समय एक विशिष्ट समय के अन्दर इस स्थिति पर नियन्त्रण पाने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। हम देश में आतन्क फलाने वाले गुमराह युवाओं के साथ बातचीत नहीं कर पाए हैं। प्रति दिन दूरदर्शन द्वारा देश के कुछ हिस्सों में कुछ निर्दोष व्यक्तियों के मारे जाने का समाचार दिया जाता है। महोदय, हम उनकी मानसिकता का अध्ययन नहीं कर सके हैं। जब उन्हें रोजगार नहीं मिल सका तब उन्होंने इस गलत मार्ग को अपनाया। तथा 'कुछ भी न होने से कुछ भला' इस सिद्धान्त को अपना लिया। उन्होने विदेशी ताकतों से हाथ मिला लिया। महोदय, देश के विभिन्न भागों में युवक निराश हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है। स्कूल तथा कालेज से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। वे अपनी दैनिक जीविका भी नहीं चला सकते हैं। वे अपने माता-पिता पर बोझ बनना नहीं चाहते। अत: वे निराश हो रहे हैं। अतः स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जाए इससे पहले ही सरकार को उनकी समस्यायें सुलझाने के लिए उचित ध्यान अवश्य देना चाहिए। इस संदर्भ में मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा तथा सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन सुझावों पर ध्यान दे। जैसा कि मैंने इससे पूर्व कहा था कि वर्तमान शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से अभी भी विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है। यह देश में केवल बेरोजगारी उत्पन्न कर रही है। अतः सर्वप्रथम हमें इस वर्तमान शिक्षा पद्धति पर नए सिरे से ध्यान देना है। स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों को तुरन्त ही बदला जाना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लाया जाना चाहिए। यदि उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जाए तो स्कूली तथा कालेज शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें कुछ न कुछ रोजगार मिल सकता है।

दूसरे, विद्यार्थी हमेशा अपरिपक्व होते हैं। वे उस अवस्था में विभिन्न बुरे व्यसनों में पड़ जाते हैं। अतः सरकार को एक तंत्र की स्थापना करनी चाहिए जो सावधानी पूर्वक उनकी

गतिविधियों पर नजर रखे कि विद्यार्थी वास्तव में क्या कर रहे हैं तथा क्या कहीं उनका अवांछित तत्वों द्वारा शोषण तो नहीं किया जा रहा है।

तीसरे, महोदय, प्रचार माध्यम समाज में अनेक परिवर्तन लाने में मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका उपयोग विद्यार्थियों में नैतिकता की शिक्षा देने के लिये किया जाना चाहिये। प्रचार माध्यम द्वारा साक्षरता का प्रचार ग्रामीण युवाओं में किया जाना चाहिए। नेहरू युवा केन्द्रों के ऊपर काफी धन खर्च किया जा रहा है। परन्तु उन्होंने युवाओं के विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभायी है। अतः उकका पुनर्गठन किया जाना चाहिए तथा सरकार को यह देखना चाहिए कि इन युवा केन्द्रों पर व्यय की गई राशि व्यर्थ न जाये। युवा केन्द्रों को गांव स्तर से लेकर जिला स्तर तक कुछ परिवर्तन लाना चाहिये। समय केवल शहरों तथा कस्बों में रहने वाले विद्यार्थियों को ही विभिन्न खेलकूदों के लिए शिक्षा सुविधायें मिल पाती हैं। वे राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर खेलकूदों में भाग लेने में समर्थ हैं। परन्तु ग्रामीण युवक इन सुविधाओं से वंचित हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोचिंग सेंटरों की स्थापना की जानी चाहिए। ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को पहचाना जाना चाहिए तथा उन्हें भी उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। देश के प्रत्येक क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए युविाओं को सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए।

महोदय, श्रीलंका का मामला लें। अभी हाल ही में उनकी संसद में एक विधेयक लाया गया है जिसके अनुसार रोजगार तथा उनकी संसद के मामले में युवाओं को तीस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अतः उस देश में तीस प्रतिशत युवाओं को अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल जायेगा। वे देश का नेतृत्व करेंगे। भारत में हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण की सुविधायें दे रहे हैं तथा हम महिलाओं को भी तीस प्रतिशत आरक्षण देने जा रहे हैं। हम अपने देश में चालीस से पचास प्रतिशत आरक्षण युवाओं के लिए क्यों नहीं करते। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन कुछ सुझावों को कार्यान्वित करे तथा इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं तथा अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के द्वारा रखा गया युवा बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं। इस में जो भावना अभिव्यक्त की गई है, वह वास्तव में युवा पीढ़ी के लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हो सकती है। परन्तु इसमें जो युवा पीढ़ी की आयु-सीमा रखी है वह 15 वर्ष से 45 वर्ष तक की है, अगर 45 वर्ष का व्यक्ति भी युवा पीढ़ी में आएगा तो मैं समझता हू कि युवा पीढ़ी के साथ अन्याय ही होगा। वैसे तो जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जीया करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी सीमायें कुछ कम की जावें तो उत्तम रहेगा। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की युवा पीढ़ी में तीन प्रकार के युवक दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे युवक जिनके अन्दर घोर असंतोष है, घोर आक्रोश है, जिसके कारण वे धीरे-धीरे आतंकवाद और उग्रवाद की ओर बढ़ते हुए देशद्रोहिता के कदमों की ओर अग्रसर होने में हिचकिचाते नहीं हैं और जो तथा कथित देश द्रोही तत्व हैं, वे उनका दुरुपयोग करने में तुले हुए हैं। दूसरे ऐसे भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, जिनमें घोर निराशा व्याप्त है। जो हिंसा के शिकार हो गए हैं और आत्मघाती प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो कर जहरीले और नशीले पदार्थों का सेवन करके अपने जीवन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तीसरे, प्रकार के वे युवक हैं, जो फैशन के

दीवाने बन गए हैं। खाओ-पीओ और मौज उड़ाओ-Eat drink and be merry. यह उनका उद्देश्य रह गया है। इसीलिए उर्दू के एक शायर ने कहा है—

"निकले हैं कहीं जाने के लिए, पहुंचेंगे कहां यह मालूम नहीं,
इन राह में भटकने वालों को, मंजिल की दिशा मालूम नहीं।"

आज का हमारा युवक दिशाहीन हो गया है, लक्ष्यहीन हो गया है। इस कारण जिन लोगों को वह अपना आदर्श मानता है, उन लोगों ने अपना आदर्श सही ढंग से उनके सामने नहीं रखा है। वह देखता है, मैं जिनका अनुगामी बन रहा हूं, मैं जिनका अनुकरण कर रहा हूं, उनकी स्वयं कथनी और करनी में अन्तर है। उनके जीवन के अन्दर विरोधाभास है। महाजनों येन गत: स एव पन्था:- महापुरुष जिस रास्ते का अनुकरण करते हैं, वही युवकों के लिए अनुकरणीय मार्ग बन जाता है और वह युवकों के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। जिनको हम आदर्श मानते थे, जिनके लिए हम बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, जलूसों के अन्दर, रैलियों के अन्दर सबसे आगे नारा लगाने के लिए, सबसे आगे नौजवानों की टोलिया रहती हैं, लेकिन वही नौजवान जब देखता है कि वे नेता लोग हमारा उपयोग करने के बाद दूसरी राह पर चले जाते हैं और स्वयं हमें मझधार में छोड़ देते हैं, तो निराशा उनके अन्दर घर कर जाती है। वास्तव में युवावस्था जीवन का वसंतकाल है। मनुष्य के बारे में कहा जाता है। वास्तव में युवावस्था जीवन का वसंतकाल है। मनुष्य के बारे में कहा जाता है-मनुष्य भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हिन्दी के कविवर सुमित्रानदन पत कहते हैं-

"सुन्दर है विहग, सुन्दर सुमन।
मानव तुम सबसे सुन्दरतम्॥

उस मानव की युवावस्था मानव के जीवन का वसन्तकाल है। युवावस्था के अन्दर कुछ करने की तमन्ना होती है और वह आसमान को छू लेना चाहता है। बड़े-बड़े पर्वतों को उठा लेना चाहता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसको खाली न बैठने दिया जाए। खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है। उनको कोई-न-कोई काम दीजिए। सुभाषचन्द्र बोस ने युवकों का कोई आह्वान करते हुए कहा था-कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, यह जिन्दी है कौम की तू काम पर लुटाएजा। हिन्दी के कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है-

"हिमादि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतन्त्रता पुकारती,
अमृत्य वीर पुत्र हो,
दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो,
प्रशस्त पुन्य पथ है,
बढ़े चलो, बढ़े चलो।"

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम नई पीढ़ी के अन्दर रचनात्मक दृष्टिकोण दे चरित्र का निर्माण का, नैतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना उनके अन्दर करें। आज का युवक कल का राष्ट्र का भावी कर्णधार बनेगा, आज का युवक कल राष्ट्र का नेता बनेगा, आज का युवक कल देश

की बागडोर अपने हाथ में संभालेगा। अगर युवकों के अन्दर हम ऐसे संस्कार भरने का प्रयास करेंगे, युवकों के अन्दर ऐसी सुसंस्कृत भावना पैदा करने की कोशिश करेंगे, देशभक्ति के सांचे में डालने की कोशिश करेंगे, युवकों को वतन परस्ती का पाठ पढ़ायेंगे, तभी वे युवक हमारे लिए कामयाब होंगे। किसी भी देश की सम्पत्ति बैंकों में जमा रुपया-पैसा या सोना-चांदी नहीं हुआ करती हैं। देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति युवा सम्पत्ति है। आज युवकों को रोजगार देने की आवश्यकता है, युवकों को रोजगार ओरिएन्टेड शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए और अच्छे आदर्श उनके सामने रखने चाहिए। और उनको सब प्रकार के अवसर दें जिससे युवाओं के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। नयी शिक्षा का उद्देश्य है कि·

[अनुवाद]

बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण, सन्तुलित एवं समन्वित विकास हो।

[हिन्दी]

यदि बालक को सर्वांगीण विकास करने वाली शिक्षा नहीं दे सके और केवल ऐसी किताबें पढ़ने को देते रहे जिस किताबों को पढ़कर के—

हम उन कुल किताबों को काबिले जब्ती समझते हैं

जिनको पढ़ कर के बेटे बाप को खब्ती समझते हैं।"

ऐसे गंदे साहित्य से हमें युवा पीढ़ी को बचाना होगा और उसे अच्छा साहित्य पढ़ने को देना होगा।

श्री रामकृष्ण यादव (आजमगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी शक्ति है। बच्चे देश के भविष्य हैं। इसलिए कहा गया है—

[अनुवाद]

[हिन्दी]

लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश की युवा शक्ति दिशाहीन है। बीसवीं शताब्दी के इतिहास की ओर अगर हम दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि हमारे देश में गांधी जी, डा. भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, राजेन्द्र बाबू जैसी हस्तियां पैदा हुईं जिनकी बौद्धिक क्षमता, जिनके त्याग और संघर्ष ने हमारे देश को आजादी दी। लेकिन बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के बाद वे सारी मान्यताएं, सारी शक्तियां, सारे संघर्ष इस देश मे नहीं रहे। मेरा ऐसा मानना है कि इसका कारण यह है कि देश ने और समाज ने जो यह सोचा था कि देश के आजाद होने के बाद सारे समाज के लोगों को जो समान अवसर प्राप्त होंगे, सारे देश के बच्चे विद्यालयों मे एक साथ शिक्षा पायेंगे और देश में ऐसी व्यवस्था होगी कि देहात और शहर और गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं रहेगा वह हमारा सपना पूरा नहीं हुआ।

गांवों में जो छोटे और गरीब लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता। यही कारण है कि हमारी शिक्षा नीति ने देश की युवा शक्ति को पीछे धकेल दिया है। गांव में अनुसूचित जाति और जनजाति के 80 प्रतिशत लड़कों को पढ़ने-लिखने का मौका ही नहीं मिलता।

वहां आठ वर्ष की आयु से बच्चे गांव के जमींदारों के खेत-खलिहानों में काम करते हैं, दूसरों के घरों में काम करते हैं, घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं। गांवों में मेहनत करने वाले लोगों के बच्चों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। अगर वे सारे बच्चे पढ़-लिख लेते तो हमारे देश में 80 फीसदी प्रतिभाएं और पैदा होतीं। लेकिन सबको समान शिक्षा न मिलने के कारण हमारे देश की पूरी प्रतिभा का विकास नहीं हो रहा है।

दूसरे हमारे देश की शिक्षा नीति अच्छी नहीं है। दूसरी ओर भी जो नीतियां और कार्यक्रम इस युवा शक्ति के विकास के हैं वे भी अच्छे नहीं रहे हैं। हमारे विद्यालयों में धर्म की, शिक्षा दी जाती है। कभी भी राष्ट्रीयता की शिक्षा, देश को बनाने की शिक्षा, समाज को बनाने की शिक्षा, राष्ट्रीय हित की शिक्षा नहीं दी जाती। मैं जानता हूं कि हमारे जिले में आर. एस. एस. के माध्यम से कुछ स्कूल चलाये जा रहे हैं, दूसरे अल्पसंख्यकों के लोगों के माध्यम से स्कूल चलाये जा रहे हैं। उनमें केवल धर्म और साम्प्रदायिकता की शिक्षा दी जाती है। वहां राष्ट्रीयता की शिक्षा नहीं दी जाती, राष्ट्र हित की शिक्षा नहीं जाती। मैंने इस विधेयक को देखा है। इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। इसके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं। हमारा इतना बड़ा देश है जहां शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, युवकों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसी कारण हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। खेलों में, गेमों में हमें कभी-कभार ही स्वर्ण पदक मिल पाता है। जो मामूली से मामूली देश हैं वे भी खेलों में 20-25 पदक प्राप्त कर लेते हैं। इसका कारण है कि हमारे देश के बच्चों की पूरी प्रतिभा का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर हमारे देश के सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाए, कम्पलसरी शिक्षा दी जाए तो हमारे देश में भी अच्छे प्रतिभावान साइन्टिस्ट्स, वैज्ञानिक, स्पोर्टसमेन पैदा हो सकते हैं। देश के सभी बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास करने का मौका मिलना चाहिए। गरीब बच्चों को हास्टल में रह कर शिक्षा का मौका मिलना चाहिए। जब सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलेगी, एक साथ रहने का मौका मिलेगा, एक-सा खाना-पीना मिलेगा तो उनमें स्वाभिमान और सम्मान की भावना पैदा होगी, उनमें से हीनता की भावना लोप होगी। अपने देश में छोटी जातियों अनुसूचित जातियों/जनजातियों में से हीनता की भावना हटा कर के सारे देश के सभी लोगों को एक समान मानकर, न कोई हिन्दू और न कोई मुसलमान है, बल्कि सभी एक समान नागरिक हैं, उनमें ऐसी भावना भरी जानी चाहिए। इस तरह से एक समान शिक्षा और समान खान-पान की व्यवस्था की जाए जैसे कि समाजवादी देशों में होता है। मैं समझता हूं कि इस देश के युवकों का काफी विकास होगा, हिन्दुस्तान के लिए यह एक अच्छा लक्षण होगा, लेकिन अभी जो सरकार की नीतियां हैं, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो या जनता दल की सरकार रही हो, उनमें अभी ऐसी कोई चीज परिलक्षित नहीं हो रही है, जिससे यह दिखाई दे कि हमें देश के नौजवानों को बराबरी पर लाना है या नौजवानों को इस लायक बनाना है कि वे देश को आगे ले जाने में सहायक साबित हो सकें। इन सब बातों की ओर गंभीरता से विचार करना होगा।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, अपने मित्र श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा लाये गये इस विधेयक का समर्थन करने में मुझे वास्तव में प्रसन्नता है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के वर्तमान नेतृत्व

की भावना तथा व्यवहार को दृष्टि में रखते हुए मैं ऐसा सोचता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह व्यापक विधेयक जिसे तैयार किया गया है इस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और इन आदर्शों तथा आशाओं को पूरा करने के लिए वे नीतियां तथा कार्यक्रम बनायेंगे। महोदय यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की इस नीति तथा घोषणा के अनुरूप हैं काम के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार का रूप देंगे, हम इस अधिकार का हार्दिक समर्थन करते हैं क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि यदि भारत के युवाओं को सृजनात्मक कार्य के लिए अवसर दिये जाते हैं, तो उससे हमारे सम्पूर्ण देश में आमूल परिवर्तन आ जायेगा आत्म-निर्भर जब हम कहते हैं कि हमारा देश विश्व संदर्भ में आत्म-निर्भर हो तब व्यावहारिक रूप में इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि कम से कम इसके काम करने योग्य नागरिक आत्म-निर्भर हों तथा सृजनात्मक एवं उत्पादक कार्यों में लगे होने चाहिए। अन्तिम विश्लेषण में, किसी भी सरकार का विशेष रूप से हमारे जैसे देश की योजना का पूरा उद्देश्य ऐसी स्थितियां उत्पन्न करना है जिनमें प्रत्येक नागरिक को अपने चयन के क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करने के अवसर प्राप्त हो सकें। वही अन्तिम उद्देश्य होना चाहिये। किसी भी सरकार से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह स्वयं ही अपने एकमात्र तंत्र, जिसे प्रशासन अथवा सिविल सेवा कहते हैं, के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे अथवा कुछ कार्य करे। मैं समझता हूं कि हमें गंभीरता पूर्वक इस पर पुनर्विचार करना होगा तथा जहां हमने गलतियां की हैं उनका दलगत भावना से ऊपर उठकर ध्यान रखना होगा क्योंकि इस समय वह समय आ गया है जब कोई अकेला राजनैतिक दल वास्तव में देश की इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इस देश के पुनर्निर्माण का कार्य दिन-प्रतिदिन उन समस्याओं के कारण जो मुख्यतः बेरोजगार के योग्य युवाओं की बढ़ती हुई संख्या के कारण उत्पन्न हो रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए कठिन तंत्र होता जा रहा है हम जानते हैं कि 60 प्रतिशत से भी अधिक हमारे मतदाता 18 से 40 की उम्र के बीच के हैं। इस विधेयक में दी गई परिभाषा के अनुसार 16 से 40 वर्ष तक की उम्र के व्यक्तियों को युवा बताया गया है। अतएव हमारा मुख्य कार्य यह होना चाहिए कि हमारी सभी नीतियां तथा कार्यक्रम युवाओं से संबंधित हों। मुझे कभी-कभी अत्यन्त दुःख होता है कि आज हमारी अधिकांश शक्ति परस्पर कलह तथा एक-दूसरे की आलोचना करने में ही व्यर्थ हो जाती है। इस विधेयक में जो प्रस्ताव हमारे मित्र लेकर आये हैं उन जैसे प्रस्तावों पर रचनात्मक रूप से विचार करने के वास्तव में हम अपना कितना समय खर्च करते हैं? यही वह मूल प्रश्न है जिसे हमारी यह संसद स्वयं अपने आप से पूछ रही है। उसकी अपेक्षा हम जानते हैं कि हमारा समय किस प्रकार से व्यर्थ जाता है। यही कारण है, मैं समझता हूं, कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। इस मामले पर चर्चा करने के लिये कोई भी समय उचित होगा। दुर्भाग्यवश, इस प्रकार मामले के लिये किसी भी पक्ष के सदस्यों की उपस्थिति को देखिये। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक को तो यह मानकर ही लिया जाता है कि अन्त में जो कुछ होने जा रहा है वह यह होगा कि संभवतः सरकार सदस्य को इस बात के लिए मनाएगी कि वह इस विधेयक को वापस ले ले और उसे वचन देगी कि हम इस बारे में कुछ करेंगे। और सारा मामला यहीं पर ही समाप्त हो जायेगा। परन्तु कृपया आप ध्यान दीजिये कि यदि आप युवाओं को माल का उत्पादन करने के संबंध में उत्पादक बना सकते हैं। यदि व्यापक रूप में यह शिक्षा ही है तो मैं विश्वास करता हूं कि शिक्षा से अभिप्राय केवल स्कूल शिक्षा अथवा कालेज शिक्षा से ही नहीं होना चाहिए। बेहतर बात यह होगी कि हम उसे वह शिक्षा दे सकें जो उसे माल उत्पादन में सक्षम बना सके क्योंकि युवाओं की अन्तिम आवश्यकता सामान है। वस्तुएं अर्थात उपभोक्ता वस्तुएं उसके जीवन में सुधार लाने के लिये आवश्यक हैं, उपभोक्ता वस्तुएं उसके आवास से लेकर स्वयं ग्रामीण क्षेत्र तक के लिये आवश्यक

हैं। हमें उन्हें परम्परागत शिक्षा देनी चाहिए—कृषि उद्योग के बारे में ऐसी शिक्षा जो कृषि परम्परा और व्यवहार दोनों में अच्छी तरह चले। हम कुछ कर सकते हैं। क्या आपने कोई कार्यक्रम बनाया है ? मैं आपको बताऊंगा कि इस देश में नवयुवकों में प्रतिभा है, उनके हाथों में प्रतिभा हैं, उनकी ऊंगलियों में प्रतिभा है। हम जानते हैं कि हमारी लड़कियां कितनी कुशल हैं। यह मैंने सिक्किम की एक घड़ी बनाने वाली कम्पनी में देखा। यह सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एककों में से एक है। वहां की लड़कियों के पास परम्परागत कुशल ऊंगलियों में अतिरिक्त कोई अन्य शिक्षा नहीं है। वे सर्वश्रेष्ठ घड़ियां बना रही हैं। हमारे लोगों में प्रतिभा है। यहां तक कि आप उन्हें कम्प्यूटर में भी कुशल बना सकते हैं। इलेक्ट्रानिक उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा सकते हैं। आप पाएंगे कि हमारे लोग कुशल हैं। नवयुवक कुशल है। हमें वह ऐसी स्थिति पैदा करनी है। अगर आप यह विधेयक स्वीकृत करते हैं तो, मैं जानता हूं कि लोग कहेंगे "संसाधन कहां है ? हम हर व्यक्ति को रोजगार देने की गारंटी कैसे दे सकते हैं ? हम काम का अधिकार कैसे दे सकते हैं।' इस मुद्दे पर इसी तरह की बातें हम कई वर्षों से सुन रहे हैं। कभी मैं सोचता हूँ, कि यह अधिकार दे दिया जाए। तब, आप मजबूर हो जायेंगे। तब यह नौकरशाही, मजबूर हो जाएगी, तब सरकार के ये सभी यथावत स्थिति बनाए रखने वाले लोग मजबूर हो जाएंगे कि वे कुछ करें योजना आयोग के लोग भी सचेत होने के लिए मजबूर हो जायेंगे। श्री चिमनभाई और मैं इन विचारों पर कार्यशाला और गोष्ठियों में चर्चा करते रहे हैं। किन्तु इससे कुछ अधिक निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि सरकार भी यथावत स्थिति बनाए रखना चाहती है। वे परिवर्तन नहीं चाहते। आज भी प्रशासन तब तक परिवर्तन नहीं करना चाहता जब तक कि सभी तरफ से एक पूर्ण राजनीतिक इच्छा न हो। इसी कारण मैंने कहा कि कोई दल अकेला इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इस व्यवस्था पर बाहर से दबाव डालिए, इस व्यवस्था को बदल दीजिए। इस व्यवस्था को परिनामोंन्मुख बनाइए। जब तक यह नहीं किया जाता, युवकों को नौकरी देने की इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इस समस्या को उदारतापूर्वक तरीके से संभालना होगा। सिर्फ एक विधेयक पास कर देने पर से आप यह नहीं कह सकते कि कल युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। कहां से आप नौकरियां देंगे संसाधन कहां है। आप कौन सा कच्चा माल देंगे ? मूलभूत सुविधाएं कहां है ? जरुरी सामान कहां है ? इन सभी बिन्दुओं पर विचार करना होगा। आप इसे एक अलग खण्ड के रूप में नहीं सोच सकते। जब आप उदारतापूर्वक या सभी पक्षों पर विचार करेंगे तो यह विधेयक सदन में हर किसी को, चाहे वह किसी भी दल का हो, सोचने पर मजबूर कर देगा। मैं पूरी निष्ठा से यह इच्छा करता हूं कि यह विधेयक स्वीकृत हो जाए। चिमनभाई जी, मुझे विश्वास है कि कम से कम आप तो इस विधेयक को मंजूर करने की हिम्मत दिखाएगें। इसे स्वीकृत करने में हम आपको मदद करेंगे। मैं अपने पक्ष की ओर से आपको आश्वासन देता हूँ कि इस विधेयक को पास करने में हम आपकी मदद करेंगे। इस विधेयक को इस सदन द्वारा स्वीकृत हो जाने दीजिए। सरकार को सजग होने दें और यह सोचने दें कि कैसे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और कैसे हम उत्पादन के लिए एक समानांतर अर्थव्यवस्था बनाएंगे। यह सब करना पड़ेगा। यह विधेयक एक व्यापक विधेयक है। यह सिर्फ विद्यालय या महाविद्यालय की शिक्षा से संबंधित नहीं है। यह युवाओं के प्रशिक्षण, नौकरी बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य खेल सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के बारे में है। संक्षिप्त में, युवाओं का सम्पूर्ण जीवन, संस्कृति और चरित्र निर्माण उनके लगाव की भावना में निहित होता है। जब एक व्यक्ति अनुभव करता है कि यह उसकी जिन्दगी है उसका देश है और वही अपनी जिन्दगी बना रहा है, वह आत्म-निर्भरता और विश्वास उसके चरित्र को बनाता है। यही वास्तविक चरित्र है।

उपाध्यक्ष महोदय : और उसको भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए।

श्री वसंत साठे : युवाओं को आधुनिक विश्व के बारे में सोचना चाहिए, एक ऐसा विश्व जिसमें वे जा रहे हैं और सिर्फ चन्द्रमा पर ही नहीं अपितु चन्द्रमा से परे भी केन्द्र स्थापित कर रहे हैं ऐसे विश्व में रहने वाले युवाओं को सिर्फ अवसर चाहिए। अगर आप युवाओं के लिए ऐसी परिस्थितियों को पैदा करते हैं, तब वे ऐसी क्रांति लाएंगे जिसमें न सिर्फ उनकी जिन्दगी बदलेगी अपितु सम्पूर्ण देश की जिन्दगी बदल जायेगी। हमारे अतिरिक्त इसे और कौन कर सकता है ? इसमें से जो काफी बूढ़े हो चुके हैं। वे इस दुनिया से चले जाएंगे। यही प्रकृति का नियम है। युवा पीढ़ी आए आकर बागडोर संभालेगी। वही 21वीं शताब्दी का सामना करेंगे। उन्हें एक नवीन भारत का निर्माण करने दें। किन्तु हमारी पीढ़ी के प्रति हमारा कार्य यह होना चाहिए कि हम कम से कम युवाओं के लिए ऐसी परिस्थितियों को छोड़ कर जायेंगे जिनमें वे आगे बढ़ सकें। मैं सोचता हूं कि हम इसमें असफल हो गए हैं। मुझे यह ईमानदारी से मान लेना चाहिए कि हमारी पीढ़ी असफल हो गई है। जब इतिहास लिखा जाएगा, तब इस देश में युवा कहेंगे कि यह पीढ़ी उन परिस्थितियों को पैदा करने में असफल हो गई। हम तर्क के तौर पर कह सकते हैं कि हमने ये काम किया। किंतु कुल परिणाम यह है कि हमने ऐसी परिस्थितियां नहीं छोड़ी हैं जिसमें इस देश के युवा वास्तव में सृजनशील बन सकें और इस प्रतियोगी विश्व में अपने ऐच्छिक क्षेत्र में उत्तमता प्राप्त कर सकें। कोई भी उदार होने नहीं जा रहा। इस संसार में कोई किसी पर दया नहीं करता। जब हम मुकाबला नहीं कर सकते, जब हम संसार के अन्य विकसित देशों में बराबर शक्तिशाली नहीं हो सकते, तब कोई आप पर सहानुभूति या दया नहीं करने वाला। अत: आपके द्वारा मैं इस पूरे सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस सृजनात्मक पक्ष पर विचार करें व दृष्टि केन्द्रित करें कि वे परिस्थितियां कैसे पैदा की जाएं जिससे इस देश में युवा अपने बलबूते पर उठ सके और एक नवीन भारत का निर्माण कर सकें, सिर्फ अपने लिए नहीं पर सम्पूर्ण विश्व को दिशा दिखाने के लिए। हम अपनी शांति परस्पर विनाशकारी मामलों और लड़ाई झगड़ों में बर्बाद न करें। सौभाग्य से, हमारी एक समृद्ध विरासत है जिसे विवेकानन्द और अरविन्द जैसे महान व्यक्तियों ने बताया किन्तु उस समृद्ध विरासत की बात करने का कोई लाभ नहीं है जबकि आज, हम इस देश में गरीबी और दारिद्र्य का जीवन जी रहे हैं। सिर्फ उसी देश की ओर उन्हीं लोगों की बात सुनी जाती है, जो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, जो आत्म-निर्भर होते हैं और जो अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। हमें इस तरह का देश बनाना है, इस देश के युवकों के लिए इस तरह की परिस्थितियां पैदा करनी हैं।

अत:, महोदय, मैं हमारे मित्र श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा लाए गए इस विधेयक का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मैं सरकार से इसे मान लेने का अनुरोध करता हूं। यह कह कर भागिए मत कि आप इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा ही किया करते थे और यदि आप भी ऐसा ही करते है तो इसमें आप क्या नया करने जा रहे हैं ? पिछले 40 वर्षों से हम लगभग वहीं हैं जहां हम थे। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ गई है। अत:, अगर आप कोई नया मार्ग दिखलाना चाहते हैं, सम्पूर्ण व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नई दिशा देना चाहते है, तो आप इतनी हिम्मत दिखाइए और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस प्रकार के रचनात्मक और सक्रिय कार्यक्रम में हम आपको समर्थन देंगे।

इस विधेयक पर बोलने का मौका दिए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके साथ ही, इस चर्चा के लिए निर्धारित समय समाप्त होने को है। कितना समय हमें और बढ़ा देना चाहिए।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, क्या मैं यह अनुरोध कर सकता हूं कि इस चर्चा के लिए समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही है। अतः हम इस चर्चा के लिए एक घंटे का समय और बढ़ा देते हैं।

अब, श्री बृज भूषण तिवारी बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस बिल के प्रस्तावक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल के माध्यम से युवकों की समस्याओं के बारे में चर्चा करने का मौका दिया और एक व्यापक युवा नीति को निर्धारित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सबसे पहले इस बिल में जो नौजवानों की उम्र के बारे में कहा गया है, तो मेरा कहना यह है कि यह 15 और 45 वर्ष के बजाय 15 और 35 के बीच में होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि हम महसूस करते हैं कि इस समय जो युवकों की ऊर्जा है, उसका हम इस्तेमाल कैसे करें ? राष्ट्रीय आन्दोलन के समय हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उस ऊर्जा का इस्तेमाल गुलामी के खिलाफ स्वाधीनता के लिए किया। देश में जितनी बड़ी क्रान्तियां और आन्दोलन हुए, उसमें नौजवानों ने जमकर हिस्सा लिया और नये परिवर्तनों के वाहक बने। आज देश की आजादी के बाद सबसे बड़ी आवश्यकता हम महसूस करते हैं कि जो हमारे देश के नौजवान हैं, जो युवा जगत है नई प्रेरणा है, उसका इस्तेमाल हम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। हमें राजनैतिक चेतना की आवश्यकता है जो लोकतांत्रिक संस्कार हैं और कर्तव्यपरायणता है, उसमें होना चाहिए, वह नहीं है क्योंकि सरकार में जो लोग सता के शिखर पर बैठे हुए हैं, उस पर काबिज हैं, वे केवल नौजवानों को अनुशासन की शिक्षा देते हैं। आज समाज में अनुशासनहीनता का इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा मर्यादाहीनता का है। इसका कारण यह है कि हमारे समाज में जितने ताकतवर लोग हैं वे अपने लिए नियम नहीं बनाते, उसका वे स्वयं उल्लंघन करते हैं और वे चाहते हैं कि जो उनके अनुज हैं, कमजोर हैं, केवल वे ही नियमों का पालन करें। इसलिए मैं इस बिल में सबसे पहली बात कहूंगा कि नौजवानों में राजनैतिक चेतना जागृत होनी चाहिये और इसके लिए जो अनिवार्य शिक्षा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं यह मानता हूं कि नौजवानों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिये। साथ ही साथ छात्रावास मे जो पौष्टिक आहार की बात है, उसकी सस्ते दर पर व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रबंध में नौजवानों का विद्यार्थियों का हिस्सा होना चाहिये। हाई स्कूल, इंटरमीजिएट, बी. ए., एम. ए. इन सारी शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य सिद्धान्त के आधार पर छात्र संगठनों के गठन की आवश्यकता होनी चाहिये। जब तक हम विद्यार्थियों और नौजवानों को इस प्रकार की राजनैतिक क्रिया-कलापों में भाग लेने का अवसर नहीं देंगे तब उनमें हम जो लोकतांत्रिक संस्कार या जिम्मेदारी की भावना पैदा करना चाहते हैं, वह पैदा नहीं कर सकते। आज इस बात की भी आवश्यकता है कि देश में निरक्षरता के खिलाफ केवल सरकारी प्रयासों से या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ही लड़ाई न छेड़ी

जाये क्योंकि इससे काम नहीं चल सकता, मैंने देखा है कि तमाम गैर-सरकारी संगठन केवल सरकारी अनुदान खाने का एक जरिया मात्र हैं और दूसरी ओर सरकार के साधन सीमित हैं, इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि नौजवानों में प्रेरणा जागृत करने के लिये साक्षर सेना का गठन किया जाये। देश में इसके लिए व्यापक आन्दोलन हो, जिसमें इस देश के नौजवान समयबद्ध, कालबद्ध, एक समय सीमा के अंतर्गत पूरे देश को साक्षर बनाने का संकल्प लें, सरकार इस दिशा में पूरी ताकत लगाये। इसके अलावा भूमि सेना का गठन भी हो सकता है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में भूमि सेना का गठन किया है, घोषणा की है। उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी यदि भूमि सेना का गठन किया जाये तो उसका इस्तेमाल हम देश की परती बंजर जमीन को तोड़ने के लिए कर सकते हैं, सिंचाई के साधनों के विस्तार के लिये कर सकते हैं और देश की पूरी युवा शक्ति को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। हां, बेनामी जमीन पकड़ने के लिए भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। भूमि सेना का गठन हो जाने से विघटनकारी शक्तियों से देश को मुक्त कराने का मौका भी मिलेगा। आज जब हम युवा नीति की बात करते हैं तो इसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसके लिये आवश्यक है कि हम अपनी वर्तमान व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लायें क्योंकि यदि हमने देश में साक्षर सेना बनायी, भूमि सेना बनायी तो उसका उद्देश्य क्या हो। आज हमारे समाज में जिस तरह की विषमता है, हमारे समाज में जिस तरह की संस्कृति फल-फूल रही कि जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, पसीना बहायेगा, वह उतना ही खाने को मोहताज रहेगा और दूसरी ओर जो जितनी कमीशनखोरी करेगा, इधर का माल उधर करेगा, वह मजा करेगा। हमें समाज में पसीने की कीमत को, पसीने की इज्जत को फिर से प्रतिष्ठित करना होगा, समतावादी समाज की स्थापना करनी होगी। आज लोगों के अंदर जिस तरह की प्रवृत्ति जागृत हो गयी है, आज लोग मानते हैं कि देश की सकल दौलत नहीं बढ़ सकती, देश का सम्पूर्ण उत्पादन नहीं बढ़ सकता, जब देश का सम्पूर्ण उत्पादन नहीं बढ़ सकता, सकल सम्पत्ति नहीं बढ़ सकती तो फिर अपने हिस्से को बढ़ाने की भूख तेज होगी। यह स्वाभाविक है कि अपना हिस्सा बढ़ाने में कौन कामयाब हो सकता है जो ताकतवर हो या चालाक हो। यदि हिस्सेदारी बढ़ाने की भूख बढ़ेगी तो हमारी अर्थ व्यवस्था समतावादी न रहकर, झपट्टे वाली अर्थ व्यवस्था बनकर रह जायेगी, जितना हो सके झपट्टा मारो, दूसरों का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मार लो, चाहे अपने लिये, चाहे अपने कुटुम्ब के लिए या अपने वर्ग के लिए। यदि हमारा समाज इस प्रकार का बन जायेगा तो हम नौजवानों को नई शक्ति नहीं दे पायेंगे। जैसा यहां अभी साठे जी ने चर्चा की, हम उस क्रियात्मकता, सृजनात्मकता या क्रियेटिविटी का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वह नहीं कर सकते यदि ऐसी विषमता हमारे समाज में रहेगी, दूसरों का हिस्सा खाने वाले लोगों का वर्चस्व रहेगा, झपट्टा मारने वाले लोग रहेंगे। इसलिए हमें सही राष्ट्रीय युवा नीति का निर्धारण करना होगा। पूरी वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने की बात सोचनी होगी, पूरे देश में एक आन्दोलन या संघर्ष चलाना होगा क्यों कि आज हमारे चारों ओर जिस तरह की शक्तियां इकट्ठा हो रही है, यदि हमने युवा शक्ति का इस्तेमाल उन शक्तियों का मुकाबला करने के लिये नहीं किया, तो स्थिति बड़ी विस्फोटक हो जायेगी। इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम सामने आयेंगे। आज स्थिति यह है कि एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं समझता। इस व्यवस्था के चलते यदि हम अपनी भाषा को नहीं पहचान पाये, हमारे जितने देशज संस्कार हैं, नौजवानों में उन देशज संस्कारों को नहीं जागृत कर पाये, तो वह स्थिति हमारी सभी व्यवस्थाओं को नष्ट कर डालेगी, हमारे अस्तित्व को ही खत्म कर डालेगी, देश की एकता को भी नष्ट कर डालेगी। इसलिये हमें नौजवानों में सही संस्कारों का सृजन करना होगा। उनकी ताकत, उनकी शक्ति का सही दिशा में

इस्तेमाल करना होगा। इसलिये मेरी राय है कि यह बिल बहुत ठीक और सामयिक है मगर इसमें कुछ सुधार करने की, संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं यहां युवराज जी के संशोधन से पूरी तरह सहमत हूं कि इसे जनमत के लिए प्रचारित कर दिया जाये, सभी वर्ग इस पर अपने विचार दें, सभी व्यक्तियों को अपनी राय देने का अवसर मिले। वैसे हमारी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने घोषणा की है कि हम शीघ्र नई युवा नीति लायेंगे। आज इस बिल पर जो चर्चा हो रही है, सभी पक्षों द्वारा विचार विमर्श कर लेने के बाद, जो ठोस नीति सामने आये, जो समय के अनुकूल हो, रैलैवेंट हो, वैसी युवा नीति की हमें आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ, इस बिल को मूल भावना का मैं समर्थन करते हुए, अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

प्रो. प्रेम कुमार धूमाल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रथमतः मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं :—

"हुक्मे हाकिम का फरयादे रवानी रुक जाए
कौम कहती है हवा बन्द हो पानी रुक जाए
दिल की बहती हुई गंगा की रवानी रुक जाए
लेकिन यह मुमकिन नहीं कि जोशे जवानी रुक जाए"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र श्री हन्नान मोल्लाह को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने एक ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस किया है जिसके कारण आदरणीय साठे जी भी जवान हो गए और पूरे जोश के साथ उन्होंने अपने नेता को पूछे बिना पूरे दल का समर्थन देने का आश्वासन दे दिया। यह सचमुच में उस जवानी का ही असर था, जिसके कारण वे ऐसा कर गए।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी, निधी मानव संसाधन होती है क्योंकि मानव संसाधन ही एक ऐसा साधन है, जो अन्य सभी साधनों का प्रयोग कर सकता है और मानव संसाधन में भी युवा-शक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे राष्ट्र की कोई कमी रही, हमारी नीति की कोई कमी रही, तो यही रही जिसको साठे जी ने स्वीकारा है कि शिक्षा की ओर युवा-शक्ति को चेनेलाइज करने की ओर हमने उचित ध्यान नहीं दिया। सारे भारत में अगर हमने वर्ग के आधार पर शिक्षा नहीं दी होती, सभी को एक जैसी शिक्षा-नीति के आधार पर शिक्षा मिलती, तो शायद समाज का एक वर्ग इतना पिछड़ा न रह जाता और एक छोटा-सा अंश बहुत आगे नहीं बढ़ता। भारतीय जनता पार्टी युवा-शक्ति को देश की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति समझती है। युवा शक्ति को चेनेलाइज कर के, सही ढंग से इसका इस्तेमाल करके, साक्षरता के लिए इसका सहयोग लिया जाए और एक अभियान चलाया जाए, तो इससे देश को बहुत लाभ हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में छुआछूत, दहेज, अंधविश्वास, जाति वाद आदि की अनेक सामाजिक बुराइयां विद्यमान हैं। हमारे देश की युवा-शक्ति ही इन बुराइयों को दूर करने में सही रोल अदा कर सकती है। इन युवाओं का कार्यात्मक और सकारात्मक सहयोग राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि युवाओं में परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी शक्ति निहित होती है। इतिहास हमें बताता है कि दुनिया का हर परिवर्तन युवा-शक्ति में सहयोग का ही परिणाम होता है। हमें अपने युवाओं को अपने देश की शानदार विरासत से अवगत कराना है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां बीच में एक चर्चा आई और एक मित्र ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे उन मित्रों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का फोबिया मार गया है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मुद्दे पर आइए ।

प्रो. प्रेम कुमार धूमाल : मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : विवादास्पद मुद्दों का उल्लेख करना आवश्यक नही है ।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम कुमार धूमाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूँ । कहते-कहते उन सज्जन ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर राष्ट्रीय न होने का आरोप लगा दिया । मैं आपके सामने यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आर. एस. एस. पर भले ही और कोई आरोप लग जाए, लेकिन उसके ऊपर राष्ट्रभक्ति के सम्बन्ध में कोई आरोप कभी नहीं लग सकता है । आर. एस. एस. जैसा राष्ट्रीय चरित्र का संगठन हिन्दुस्तान में दूसरा कोई नहीं है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे शिक्षा रोजगार इत्यादि । आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि किस प्रकार आप इन्हें विधेयक में शामिल करना चाहते है या इस संबंध में आप सरकार से किस प्रकार की नीति चाहते हैं । क्या आप चाहते है कि यह अधिकार मौलिक अधिकारों के अध्याय में शामिल किए जाएं ? हम चाहते हैं कि आप इन मुद्दों पर बोलें ।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम कुमार धूमाल : शिक्षा नीति में सुधार होना चाहिए । नई शिक्षा नीति में संस्कृत को इगनोर किया गया है । हम यह कहते हैं कि संस्कृति से, अपनी विरासत से हमें अपने युवा वर्ग अवगत कराना है । यदि हम संस्कृत नहीं बढ़ाएंगे तो उस विरासत के बारे में कैसे जान पाएंगे । समय के अभाव के कारण मैं कुछ शब्दों में ही अपनी बात को समाप्त करूंगा । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । इसमें व्यापक चर्चा हो और जो सुधार किया जा सके, वह आम जनता में प्रचार के लिए भेजा जाना चाहिए, इसमें राष्ट्रव्यापी बहस हो और युवा शक्ति को सही ढंग से चैनलाईज किया जा सके । मैं सुझाव देता हूं कि इसको आम लोगों की बहस में ले जाना चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसात) : श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा लाए गए विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं । यह पहला बार हुआ है कि ऐसा व्यापक विधेयक जिसमे हमारे देश के युवकों के सभी पक्षों का समावेश है, यहा देश के सर्वोच्च मच, के समक्ष जिसका चयन देशवासियों के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से किया गया है, विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है ।

महोदय, इसका समर्थन करते हुए मैं व्याकुलता का अनुभव करता हूं । महोदय हमारे देश में स्वतंत्रता की प्राप्ति बहुत जल्द सामाजिक-परिवर्तन लाने और समानता और न्याय पर आधारित समाज के निर्माण का आदर्श हम में से कई लोगों को देश के स्वतन्त्रता आंदोलन के मोर्चे पर खींच लाया ।

मैं जानता हूँ कि श्राप में से कई जो यहाँ हैं, उन्होंने न्याय श्रोर समानता पर आधारित समाज के लिए परिवर्तन लाने के उच्च श्रादर्श से प्रेरित होकर देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया।

श्राज इस प्रौढ़ उम्र में हम निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कुण्ठित हैं कि इस उम्र में श्राकर भी हम उन श्रादर्शों को पूरा होते हुए नही देख पाए जिनके लिए हम कभी लड़े थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश शासन के श्रन्तर्गत खुद जेलों में गए थे। फिर भी, मैं श्रापका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता।

इस विधेयक में युवकों की विभिन्न मुख्य समस्याश्रों का समावेश किया गया है। यही इसका श्राकर्षण है। यही इसका सौन्दर्य है। यह खण्ड रूप में नहीं है। यह युवावस्था का एक विशेष पहलू नहीं है जिस जोर दिया गया है क्योंकि युवकों के लिए एक मुश्त रूप में कुछ किया जाना चाहिये। युवकों के लिए एक व्यापक सामाजिक-श्रार्थिक कार्यक्रम की जरूरत है श्रोर यह विधेयक इसी उद्देश्य को प्राप्त करने की व्यवस्था करता है।

एक पहलू जिस पर मैं श्रापके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ—

वह ग्रामीण युवकों के बारे में है। मैं शहरी क्षेत्रों में श्रोर ग्रामीण क्षेत्रों में युवा जनसंख्या से संबंधित आंकड़े देख रहा था। यह जान कर मुझे बहुत श्राश्चर्य हुश्रा कि कुल ग्रामीण जनसंख्या में युवकों की जनसंख्या सिर्फ 44 से 45 प्रतिशत है। श्रगर हम वास्तव में एक नवीन ग्रामीण भारत की संरचना करना चाहते हैं, तो कोई दावा कर सकता है कि देश के ग्रामीण युवकों के हितों को ध्यान में रखे बिना हम इसे नहीं बना सकते। ये ग्रामीण युवक, कृषि श्रमिक हो सकते हैं, शिल्पकार हो सकते हैं, समाज के पिछड़े वर्गों से हो सकते हैं, हरिजन या आदिवासी हो सकते हैं, समाज के श्रन्य पिछड़े वर्गों में से हो सकते हैं, जब तक हम एक सामाजिक श्रोर श्रार्थिक परिवर्तन नहीं लाते, जिससे कि वे भी देश की प्रगति श्रोर विकास का फल चख सकें, मैं सोचता हूँ कि हम सामाजिक तनाव श्रामंत्रित कर रहे हैं। ठीक यही आज हो रहा है।

5.0 म. प.

बिहार के गांवों को देखिए। श्रांध्र प्रदेश के गांवों को देखिए; कश्मीर को देखिए श्रोर पंजाब की ओर देखिए। ये नवयुवक जो हमारे देश की जीवनदायिनी शक्ति हैं उन्हें बहकाया व गुमराह किया गया है क्योंकि उनके सामने कोई श्रादर्श नहीं था। वे पूरी तरह हताश हो चुके हैं। श्रब समय नहीं है कि किसी पर, इस पक्ष पर या उस पर दोषारोपण किया जाए। वास्तव में हम प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए। श्रतः मैं सरकार से विशेषकर मेरे मित्र श्री मेहता से गंभीरतापूर्वक प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर विचार करें। वास्तव में, यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की नीति के भीतर है। पहली बार, राष्ट्रीय मोर्चा के श्रन्तर्गत, पिछले वर्ष 31 जनवरी को, प्रधानमंत्री वामपंथी दक्षिण पंथी श्रोर सत्ता पक्ष के सभी युवा संगठनों के प्रतिनिधियों से मिले। उसमें एक पृष्ठभूमि पत्र था जिसमें युवा समस्याश्रों का विस्तृत रूप से विवरण किया गया था। मैंने इसे पूरा पढ़ा। मैंने बैठक में भाग लेने वाले युवा संगठनों के नेताश्रों की बात सुनी। कई सदस्य यहां हताश थे क्योंकि युवा प्रतिनिधियों को उस बैठक में कोई सक्रिय कार्यक्रम शामिल नहीं था। यह एक श्रच्छी शुरूआत है। कम से कम हमारे देश के युवा नेताओं के बीच हम कुछ विश्वास तो रखते है। उन्हें यह अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए। वहां सलाह ली गई थी। किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला।

इस विधेयक को स्वीकार कर आप उस वचन को पूरा करेंगे जो आपने विगत 1 जनवरी को युवा नेताओं के सम्मेलन में दिया था। चार-पांच महीने पूर्व किये गये चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए और तीन-चार महीने पूर्व युवा नेताओं के सम्मेलन में दिये गये वचन को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को स्वीकार कर लें। जैसा कि श्री साठे ने कहा है कि युवाओं की विशाल शक्ति के साथ अन्य देश के वर्गों के लोगों एक जुट प्रयास से अन्य बाधाओं को दूर कर लिया जाएगा। यह राष्ट्रीय मोर्चे की एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। मुझे खुशी है कि मेरे दाहिने ओर बैठे सभी सदस्यों ने इस विधेयक की स्वीकृति के लिए समर्थन देने का वचन दिया है।

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : हम हमेशा ठीक कहते हैं।

श्री चित्त बसु : लेकिन आपने पहले तो ऐसा नहीं किया।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इस विधेयक का स्वागत ही नहीं करता हूं बल्कि उलूबेरिया के श्री हन्नान मोल्लाह जो इसे लाये हैं, और बहुत सारे मौलिक मुद्दों को एक साथ रखा है और कई मौलिक समस्याओं की ओर इंगित किया है को भी मैं बधाई देता हूं।

यह विधेयक मात्र एक-दो मुद्दों का ही जिक्र नहीं करता है बल्कि उसमें पूरे राष्ट्र के भविष्य का जिक्र है। कई सदस्यों ने इसका जिक्र किया है मैं नहीं समझता कि यह बेतुका है। और मैं फिर यह दोहराना चाहूंगा कि बहुत से आंदोलन चाहे वह नक्सलियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन हो या अलगावादियों के आंदलन हो, या आंदोलन कोई साम्प्रदायिक पक्ष को लेकर हो, या आगजनी लूट-पाट और हिंसा से जुड़ा आंदोलन हो, वह शक्ति जो इन षडयंत्रकारियों और भ्रमात्मक आंदोलन पैदा करने में लगी है जिससे राष्ट्र के सूत्र छिन्न-भिन्न हो रहे है, वह है युवा शक्ति। चाहे हम कश्मीर पंजाब और असम को देखें या तमिलनाडु को अंततः यह युवा शक्ति ही है जिसका स्वार्थी तत्व राष्ट्र के सूत्रों को तोड़ने के लिए उपयोग में लाते हैं। ऐसा क्यों हैं कि ये युवा शक्ति इनका साथ देती है। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न हमें स्वयं से भी करना चाहिए। यह शक्ति इसलिए उनका साथ देती है क्योंकि हम प्रभावशाली तरीके से राष्ट्र निर्माण के कार्य के प्रति आकृष्ट करने और उनका उपयोग करने में असमर्थ रहे। मुझे इस वर्ष 12 मार्च को दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण के 34 वे पैरा को 12 वीं पंक्ति को पढ़कर प्रसन्नता हुई कि सरकार युवकों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के प्रति सजग है। मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूं और इस सदन के सदस्यों को बता दें कि न तो ये बातें, न ये शब्द और न ये पैरा ही नये हैं। हमने इससे मिलती जुलती बातें, यहां तक कि समान बातें कई राष्ट्रपतियों ने अपने अभिभाषण में युवाओं पर चर्चा के दौरान कही है। ये थोथी बाते, ये वायदे और युवकों के प्रशंसा में कहे गये शब्द बार-बार दुहराए गए हैं। इतना ही नही, हमने कई युवा संगठनों के सम्मेलनों में एक बार नहीं अनेक बार यह चर्चा होते देखा है कि किस प्रकार युवा शक्ति का सदुपयोग किया जा सके। मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि इन सम्मेलनों में महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए। ये प्रस्ताव बहुत ही मजबूत है लेकिन यह कभी भी सांविधिक रूप नहीं ले पाये और न कभी इन्हें कार्यान्वित किया जा सका। हां हमने देखा है कि युवाओं के लिये छिट पुट उत्सव हुए अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों में भारतीय युवाओं ने भाग लिया, हमने कुछ खेल उत्सव भी देखे परन्तु व्यवस्थित तरीके से, कानूनी तरीके से तथा कानून के तहत सरकार के लिए वह बाध्य हो कि वह युवा शक्ति को एक जुट करे दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। यही एक कारण है जो

मुझे श्री वसंत साठे और श्री चित्त बसु के साथ मिल कर आपके माध्यम से सरकार से खास कर अपने मंत्री महोदय श्री चिमन भाई मेहता से पूछने को बाध्य करता है। महोदय, मैं विधेयक वापस लेने का आग्रह नहीं कर रहा हूँ चूंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री हन्नान मोल्लाह जो कि सी. पी. एम के सदस्य है इस विधेयक को वापस लेने के लिये बाध्य हो जाएंगे। मैं उनसे यह भी कहना चाहूंगा कि यदि मंत्री महोदय इस विधेयक को उनसे वापस लेने का आग्रह करते हैं तो भी यदि जरूरत हो तो थोड़ी देर के लिये यहां से चले जाएं लेकिन इस विधेयक को वापस न लें। विधेयक को कम से कम सदन में प्रस्तुत होने दें ताकि सरकार इन विचारों का अनुमोदन करते हुए एक दूसरा विधेयक लाए और इसे कानून का रूप प्रदान करे, ताकि यह हर आने वाली सरकार के लिए अनिवार्य कर्त्तव्य हो जाए।

यह समय की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ कि इस सभा में हम सबको यह अनुभव करना चाहिए कि युवक विकास के मार्ग से भटक रहे हैं क्योंकि उनका इस व्यवस्था से विश्वास खत्म होता जा रहा है।

आज यह स्वीकृत तथ्य है और विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के कथन में कहा गया है कि प्रत्येक पांचवां बेरोजगार व्यक्ति भारतीय है तथा प्रत्येक दूसरा अशिक्षित व्यक्ति भी भारतीय है। हम इन मुद्दों को क्यों नहीं निपटा रहे हैं? हम इन मुद्दों को अत्यंत गंभीर क्यों बता रहे हैं? हम में इसे मौलिक अधिकार बनाने का साहस क्यों नहीं है? उन्हें जीवित रहने का अवसर दिया जाए। उन्हें रोजगार, शिक्षा तथा संस्कृति का जिसकी शिक्षा देने का अवसर हम में से कतिपय व्यक्तियों को प्राप्त है, अधिकार दिया जाना चाहिए। हम अपने युवकों को साम्प्रदायिक तत्वों के भड़काने में क्यों आने देते हैं। आज के 20 या 30 वर्ष पहले इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि युवक जाति और पंथ तथा साम्प्रदायिक दंगों के साधन होंगे। युवक प्रश्न उठा रहे हैं कि हमें आरक्षण समाप्त करना चाहिए 'क' या 'ख' तथा 'पिछड़ी जाति को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। इस तथ्य की पुष्टि हो चुकी है समाज में अन्याय तथा असमानता व्याप्त है जिसे वे सहन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति है कि प्रत्येक युवक जानता है कि कभी-कभी डिग्री जो उसे शैक्षिक संस्थाओं में दी जाती है, उस कागज के मूल्य के बराबर भी नहीं होती है जिस पर यह मुद्रित होती है क्योंकि यदि उसके पास डिग्री है और वह रोजगार के लिए जाता है तो उससे कहा जाता है अरे, आपके पास बी. ए. या एम. ए. की डिग्री है परन्तु इसका क्या उपयोग है। आपको अमुक जाति का होना चाहिए केवल तब ही आपके बारे में विचार किया जाएगा। दुर्भाग्यवश योग्यता अप्रसांगिक हो गयी है। केवल इतना ही नहीं है बल्कि चापलूसी भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार प्रसांगिक हैं। यह ऐसी व्यवस्था है जो हम इस सभा में कर रहे हैं, अनुमति नहीं दे रहे हैं। मैं आपको इस बारे में सही रूप से बताता हूं। जब मैं अपने नौजवान भतीजे से मिला तो मैंने देखा कि जब वे राजनीतिज्ञों राजनीति तथा व्यवस्था चाहे न्यायपालिका, विधान मंडल तथा कार्यपालिका अथवा अधिकारी वर्ग किसी के बारे में विचार-विमर्श करते हैं तो उनमें द्वेष रहता है तथा वह प्रत्येक का अपमान करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि विगत चार दशकों में हम उनकी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सके तथा उनकी महत्वाकांक्षायें पूरी नहीं कर सके? मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाए। यदि वे इस विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकते तो सभा में हमें आश्वासन दें कि एक निश्चित अवधि में वे एक विधेयक लायेंगे जिसे कानून बनाया जाएगा। जिसमें युवकों को उनके अधिकारों की गारन्टी दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि ऐसा आश्वासन दिया जाए।

श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का, जो श्री हन्नान मोल्लाह ने प्रस्तुत किया है, समर्थन करता हूं तथा उन्हें सभा के मात्र ऐसा व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। महोदय, अनेक बातें कही गयी हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। परन्तु यदि आप निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाये तो मैं सोचता हूं कि सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि युवा शक्ति आणविक शक्ति के सामने है। यदि आणविक शक्ति का उचित प्रयोग किया जायेगा तो मानवजाति का कल्याण होगा और जब इसका दुरुपयोग किया जाएगा तो यह मानवजाति को नष्ट कर देगी। मैं श्री बसंत साठे का आभारी हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वर्तमान स्थिति के लिए उनकी पीढ़ी जिम्मेदार है। महोदय, जहां तक शिक्षा का संबंध है, मुझे इस बात का खेद है कि भारत में ऐसी संस्थायें नहीं हैं जो प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक हों। हमारे यहां केवल ऐसी संस्थायें हैं जहां लोगों को पढ़ने-लिखने की शिक्षा दी जाती है और असंख्य लोगों को शिक्षित बनाया जाता है। यदि आप अंग्रेजी जानने के लिए शिक्षित व्यक्ति के मानदंडों पर ध्यान दें तो श्री कामराज नादर को शिक्षित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। परन्तु मैं नहीं सोचता कि हम में से कोई भी इस बात से सहमत होगा कि श्री कामराज नादर को अशिक्षित कहा जाए। उनके पास किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी। उन्होंने अपनी शिक्षा तमिलवर्णाकुल में कक्षा 5 तक प्राप्त की थी। परन्तु वह एक शिक्षित व्यक्ति थे। इसी प्रकार आज भी हम 40 वर्षों के बाद भी इस देश के युवकों को शिक्षित करने मे असफल रहे हैं। यह इसका एक पहलू हैं। इसलिए हमारे मूल्य तेजी से गिर रहे हैं।

5.14 म. प.

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

साठे जी की पीढ़ी को जो सम्मान प्राप्त था शायद हम अपने बड़ों का उतना आदर नहीं करते। हमारी आने वाली पीढ़ी हमारा उतना सम्मान नहीं करेगी जितना हम अपने बड़ों का करते हैं। यह दूसरी बात है जिसके लिए आज का युवक और अधिक बुद्धिमान होता जा रहा है। सीमित समय होने के कारण मैं बातों को नहीं दोहराऊंगा तथा विस्तार से उल्लेख भी नहीं करूंगा।

युग कल्याण के नाम पर अनेक बातें कही जा रही हैं। इसके मन्त्री, मन्त्रालय तथा विभाग बनाया गया है और विगत 40 वर्षों में अत्यधिक धनराशि व्यय की गयी है परन्तु इस पूंजी निवेश का क्या परिणाम निकला? एन. सी. सी. और एन. एस. एस. कालेजों तक सीमित हैं जहां युवकों को तैयार किया जाना चाहिए। परन्तु कितने प्रतिशत भारतीय युवक कालिज में प्रवेश करते हैं? उनकी संख्या और प्रतिशत बहुत कम है। इसलिए मैं इस अवसर का लाभ सरकार से यह अनुरोध करने में उठाना चाहता हूं कि एक ऐसी प्रक्रिया का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें देश के सभी युवकों को अठारह वर्ष की आयु के पश्चात तीन वर्ष तक अपने देश की सेवा करनी चाहिए जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग, साक्षरता और सामाजिक सेवा सम्मिलित होनी चाहिए। तत्पश्चात उन्हें सामान्य जीवन में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। हम अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के नाम से बहुत अधिक धनराशि व्यय कर रहे हैं। यदि हम इस धनराशि का उचित प्रयोग करेंगे तो मैं सोचता हूं कि ये बातें बेहतर होंगी।

दूसरी बात यह है कि वर्तमान भारतीय संस्कृति और समाज बदल गया है जबकि कुछ

दशक पूर्व ऐसा नहीं था। पहले व्यक्ति का उसकी वचनबद्धता, उसके दृढ़ विश्वास और व्यक्तित्व के कारण सम्मान होता था। परन्तु आज व्यक्ति का सम्मान उसकी वेशभूषा और खान-पान के कारण होता है। इतना अन्तर हो गया है। दूसरे क्षेत्रों में भी साधनों के बजाए परिणाम महत्वपूर्ण हो गया है। बच्चा बचपन से ही सोचना शुरू कर देता है कि वह धन कामएगा। उसे साधनों की चिंता नहीं है। वह कहता है कि उसके पास अपार धन होगा, वातानुकूलित घर में रहेगा तथा वातानुकूलित कार में चलेगा। श्रम के महत्व की कोई भावना नहीं है। 10+2 पद्धति पूरी करने में अठारह वर्ष की आयु हो जाएगी। यदि वह युवक गांव के अन्य युवकों के साथ मिलेगा तो मैं सोचता हूं कि क्रियाकलापों में परस्पर काफी आदान-प्रदान होगा तथा समाज में अत्यधिक परिवर्तन आएगा।

हमने नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना की हैं तथा उन पर बहुत धन खर्च किया गया है। परन्तु अन्त में इन केन्द्रों से क्या परिणाम निकला मेरे विचार से कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों को कुछ अवसर प्राप्त हुए हैं ? यदि मेरी बात सही है तो ग्रामीण युवकों को बहुत कम लाभ मिला है।

जैसा कि श्री कुमारमंगलम ने कहा है कि आप जब कोई आन्दोलन शुरू करते हैं तो युवक उसमें सम्मिलित होते हैं। मैं उन लोगों की इस बात से सहमत नहीं हूं जो इस देश की स्वतन्त्रता के लिए केवल महात्मा गांधी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। यदि आप इस देश के स्वतन्त्रता आंदोलन के इतिहास पर ध्यान दें तो भगत सिंह, खुदी राम, चन्द्रशेखर आजाद भी इसमें सम्मिलित हुए थे। उस समय वे इस देश के युवक थे, इस प्रकार स्वतन्त्रता आन्दोलन में युवा ताकतों ने भी अपनी भूमिका निभायी थी।

अन्त में, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि 23 मार्च को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि इस दिन भगत सिंह और उनके साथी, जिन्होंने इस देश की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष किया शहीद हुए थे।

श्री ए. विजयराघवन (पालघाट) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय मित्र श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

देश में लाखों युवक बेरोजगार हैं। आज भी समाचारपत्रों ने योजना आयोग के 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन में से उद्धरण दिए हैं। मैं उद्धृत करता हूँ :

> "बेरोजगारी की संख्या से वृद्धि के लक्षण दिखलाई पड़ते हैं और परम्परागत हस्त-कलाओं तथा उद्योगों में रोजगार में कमी आई है। संगठित उद्योग अपने निवेश के अनुकूल अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहा है।"

इस प्रकार यह स्थिति है। विधेयक के प्रस्तावक सदस्य ने यह विधेयक पुर:स्थापित करते समय हमारे देश में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में बताया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दर्ज बेरोजगारों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। ग्रामीण तथा आंशिक रूप से बेरोजगार युवकों की गणना करने से यह संख्या लगभग 10 करोड़ होगी। इससे क्या पता लगता है ? महोदय, इस देश में युवाओं की शक्ति के अधिकांश भाग को देश के कल्याण हेतु युक्त नहीं किया जा रहा है। हम हर वर्ष घाटे के बजट प्रस्तुत करते रहे हैं और इस वर्ष भी डीजल तथा पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि हुई है। यदि हम अपने युवाओं की शक्ति के संसाधनों का उपयोग करें और वे इस देश के लिए

एक दिन के लिए अपनी सेवाओं का योगदान करें और हम इन सेवाओं की दर 20 रुपये निर्धारित करें तो देश को 200 करोड़ रुपये प्रतिदिन के बराबर मूल्य मिलेगा। यदि यह योगदान 10 दिन के लिए हो तो इसकी राशि 2000 करोड़ रुपये होगी। तब घाटे के बजट और डीजल तथा पेट्रोल के मूल्य बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होगी। युवाओं की शक्ति का उचित उपयोग होना चाहिए। हमारे देश में ऐसा नहीं किया जाता है। भारतीय युवा की यही क्रूर नियति है।

महोदय, हम इस देश के लाभ के लिए इन बेरोजगार युवाओं का उपयोग कर सकते हैं। मैं केरल का एक उदाहरण देता हूं। केरल में कुछ युवा संगठनों ने राज्य में विकास कार्यों के लिए कुछ दिन कार्य करने का वायदा किया था। अब इन कार्यों के माध्यम से उन्होंने पुल, नहरें, सड़कें इमारतें इत्यादि बनाने शुरू कर दिये हैं। यह देश के प्रति उनका योगदान है। अब प्रश्न यह है कि इन बेरोजगार युवाओं की सेवाओं का उपयोग देश के कल्याण के लिए कैसे किया जाए। देश को इसी बात पर मुख्य रूप से सोचना चाहिए। इस सम्बन्ध में उचित योजना की आवश्यकता है।

महोदय, श्री हन्नान मोल्लाह ने यह विधेयक पेश करते समय देश में निरक्षरता की स्थिति के बारे में कहा था। विश्व के लगभग 50 प्रतिशत निरक्षर लोग भारत में रह रहे हैं। आज माननीय सदस्य श्री वसंत साठे ने सभा को सम्बोधित करते हुए एक मुद्दा उठाया और पूछा था: "उनकी पीढ़ी द्वारा इस देश के प्रति क्या अपराध किया गया है?" यही वह मुख्य अपराध है जो इस देश के प्रति किया गया है। क्या हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो कविता नहीं पढ़ सकता? क्या हम ऐसे युवा की कल्पना कर सकते हैं जो एक अच्छा उपन्यास नहीं पढ़ सकता? एक अच्छा उपन्यास पढ़ना, पुस्तकों के माध्यम से हम देश की परम्पराओं को जानना उसका अधिकार है। हमने इस देश के अधिकांश लोगों को यह देने से इन्कार किया है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? यह इन लोगों का उत्तरदायित्व है जो गत चार दशकों से सत्ता में थे। यह एक पहलू है। इस देश में शिक्षा नीति के सम्बन्ध में विपक्ष से एक माननीय सदस्य ने नवोदय स्कूलों का समर्थन किया है। हमने अपने देश में स्वतन्त्रता के बाद जो शिक्षा उत्पन्न की है, उसकी परम्परा क्या थी। हमने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के पक्ष मे माहौल बनाया है। नई शिक्षा नीति के शुरू होते ही हमारे देश में अंग्रेजी भाषा के प्रति लगाव बढ़ गया है। केरल में एक प्रसिद्ध कवि ने एक कविता लिखी है। उन्होंने दो लाइनों में बताया है कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली शुरू होने के बाद से हमारे देश में माताएं इस आशा से इंगलैंड में मौजूद जनन कक्षों के बारे में सोच रही है कि बच्चे के जन्म समय बच्चा अंग्रेजी में रोएगा। हमारे देश में ऐसी ही नीति है। यहां हमारे देश में पांच वर्ष का बच्चा दार्शनिक है। यहां बच्चों की नई पीढ़ी है जिनके पैरों में जूते जुराब हैं, नीली पैंट तथा सफेद कमीज हैं, उनके दायीं ओर उनके माता-पिता और बाईं तरफ नौकर हैं। पांच वर्ष का बच्चा एक बन्धुआ मजदूर की तरह रहता है। न सिर्फ इस पांच वर्ष के बच्चे के लिए ट्यूशन लगाया जाता है बल्कि ऐसा उसकी मां के लिए भी किया जाता है। हमने अपनी शिक्षा प्रणाली में यह नई परम्परा शुरू की है। इसके विपरीत ऐसे बहुत से लोग हैं जो निरक्षर हैं। इस नीति में परिवर्तन होना चाहिए। एक नई शिक्षा प्रणाली ऐसी पद्धति के साथ शुरू की जाए जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दे।

निरक्षरता दूर करने के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि यह अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष है। हमें ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए कि निरक्षरता को दूर करने के लिए देश में बेरोजगार

युवाओं का उपयोग कैसे किया जाए। हमारे देश में युवाओं की शक्ति का सही प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए। हमने अपने राज्य केरल में 1990 में शत प्रतिशत साक्षरता का एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है। एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल ने रियायती दर पर अखबारी कागज देने के लिए सरकार को ज्ञापन दिया है। वास्तव में, केरल में सभी समाचार पत्र निःशुल्क विवरणिका प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं। इस सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे केरल के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए ज्ञापन पर हमारी केन्द्र सरकार कोई निर्णय नहीं ले रहा है। मैं आशा करता हूं कि वे शीघ्र ही निर्णय लेंगे। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि केन्द्र सरकार हमारे देश में निरक्षरता दूर करने के लिए बेरोजगार युवाओं का उपयोग करने हेतु उचित योजना बनाए। इसे युवा अधिनियम में शामिल किया जाए।

दूसरा भाग संस्कृति से सम्बन्धित है। हम सभी इससे सहमत है कि हमारे देश मे सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। यह तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन में शामिल अन्य नेताओं की महान भूमि है। हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन में बलिदान की बहुत महत्ता है। इन सब मूल्यों का क्या होना है? सर्वोच्च स्थानों पर सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से लेकर ग्रामीणों तक आप इन मूल्यों का ह्रास देख सकते है। इस ह्रास को रोकने के लिए हमने क्या किया है? अब एक नई संस्कृति पनप रही है। लोग पाप संगीत के पक्षधर हैं। मैं किसी भी संगीत के शास्त्रीय पहलू का विरोध नहीं कर रहा। लेकिन पश्चिम की विकृत हो रही संस्कृति, मादक पदार्थों तथा शराब की संस्कृति के विरुद्ध लड़ने की जरूरत है। हमने तो यह किया है कि 'अपना उत्सव' जैसे उत्सव शुरू कर दिए हैं लेकिन असली परम्परा तथा संस्कृति के संरक्षण के लिए गांवों के बारे में कुछ नहीं किया गया है। यह विसंगति दूर होनी चाहिए और इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए मैंने अपने मित्र को बधाई दी है।

खेलों की क्या स्थिति है? हमारे कितने लोगों को हमारे देश के लिए ओलम्पिक खेलों में पदक मिले हैं। हमें लगभग 20 वर्ष पूर्व हाकी का पदक मिला था क्योंकि उन दिनों खेलों को काफी महत्व दिया जाता था। लेकिन, आज क्या स्थिति है?

श्री वसन्त साठे : आपके राज्य में पी. टी. ऊषा हैं जिन्होंने पदक जीता।

श्री ए. विजयराघवन : इस बारे में मैं बाद में बोलूंगा। मैं केवल एक बात का उल्लेख करूंगा। केरल में एक फुटबाल प्रतियोगिता थी। माननीय सभापति श्री त्रिवेन्द्रम से हैं और यह खेल प्रतियोगिता वहीं पर हुई थी। वहां पर अनेक टीमें आई और वहां हमारे देश का भी प्रतिनिधित्व था। लेकिन हमने एक भी गोल नहीं किया। मेरे एक मित्र उस फुटबाल टीम के सदस्य थे। उसने कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वे हमारे अतिथि हैं। इसलिए हमें उनसे अतिथियों की भांति व्यवहार करना चाहिए और अपने अतिथियों को आधार बना कर अपना उद्देश्य सिद्ध करना हमारी खेलों की परम्परा नहीं रही। तब मैंने सोचा कि जब हम अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने जायेंगे तो हम इस विषय में कुछ करेंगे। श्री वसन्त साठे जी ने पहले ही पी. टी. ऊषा की चर्चा की है। वे मेरे विश्वविद्यालय के सम्बन्ध है और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। और फिर मेरे एक मित्र ओलिम्पिक टीम के सदस्य रहे हैं। जब चर्चा के दौरान मैंने उससे पूछा कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में हमारी असफलता का क्या कारण है तो उसने उत्तर दिया :

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन"

पदकों के बारे में न सोच कर हमें दौड़ने का अभ्यास करना चाहिए । उसने केवल गीता को उद्धृत किया । परन्तु अपनी सभी महान परम्पराओं को हमारे देश में गलत ढंग से उद्धृत किया जाता है । हमारे खेलों की बहुत ही दयनीय स्थिति है । हमारे देश की खेलों के सम्बन्ध में कोई विस्तृत नीति नहीं है । खेलों के सम्बन्ध में जो नीति 198० से प्रस्तुत की गई थी, वह खेलो के विकास के अनुकूल नहीं थी । वास्तव में यह नीति निराशा को जन्म दे रही है । यह निराशा हमारे युवकों को पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे आतंकवादी कैम्पों में ले जाती हैं और उन्हें अपने हाथों में ए.के.-4८ बन्दूकें लेने पर मजबूर कर देती है और जिससे यह देश विनाश की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हमें अपने नवयुवकों को इस निराशा से बचाना होगा । हम इस नई सरकार से यह निवेदन करते हैं कि वह इस देश को बचाने के लिए पहल करें । वह देश की बहुसंख्या का प्रयोग देश के विकास के लिए करे और उनकी शक्ति का प्रयोग देश का भविष्य संवारने के लिए करे । मेरा विश्वास है कि श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत इस बिल के द्वारा इस दिशा में काफी सहायता मिलेगी और यह सरकार इसके अनुसार आवश्यक कदम उठायेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

डा. विश्वनाथम (श्री काकुलम) : सभापति महोदय, अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं माननीय सदन को यह बताना चाहूंगा कि युवक तीन स्थितियों मे से गुजरते हैं । इन तीन स्थितियों के दौरान वे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत सी बातें उन्हें प्रभावित करती है । मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार बच्चा तीन से पांच साल की आयु के दौरान जो सीखता है; उसका प्रभाव पर उस पर जीवन भर रहता है । हमारें देश के बच्चे भी इन्ही स्थितियों से गुजर रहे हैं । उदाहरणार्थ, हम नशे की बुराई की बात करते है । परन्तु हम बच्चों के सामने इसका प्रयोग करते हैं । स्वाभाविक रूप से बच्चे भी इनके बुरे प्रभाव से अनभिज्ञ इसका प्रयोग आरम्भ कर देते हैं । अगर हम इस विधेयक की भावनाओं के अनुरूप युवकों को ढालना चाहते है तो हमे ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना होगा जिसमे प्रत्येक शिशु चाहे वह गांव का हो या शहर का, उसे ऐसी संस्थागत शिक्षा प्रदान की जाये जिसमें कि वह सीख सके कि उसे अपना विकास कैसे करना है । दूसरों के साथ सहयोग कैसे करना है और उस कर्तव्य का निर्वाह कैसे करना है जिसके लिए उसने जन्म लिया है । उनके भाग्य में कुछ करना लिखा है जो कि वह नहीं है जो कि हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं । इसलिए, इस देश को और किसी भी दूसरे देश को ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना चाहिए जिसमे कि बच्चों को युवक बनने से पहले नैतिक और सैद्धान्तिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए । यह पुराने समय के आश्रम और आवासीय स्कूलों की तरह ही होने चाहिए जिनसे कि बच्चों को बड़ों से अलग कर दिया जाये । तेलगू में एक कहावत है,'

"मोक्कई बोन्गन्डो मनाई बोन्गाडू"

अगर आप बच्चों को बचपन में नहीं सुधारते तो उनके बड़े होने पर उनको सुधारा नहीं जा सकता । इन युवकों के पास केवल विचार होते हैं । आप जो भी करें, वे कुछ करने का बहाना करते हैं । वास्तव, में उन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जाता है जिसे बदला नहीं जा सकता । अगर हम उनको उचित शिक्षा प्रदान नहीं करते तो हम ऐसे नवयुवकों की आशा नहीं कर सकते जिनकी हम कल्पना करते हैं । अधिकतर युवक "सुलभ धन और आनन्दमय जीवन" के सिद्धान्त पर विश्वास करते हैं । आज कल यह फैशन बन गया है । आप किसी भी युवक कैम्प में शाम को

चले आईए, उनके स्वभाव की उच्छृंखलता प्राय को देखने को मिल जायेगी। आज के युवक की यही मानसिक स्थिति है।

मैं यही स्वीकार करता हूं कि युवक एक असीमित शक्ति हैं जिनका प्रयोग राष्ट्र निर्माण हेतु किया जाना चाहिए।

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा लाए गए युवा विधेयक का स्वागत करता हूं। सदन के सभी वर्गों के विचारों को सुनने के बाद मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह विधेयक को पास कर दे। यदि यह अभी संभव नहीं है तो मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह कोई ठोस कदम उठाए ताकि विधेयक के प्रावधानों को, जिसे यहां विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, उस पर कारंवाई की जा सके।

यहां विधेयक पर गौर करते हुए और माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा उसे सुनकर मेरा यह विचार है राज्य और समाज को जो दृष्टिकोण युवाओं और उनकी समस्याओं, जिनका, वह सामना कर रहे हैं, के प्रति है, पूरी तरह विधेयक में परिलक्षित हो रहा है। लेकिन हमें इस पर भी गौर करना होगा कि उनका समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वे क्या महसूस करते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने युवकों के समाज और राज्य के प्रति निर्णय मूल्यों का प्रासंगिक जिक्र किया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि क्या "युवकों" के बारे में हमारी धारणा वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि विधेयक में खाका दिया है, जैसा कि परिभाषा में कहा गया है, यानि 'युवक' का अर्थ है। वह सभी व्यक्ति जो 14 वर्ष की आयु से 45 वर्ष की आयु के बीच हैं ?

सभापति महोदय : ठहरिए। इस विधेयक पर विचार करने के लिए निर्धारित समय अब समाप्त हो गया है। कई सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं। अतः हम इसे दो घंटे के लिए बढ़ा देते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री भवानी शंकर होटा : महोदय, मैं कह रहा था कि युवकों की समस्या, जो हम सभी देख रहे हैं, का सही विवरण इस विधेयक में परिलक्षित हुआ है। वह हमारे देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का अंग है। जब तक हम देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन नहीं लाते, हम बेरोजगारी और युवकों के निराशा को दूर नहीं कर सकते। जब तक हम ऐसा नही करते, युवकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता। युवकों को रोजगार देने के लिए क्या हम गृह उद्योगों एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने का विचार रखते हैं, क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के देश में आने पर रोक लगाया जा रहा है। क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इस देश के आगमन पर रोक लगाया जा रहा है और क्या एकाधिकार घराना और पूंजीवादी घरानों को निरूत्साहित किया जा रहा है। यह सभी युवकों को रोजगार दिए जाने से जुड़ा है। इसे एक विशेष परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और ठोस कदम उठाने होंगे।

युवकों में घोर निराशा है, मैं एक विशेष घटना का जिक्र कर रहा हूं। बीस वर्ष पहले एक छात्र जो परीक्षा में कक्षा चार में लिप्त होने के बाद वह जब परीक्षा भवन से निकलता था तो वह इतनी शर्म महसूस करता था कि जैसे वह अभी जाकर रेल लाइन पर आत्महत्या कर लेगा। लेकिन

यदि अब वह कदाचार के लिए पकड़ भी लिया जाता है तो वे अपने शिक्षक को पीटने में गौरव अनुभव करते हैं। आज वे थोड़ा भी अपराध-भाव से ग्रस्त नहीं होते। ऐसी कुप्रथाएं जारी हैं और इसे बल मिल रहा है चूंकि ऊपर से नीचे तक राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह भ्रष्टाचार राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों मे तथा व्यापारिक क्षेत्र और हर क्षेत्र में फैला है। इसलिए यह युवकों चरित्र को पूरी तरह प्रतिबिम्बित करता है। मेरे विचार से केवल युवकों सुधारना संभव नहीं है। हमें पूरे समाज के सुधारना होगा और हमें ऐसी नीतियों पर कार्य करना होगा जो विश्व की परिस्थितियों में परिवर्तन ला सके और जो समाज में आमूल परिवर्तन लाए तथा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिसमे युवक सुचारू रूप से कार्य कर सकें।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ चूंकि इसने युवकों के विवेक और स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा शिक्षा व्यवस्था में पुरानी शिक्षा व्यवस्था मे संशोधन के पश्चात् तीन-चार वर्ष पूर्व स्वीकार की गई शिक्षा नीति जो खेल कूद का विकास और युवा उत्सवों का आयोजन करता है—में मौलिक परिवर्तन लाने के लिए उत्प्रेरक का काम किया है। इन सभी मुद्दों पर विचार करते हुए मैं आशा करता हूँ कि सरकार इन पर गम्भीरता पूर्वक कार्य करेगी और कुछ कार्यक्रमों को जिसका सुझाव अभी दिया गया है उसे लागू करेगी ताकि इस देश में युवकों के लिए एक नए युग की शुरूआत हो सके।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुझा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूं और मैं सोचता हूं कि इस विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार एक युवा नीति निर्धारित करेगी जिसका हमारे पास अभाव है।

दूसरे मुझे विश्वास है कि या तो यह विधेयक शिक्षा स्वीकृत हो जाएगा या किसी अन्य विधान के द्वारा किसी और प्रकार का कार्यान्वयन होगा।

मैं प्रस्तावित करूंगा कि इस विधेयक का सार, व विधेयक में दिखाए गए निर्देशों को पूरी तरह से मान लिया जाए।

पहली बात जिसे इस विधेयक में मान्यता मिली है वह इस तथ्य को इंगित करती है कि युवा शक्ति को मान्यता देनी चाहिए। युवकों के क्रिया-कलापों और युवा संगठनों को मान्यता देनी चाहिए और मैं यह भी कह सकता हूं कि अगर एक लड़का अपने बचपन में भी कुछ करना चाहता है और अगर उसके अभिभावक और समाज इसे मान्यता नहीं देते तो वह लड़का उस कार्य करने में अपना विश्वास खो देगा। युवक जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें यथोचित मान्यता नहीं मिलती। वह भयभीत होता है और सही काम करने के लिए उसे विश्वास नहीं प्राप्त होता है। एक व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि यही होगी कि वह पूरे विश्वास के साथ और बिना किसी भय के ईमानदारी से व पूरी निष्ठा से अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो।

इन पक्षों के लिए इस विधेयक में बहुत अच्छे संकेत दिए गए हैं।

जैसा कि कई माननीय सदस्य पहले कह चुके हैं— युवा क्षमता का उचित ढंग से उपयोग करना है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, जब तक यह विशाल युवा-शक्ति उनके लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी समुदाय के लिए उपयोगी नहीं होगी और समाज

अर्थ में सम्पूर्ण देश के लिए भी उपयोगी नहीं होगी । अतः, यह विधेयक कई पहलुओं का संकेत देता है जिनसे युवा शक्ति के सही उपयोग के उपायों किये जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त, मैं सोचता हूं कि युवकों को सभी क्षेत्रों में उचित अवसर प्रदान करने के बारे में पूरे विधेयक में जोर दिया गया है । मैं इसके विस्तार मे नहीं जा रहा । किन्तु शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, सांस्कृतिक गतिविधियां और खेल इत्यादि सभी क्षेत्रो में यह दिया गया है । मैं सोचता हूं कि इन पहलुओं पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए और इस विधेयक को सभी सदस्यों द्वारा समर्थन मिलना चाहिए क्योंकि इन सभी संदर्भों मे युवकों को अवसर देने मे आवश्यकता पर इस विधेयक में जोर दिया गया है ।

अन्य पहलुओं के बारे में मैं खेलों की चर्चा करना चाहूंगा । मैं सोचता हूँ कि इस पहलू का उल्लेख किया जाना चाहिए अब हम खेलो और सांस्कृतिक गतिविधियों की आवश्यक प्रोत्साहन नहीं दे या रहें हांलाकि कई बिन्दुओं पर हम कुछ प्रोत्साहन दे रहे है । यह सही है कि हम समय, शक्ति व पूंजी में इन क्रिया कलापो के लिए लगा रहे हैं । किन्तु, मुख्य बात यह है कि इन काय कलापों से सुनियोजित ढंग से नही किया गया । उदाहरण के लिए मैं सिर्फ एक उदाहरण उद्धृत कर सकता हूं जो कुछ दिन पूर्व मैंने देखा था । एक फुटबाल प्रतियोगिता में टीम अन्तिम चरण तक पहुंची थीं । असम में, पिछले महीने की 29 तारीख को यह प्रतियोगिता हुई थी । यह फैडरेशन कप फुटबाल टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धा की बात है । दो टीमें एक गोआ से और दूसरी केरल से एड़ी चोटी का बल लगाकर एक दूसरे से लड़ रही थीं । दूरदर्शन इसका सीधा प्रसारण कर रहा था । किन्तु दो टीमें जब मैच खत्म होने में सिर्फ 12 मिनट थे और जब मैच अपने चरम बिन्दु पर पहुंच गया था तथा जब सारे देश के हजारों लाखों लोग इस खेल को देख रहे थे, तब अचानक कार्यक्रम बदल दिया गया । इसके स्थान पर कोई एक फीचर सीरियल दिखाया गया जो किसी भी तरह से उपयोगी नहीं था ··· (व्यवधान) मेरे ख्याल से यह लक्षद्वीप के बारे में था । मुझे विश्वास है कि लक्षद्वीप के लोगों ने भी इसे पसन्द नही किया होगा । बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जो फुटबाल प्रतियोगिता को पसन्द कर रहे थे । यहां, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है । हमारी सरकार प्रशासन बुजुर्ग और सत्ता में बैठे लोगों की ओर से इस प्रकार का क्रूर रवैया अपनाया जा रहा है । अतः यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति जिम्मेदार पदों पर है, वे इस मामले पर गम्भीरता से विचार करें और खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों सहित युवाओं से सम्बन्धित सभी क्रिया कलापों को उचित मान्यता दें ।

सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में मुझे एक बात कहनी है । मैं जानता हूं कि पिछले कुल वर्षों से केरल में क्या हो रहा है । केरल में इस सम्बन्ध में विद्यालयों और महाविद्यालओं में पढ़ने वाले छात्रों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है विभिन्न प्रकार को प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं और उनमें से श्रेष्ठ छात्र छांट लिए जाते हैं । उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है । मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र व अन्य युवक जो महाविद्यालयों में शिक्षा नहीं प्राप्त करे इत्यादि को भी इस प्रकार के सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि उनमे से श्रेष्ठतम का चुनाव हो सके और उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जा सके । मैं युवकों के लिये भी कुछ कार्यक्रमों का सुझाव देना चाहूंगा । यह सही है कि मेरे विद्वान माननीय मित्र श्री हन्नान मोल्लाह ने उन सभी क्षेत्रों या उनमें से अधिकतर पहलुओं का उल्लेख किया है । मैं यह सुझाव दूंगा कि भारत के निर्यात के लिए, अच्छा प्रोत्साहन देने के लिए, युवाओं

में अच्छी भावनाएं पैदा करने के लिए तथा देश को सुदृढ़ करने के लिये हमारे देश में विशेषकर भारत राज्य स्तर पर 'यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम' निर्धारित किया जाना आवश्यक है, इसका विस्तार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विनियम कार्यक्रम के लिए भी किया जा सकता है।

मैं एक और बिन्दु पर जोर देना चाहूंगा। युवाओं को कुछ रुचि का कार्य या भूमिका देनी चाहिए। उन्हें पर्यटन में कुछ भागीदारी देनी चाहिये क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे लिए विकास की अधिक गुंजाइश है। दूसरे जिस बिन्दु पर मैं जोर देना चाहूँगा वह है नशीले पदार्थों का खतरा। हम नशीले पदार्थों के विरुद्ध कुछ करना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। इसके लिए युवाओं के लिए नीति निर्धारण के समय एक प्रकार का निर्देशन किया जाना चाहिए।

इन सब बातों के अतिरिक्त, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जब हम युवाओं के अधिकारों युवाओं के उत्थान के लिए सोचते हैं तो हमें युवाओं द्वारा किए गए कठोर परिश्रम के बारे में भी अवश्य सोचना चाहिए। इस देश के युवाओं द्वारा किए गए कठोर परिश्रम को देखते हुए उस नीति में उनकी भागींदारी की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगर उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में परिश्रम करने का अवसर दिया जाए। तो इस देश के युवा इसे सही मायनों में लेंगे।

हम देखते हैं कि कई भारतीय युवक जो विदेशों में जाते हैं वे बहुत परिश्रम करते हैं और बहुत अधिक परिश्रमी लोगों के रूप में वहां उनकी ख्याति है। किन्तु जब हम अपने देश काम करते हैं तो हम किसी तरह कठोर परिश्रम के इस महत्वपूर्ण पक्ष से दूर हो जाते हैं। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा इसका कारण यह हो सकता है कि हमारे बुजुर्ग भी यही कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि, बुजुर्ग भी और युवा भी कठोर परिश्रम में रुचि लेते हैं। इसके लिए, जब युवा नीति बनाई जाए और जब इस सम्बन्ध में विधान लाया जाए तो एक उचित कार्यक्रम और इसके कार्यान्वियन के बारे में सोचा जाना चाहिए।

मैं अपने राज्य में युवाओं की उपेक्षा के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। त्रिक्कारा, जिला एरनाकुलम, केरल में एक युवा-छात्रावास बनाया गया है। इसके निर्माण में बहुत समय लगा। निर्माण के पश्चात् इसका उद्घाटन बहुत समय बाद किया गया। तब केन्द्र से एक मंत्री आए और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब, बहुत समय से वहां कार्य शुरू नहीं हुआ है। कई मास बीत जाने के बाद भी उसने काम करना प्रारम्भ नहीं किया है।

प्रो. एन. सी. रंगा (गुंटूर) : क्यों ?

श्री पी. सी. थामस : इसके कारण हो सकते हैं। इसी लिए, मैं इसे सरकार के सामने रख रहा हूँ ताकि इस ओर ध्यान दिया जा सके। मुझे बताया गया कि वहां एक 'वार्डन' की नियुक्ति होनी थी। और एक वार्डन को लगभग 3000 से 4000 रुपए तक का वेतन मिलता है। यह एक स्पृहनीय पद है। इसके लिए आवेदन-पत्र मंगाए गये और लगभग 14 से 15 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इसमें योग्य व्यक्ति भी थे। किन्तु, पता नहीं कैसे, सिफारिशी व्यक्ति की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है। समाचार पत्र में लगाये गए आरोपों में एक आरोप यह भी लगाया गया था। जो भी हो, चूंकि कोई सही सूचना नहीं है अतः मैं इस पर जोर नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि युवाओं का कई क्षेत्रों से उपेक्षा की जा रही है यथासंभव अधिकतम सीमा तक उपेक्षा भी की जा रही है।

जब हम कार्यक्रम बनाते हैं, जब इसे क्रियान्वित करते हैं, उस स्तर पर भी हम देखते हैं कि युवाओं की उपेक्षा की जाती है।

मुझे विश्वास है कि, इस संबंध में विधेयक ने एक अच्छी दिशा दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युवाओं की उपेक्षा न की जाये। युवाओं को मान्यता देनी चाहिए और उनकी क्षमताओं और प्रतिभा को भी पहचाना जाना चाहिए और इसे उनके अपने विकास के लिए, समुदाय के विकास के लिए और साथ ही साथ देश के विकास के लिए उपयोग करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, मैं कामरेड हन्नान मोल्लाह का इस बात के लिए स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया है। आज देश में जो सबसे बदतर हालत है वह जवानों की है। जहां देखा जाए वहां बेकारों की भरमार है और वे इतने बेकार हैं कि देश के किसी भी राज्य में सरकारी दफ्तरों में नौकरी के लिए घूमते-फिरते देखे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके घर के गार्डियन की इतनी शक्ति नहीं है कि वह अपने बच्चों को पैसा दे सके। ताकि वे पढ़ सकें। बहुत से नौजवानों की तो यह हालत होती है कि अगर वे पढ़ना भी चाहते हैं, तो गार्डियन की इतनी हालत खराब है कि चाहते हुए भी गार्जियन नहीं पढ़ा पाता है। ये जो बिल आया है इसमें 25 क्लोज हैं। यदि यह बिल कानून रूप ले ले तो देश के नौजवानों को विकास करने का मौका मिल जाएगा। यदि नौजवानों का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। यदि यह बिल कानून का रूप नहीं लेता है तो देश के नौजवानों की हालत अभी जो है, वह स्थिति बरकरार रहेगी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक चार करोड़ लोग जो पढ़े-लिखे हैं, डाक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एम. ए., बी. ए. पास हैं, वे आज बेकार हैं। ये आंकड़े सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। सरकार के आंकड़े के मुताबिक 1950 में बेकारों की संख्या इस देश में 50 लाख थी, आज की परिस्थिति में बेकारों की संख्या चार करोड़ है। यदि यही स्थिति रही तो दो-चार बरस में बेकारों की संख्या कितनी हो जाएगी, यह नहीं कहा जा सकता है। यदि बिल कानून का रूप ले ले तो बेकारों की संख्या घट सकती है नहीं तो बेकारों की संख्या बढ़ती जाएगी। शिक्षा से भले ही केरल का विकास हो गया है, लेकिन इसी देश में बिहार भी एक राज्य है जहां पर शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। वहां पर पढ़ने वाले कितने ही अच्छे हों लेकिन घर का गारडियन उन्हें पढ़ा नहीं पाता है क्योंकि जब किसान फसल डालता है, कुछ दिन बाद बारिश हो जाती है तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। फसल बर्बाद होने से वह अपना पेट नहीं पाल सकता है तो बच्चों को कहां से पढ़ा सकता है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूँ कि जो प्रगतिशील विचारों के लोग होंगे, वे भी इसका समर्तन करेंगे। वही आदमी इस बिल का विरोध कर सकता है जो समाजवाद में विश्वास नहीं करता है। अभी जो स्थिति है, उससे भले हो मुट्ठीभर नौजवानों को सुविधा मिल जाती होगी लेकिन 90 प्रतिशत नौजवानों की हालत बद से बदतर है। नौजवान अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में काम के लिए घूमते हैं, इसके बावजूद भी उनको काम नही मिलता है। एम. ए. पास आदमी चपरासी का काम करने के लिए तैयार है। कानून के मुताबिक यदि बी. ए. पास व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा तो सरकार उसे रुपया देगी वह कोई बिजनस खोल सकता है। अभी जो कानून है उसके मुताबिक किसी को भी सुविधा प्राप्त नहीं है। जनता दल की हुकूमत ने संविधान में संशोधन करके नौजवानों को काम की गारन्टी देने का आश्वासन दिया है। अभी जो बिल आया है,

इस बिल के क्लॉज 11 में भी नौजवानों के लिए काम का प्रावधान है। यदि यह बिल भी पास हो जाए तो नौजवानों का काम चल जाएगा। जहां एक ऐज का सवाल है, अभी जो एक साथी ने बताया, 15 से 45 ठीक है। मैं इस बात को मानने से इंकार करता हूँ कि ऐज घटाकर 35 कर दी जाए, मैं 15 से 45 में सहमत हूँ, 15 से नीचे वालों की हालत तो बहुत ही बदतर है। कानून के मुताबिक 14 वर्ष से कम की उम्र के लोगों को काम नहीं करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले अवसर पर जारी रख सकते हैं।

———

6.00 म. प.

आधे घण्टे की चर्चा

कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत पठन-पाठन की परियोजना

सभापति महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा शुरु करेंगे। श्री विजय कुमार मल्होत्रा।

हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, 26 मार्च 1990 को प्रश्न संख्या 188 के उत्तर में मंत्री महोदय ने जो उत्तर कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत के पठन-पाठन और कम्प्यूटर की वैज्ञानिक भाषा संस्कृत के संबंध में दिया था, वह उत्तर मेरी दृष्टि से बहुत ही असंतोषजनक है। यह उत्तर ऐसा हैं जो आगे भविष्य के लिए भी विशेष आशा प्रकट नहीं करता। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय विद्यापीठ में संस्कृत को कम्प्यूटर की सहायता से पठन-पाठन की दो परियोजनायें 1988-89 में प्रारम्भ की गई। परन्तु एक ओर तो सरकार की शिक्षानीति संस्कृत को समाप्त करने पर लगी है और त्रिभाषा फार्मूले से संस्कृत निकाली गई। उस दृष्टि से अगर आगे स्कूलों और कालेजों में संस्कृत का पठन-पाठन नहीं होगा तो कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत के पठन-पाठन की व्यवस्था करने का कोई लाभ नहीं होगा और कौन लोग उसे पढ़ेंगे। इस दृष्टि से मेरा पहला प्रश्न यही है कि संस्कृत के पठन-पाठन की व्यवस्था स्कूलों और कालेजों के माध्यम से होनी चाहिए। दूसरी बात जिस का उल्लेख मैं विशेष रूप से करना चाहता हूं और भारत की दृष्टि से जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है वह यह है कि जब विश्व में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कम्प्यूटर की दृष्टि से संस्कृत सबसे समृद्ध भाषा है।"नासा" आर्मी रिसर्च सेंटर ने जब इस बात की घोषणा की कि कम्प्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानवीय भाषा की खोज समाप्त हो गई है और संस्कृत कम्प्यूटर की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त भाषा है तो भारत को सबसे अधिक प्रसन्नता होनी चाहिये थी। हमें सबसे पहले इस पर काम शुरु करना चाहिए था।

कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने भी इस बात की घोषणा की है कि आज के कम्प्यूटर की गणना के लिए गणित का जो सिस्टम है, खास कर बायोनरी सिस्टम वैदिक गणित के अन्दर उसकी पूर्ण व्याख्या की गई है। वैदिकीय इन्जितज्ञ इसको जानते थे और इसका प्रयोग भी करते थे।

6.03 म. प.

[उपसभाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अपनी खोज के अनुसार उन्होंने कम्प्यूटर गणना का आधार वैदिक ग्रंथ के आधार पर स्वीकार किया है; 16 वैदिक सूत्र जो शंकराचार्य जी ने बताये हैं, उनके मुताबिक गणित की गणना के कठिन से कठिन प्रश्न भी उनक हल हो सकते हैं। 'पाई' का ठीक मूल्य वैदिक गणित के सूत्रों से सर्वाधिक ठीक-ठीक मालूम किया जा सकता है। जब विश्व ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि कम्प्यूटर की सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है तो फिर संस्कृत को यहां पर इस प्रकार से स्वीकार क्यों नही किया जाता। विश्व को ऐसी देन देने के बाद जो प्रयास किये जाने चाहिए थे वह प्रयास इसमें नहीं किये गये। मंत्री महोदय का उत्तर मेरी दृष्टि से बहुत ही कैजुअल था कि इसके लिए पूना में साफ्ट वेयर तैयार किया जा रहा है।

कम्प्यूटर के लिये संस्कृत की विशेष योग्यता अनेक कारणों से है जिनमे दो प्रमुख हैं— संस्कृत की लिपि ध्वन्यात्मक हैं। वर्णमाला का वर्गीकरण सधि और शब्द निर्माण को नियमबद्ध बना देता है। भाषा का यह संरचनात्मक पक्ष वैज्ञानिक है तथा निश्चित नियमों पर आधारित है। अर्थविज्ञान की दृष्टि से संस्कृत में ज्ञान का अभिव्यक्ति और बोध की विधि अद्वितीय है। वाक्य संरचना की विशेषता यह कि वाक्यों में शब्द: क स्थान परिवर्तन से अर्थबोध और वाक्य रचना दोनों ही दूषित नहीं होते। न्यायदर्शन, व्याकरण एव मीमांसा मे अर्थबोध के विषय में कई दृष्टिकोण मिल जाते हैं। इस प्रकार संस्कृत विश्व की एक विलक्षण भाषा है।

दूसरे, ज्ञान विज्ञान का प्रचुर साहित्य संस्कृत में उपलब्ध है। आयुर्वेद, रोगों की पहचान, औषधि, शल्य चिकित्सा, वास्तुशिल्प, गणित, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, कृषि, ज्योतिष, नक्षत्र विज्ञान आदि विषयों पर प्रामाणिक सामग्री का विशाल भण्डार संस्कृत में निहित है। परन्तु यह अपार वाङ्मय आधुनिक वैज्ञानिकों को उपलब्ध नहीं। अत: यदि संस्कृत के विविध ग्रन्थों का कम्प्यूटरीकरण हो सके तो यह समस्त ज्ञान विषय मानवमात्र को सुलभ हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संस्कृत की कम्प्यूटराइज करना बहुत सरल और सुविधाजनक है और बहुत आवश्यक भी है। इसी कारण से भारत में विमान की धारा को पुनर्जीवित किया जा सकता है और आज की धारा से जोड़ा जा सकता है। प्रश्न या उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने मूल समस्या पर उंगली रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग संस्कृत जानते हैं और संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित हैं, उन्हें कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है, वह कम्प्यूटर विज्ञान से अनभिज्ञ हैं और जिनको कम्प्यूटर का ज्ञान है, वह संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ हैं। असली प्रश्न तो यही था कि इन दोनों को कैसे जोड़ा जाय, इन दोनों को जोड़ने की जो आवश्यकता थी, उसके ऊपर मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में प्रकाश नहीं डाला। मैं जानता हूँ कि आज के अधिकांश कम्प्यूटर वैज्ञानिक, आज के अधिकांश इलैक्ट्रोनिक्स में काम करने वाले पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से प्रभावित है और भारतीय संस्कृत भाषा से वह न केवल पूर्णतया अनभिज्ञ हैं बल्कि उसके प्रति उनके मन में आदर का भाव नहीं है। विश्व में संस्कृत की वैज्ञानिकता पूरी तरह से एक बार निश्चित हो जाने के बाद भी उन्होंने इसके बारे में जो प्रयास करने चाहिए थे, कुछ तो अपनी अनभिज्ञता के कारण और कुछ मानसिक दासता के कारण पर्याप्त

प्रयत्न नहीं किये। जो राजनेता हैं, उन लोगों के लिए भी इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस नहीं हुई कि इस विषय का वोटरों के साथ कोई जुड़ाव नहीं है इसलिए तिरस्कार किया। विषय को श्रेष्ठतम देन भारत की यह हो सकती है, कि संस्कृत भाषा के माध्यम से इस माननीय भाषा को हम कम्प्यूटर की भाषा बनाने में पहल करें, यह बहुत आवश्यक है।

इसके लिए मेरे 3-4 सुझाव हैं और मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि इस के सम्बन्ध में यह बतायें कि क्या यह इस कार्य के लिए एक समन्वित एकीकृत एजेन्सी बनाने को तैयार हैं ? जो एजेन्सी इस बारे कार्य को, संस्कृत भाषा के वैज्ञानिकीकरण को, कम्प्यूटर की भाषा बनाने की ओर दोनों को जोड़ने का जो प्रयास है, उसके लिए प्रयास करें। अभी तक इन्होंने पूना में हो रहे प्रयासों व विद्यापीठ मे हो रहे प्रयासों का उल्लेख किया है, अलग-अलग जगह पर जिसको जो सूझता है, थोड़ा बहुत काम किया जा रहा है परन्तु एक सिंगल एजेन्सी, जो सिंगल इण्टीग्रेटिड एजेन्सी हो, उनको बनायें और यह एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रयोग को प्रारंभ करे। उसको इसके लिए विशिष्ट लक्ष्य दिये जायें कि यह लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को पूरा करें, यह भारत की विश्व को श्रेष्ठतम देन होगी। उसके पास एक अपनी सोफ्टवेयर लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसका एक पृथक बजट होना चाहिए। अभी तक कोई सेपरेट बजट इसके लिए उपलब्ध नहीं है। आप एक आफिसर नियुक्त करें जिसका काम केवल यही हो कि संस्कृत के कम्प्यूटर की भाषा बनाने का यह प्रयास किया जाय और उसके लिए सोफ्टवेयर तैयार किया जाये। उसके लिए दूसरी जितनी आवश्यक सामग्री है, उसको तैयार करें।

इसमें यह लोग रखे जाने चाहिये, जो संस्कृत भाषा के भी प्रकाण्ड पण्डित हों और जो कंप्यूटर साईंस में भी अप्रतिम विद्वान हों। यह दोनों चाजें मिलना थोड़ा कठिन है। जो संस्कृत के पण्डित हैं, विद्वान हैं, जो कालेजों में संस्कृत में एम. ए. करते हैं, दूसरे कोर्स करते हैं, उनको अगर कहा जाए तो यह कम्प्यूटर साईंस के लोग हमारी यूनिवर्सिटीज निकाल रही हैं, उनको अगर उसके साथ संस्कृत भाषा का ज्ञान कराया जाय तो यह भी हो सकता है, दोनों कामों को अगर वह करना चाहें तो बहुत आसानी से हो सकते हैं। अभी भी बी. टेक. और एम. टेक के हमारे कम्प्यूटर विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, उन पाठ्यक्रमों में संस्कृत को भी उसके साथ जोड़ा जा सकता है अगर यह दोनों जुड़ जायें तो दोनों चीजें साथ में इकट्ठी हो सकती हैं और इसलिए मेरे विचार में इसको भी करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त इस समय जो तीन हजार स्कूलों में, कम्प्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, लाखों जगह प्राइवेट जगहों पर कम्प्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, अगर उस शिक्षा को भी संस्कृत के साथ जोड़ दिया जाय तो उनको भी आगे चलकर धीरे-धीरे जब सारा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है तो उसका लाभ दोनों दृष्टियों से हो सकता है। केन्द्र इस प्रकार के पाठ्यक्रम चलाने के लिए, मैंने पहले ही कहा, अलग से बजट बनाये, धनराशि का प्रावधान करे और वित्तीय व तकनीकी सहायता उनको प्रदान की जाय। मैं समझता हूं कि विषय के महत्व को देखते हुए मंत्री महोदय ने जो उस दिन उत्तर दिया था, इसके पश्चात इस काय को वह अधिक गम्भीरता से देखें। विश्व को भारत की ओर से बहुत सी चीजें दी जा सकती हैं, वह विज्ञान में भी दी जा सकती हैं, हमारे आयुर्वेद के माध्यम से भी दी जा सकती हैं। यह सबसे बड़ी देन होगी, आज के युग में कि संस्कृत को कम्प्यूटर की वैज्ञानिक, सक्षम, उपयुक्त भाषा बनाई जाए। यह काम जो विश्व करने जा रहा है, भारत

उसमें अगर सहयोग कर देना तो विश्व के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए भी वह दिन स्वर्णिम होगा। इस कार्य में मन्त्री महोदय कोई लापरवाही न करें। उसके लिए एक विशाल, महान प्रयास करें।

यही मेरा उनसे अनुरोध है।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. कुमार मंगलम (सलेम) : प्रारम्भ में, मैं अध्यक्ष महोदय तथा पीठासीन अधिकारी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस विषय पर अपनी अनुमति प्रदान की तथा इसके लिये आधे-घण्टे की चर्चा की अनुमति दी। जब यह मामला तारांकित प्रश्न के रूप में सदन में आया था तब इस सदन के नोटिस में मूलभूत मुद्दे लाये गये जिनमें से कुछ को पहले ही श्री मल्होत्रा द्वारा उठाया गया है। वह सदन के नोटिस में यह बात लाये हैं कि संस्कृत को उसकी व्याकरण तथा उसके स्वरूप के कारण सर्वाधिक सर्वविदित भाषाओं में से एक समझा गया है जिसे कम्प्यूटर भाषा के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अपनाया जा सकता है जिससे कि इसका उपयोग प्रत्येक पहलू के लिये डबल कोड के रूप में किया जा सके। परन्तु मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी तथा इस सदन के सदस्यों के ध्यान में आपके माध्यम से यह बात बताना मेरे लिये उचित तथा सुसंगत होगा कि संस्कृत भाषा ब्रहमी भाषा से ही अस्तित्व में आई है। तथा ब्रहमी से पूर्व भी हमने एक लिपि देखी जिसे पाली भाषा कहा जा सकता है जिस समय संस्कृत अस्तित्व में आयी लगभग उसी समय तमिल भाषा भी अस्तित्व में आयी थी। उस समय जिन लिपियों का हम प्रयोग करते थे उनमें से ब्रहमी लिपि भी एक है तथा इसका प्रयोग हम लेखन में करते थे। बाद में तमिल भाषा ने अपनी लिपि विकसित कर ली। यदि आप तमिल व्याकरण और पाठ को अर्थों द्वारा इस पर डाले गए प्रभाव से पृथक करके देखें तो आप पाएंगे कि जब तक इस भाषा को लिखने का संबंध है यह उससे बिल्कुल मिलती है। जहां तक हिन्दी में स्त्रीलिंग पुलिंग संबंधी भाषा की जटिलताओं का सम्बन्ध है, वे तमिल भाषा में नहीं पाई जाती हैं। हम शब्दों को लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं करते हैं जैसाकि वे करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात केवल इस बात पर जोर देने के लिए लाना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकता कि संस्कृत एक में अन्य भाषायें अत्यन्त ही सुसंगठित भाषा है परन्तु भारत भी है जिसमें मेरी अपनी मातृभाषा भी शामिल हैं जो अत्यन्त ही सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तथा सुस्पष्ट है। मैं सोचता हूँ कि उस पक्ष को एक तरफ छोड़कर आज इस प्रश्न का महत्व नहीं है कि क्या अकेली संस्कृत भाषा ही कम्प्यूटर की भाषा हो सकते हैं अथवा कोई अन्य भाषा भी कम्प्यूटर की भाषा बन सकती है? कम्प्यूटर, विकास के शक्तिशाली उपकरण केवल तभी हो सकते है जबकि किसी व्यक्ति की अपनी भाषा कम्प्यूटर की भाषा बन जाती है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी को याद होगा कि लगभग 67 वर्ष पूर्व सर्वप्रयुक्त भाषा जिसे अंग्रेजी कहते हैं उसे कम्प्यूटर भाषा के रूप में विकसित किया गया। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि उस भाषा को "मूलभूत" कहा जाये बल्कि मेरा अभिप्राय यह है कि उसे "विशुद्ध अंग्रेजी" कहा जाये। यह सच है कि सोफ्टवेयर पद्धति तथा अन्य सोफ्टवेयर जिनसे अंग्रेजी के कोड तैयार किए गए थे, कुछ ही बड़े थे। यदि मुझे सही याद है तो इसमें लगभग 540 किलोबाईट मैमोरी डाली जाती थी जिससे अंग्रेजी स्कूलों में सोफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में काफी गति आयी थी। इसी प्रकार से मुझे पूरा भरोसा है कि आप भारतीय भाषाओं का भी कम्प्यूटर आधारित भाषाओं के समान विकास कर सकते हैं। जो कि कभी-कभी थोड़ी सी अव्यवस्थित, अस्पष्ट भाषा थी। यह आवश्यक नहीं है कि एक भाषा की प्रत्येक स्वामी को उस भाषा के उद्धरण में लाया जाए जिसका प्रयोग आप कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग के उद्देश्य के लिए करते

हैं। यदि मैं यह कहूँ कि जिस रूप में हम समस्या को समझते हैं तथा जिसका वास्तव में आप सामना कर रहे हैं तथा इससे पूर्व आपने सदन में पहले ही इस बारे में बताया है कि यह अन्तर विषय से संबंधित मामला है अर्थात जो व्यक्ति संस्कृत अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं हैं तथा जिन्हें कम्प्यूटर का ज्ञान हैं वह संस्कृत नहीं जानते हैं। इस तथ्य की कोई आलोचना नहीं की जाती कि आज संस्कृत को इतिहास जानने के लिए अधिक सीखा जा रहा है तथा इसके उपयोग के लिए कम सीखा जा रहा है। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं कहता है कि यह सौभाग्यपूर्ण हैं। अतएव, जो व्यक्ति बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषायें तथा अन्य भाषायें जानते हैं उनको ढूंढ़ पाना आप अधिक आसान समझते हैं। उन भाषाओं की सुस्पष्टताओं को लें तथा उनकी कमियों को अलग छोड़ दें तथा एक ऐसी भाषा बनायें जिसको प्रोग्रामिंग अपनी मातृभाषा जानने वाला आम आदमी कर सके। आखिरकार ASCII कोड तयार करने का उद्देश्य क्या है तथा इस कोड से अन्त में प्रोग्रामिंग के उद्देश्य के लिए एक ऐसी भाषा को तैयार करने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य कम्प्यूटर के लिए कोई ऐसी कोड भाषा तैयार करना है जिसे सब जानते हो।

यदि मैं सही समझ रहा हूँ तो इस समय यदि प्रोग्राम को ऐसी भाषा में किया जाता है जिसे मैं पूरी तरह से समझता हूं तथा जिसके द्वारा मैं अपनी बात व्यक्त कर सकता हूँ, ऐसी स्थिति में प्रोग्राम अधिक आसान होगा। यदि आप संस्कृत भाषा को प्रोग्रामिंग की भाषा बनाते हैं तब पुनः आपके सामने वही कठिनाइयां आयेंगी जो आज आप अंग्रेजी अथवा बेसिक अथवा नई भाषायें कोबल अथवा फोरट्रेन आदि के सामान उप-विषयों के मामले में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अर्थात् कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिये आपको दूसरी भाषा सीखनी होगी। क्या उस चरण से गुजरना आवश्यक है? अतः मैं समझता हूं कि वास्तव में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिये कि संस्कृत भाषा की किसी भी रूप में उपेक्षा नहीं की जाये संस्कृत को आधार बनाया जा सकता था परन्तु अन्त में भारतीय क्षेत्रीय भाषायें अथवा भारतीय भाषायें कम से कम वे भाषायें जो हमारी अनुसूची तथा संविधान में दी हुई हैं, उन भाषाओं को कम्प्यूटर भाषा तैयार करने के लिये आधार होना चाहिये। इससे यह होगा कि आप ऐसा वातावरण बना पायेंगे जिसमें एक आम आदमी चाहे वह गांव में रहने वाला हो तथा जो अपनी मातृभाषा बोलता हो तथा जो निरक्षर है परन्तु उसमें प्रोग्रामिंग करने की योग्यता है तथा जो एक प्रोग्राम की योजना बना सकता है वही व्यक्ति कम्प्यूटर की भी प्रोग्रामिंग बनाने में सक्षम होगा।

दुर्भाग्य से कम्प्यूटर एक ऐसा 'ब्लेक-बौक्स" हो गया है जिसे अधिकांश व्यक्ति समझते नहीं हैं। वे सोचते हैं कि यह एक अत्याधुनिक, स्वचलित उपकरण है जो कि वास्तव में यह नहीं है। इसे "आन" और "आफ" करके तथा इसमें एक "जीरो" तथा एक कोड दिया जाता है तथा अंकगणित तथा गणित के सादा सिद्धान्तों का प्रयोग करके प्रोग्रामिंग द्वारा विश्लेषण करने की योग्यता का विकास किया जाता है। जो कुछ हम सिखाते हैं यह वही है। इसकी अपनी कृत्रिम प्रतिभा नहीं है जिसका विकास परम्परा जैसी किसी चीज से किया गया हो। यह एक यंत्र मात्र है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस यंत्र का उपयोग कितने प्रभावी रूप में करते हैं। आप इस यंत्र के "सम्पर्क" के अर्थ में जितना निकट होंगे आप इस यंत्र को उतना ही अधिक समझ सकेंगे तथा उतने ही प्रभावी रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।

26 मार्च को दिये गये अपने उत्तर में जो आपने 17 करोड़ रु. आबंटित किये हैं तो मेरा अनुरोध है कि संस्कृत तथा अन्य सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिये 17 करोड़ रु. का कुल

आबंटन अगली योजना अवधि के लिए है। तथा यह धनराशि बहुत कम है तथा विसंगत है। आप केवल संस्कृत के साथ भी न्याय नहीं कर सकेंगे। यदि आप वास्तव में कम्प्यूटर भाषा एवं आधारित भारतीय भाषा का विकास करना चाहते हैं तब यह आवश्यक है कि आप इसके लिये उचित धनराशि प्रदान करें। यदि आप प्रत्येक भारतीय जो कि मूलभूत रूप से प्रतिभावान है उसकी वास्तविक प्रतिभा को निखारना चाहते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि हमारी सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है जो हमें विश्लेषणात्मक प्रतिभा प्रदान करती है। हमारी विविधता में ही हमारी शक्ति है, फिर ऐसा क्यों होता है कि वे इस मानवीय संसाधन का उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं ? क्योंकि हम उसे इस कार्य को करने के लिये साधन नहीं दे रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि जब एक कम्प्यूटर आम आदमी की सम्पत्ति नहीं बन जाते, वे कभी भी एक उपयोगी उपकरण साबित नहीं हो सकते। यह उन पूंजीपतियों के लिये एक यंत्र बनकर रह जायेगा जो शारीरिक श्रम को समाप्त करना चाहते हैं। यह उन व्यक्तियों के लिये एक साधन बन जायेगा जो सक्रिय बनना चाहते है, जो कम्प्यूटर के नाम से दूसरों को धोखा देना चाहते है तथा जो समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते है। आज इसका इस्तेमाल इसी उद्देश्य हेतु किया जा रहा है न कि उस उद्देश्य के लिये जिसके लिये इसका उपयोग एक साधन के रूप में होना चाहिये। यहां तक कि छोटा गणक भी स्वयं एक कम्प्यूटर है क्योंकि यह साधारण अंकगणित करता है तथा इससे व्यक्ति तुरन्त ही जान सकते हैं कि दो और दो चार होते हैं। यह यही सब दर्शाता है। इसमें इतने अधिक प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु वह गणक भी निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। यह केवल शहरों में ही है। परन्तु क्या यह हमारे गांवों तक पहुंच पाया है ? नहीं। इसका कारण यह है कि इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है अर्थात् वह सांख्यिक भाषा जिसमें 1, 2, 3, 4 इत्यादि की अरबी तकनीक होती है तथा जिसे हमने अपनाया है उसमें अभी भी कुछ जटिलता है। यह आवश्यक रूप से इसलिए है क्योंकि हम इससे परिचित नहीं होते हैं। कोई भी नहीं जानता कि यह कैसे कार्य करता है। जब तक हम कम्प्यूटरीकरण की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते तब तक मुझे यह बताते हुए दुःख होता है कि कम्प्यूटर वे खिलौने बने रहेंगे जिनकी प्रशंसा समाज के उच्च वर्गों द्वारा की जाती है तथा उनसे आनन्द उठाया जाता है न कि वे वास्तव में विकास का साधन होते हैं।

यदि आवश्यक हुआ तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि आप कम्प्यूटर आधारित भारतीय भाषा तैयार करने के लिये कम से कम आधी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को मार्गनिर्देशिका नियमावली के रूप में बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम दस गुना आबंटन राशि बढ़ानी होगी।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के माध्यम से यह उजागर हुआ कि कंप्यूटर के द्वारा सक्षम रूप में संस्कृत को ग्रहण किया जा सकता है। आज प्रश्न यह है कि भारत को आजाद हुए 40 साल हो रहे हैं लेकिन भारत, भारत का रूप नहीं बन पा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि भारत को समझने के लिये उसकी भाषा को समझना होगा। अभी माननीय कुमार मंगलम जी ने कहा कि हम क्षेत्रीय भाषाओं की तरफ जोर दें। मैं क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध नहीं करता लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हमारी प्रसिद्धि जग में थी और हम दुनियां में सबसे आगे माने जाते थे। नालन्दा तक्षशिला महाविद्यालय के नाम पर आज भी उनके खण्डहर

बता रहे हैं कि हमारी क्या बुलन्दियां थी ? इससे यह बात प्रमाणित होती है कि नालन्दा तक्षशिला के अन्दर सारा विश्व शिक्षा ग्रहण करने के लिये आता था। उसकी भाषा क्या थी - सीधी साधी संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा के माध्यम से हम दुनिया भर में अपना ज्ञान देते थे, अक्षुण भण्डार देते थे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीज गणितम और रेखा गणितम नाम की जो पुस्तकें हैं—आज लोग तो समझते हैं कि ज्योतिष की भाषा है, जन्मपत्री की भाषा है और पंडित जी के पत्रे की भाषा है, लेकिन ज्योतिष के अन्दर लगातार शास्त्रीय और आचार्यत्व तक जो पढ़ाई होती है, उसमें केवल बीज गणित और रेखा गणित के आधार पर ही सारी की सारी जंग चलती है। मेरा निवेदन है कि आयुर्वेद को समझने के लिए आज आयुर्वेद की बात की जा रही है। प्लास्टिक सर्जरी आज सारे विश्व को चकाचौंध कर रही है—यह प्लास्टिक सर्जरी आज से 15 साल पहले कहीं नहीं थी। इसे इण्डियन प्लास्टिक सर्जरी के नाम पर आज भी इण्डिया नाम देना पड़ रहा है। आज की प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत संहिता के अंदर थी। सुश्रुत संहिता में से विदेशों ने खोज कर इंडियन प्लास्टिक सर्जरी को जग-जाहिर किया। आयुर्वेद दुनिया का इतना समृद्धशाली साहित्य था जो आज लुप्तप्राय हो गया है। माननीय कुमारमंगलम जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि मुगलों ने अपने हमाम में बेगमों का पानी गर्म करने के लिए हमारे प्राचीन साहित्य का इस्तेमाल किया। पुराने लोगों ने, पूर्वजों ने हमारी संस्कृति का निर्माण किया था, पाणिनी की सिद्धांतकौमुदी पढ़ने के लिए मेरे गुरू ने मुझ से कहा कि इसको ऐसे ही पढ़ना नहीं है, बल्कि मौखिक याद करना है। मैंने उसको मौखिक याद किया और दूसरे लोगों को बताया। आयुर्वेद के ग्रंथों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आज से 16-17 सौ साल पहले माधवकर आचार्य ने उसमें एक श्लोक लिखा था—

सर्वएव प्रमेहास्तु, कालेना प्रतिकारिणा,
मधुमेहत्व मायान्ति, तदासाध्या भवतिहि।

आज डाक्टर सिर्फ डायबिटीज की बात करते है, लेकिन आयुर्वेद ग्रंथ इतने समृद्धशाली थे कि उनमें कहा गया है कि 20 प्रकार के प्रमेह होते हैं, 20 प्रकार के प्रमेह कुछ काल के बाद मधुमेह में परिणत हो जाते है और तदासाध्या भर्वतिहि उसके बाद यह असाध्य है। आज के वैज्ञानिक इक्कीसवीं सदी की बात करते हैं, लेकिन आज तक डायबिटीज की कोई औषधि नहीं निकाल सके हैं, आज भी यह रोग असाध्य है। दुनिया को इंसुलिन देने वाला व्यक्ति स्वयं डायबिटीज के कारण ही मर गया, वह अपना ट्रीटमेंट स्वयं नहीं कर सका और हमारे आयुर्वेद ने 16-17 सौ साल पहले बता दिया था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे आयुर्वेद को, हमारे खगोल शास्त्र को, हमारे भूगोल कोसब लोगों ने आज भुला दिया है। आज भी संस्कृत साहित्य में महान कृतियां उपलब्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम्, रघुवंश महाकाव्यम्, मेघदूत आदि का अध्ययन करके इस बात का पता लग सकता है। आज पाश्चात्य जगत में जीने वाला व्यक्ति शेक्सपियर की बात करता है, लेकिन शेक्सपियर अभिज्ञान शाकुंतलम के सामने कुछ भी नहीं है, उसकी धूल के बराबर है। इतना बड़ा महान ग्रंथ मेघदूत में हमारी संस्कृति के सारे स्वरूपों को प्रदर्शित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारत को समझना है, कुमारमंगलम जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भारत को समझना है तो भारतीय संस्कृति को समझना होगा और भारतीय

संस्कृतिम को समझना है तो संस्कृत भाषा के माध्यम से ही उसको समझा जा सकता है। जब तक हम संस्कृत के लिए पर्याप्त धन नहीं देंगे, पूरा ध्यान इस ओर नहीं देंगे, तब तक अपनी संस्कृति को हम आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। आज इस कार्य में कोताही बरती जा रही है। मुझे याद है कि राजस्थान में संस्कृत का अलग मंत्रालय था, आयुर्वेद का अलग मंत्रालय था, आज राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर संस्कृत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बजट में और अधिक धन का प्रावधान कीजिए। मुझे याद है कि बजट में प्रावधान रखने के बावजूद बलट लैप्स हो जाता है, उसका पर्याप्त उपयोग नहीं किया जाता। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, समाचार जगत में संस्कृत भाषा में समाचार देने का काम सबसे पहले आज से 15 साल पहले जर्मनी में प्रारंभ किया गया। वहां पर समाचारों के लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर अब 5-7 साल से 5-7 मिनट का बेसमय संस्कृत समाचार प्रसारण शुरू किया गया है, जिस वक्त कोई आदमी समाचार सुनने की आवश्यकता नहीं समझता, उस समय संस्कृत समाचार प्रसारण प्रारंभ होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर भारत को बनाना चाहते हैं, भारत को दुनियां के अन्दर फिर से जगदगुरू का दर्जा दिलाना चाहते हैं तो संस्कृत के लिए अधिक धनराशि का आवंटन कीजिए। आज दुर्भाग्य की बात है कि जिन विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, वहां भी धीरे धीरे इसको करटेल किया जा रहा है। केन्द्रीय विद्यालय जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उनमें संस्कृत को लुप्त कर दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय हिम्मत करें और शिक्षा मंत्री जी को कहें कि आने वाले सत्र से जो जुलाई में शुरू होने जा रहा है, संस्कृत की शिक्षा को इन विद्यालयों में फिर से प्रारंभ कर दिया जाए। इसके लिये कोई पायलट प्रोग्राम बनाकर शिक्षा जगत में नई व्यवस्था की जानी चाहिए, तभी आप संस्कृत का कुछ उत्थान कर सकेंगे, भारत को भारत बनाने की स्थिति में आ सकेंगे। भारत अगर जगतगुरू बनेगा, दुनियां का मार्गदृष्टता बनेगा तो केवल संस्कृत के माध्यम से बनेगा। और कोई भाषा भारत को भारत नहीं बना सकती। भारत पर जिस प्रकार से दिन-प्रति-दिन संकट बढ़ता जा रहा है, भारत को संकट से उबारने का जो तरीका है वो केवल मात्र संस्कृत भाषा है। यह कम्प्यूटर ने भी प्रमाणित कर दिया है। यह कहना कि संस्कृत भाषा बहुत मुश्किल भाषा है, इसे समझ नहीं पायेंगे, मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि सोमैय्या विश्व विद्यालय ने बम्बई में 10 दिन के अन्दर संस्कृत भाषा में बोलने और पढ़ पाने की गारण्टी दी है। माननीय संसद-सदस्य अगर चाहें तो मैं इसकी व्यवस्था कर सकता हूं। 10 दिन में संस्कृत भाषा में बोलने और पढ़ने की व्यवस्था समुचित रूप से हो सकती है। संस्कृत भाषा मुश्किल नहीं है, यह कूट-विचार है, यह योजनाबद्ध षडयन्त्र है। जिसके माध्यम से संस्कृत के साथ अन्याय किया जा रहा है। मंत्री महोदय कृपा करके इसके लिए बजट का प्रावधान करें। अगर सरकार इसके लिए अलग से मंत्रालय बना दे, अलग से इसका मंत्री हो तो निश्चित रूप से कोई न कोई संस्कृत भाषा की चिन्ता करने के लिए तैयार होगा।

इसी तरह से आयुर्वेद की बात है। मेरा निवेदन है कि केन्द्र में आयुर्वेद का अलग से मंत्रालय बने। जिसके आधार पर आयुर्वेद भी बढ़ेगा और संस्कृत भी बढ़ेगी और पुरानी परम्पराएं बढ़ेंगी। पुरातन तौर-तरीके ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी नींव पुरानी होगी तो मेरे देश का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत पहले आयी, तमिल पहले आयी या मलयालम पहले आयी, इस विषय को मैं कुमार मंगलम और मेनन साहब के लिए छोड़ देता हूं। मेरी दिक्कत यह है कि पाली, ब्राह्मी और संस्कृत में से पहले पाली और ब्राह्मी धीरे-धीरे रिसर्च का विषय रह गयी। कुछ लोग इनके विषय में जानकारी रखते हैं। शायद हमारी पीढ़ी के लोगों को पता नहीं होगा कि ये भी हमारी भाषाएं थीं। धीरे-धीरे संस्कृत भी उसी कोटी में चलती जा रही है। इस समय संस्कृत का प्रचलन कम होना और कुछ ही लोगों तक सीमित रहने के कारण यह है कि इसको हमने आम व्यक्ति की रोजी-रोटी से डिलिंक कर दिया। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, चाहे बिहार में हों या उत्तर प्रदेश में हों जो इस काम पर लगी हुई हैं। संस्कृत भाषा को जो लोग व्यवहार में लाते हैं, पूजा पाठ या दूसरी चीजों के लिए, ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, उन संस्थाओं को जब मदद करने की बात आती है तो राज्य सरकारें भी और केन्द्र सरकार भी मदद तो देती हैं लेकिन वह मदद नाकाफी होती है।

मलहोत्रा साहब की दिक्कत यह है कि आपने संस्कृत भाषा को कम्पयूटर के लिए साफ्टवेयर तैयार करने के विषय में बहुत कम धनराशि रखी है। बेसिक रिसर्च की दिशा में कोई काम नहीं किया गया है। हमारी दिक्कत यह है कि जो संस्थाएं संस्कृत भाषा को जीवित रखने का काम कर रही हैं उनको मदद देने के मामले में आपके विभाग का दृष्टिकोण बहुत ही उदासीन है। आप उनको बहुत कम मदद देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कम्प्यूटर और माइक्रोप्रोसेसर के साथ धीरे-धीरे जो भारतीय भाषाएं राज-काज के काम में आ पायी थीं वे कम होती जा रही हैं। जितनी मैकेनिकल ऐड आ रही हैं उसके साथ-साथ हमारी भाषाओं ने जो स्थान सरकारी काम-काज में प्राप्त कर लिया था, हम उसके बीच में समन्वय नहीं रख पा रहे हैं। हिन्दी का प्रचलन जिस स्तर पर पहुँच गया था आज वह प्रचलन कम्पयूटर के आ जाने से फिर से अंग्रेजी प्राप्त करती जा रही है। दूसरे जो हमारी क्षेत्रीय भाषायें हैं उनमें भी हम सोफ्ट-वेयर कम्प्यूटर तैयार कर रहे हैं, लेकिन वे केवल शोपीस के तौर पर ही तैयार किये गये हैं। उनको आम जरूरत के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की गई है। इस विषय में चर्चा हुई है और कहा गया कि हम भारतीय भाषाओं के विषय में टेक्नोलोजी मिशन के तहत एक अम्ब्रेला के अन्दर सारा काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वह टेक्नोलॉजी मिशन साइंस एण्ड टेक्नोलोजी मिनिस्टरी की देखरेख में चल रहा है इसलिए और भाषाओं के विषय में को-आर्डिनेटेड डवलपमेंट का काम शिक्षा मंत्रालय का है, दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। इलेक्ट्रोनिकी विभाग यह समझता है कि उसने ये जो बेसिक काम कर दिया है तो यही पर्याप्त है और उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है और उसके प्रचलन को दूसरे विभागों पर छोड़ देते हैं, लेकिन यह विभाग उसको एडाप्ट नहीं करना चाहते हैं। चाहे इलेक्टोनिक विभाग के अन्तर्गत चलने वाले पटो के संस्थान हों या आपके मंत्रालय की देखरेख में चलने वाला संस्कृत विद्यापीठ हो आज उनके बीच में को-आर्डिनेशन नहीं है वह आप करें और न केवल संस्कृत के विषय में बल्कि दूसरी भारतीय भाषाओं के विषय में करें ताकि दूसरी भाषाओं में भी कम्प्यूटर में सोफ्टवेयर तैयार करने का काम तेजी से प्रगति कर सके, इतनी तेजी से तैयार करने की जरूरत है ताकि हम कम्प्यूटर में अंगरेजी के दखल को कम करके या उसको पूरी तरह से बेदखल करके भारतीय भाषाओं को आगे लायें, क्योंकि आज अंगरेजी ने इन सब भाषाओं को पीछे कर दिया है इसलिए इनके बीच के गैप को हमें बढ़ाने का काम करना चाहिए। आज कम्प्यूटर आम प्रचलन धीरे-धीरे आता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि

वह कुछ लोगों के ड्राइंग रूम या शीर्ष अधिकारियों तक सीमित रहा हो। जिस तेजी से कम्प्यूटर हमारे दैनिक जीवन में प्रवेश करता जा रहा है इसके लिए आवश्यक है कि हम भारतीय भाषाओं के अन्तर्गत सोफ्टवेयर कम्प्यूटर तैयार करने के मामले में एक पूरी योजना से काम करें और को-आर्डिनेटेड मैनर से काम करें। उसके लिए धन की व्यवस्था करना आपके मंत्रालय का काम होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिकी विभाग का रिसर्च का काम करने के बाद उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने का काम है, आगे कैसे विकास हो यह आपके मंत्रालय का काम है। लेकिन आपके मंत्रालय द्वारा इस दिशा में अधिक प्रयास नहीं किये गये हैं, यदि किये भी गये हैं तो हो सकता है कुछ फाइलों के ऊपर हों उसका जमीन पर कोई असर नहीं नजर आता है। इस दिशा में अधिक से अधिक धनराशि मुहैया कराने का काम किया जाना चाहिए। हमारे मित्र ने शिकायत की कि कुमार मंगलम जी ने यह कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका संस्कृत से कोई विरोध नहीं है और उन्होंने संस्कृत के विरोध में बात कही है। उन्होंने कहा कि सवाल केवल संस्कृत का नहीं है, कम्प्यूटर संस्कृत में कितना ग्राह्य हो सकता है उस पर रिसर्च करनी चाहिए। यदि वह फीड नहीं कर सकता है तो उस काम को देखने के लिए हमारे वैज्ञानिक हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं। वे इस दिशा में काम करेंगे और उनकी मदद करना सरकार का काम है।

मैं अन्त में एक सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालयों में हमारी प्राचीन भाषाओं और विशेष तौर पर ऐसी भाषायें जिन भाषाओं के बीच में देश में कोई ताल्लुक है, जैसे संस्कृत में और तेलुगू में आशीर्वादम् शब्द है, मैं कोई तेलुगू का जानकार नहीं हूं लेकिन इसको हम दोनों भाषाओं में एक ही स्वर से उच्चारित करते हैं और हिन्दी में भी इसमें कोई अन्तर नहीं है। ऐसे जो लिंक बन सकते हैं उसके आधार पर कामन स्क्रिप्ट कम्प्यूटर में विकसित करने की दिशा में आपके मंत्रालय को काम करना चाहिए और इस दिशा में जो हमारे संस्थान काम कर रहे हैं उनको यह जिम्मेदारी सौंपी जाना चाहिए।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डे (मन्दसौर): मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत एक अत्यन्त ही वैज्ञानिक भाषा है और सभी भारतीय भाषाओं की जननी कही जाती है किन्तु इसके अध्ययन और अध्यापन के लिए या प्रचार या प्रसार के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिये थी, वह आज तक संभव नहीं हुई है। संस्कृत को एक समुचित स्थान मिलना चाहिये था और जिस प्रकार से उसका उपयोग हिन्दी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में होना चाहिये, वह नहीं हो पा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि उसके अध्यापन और अध्ययन के लिए पर्याप्त सुविधायें सरकार की तरफ से उपलब्ध करायी जानी चाहिये। आज जहां जहां संस्कृत के अध्यापन की व्यवस्था की गयी थी या तो वापिस ली जा रही है या उनका ढंग ठीक नहीं है जिसके कारण संस्कृत के प्रति लोगों का रुझान नहीं हो रहा है और यही कारण है कि एक बहुत अच्छी भाषा होते हुए भी जिसका बहुत बड़ी उपयोगिता है उचित उपयोग में नहीं ला रहे हैं। यदि हिन्दी की शब्दावली कहीं ढूंढने जायें या दूसरी भाषा के साथ शब्दावली ढूंढने जायें तो संस्कृत की ओर देखना पड़ेगा। फिर चाहे चिकित्सा ग्रन्थ हो, चाहे हमारा वैज्ञानिक ग्रन्थ हो या अन्यान्य ग्रन्थ हों। हमें संस्कृत की प्राथमिकता की दृष्टि से आवश्यकता होगी। मैं चाहता हूं कि हमारी क्षेत्रीय भाषायें समृद्ध हों। उनकी अपनी उपयोगिता है और उनका अपना स्थान है। लेकिन संस्कृत का स्थान वे भाषायें नहीं ले सकती हैं। इसलिए इन दोनों को पृथक देखा जाना आवश्यक है।

जहां तक संस्कृत के अध्यापन और अध्ययन का सम्बन्ध है और जहां तक कम्प्यूटर द्वारा

संस्कृत के प्रयोग की बात हम कर रहे हैं इसके लिए जब तक ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं इसके लिए अध्यापक तैयार नहीं किये जाते हैं, तब तक हमारे लिए ठोस काम नहीं हो सकेगा और इसके लिए कोई निश्चित उपाय करना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी अवश्य बतायेंगे कि कम्प्यूटर में प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने संस्कृत पढ़ाने वाली अध्यापन संस्थायें चुनी हैं। यदि सरकार ने ऐसी संस्थायें चुनी हैं तो वे कौन कौन सी हैं और क्या वे सरकार द्वारा अथाराईज्ड हैं या सरकार ने उनको रेकोग्नाइज किया हुआ है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अध्यापक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत या किसी अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत पढ़ाने की कोई योजना शुरू की गयी है तो क्या इसके लिए कोई सॉफ्ट वेयर करके संस्थायें खोलने की योजना है या वर्तमान में जो कार्यरत संस्थायें हैं, उनको यह काम सौंपा गया है। जिससे कि आवश्यक धनराशि उन्हें दी जा सके और ठोस योजना बनाकर इनके लिए उपलब्ध करा सकें जिससे संस्कृत की कम्प्यूटर द्वारा प्रशिक्षण सम्बन्धी जो हमारी नीति है या जो हम चाहते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ सकें।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या विद्यालयों में प्रयोग के लिए संस्कृत के लिए कोई सॉफ्ट वेयर तैयार किये गये हैं या नहीं किये गये हैं? यदि इसके बारे में सरकार का कोई निश्चित मत है जिसके बारे में कोई सॉफ्ट वेयर तैयार किये जाने चाहिये तो कब तक तैयार किये जायेंगे और उस आधार पर सरकार द्वारा की जाने वाली क्या कार्रवाई है?

मैं अन्त में माननीय मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि इन सब आधारों को देखते हुए कि संस्कृत का अपना एक स्थान है, अपनी एक उपादेयता है और आज की स्थिति में संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो हमारे लिए साधन स्वरूप है और एक समृद्ध भाषा के रूप में मानी ही नहीं अपितु वह समृद्ध हैं उसकी वैज्ञानिकता को देखते हुए उसको कम्प्यूटराईजड ढंग से या अन्यान्य ढंग से उसके प्रचार और प्रसार की सरकार क्या सुविधा दिलायेगी? या सरकार अन्यान्य भाषाओं के विकास के लिए जो धनराशि उपलब्ध कराती है, संस्कृत के लिए भी अलग से धनराशि उपलब्ध करायेगी? जहां तक इसके अध्यापन और अध्ययन का सम्बन्ध है, अनेक प्रदेशों में इसकी व्यवस्था की गयी है लेकिन वह व्यवस्था वापस ली जा रही है। मैं चाहता हूं कि सामान्य स्तर पर पाठ्यक्रमों में भी संस्कृत का प्रयोग अनिवार्य किया जाना चाहिये। जिससे लोग उसमें रुचि लेकर आगे बढ़ सकें और उसके प्रति स्वाभाविक रूप से रुचि जागृत हो सके और उसके बारे में जान सकें। अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा कि क्या इसके बारे में कोई प्रशिक्षण देने के लिए वर्तमान में कोई कार्यक्रम आपने हाथ में लिया हुआ है या नहीं? यदि है तो उसे गति देने की आवश्यकता है ताकि संस्कृत धीरे धीरे अपना स्थान प्राप्त कर सके।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. जी. के. मेनन) : महोदय, सर्वप्रथम मैं प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा को यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही उन सब माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिये। लेकिन सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि संस्कृत और कम्प्यूटर के प्रश्न की अपेक्षा इस मुद्दे पर अधिक व्यापक चर्चा हुई है। इसके अन्तर्गत सभी भारतीय भाषाओं पर- संस्कृति के प्रश्न पर, आयुर्वेद, नक्षत्र विज्ञान, बीजगणित ज्यामिति और प्राचीन काल से अर्जित

सम्पूर्ण ज्ञान पर चर्चा हुई है। और मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की चर्चा पर न सिर्फ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों द्वारा भी विचार किया जाना चाहिये।

अब मैं यह कहना चाहूंगा कि तारांकित प्रश्न, जिसका उत्तर मैंने दिया है और विशेष रूप से जिसमें संस्कृत और कम्प्यूटरों के उपयोग पर चर्चा की गयी है, के कारण यह चर्चा शुरु हुई और इसलिए उस अवसर पर पूरक प्रश्नों का जो उत्तर मैंने दिया है उसका एक बड़ा भाग इस प्रश्न विशेष से संबंधित है और मैं इस मुद्दे से ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर्वप्रथम, हमें यह बात स्वीकार करनी है कि हमारे यहाँ अनेक भाषायें हैं और वर्षों से जिस प्रकार से भाषायें सिखलाई जा रही हैं उसे नई प्रौद्योगिकियों से लाभ पहुंचा है। हम इस बात से भिज्ञ हैं कि सैकड़ों पहले यदि आप कोई भाषा सीखना चाहते थे तो आपको उस जगह, उस देश, उस क्षेत्र में जाकर और वहां के लोगों से उसे सीखना पड़ता था आप उस भाषा को कक्षाओं में सीखते थे लेकिन आज आप प्रक्रियाओं के अनुक्रमण द्वारा, जिसमें पहले ग्रामोफोन रिकार्ड सम्मलित था, फिर कैसेट, वीडियो आदि द्वारा आप स्वयं उस प्रकार का वातावरण बना सकते हैं और इस प्रकार न केवल शब्दों और व्याकरण के संदर्भ में, बल्कि आप उस व्यक्ति के समान वह भाषा सीख सकते हैं जिसकी यह मातृ-भाषा है। इसलिए इस संदर्भ में शिक्षा संबंधी तकनीकों में विकास हुआ है। इसी अर्थ में मैंने पहले किये गये प्रश्न और उसके उत्तर में संस्कृत सीखने और पढ़ाने में कम्प्यूटर के उपयोग का उल्लेख किया था। यह पहली बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। इस संदर्भ में मैं पहले ही विस्तार पूर्वक बता चुका हूं अतः मैं फिर से इसकी चर्चा, उन कार्यक्रमों की चर्चा जो कि इलैक्ट्रानिक्स विभाग के अन्तर्गत शुरु किये गये हैं, नहीं करूंगा।

अब मैं दूसरे पहलू की चर्चा करना चाहूंगा जो कि कुछ भिन्न है और वह माननीय श्री कुमारमंगलम द्वारा सामान्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से कम्प्यूटरों के उपयोग से संबंधित मुद्दे के संदर्भ में है। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल का उल्लेख किया था कि उदाहरण के लिये यदि कम्प्यूटरों को सिर्फ अंग्रेजी भाषा के 'इनपुटों' और 'आउटपुटों' से ही संचालित किया जा सकता है तो देश में इसका इस्तेमाल बहुत सीमित हो जाता है। सिर्फ वे लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो अंग्रेजी जानते हैं और देश में अधिकांश लोग अंग्रेजी नहीं जानने वाले हैं। उन्होंने यह प्रश्न किया था कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों जैसे कम्प्यूटर आदि को हमारे संविधान में प्रस्तावित सभी भाषाओं के अधिकतम लोगों को उपलब्ध करा कर किस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। और यह हमारे कार्य का दूसरा पहलू है। अब तक जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, इस देश में कम्प्यूटर के उपयोग में अंग्रेजी के 'की बोर्ड' का इस्तेमाल होता है जिसका अर्थ है कि आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, कम्प्यूटर में निवेश हेतु तथा जानकारी प्राप्त करने हेतु अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान होना चाहिये। इसलिए अब इस बात के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और इस रूपान्तर में सफलता भी मिली है जिसका अर्थ है कि अब इस प्रकार के 'की बोर्ड' बनाये जायेंगे जो कि सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं होंगे बल्कि वे किसी भी भारतीय भाषा या देवनागरी लिपि में उपलब्ध होंगे और अन्य भाषाओं जो कि देवनागरी लिपि में नहीं हैं जैसे तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु आदि में भी उपलब्ध होंगे। इसका दूसरा पक्ष भी है अर्थात् यदि कोई सिर्फ तमिल जानता है या सिर्फ कन्नड़ जानता है या सिर्फ मलयालम जानता है या सिर्फ गुजराती जानता है और

वह कम्प्यूटर का उपयोग करना चाहता है तो वह ऐसा कर पायेगा। अब किस प्रकार वे अपनी भाषा में कम्प्यूटर में निवेश करेंगे और परिणाम प्राप्त करेंगे ? यह एक दूसरे प्रकार का कार्य है जिसमें बहुत ही उन्नत तकलीफ की आवश्यकता है और इस अर्थ में इसकी आवश्यकता है कि आप कोई भी आंकड़ा कम्प्यूटर में भर सकते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा में हो सकता है लेकिन उसका विश्लेषण आप उत्तर प्रदेश में हिन्दी में प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कम्प्यूटर द्वारा इसे वहां नहीं दिखाया जा सकता है। कम्प्यूटर प्रणाली की अपनी प्रणाली क्षमता है और अब आप हिन्दी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए प्रश्न सभी भाषाओं को इसमें शामिल करने का है। इस स्तर पर यह अनुवाद नहीं है। यह भिन्न-भिन्न रूपों में 'ईन पुट'—'आउट पुट' है। मैं इसे अनुवाद से भिन्न करना चाहता हूं।

तीसरा क्षेत्र जो लोगों के हित में हैं, उसमें अत्यधिक सफलता नहीं मिल पायी है। इस क्षेत्र में प्रयास किये जा रहे हैं, शोध किये जा रहे है। मशीन द्वारा अनुवाद का अर्थ यह है कि यदि मैं तमिल भाषा में या मलयालम में कोई कविता या उपन्यास लिखता हूं और आप चाहते हैं कि हिंदी या रुसी या चीनी भाषा में मशीन द्वारा आपको उस उपन्यास या कविता का अनुवाद मिल जाये तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए आज हमारे पास अनुवादक के रूप में ऐसे व्यक्ति है जो दोनों भाषाओं को जानते हैं और उनमें अनुवाद कर सकते हैं। यह तीसरा पहलू है।

इस चर्चा के प्रस्तुतकर्ता प्रो. मल्होत्रा ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जो कि संस्कृत की मूल भूमिका से संबंधित है और जिस प्रकार से आज संस्कृत का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका वर्णन मैंने किया है उससे यह एक प्रकार से भिन्न है। यदि आप अंग्रेजी जानते हैं तो आप किसी भी कम्प्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, आमतौर पर जिसका लोग उपयोग करते हैं। वे फोट्रान भाषा प्रणाली, 'बेसिक' या 'कोबल' या अन्य भाषा प्रणाली जानते हैं और वे आसानी से कम्प्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें 'ईन पुट' लगाते हैं और 'आउट पुट' प्राप्त करते हैं, अपने प्रोग्राम आदि बना सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि क्या भारतीय भाषाओं में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ? लेकिन एक बहुत ही आधारभूत मुद्दा कम्प्यूटरों में एक भाषा के रूप में संस्कृत के उपयोग का उठाया गया है। इस मुद्दे की चर्चा करने से पहले मैं कुछ अन्य बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा।

प्रथम तो इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि संस्कृत एक अत्यन्त समृद्ध भाषा है और न सिर्फ भाषा के संदर्भ में, व्याकरण के सन्दर्भ में समृद्ध है बल्कि माननीय सदस्य ने जिन अन्य बातों का उल्लेख किया है उन सबके संदर्भ में यह समृद्ध है। प्रो. मल्होत्रा, श्री हरीश रावत और श्री जोशी ने उनका उल्लेख किया है। जहां तक उन पहलुओं का सम्बन्ध है, जो गणित, आयुर्वेद और नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में हमारे पूर्व बौद्धिक चिन्तन से संबंधित हैं और जो हमारे देश के समग्र सांस्कृतिक आधार से जुड़े हैं, जिससे ये समस्त विचार प्रक्रियायें पनपती हैं। तथा जिन्होंने इसे उच्च स्तर प्रदान किया है, का सम्बन्ध है, वहां पर इसके बारे में कोई संदेह ही नहीं है और इसलिए संस्कृत हमारे लिए एक भाषा सीखने के अलावा बहुत कुछ है। आप निश्चित रूप से अन्य भाषा की तरह संस्कृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे सीख सकते हैं और मैं हिन्दी या अंग्रेजी की तरह संस्कृत में भाषण दे सकता हूं। लेकिन संस्कृत इससे कुछ अधिक महत्वपूर्ण भाषा है। इसमें सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के तत्व हैं जिसके अन्तर्गत मनुष्य की रचनात्मक गतिविधियां बहुत हद तक सम्मिलित हैं। इस बारे में कोई संदेह ही नहीं है और संस्कृत सीख कर, इसके साहित्य को पढ़कर

हम इन क्षेत्रों में विचार प्रक्रिया, सांस्कृतिक विरासत इत्यादि सुलभ करा सकते हैं। इसलिए, मुझे इस बारे में कोई शंका नहीं है कि उन लोगों को, जो इसे जानते हैं और जिन्होंने इस विरासत की प्राप्ति हेतु इसे सीखा है, उन्हें समर्थ बनाने हेतु हमारी शिक्षा प्रणाली में संस्कृत को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। त्रिभाषा फार्मूले के संदर्भ में संस्कृत के इस्तेमाल और संस्कृत पठन-पाठन को बढ़ावा देने और अधिक लोगों को संस्कृत पढ़ाने इत्यादि के संदर्भ में इसी मुद्दे पर चर्चाएं हुई हैं।

लेकिन अब मैं अधिक विशिष्ट प्रश्न की चर्चा करूंगा और यह विशिष्ट प्रश्न एक भाषा के रूप में संस्कृत के बारे में है। और यहां पूरक प्रश्नों के सन्दर्भ में हुई चर्चा में दोनों माननीय सदस्यों द्वारा तथा अभी-अभी प्रो. मल्होत्रा एवं श्री कुमारमंगलम द्वारा उठाई गई चर्चा में लिपियों के क्षेत्र तथा भाषाओं से सम्बन्धित मुद्दों में इसका उल्लेख किया गया था। यहां मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। मूल रूप से हम दो प्रकार की भाषायें जानते हैं, एक को हम बोल चाल की भाषा कहते हैं और बोल चाल की भाषायें वे हैं जिसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ वर्तमान समय में बोले जाने वाली किसी भी भाषा से है चाहें वे हिन्दी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, बंगाली हो, जहां कहीं भी हम इन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं अथवा विदेशों में यदि हम इनका इस्तेमाल करना चाहेंगे, चाहे वे अंग्रेजी हो या स्पेनिश या फ्रैंच या रूसी भाषा—ये सभी बोल चाल की भाषाये हैं। इन भाषाओं को हम अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं और संस्कृत भी उनमें से एक हैं और इसलिए जहां लैटिन, ग्रीन तथा अन्य भाषायें जो कि प्राचीन भाषाए हैं, और जिन्हें उस रूप में बोला जाता था, फिर भी आज कल इन भाषाओं का इस्तेमाल व्यापक रूप में नहीं होता है। और इसी उद्देश्य के लिए मैंने बोलचाल की जिन भाषाओं का उल्लेख किया है उनका इस्तेमाल व्यापक रूप से होता है। यद्यपि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि प्राकृतिक भाषाओं का आम बोल चाल मे काफी महत्व होता है क्योंकि गद्य और पद्य में उनकी वैभवता होती है, परन्तु यदि वे वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लेती हैं तो परिशुद्धता, कठोरता और यथार्थता की दृष्टि से उनमें परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण यदि आप शुद्धता अथवा कठोरता अथवा यथार्थता की बात करते हैं तो उस दृष्टिकोण से सभी भाषाओं की जननी वास्तव में गणित है। गणित में स्वयं सिद्धि के दायरे में, जिन क्षेत्रों में आप कार्य करते हैं वहां कोई अस्पष्टता नहीं है। जब आप लिखते हैं तो गणित में कुछ पूरी तरह लिखिये, बीजगणित में, रेखागणित में भी यह पूरी तरह है। वहां कुछ नियम हैं, आप नियमों का पालन कीजिए और जो आप प्राप्त करते हैं वह स्पष्ट वक्तव्य, कार्य की दृष्टि से आपसी बोध शक्ति है और इसीलिए यह अपने आप में एक भाषा है। अधिकांश लोग यह नहीं कहेंगे कि गणित एक भाषा है। परन्तु उस उद्देश्य के लिए गणित वास्तव में एक भाषा है। यह कुछ स्पष्ट और सक्रिय तरीके से कुछ जानकारी देता है और इसी कारण हमें इन तर्क संगत पद्धतियों में वास्तव में जो आवश्यकता होती है वह यह है कि हम कम्पयूटर का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वहां जानकारी के सम्बन्ध में ही एक संक्षिप्त ढंग से कार्य होता है। उसी कारण हमें कृत्रिम भाषाओं, जैसे गणित, सम्पूर्ण द्वि-अंगी तार्किक पद्धतियों आदि की ओर जाना पड़ता है जिससे कम्पयूटर पद्धति का व्यापक विकास हुआ है हम लिपियों का काम नहीं करते हैं, इस बात का प्रश्न नहीं है कि आप ब्राह्मी लिपि अथवा पाली लिपि का काम करते हैं, मूल लिपि क्या थी जिससे सभी की साक्षर लिपियां निकलीं, जहां से कन्नड़ अथवा तामिल अथवा तेलुगु अथवा मलयालम लिपियां आयीं, ये देवनागरी लिपि से पूरी तरह अलग है, हम उन प्रश्नों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मौलिक नियमों की बात अधिक करते हैं और वे नियम उस शुद्धता का आधार हैं जिसे गणित प्रदान करता है।

महोदय, अब जो मुख्य मुद्दा उठाया गया है, वह संस्कृत के बारे में है और हम उस पर चर्चा करते हैं और यह बात सत्य है कि व्याकरण, वाक्य रचना पर आधारित नियम और इसकी पूर्ण संरचना की दृष्टि से संस्कृत अन्य सभी भाषाओं की अपेक्षा अधिक परिशुद्ध है मैं इस बात के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि संस्कृत किस पर आधारित है। यह सत्य है कि संस्कृत की कुछ परिशुद्धता है, यही कारण है कि हमने यह प्रश्न काफी समय पहले नहीं उठाया परन्तु हाल ही में उठाया है क्योंकि कम्पयूटर का जो प्रचार दूसरी भाषा पद्धतियों में हुआ है वह केवल इस दशक का है। उससे पहले कम्पयूटर एक जटिल वस्तु थी जिसकी अपनी भाषा थी। मुझे निश्चित रूप से याद है कि हमने जब प्रथम अंकीय कम्पयूटर का निर्माण अपने देश में किया था जो टाटा इन्स्टट्यूट आफ फण्डामेन्टल रिसर्च में स्थापित था, जहां कि मैंने कार्य किया था, तो उसे चलाने के लिए उस कम्पयूटर की भाषा को सीखना पड़ता था।

7.00 म. प.

यह अन्य किसी चीज को स्वीकार नहीं करेगा। इसकी केवल अपनी भाषा है और इसके साथ कार्य करने के लिए आपको इसकी भाषा सीखनी होगी। यद्यपि आजकल आपको कम्पयूटर की भाषा सीखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप इसे सरल भाषाओं जैसे फोरट्रान, बेसिक एवं को बोल आदि से सम्बोधित कर सकते हैं। वह दिन आने वाला हैं जब आप कम्पयूटर से एक प्राकृतिक ढंग से भी बात कर सकते हैं और इसे लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप इसे सम्बोधित भी कर सकते हैं और वह आपकी बात समझेगा। कम्पयूटर इसके शेष कार्य को पूरा कर लेगा। प्रश्न यह है कि अपनी स्वयं की भाषा की दृष्टि से कम्पयूटर का केन्द्र बिन्दु क्या है? क्या पाणिनि की व्याकरण और संस्कृत के अत्यधिक व्यापक नियम प्रारुप इसे उस श्रेणी में आने की अनुमति देते हैं? मेरे विचार से यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जितनी भाषाएं जानते हैं उन सभी में और सभी भारतीय भाषाओं में और अन्य सभी भाषाओं जैसे लेटिन, फ्रेन्च, स्पेनिश, इटेलियन, अंग्रेजी आदि में निःसन्देह संस्कृत का यह स्थान है। अब, संस्कृत कब तक कृत्रिम भाषा का रूप लेगी जिससे गणित का उस रूप में प्रयोग हो सकेगा, इस बात पर अभी ध्यान देना है। इस सम्बन्ध में मैंने उस पर अभी ध्यान देना है। इस सम्बन्ध में मैंने उस कार्य का हवाला दिया था जो भारत में पूना केन्द्र में प्रगति पर है। इसे आगे बढ़ाने के लिए अन्य प्रकार के दूसरे संस्थानों में भी किया जायेगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि इसमें अत्यधिक रुचिकर अनुसन्धान और उसके पश्चात बड़े स्तर पर उपयोग की सम्भावना है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि संस्कृत के विशेष रूप में प्रयोग करने के प्रश्न के अतिरिक्त पूरा प्रश्न इसकी वैभवता, संस्कृति और विरासत का है। प्रो. मल्होत्रा ने एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था। कोई इन विभिन्न विषयों को एक साथ किस प्रकार लाया जा सकता है? मैं व्यक्तियों के नामों की पूरी सूची को आपके सामने पढ़कर सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता। परन्तु मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि जो समिति इस विषय में कार्य करती है, उसमें काफी संख्या में देश के विद्वान हैं, उसमें प्राचीन भारतीय आयुर्वेद विज्ञान, गणित, संस्कृत के विद्वान और कम्पयूटर विशेषज्ञ शामिल हैं। हमारी समिति एक अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र वाली है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस तथ्य के बारे में अत्यधिक स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि किसी ने पूरे देश के विभिन्न संस्थानों में विभिन्न विभागों में कार्य किया है तो क्या इस प्रकार का कोई कार्य किया जा सकता है जिसके द्वारा इस प्रयास को आगे बढ़ाया जा सके। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय भाषाओं के प्रश्न का सम्बन्ध है, हम अन्तर-मंत्रालय आधार पर राजभाषा प्रभाग, शिक्षा विभाग और इलेक्ट्रोनिकी विभाग से सम्पर्क किये हुए हैं।

महोदय, दूसरे वक्ताओं ने शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि का प्रश्न उठाया है। ये सारी चीजें इस वर्ग से जोड़ दी जायेंगी और हम निश्चित रूप से उन संस्कृत के विद्वानों का उपयोग करना चाहते हैं जो देश में मौजूद हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ग की सिफारिशों से प्रो. मल्होत्रा द्वारा दिये गये ठोस सुझावों को भी कार्यान्वित किया जायेगा। उन्होंने स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत के विद्वानों को लेने और उन्हें कम्पयूटर में आधारभूत पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण देने का भी जिक्र किया था और उसी प्रकार कम्पयूटर प्रशिक्षितों को चुनकर संस्कृत का प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे कि वे एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। स्पष्टतः हम पूरी तरह अलग-अलग विभागों में लोगों को नियुक्त नहीं करते हैं। हम ऐसे लोगों को नियुक्त करना नहीं चाहते जो संस्कृत तो जानते हैं, परन्तु कम्पयूटरों को नहीं समझते और ऐसे लोगों को जो कम्पयूटरों के बारे में जानते हैं परन्तु संस्कृत नहीं समझते। इसकी देखभाल इस समिति द्वारा की जायेगी। अब मैं यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य श्री कुमारमंगलम ने पूरे कार्यक्रम और 17 करोड़ रुपये का जिक्र किया था। मैं इस स्थिति में केवल यही कहूँगा कि आठवीं योजना को अन्तिम रुप नहीं दिया गया है। इसलिए, हम वे आंकड़े नहीं बता सकते जो इस उद्देश्य के लिए आंवटित किये जायेंगे। यद्यपि, मैंने जो आंकड़े पेश किये हैं, वे वह राशि है जिसकी भारतीय भाषाओं से सम्बन्धित इस कार्यक्रम के लिए मांग की गयी है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब हम इस धन राशि की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य कोई उर्वरक संयन्त्र अथवा पैट्रो-कैमिकल संयन्त्र स्थापित करने अथवा बड़े शिक्षण कार्यक्रम चलाने जिसमें स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चों की बात अथवा उसी प्रकार की कोई बात करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई मापक बना लिया है। इलैक्ट्रोनिकी विभाग द्वारा जो राशि खर्च की जायेगी उसका उद्देश्य सभी चीजों को इस प्रकार पेश करना है जिसमें एक कुंजी पटल बन सके जिसके द्वारा भारतीय भाषाओं का आदान प्रदान हो सके, जो इस प्रकार की बातों को एक साथ लाने में सहायक होगा, जो यह बतायेगा कि अपने नियमों, पाणिनि की व्याकरण के सहित यथार्थ भाषा बनने के लिए संस्कृत में आवश्यक तत्व क्या हैं, जो इसे अपने आप में कम्पयूटर की भाषा बनाने में सार्थक बना सकता है। ये प्रश्न हैं। अतः उसके लिए जितनी राशि की आवश्यकता है वह उपलब्ध नहीं है। हम संस्थानों के निर्माण के लिए लोहे के सामान ईंटों और गारे पर अधिक राशि खर्च नहीं कर रहे हैं। यह वास्तव में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ इसके लिए राशि उपलब्ध है जो 17 करोड़ रुपये अथवा 13 करोड़ रुपये हो सकती है, मैं राशि की सही संख्या नहीं बता रहा हूं और मैं समझता हूँ कि हम अगली योजना में इस उद्देश्य के लिए अधिक राशि का प्रबन्ध करेंगे।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि क्योंकि संसार सूचना के युग में प्रवेश कर रहा है अतः भारत भी इस ओर अग्रसर हो सकता है और सूचना प्रोद्योगिका, जोकि महत्वपूर्ण है, ऐसी नहीं है जो केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रखी जाये जो अंग्रेजी जानते हैं। इसे केवल कुछ बुद्धिजीवियों तक ही सीमित नहीं रखा जायेगा। यह कुछ इस प्रकार की होगी जो हमारी भारतीय भाषाओं के दायरे में उपलब्ध होगी तथा इसका प्रयोग जहां आप कम्पयूटर का उपयोग करना चाहें किसी भी स्थान पर किया जा सकेगा। जिस प्रकार इस दिशा में रहने वाले भारतवासियों ने संस्कृत को इसकी समृद्ध, सांस्कृतिक परम्परा के साथ साथ इसको ऊंचा स्थान प्रदान किया, हम निश्चय ही

यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास करेंगे कि संस्कृत को सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर के विकास के साथ साथ एक प्रमुख कृत्रिम भाषा के रूप में प्रयोग किया जाए।

इस कार्य को करने के लिए जहां तक विस्तृत तरीके का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये अनेक अन्य सुझावों पर निश्चित रूप से ध्यान दूंगा और उन्हें आश्वासन देना चाहूंगा कि इन सभी पर पूरी तरह विचार किया जायेगा। इस पृष्ठ भूमि में यह बात कही गयी है और हम निश्चित रूप से इस पर केवल ध्यान ही नहीं देंगे बल्कि इसे आगे कार्यक्रमों में प्रयोग भी करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार, 14 मई, 1990 के 11. म. पू. तक के लिए स्थगित होती है।

7.08 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार 14 मई, 1990/24 वैशाख 1912 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

———

कृष्णा प्रिंटिंग वर्क्स दिल्ली-6